



## छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची  
फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025

भाग-1  
तारांकित प्रश्नोत्तर

### फसल उत्पादन एवं परीक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. ( \*क्र. 1171 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी, फसलों की नई किस्म/हाईब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, उन्नत कृषि करना/उपकरण/संसाधन संरक्षण, मशीनरी, जल संरक्षण उपकरण आदि की जानकारी हेतु विगत 03 वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां-कहां आयोजित किये गये? आयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि का व्यय, किस-किस योजना/मद से किया गया? प्रशिक्षण में कितने किसान/हितग्राही सम्मिलित हुये? प्रशिक्षणवार, प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वालों की संख्या की वर्षवार जानकारी देवें ? किस-किस प्रशिक्षण पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? योजनावार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : डोंगरगढ़ विधानसभा से संबद्ध विकासखण्ड-राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ हैं। प्रश्नाधीन अवधि में इन विकासखण्डों में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्नांकित विषयों से संबंधित कुल 39 प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिसमें 991 कृषक सम्मिलित हुए तथा राशि 2,66,808 का व्यय हुआ। वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार, प्रशिक्षणवार, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षित किसानों की संख्या एवं प्रशिक्षण में किये गये व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[ संलग्न "परिशिष्ट - एक" ]

### बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित आश्रम/छात्रावासों में हुई मौतें

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. ( \*क्र. 2271 ) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित किन-किन शासकीय आश्रम/छात्रावासों में विगत 03 वर्षों में हुई मौतों की जानकारी कारण सहित बतावें? (ख) क्या इन प्रकरणों के लिए विभागीय स्तर अथवा जिला प्रशासन के स्तर पर जांच की गई? जांच का निष्कर्ष क्या आया? संक्षिप्त में बतावें? (ग) क्या इन प्रकरणों में कोई

अधिकारी व कर्मचारी का अपने कर्तव्य के प्रति विपरीत आचरण करना पाया गया? यदि हां, तो की गई कार्यवाही बतावें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित शासकीय आश्रम/छात्रावासों में विगत 03 वर्षों में हुई मौतों का कारण सहित जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रकरणों के लिए विभागीय स्तर अथवा जिला प्रशासन के स्तर कराई गई जांच के निष्कर्ष की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) उक्त प्रकरणों में अपने कर्तव्य के प्रति विपरीत आचरण के दोषी पाये जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी पर की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - दो" \]](#)

### कबीरधाम जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति के खेतों में ट्यूबवेल खनन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. ( \*क्र. 2311 ) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021 से 2024 तक में कबीरधाम जिले में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा हितग्राहियों के खेतों को ट्यूबवेल खनन कार्य हेतु चयनित किया गया था तथा ट्यूबवेल खुदाई कर पंप प्रतिस्थापन किया गया? (ख) क्या इस ट्यूबवेल खनन कार्य में अनियमितता होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो अनियमितता से संबंधित अधिकारी / कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) वर्ष 2021 से 2024 तक विभाग द्वारा कबीरधाम जिले में विशेष पिछड़ी जन-जाति बैगा हितग्राहियों के खेतों को नलकूप खनन हेतु चयनित नहीं किया गया है, अतः नलकूप खनन कर पम्प प्रतिस्थापन की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्नाधीन अवधि में नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थापन कार्य में अनियमितता होने संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

### जिला बलरामपुर अंतर्गत विवाहों का पंजीयन

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

4. ( \*क्र. 1787 ) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 अंतर्गत विवाह पंजीयन के लिए अनिवार्य प्रपत्र कौन कौन से हैं? (ख) जिला बलरामपुर में वर्ष 2020-21 से 10.2.2025 तक प्रति वर्ष कितने विवाहों का पंजीयन किया गया ? विकासखण्डवार सूची प्रदान करें? (ग) शत-प्रतिशत विवाह पंजीयन हो इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जानकारी प्रदान करें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 अंतर्गत विवाह पंजीयन के लिए अनिवार्य प्रपत्र की सूची निम्नलिखित है:- (1) आवेदन पत्र, (2) वर-वधु का शपथ पत्र, (3) जन्म प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र, (4) निवास प्रमाण पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) जाति प्रमाण पत्र, (7) ज्वार्ट फोटो पासपोर्ट साईज, (8) गवाहों का आधार कार्ड एवं (9) विवाह अनुष्ठान सम्पन्न कराने वाले के सत्यापन के लिए तत समय उपस्थिति पंडित/ पादरी/मौलवी/समाज का प्रमाण पत्र। (ख) जिला बलरामपुर में कार्यालय अपर कलेक्टर में 59, नगरीय निकाय में 137 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 13 कुल 209 विवाहों का पंजीयन वर्ष 2020-21 से 10.02.2025 तक हुआ है। विवाह पंजीयन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) शत प्रतिशत विवाह पंजीयन हेतु जिला कार्यक्रम

अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जिला स्तर पर सभी विकास खण्डों में एवं जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविरों में पोस्टर, पम्पलेट एवं ग्रामों में दीवाल लेखन के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - तीन" ]**

### **बस्तर संभाग में एनएमडीसी की ईकाइयों से व्याप्त प्रदूषण पर कृत कार्यवाही**

[आवास एवं पर्यावरण]

**5. ( \*क्र. 2331 ) श्री किरण देव :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभाग में एनएमडीसी की संचालित ईकाइयों के कारण कितने गांवों की कितनी कृषि भूमि एवं नदियों सहित कितने जल स्रोत प्रदूषण से प्रभावित हैं ? क्या संचालित ईकाइयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है ? यदि हां तो प्रदूषण के क्या कारण हैं ? यदि नहीं तो वर्ष 2021-22 से 15.02.2025 तक ईकाइयों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार ईकाइवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के प्रदूषण प्रभावित कितने व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा भुगतान किया गया ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रदूषण की रोकथाम हेतु ईकाइयों द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? संचालित ईकाइयों द्वारा कितने क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया गया है? क्या प्रदूषित क्षेत्र के जलस्रोतों की गुणवत्ता की जांच की जाती है ? क्या पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** बस्तर संभाग में मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड की जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में चार लौह अयस्क खदानें ((1)डिपोजिट-5, बचेली, (2) डिपोजिट-10, बचेली, (3) डिपोजिट-11, बचेली एवं (4) डिपोजिट-14, किरंदुल) तथा मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, ग्राम नगरनार, जिला-बस्तर में एक इंटीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट संचालित है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर, जिला- बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त स्टील प्लांट से एक ग्राम के 88 कृषकों की कुल रकबा 33.44 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होना पाया गया था। कार्यालय कलेक्टर, जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के खदानों से 23 ग्राम के 359 कृषकों की कुल रकबा 188.187 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होना पाया गया था। वर्तमान में जलश्रोत प्रभावित होने जैसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में उद्योग एवं खदानों द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तों का पालन किया जा रहा है। अतः प्रदूषण के कारण संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मेसर्स एनएमडीसी के उद्योग एवं खदानों द्वारा सम्मति शर्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वर्ष 2021-22 से 15.02.2025 तक की अवधि में की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर, जिला बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2023-24 में ग्राम नगरनार में दूषित जल से प्रभावित फसल क्षति हेतु कुल 88 कृषकों को कुल रकबा 33.44 हेक्टेयर का प्रमाणित मानक पैदावार प्रति हेक्टेयर (क्वैटल) की दर से कृषि मुआवजा राशि रु. 16,78,937.00/- का भुगतान किया गया है। मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के खदानों से दूषित जल से प्रभावित फसल क्षति के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक कुल 359 प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि रु. 5,30,64,863.84/- का भुगतान किया गया है। **(ग)** मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के खदानों द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु चेक डेम, चेक बण्ड एवं टेलिंग डेम बनाये गये हैं। वर्तमान में शून्य निस्सारण की स्थिति रखी गई है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रशर इकाइयों के ट्रांसफर पॉइंट, कन्वेयर बेल्ट को कवर किया गया है। क्रशर, स्क्रीन, लोडिंग प्लांट एवं हॉल रोड पर जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। ठोस अपशिष्ट के रूप में ओव्हर बर्डन जनित होता है, जिसे अनुमोदित

माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर चिन्हित स्थान में सुरक्षित भण्डारित किया जाता है। मेसर्स एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इंटीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट द्वारा संयंत्रों से जनित होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट), कोक ओवन एवं बाय प्रोडक्ट रिकवरी प्लांट से जनित होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु बायोलॉजिकल ऑक्सीजन प्लांट (बी.ओ.डी.) तथा शेष निस्राव के उपचार हेतु सेंट्रल एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गये हैं। उपचारित जल का पुनः उपयोग स्लैग ग्रैन्यूलेशन, पिग कास्टिंग मशीन, डस्ट सप्रेसन एवं वृक्षारोपण आदि में किया जाता है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न स्त्रोतों पर आवश्यकतानुसार डस्ट क्लीनिंग सिस्टम, डिडस्टिंग सिस्टम, बैग फ़िल्टर, ईएसपी स्थापित किये गये हैं। ठोस अपशिष्ट के रूप में बी.एफ. ग्रेनूलेटेड स्लैग जनित होता है, जिसे सीमेंट प्लांट को विक्रय किया जाता है। परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में जनित होने वाले यूज़्ड ऑइल, ऑइल युक्त अपशिष्ट, एम्टी बेरल, ऑइल एवं ग्रीस स्कीमिंग को अधिकृत रिसायकलर्स को प्रदाय किया जाता है एवं डिकेन्टर टार स्लज, ऑइल कन्टामिनेटेड स्लज एवं बीओडी प्लांट स्लज को उद्योग के कोक ओवेन प्लांट में पुनः उपयोग किया जाता है। मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा बचेली स्थित खदानों एवं आसपास के 500 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 12,00,000 नग, किरंदुल स्थित खदान एवं आसपास 871.50 हेक्टेयर के क्षेत्र में लगभग 11,98,250 नग एवं इंटीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट द्वारा परियोजना परिसर के भीतर 131 हेक्टेयर क्षेत्र में 3,27,500 नग वृक्षारोपण किया गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग एवं खदानों के आस-पास के जल स्त्रोतों की गुणवत्ता की जाँच की जाती है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में इन्द्रावती नदी, संकनी नदी, उंकनी नदी के जल नमूने की जाँच मंडल द्वारा की गई है। कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड जगदलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला बस्तर के जगदलपुर विकासखण्ड एन.एम.डी.सी. स्टील प्लांट नगरनार एवं अन्य समस्त ग्राम के प्रभावित क्षेत्र में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की जाती है तथा स्वच्छ पेयजल हेतु नल जल योजना, सोलर पम्प एवं पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प स्थापित है। जिसके माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दंतेवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला दंतेवाड़ा के विकासखण्ड दंतेवाड़ा व कुआकोण्डा के एन.एम.डी.सी. किरंदुल व बचेली एवं अन्य समस्त ग्राम के प्रभावित क्षेत्र में पीने के पानी के स्त्रोत हैण्डपम्प की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की जाती है तथा स्वच्छ पेयजल हेतु नल जल योजना, सोलर पम्प एवं पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प स्थापित है। जिसके माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - चार" ]

### एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के नेशनल गेम्स के आयोजन हेतु राज्य को प्राप्त मेजबानी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**6. ( \*क्र. 2019 ) श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के नेशनल गेम्स के आयोजन की मेजबानी करने के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को अधिकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या नेशनल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ? यदि नहीं तो क्यों? कारण बताएं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हाँ। जी नहीं। राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन किये जाने हेतु दिनांक 17.12.2024 से 21.12.2024 तक प्रस्तावित किया गया था, किन्तु राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा राज्य द्वारा प्रस्तावित तिथि के स्थान पर दिनांक 15.12.2024 से 19.12.2024 तक आयोजन हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार आयोजन की तिथि 15.12.2024 से 19.12.2024 तक निर्धारित

की गई है। उक्त तिथि में प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होने तथा विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिभागियों के संख्या की जानकारी नहीं मिलने के कारण भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति को तिथि आगे बढ़ाने हेतु प्रस्तावित किया गया था, जिसके अनुक्रम में भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.12.2024 द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन को निरस्त करने की सूचना दी गई।

### **अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित आश्रम/छात्रावास**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**7. ( \*क्र. 2046 ) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितने आश्रम/छात्रावास अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित हैं? **(ख)** प्रश्नांश "क" के आश्रम/छात्रावासों में उपरोक्त उल्लेखित अवधि में अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई? प्रदान की गई सुविधाओं पर प्रत्येक सुविधा के लिए आश्रम/छात्रावासों पर वर्ष 2023 तथा 2024 में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय की गई जानकारी जिलावार/विकासखंडवार उपलब्ध करावें? **(ग)** उपरोक्त उल्लेखित अवधि में किस-किस जिले के किन-किन आश्रम/छात्रावासों से कितने-कितने विद्यार्थी पहाड़ी कोरवा एवं बैगा तथा अन्य संरक्षित जन जाति के लाभांशित हुए हैं जानकारी जिलावार/विकासखंडवार उपलब्ध करावें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1170 आश्रम एवं 1633 छात्रावास संचालित है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के आश्रम/छात्रावासों में उपरोक्त उल्लेखित अवधि में अनुसूचित जनजाति के निवासरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत आवास, पौष्टिक आहार, साबून, तेल, पंलग, गद्दे, चादर, कंबल, तकिया, थाली, गिलास, खेल सामग्री सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। प्री मैट्रिक छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को राशि रू. 1500/-प्रतिछात्र प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि प्रदाय की जाती है। जिसमें 80 प्रतिशत (राशि रू. 1275/-) राशि का उपयोग सामूहिक मेस एवं नाश्ता की प्रतिपूर्ति पर किया जा रहा है एवं 15 प्रतिशत (राशि रूपये 225/-) राशि का व्यय स्कूल बैग, पी.टी.शु., ब्लेक शु. मोजा (दो पेयर) स्वेटर, चप्पल, अंडर गारमेंट (दो-दो नग) आदि पर किया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना अंतर्गत रूपये 1200/- प्रति छात्र प्रतिमाह मेस संचालन हेतु प्रदाय किया जाता है। आश्रम/छात्रावासों में शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय की राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जिलेवार सीधे छात्रावास अधीक्षक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। अतः विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। वर्ष 2023 तथा 2024 में व्यय राशि की जानकारी जिलेवार **संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

[ संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

### **महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित महाविद्यालय**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**8. ( \*क्र. 989 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अंतर्गत प्रदेश में कौन-कौन से महाविद्यालय, कहां-कहां संचालित हैं? उनमें से कितने स्वयं के भवन में, उसके अंतर्गत कौन-कौन से, कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने भरे/रिक्त हैं? जनवरी, 2025 की अद्यतन स्थिति में कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत कितने में अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं तथा उसके अंतर्गत स्वीकृत

पद के विरूद्ध कितने भरे/रिक्त हैं? (ग) उक्त छात्रों के रोजगार नियोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्ययोजना बनायी गयी है तथा कितने रोजगार व बेरोजगार हैं?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :**(क) विश्वविद्यालय अंतर्गत 15 शासकीय महाविद्यालय एवं 4 निजी महाविद्यालय संचालित है। संचालित महाविद्यालयों के संचालन स्थल एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की अद्यतन स्थिति तथा भवन संबंधी **विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** एवं महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध भरे/रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं है अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) विश्वविद्यालय स्थापना उपरांत 780 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये है, इनमें से कुछ छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है। छात्रों के रोजगार नियोजन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर प्लेसमेंट सेल की स्थापना कर विभिन्न निजी एवं शासकीय संस्थाओं यथा बैंक/बीज/ कीटनाशक इत्यादि कंपनी से समन्वय स्थापित कर रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है। उत्तीर्ण छात्रों की रोजगार संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय स्तर पर वर्तमान में संधारित नहीं की जाती है अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - छः" \]](#)

### लौह अयस्क के लोडिंग/अनलोडिंग स्थलों में प्रदूषण नियंत्रण/ पर्यावरण नियमों का पालन

[आवास एवं पर्यावरण]

**9. ( \*क्र. 1915 ) श्रीमती अनिला भंडिया :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) बालोद जिला में जनवरी, 2025 की स्थिति में किन-किन स्थानों में लौह अयस्क का लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य किया जा रहा है? क्या सभी स्थानों में पर्यावरण नियमों का पालन किया जा रहा है तथा पानी का छिड़काव किया जाता है? (ख) संचालित माईन्स/प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ (वेस्ट मटेरियल) को किन-किन शासकीय स्थानों अथवा निजी स्थानों पर डंप किया गया है अथवा किया जा रहा है तथा उक्त कार्य किनकी अनुमति से किन नियमों के तहत किया गया है? क्या वेस्ट मटेरियल परिवहन/डंप करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) लोडिंग एवं अनलोडिंग स्थान में कार्यरत मजदूरों को क्या-क्या सुविधा दी जाती है क्या मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 के मध्य किनके माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) बालोद जिले में जनवरी, 2025 की स्थिति में संचालित 03 लौह अयस्क खदानों में (1). मेसर्स राजहरा मेकेनाईज्ड माईन (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) पोस्ट दल्लीराजहरा, जिला बालोद, (2). मेसर्स महामाया दुल्की माईस (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) पोस्ट महामाया, जिला-बालोद (3). मेसर्स दल्ली मेकेनाईज्ड माईन (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड), पोस्ट दल्लीराजहरा, जिला-बालोद में लौह अयस्क का लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य लीज क्षेत्र के भीतर किया जा रहा है। इन लौह अयस्क खदानों में मंडल द्वारा प्रदत्त जल एवं वायु सम्मति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है तथा जल का छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त बालोद जिले में 01 लौह अयस्क प्रसंस्करण इकाई मेसर्स निको माईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गिधाली, तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद स्थापित / संचालित हैं जहां लौह अयस्क की लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य उद्योग परिसर के भीतर किया जाता है। उक्त इकाई में मंडल द्वारा प्रदत्त जल एवं वायु सम्मति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है तथा जल का छिड़काव किया जाता है।(ख) प्रश्नांश क की जानकारी में उल्लेखित तीनों खदानों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट (वेस्ट रॉक / मटेरियल) को डम्पर /ट्रक द्वारा परिवहन कर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खदान में चिन्हित वेस्ट डम्प क्षेत्र (लीज क्षेत्र के भीतर) में संग्रहित किया जाता है। अनुमोदित माईनिंग

प्लान के अनुसार अपशिष्ट (वेस्ट रॉक/मटेरियल) का कुछ भाग खदान क्षेत्र में भू-भरण हेतु उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मेसर्स निको माईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम गिधाली, तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद से जनित होने वाले वेस्ट मटेरियल/अनुपयोगी टेलिंग को 03 शासकीय स्थानों तथा 72 निजी स्थानों पर डंप किये जाने हेतु मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालोद द्वारा अनुमति दी गई है, उक्त स्थलों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। इन स्थलों पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालोद द्वारा छ. ग. गौण खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत वेस्ट मटेरियल/अनुपयोगी टेलिंग को डंप किए जाने की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 25.02.2025, 28.02.2025, 05.03.2025 एवं 06.03.2025 को इन सभी स्थलों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेसर्स निको माईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड से जनित वेस्ट मटेरियल/अनुपयोगी टेलिंग का डिस्पोजल उपरोक्त स्थलों में से 02 शासकीय स्थल तथा 50 निजी स्थलों पर पूर्व से किया गया है तथा शेष 01 शासकीय स्थल तथा 22 निजी स्थलों पर डंपिंग का कार्य आरंभ नहीं किया गया है। जी हाँ, वेस्ट मटेरियल परिवहन/ डंप करने के सम्बन्ध में 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर की गयी कार्यवाही का **विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दुर्ग संभाग, जिला-दुर्ग द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार उद्योग मेसर्स निको माईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड में प्रबंधन द्वारा लौह अयस्क की लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य में नियोजित श्रमिकों को कारखाना अधिनियम 1948 एवं छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के प्रावधानानुसार स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कारखाना प्रबंधन द्वारा नियोजित श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रारूप-21 में वर्ष 2022-23 से जनवरी 2025 की अवधि में आऊटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किया गया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बालोद से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला-बालोद अंतर्गत गिधाली क्षेत्र में तथा आसपास रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य में माइन्स से संबंधित होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर किसी भी प्रकार के बीमारी के लक्षण नहीं मिले तथा समय-समय पर माइन्स के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार के गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं मिले।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

### **ई-कुबेर प्लेटफार्म के माध्यम से विभागों को भुगतान**

[वित्त]

**10. ( \*क्र. 2298 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई-कुबेर प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदेश सरकार के विभागों में भुगतान प्रक्रिया कौन-कौन से विभाग में प्रारंभ की गई है ? कौन-कौन से विभाग में नहीं की गई है? (ख) किन कार्यों को विशेष भुगतान की श्रेणी में रखा गया है ? क्या विशेष भुगतान की श्रेणी के कार्यों को ई-कुबेर प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान नहीं किया जा सकता ? कृपया बतावें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई-कुबेर प्रणाली से भुगतान की प्रक्रिया राज्य के कोषालयों के माध्यम से आहरण करने वाले समस्त विभागों तथा निर्माण कार्य विभागों (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, जल संसाधन) एवं वन विभाग में प्रारंभ की गयी है। राज्य के बाहर स्थापित कार्यालयों में ई-कुबेर प्रणाली से भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है। (ख) विशेष भुगतान की श्रेणी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। हां, विशेष भुगतान की श्रेणी के कार्यों को ई-कुबेर प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। इसके लिये तकनीकी विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार उनके द्वारा आवश्यक तकनीक विकसित की जा रही है। [\[ संलग्न "परिशिष्ट - आठ" \]](#)

### **संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का विघटन**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**11. ( \*क्र. 515 ) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सत्य है कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य होने के बाद संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को विघटित कर लिया जाना था ? अगर हां तो, कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को विघटित कर दिया गया है और अगर नहीं किया गया है तो कब तक कर लिया जाएगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.09.2023 को सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण, प्रबंधन एवं सतत उपयोग संबंधी दिशा-निर्देश जारी किया गया है। दिशा-निर्देश के कंडिका क्रमांक 6.2.ट में "वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वन संसाधन के प्रबंधन के लिए पहले से गठित किसी भी मौजूदा समिति अथवा ग्रामसभा स्तर पर वन संसाधन के प्रबंधन के लिए अन्य कोई गैर -वैधानिक समिति को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (सीएफआरएमसी) द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा" का लेख किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त उत्तर के अनुसार वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-68/2007/10-2, दिनांक 30.01.2025 के माध्यम से शासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2023 को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्रों के लिए जारी दिशा-निर्देश के क्रियान्वयन हेतु वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए मानक प्रक्रिया (SOP) का प्रारूप तैयार करेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, द्वारा पत्र क्रमांक एफ 10-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.03.2025 के माध्यम से सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली हेतु एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी पत्र क्रमांक/DO NO.4-4/2020 FP दिनांक 14.03.2024 में दिये गये Consolidated set of guidelines तथा Clarification के संबंध में MoTA द्वारा यदि कोई Model Community Forest Resoure Management Plans तैयार किया गया हो तथा CFRMCs के प्रशिक्षण हेतु कोई Training Modules तैयार किये गये हों तत्संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु लेख किया गया है। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा मानक प्रक्रिया तैयार होने के पश्चात ही शासन द्वारा उक्त प्रश्नांकित विषय पर निर्णय लिया जा सकेगा।

### **प्रदेश में संचालित भवन/आहाता विहीन प्री/पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावास**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**12. ( \*क्र. 1729 ) श्री राजेश मूणत :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** दिनांक 10.2.2025 की स्थिति में प्रदेश में ऐसे कितनी प्री/पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावास हैं, जो भवन तथा आहाता विहीन हैं ? नाम सहित विवरण दें। **(ख)** आहाता विहीन छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जाती है ? **(ग)** क्या प्रदेश के हर प्री/पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सी.सी.टी.वी. लगे हुए हैं ? **(घ)** प्रदेश में ऐसे कितने छात्रावास हैं, जो जीर्णशीर्ण हो गए हैं अथवा जर्जर स्थिति में हैं ? विवरण दें।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** प्रदेश में 129 प्री/पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावास भवन विहीन है तथा 224 ऐसे भवनयुक्त छात्रावास है जो आहाता विहीन है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** सभी जिलों में आहाता विहीन प्री./पोस्ट

मैट्रिक बालक छात्रावासों की सुरक्षा संस्था में कार्यरत चौकीदार एवं प्री./पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावासों में कार्यरत महिला चौकीदार तथा महिला नगर सैनिकों द्वारा एवं सी.सी.टी.वी. कैमरे की निगरानी के तहत की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु जालीदार तार एवं बांस से संस्था का घेराव किया जाता है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रदेश में 75 छात्रावास जीर्णशीर्ण/जर्जर स्थिति में है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।

### **बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में स्वीकृत एवं रिक्त सीट**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**13. ( \*क्र. 1642 ) श्री दिलीप लहरिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में शैक्षणिक सत्र 2024 – 25 में स्वीकृत सीट कितनी है, जिसमें कितनी सीट खाली एवं भरी हैं? क्या जहां सीट फुल हो चुकी है, वहां सीट वृद्धि करने की आवश्यकता है? विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के अनुसार संचालित छात्रावासों को भोजन सहायता योजना अंतर्गत किस-किस माह में कितनी-कितनी राशि जारी की गयी है? वर्ष 2024-25 में जनवरी, 2025 तक माहवार एवं छात्रावासवार विवरण देवें? (ग) बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में भृत्य एवं रसोईया के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक भर्ती की जाएगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्वीकृत सीट 5270 है। जिसमें 573 सीट खाली एवं 4697 भरी है। बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में सीट वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में भृत्य एवं रसोईया के 179 पद रिक्त है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - नौ" \]](#)

### **जी एसटी विभाग के ई वे बिल की जांच व कृत कार्यवाही**

[वाणिज्यिक कर]

**14. ( \*क्र. 2294 ) श्री सुशांत शुक्ला :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वर्ष 2024 में राज्य में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के डीजीजीआई जोनल यूनिट, रायपुर द्वारा छापे की कार्यवाही कब-कब, किन-किन स्थानों पर की गई ? छापे में कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी राशि की बिना ई-वे बिल के अथवा फर्जी ई-वे बिल पकड़े गए? कितनी सामग्री बिना वैध कागजातों के वाहनों में पकड़े गए? वाहन मालिकों के नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या कवर्धा के चिल्फी घाटी में वर्ष 2024-25 में स्टेट जीएसटी टीम द्वारा बिना ई-वे बिल के गाड़ियां पकड़ी गई थीं ? यदि हां तो कितनी गाड़ियां? कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी राशि की पकड़ी गई ? कितनी पेनाल्टी लगाई गई ? (ग) वर्ष 2024-25 में स्टेट जीएसटी टीम द्वारा ई-वे बिल जांच की कुल कितनी कार्यवाही की गई? कितनी पेनाल्टी किन-किन अधिकारियों द्वारा वसूली गई ? उक्त कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा कितने वाहन किराये पर लिए गए एवं कितना भुगतान किया गया? क्या उक्त अवधि में गुटखा/पान मसाला फर्म के विरुद्ध छापा अथवा ई-वे बिल की कार्यवाही की गई? फर्म के नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) राज्य के वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के अंतर्गत डीजीजीआई जोनल यूनिट, रायपुर नहीं आता है। (ख) राज्य कर (जीएसटी) विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 26.02.2025 तक) चिल्फी में स्टेट जीएसटी टीम द्वारा कुल 15 वाहनों पर कार्यवाही कर राशि रु. 33 लाख

54 हजार की पेनाल्टी वसूली की गई है। (ग) राज्य कर (जीएसटी) विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 26.02.2025 तक) कुल 2077 वाहनों पर कुल राशि रु. 31 करोड़ 17 लाख की पेनाल्टी वसूली की गई है। कितनी पेनाल्टी किन-किन अधिकारियों द्वारा वसूली की गई की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। वर्ष 2024-25 में ई-वे बिल जांच की कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा 16 वाहन किराए पर लिए गए एवं राशि 1 करोड़ 55 लाख 33 हजार 60 रूपये का भुगतान किया गया है। राज्य कर (जीएसटी) विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 26.02.2025 तक) गुटखा/पान मसाला फर्म के विरुद्ध ई-वे बिल की कार्यवाही में कुल 28 प्रकरणों पर कुल राशि रु. 1 करोड़ 34 लाख की पेनाल्टी वसूली की गई है। फर्म के नाम, पता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - दस" \]](#)

### **कोलवाशरी व कोल डिपो द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही**

[आवास एवं पर्यावरण]

**15. ( \*क्र. 2265 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2024 से फरवरी, 2025 तक जांजगीर चांपा व सक्ती जिले में किन-किन कोलवाशरी व कोल डिपो द्वारा पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई है और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) संचालित कोलवाशरी व कोल डिपो के आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं कृषि भूमि पर पडने वाले दुष्प्रभावों के निराकरण हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? जानकारी दें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) प्रश्नाधीन अवधि में पर्यावरण नियमों का पालन नहीं किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) कोलवाशरी व कोल डिपो से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण एवं संभावित दुष्प्रभावों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति में मुख्य रूप से कोलवाशरी में सक्षम दूषित जल उपचार व्यवस्था कर परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं करते हुए शून्य निस्सारण रखना, सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना, परिसर के चारों ओर 03 मीटर उंची बाउंड्रीवाल तथा उसके ऊपर 03 मीटर उंची विण्ड ब्रेकिंग स्क्रीन, परिसर के एक तिहाई भाग में वृक्षारोपण, परिसर के चारों ओर रेन गन्स की व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास द्वार पर व्हील वाशिंग सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने तथा कोल डिपो में पर्याप्त मात्रा में जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने की शर्त निहित की जाती है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कोलवाशरी तथा कोल डिपो का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के अंतर्गत उद्योग का उत्पादन बंद कराने / विद्युत विच्छेदन कराने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह" \]](#)

### **कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त आधार/प्रमाणित बीज का वितरण**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**16. ( \*क्र. 2290 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त आधार/प्रमाणित बीज का वितरण शासन की कौन-कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है एवं क्या इसके लिए शासन के पास कोई प्रमाणीकरण संस्था है? यदि हां तो कौन-

कौन? **(ख)** क्या निजी कंपनियों के द्वारा भी कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त आधार/प्रमाणित बीज वितरण करने की अनुमति शासन द्वारा दी जाती है ? यदि हां, तो छ.ग. की कौन-कौन सी संस्था को अधिकृत किया गया है? **(ग)** विगत 03 वर्षों में गुणवत्ताहीन बीजों से संबंधित कितने मामले सामने आए हैं एवं उसके ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है एवं गुणवत्ताहीन बीज देने वाले संस्थानों/कंपनियों के ऊपर नकेल कसने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाया गया है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क), (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**

### प्रदेश की मंडियों में ग्रेडिंग मशीन लगाने में व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**17. ( \*क्र. 2275 ) श्रीमती शेषराज हरवंश :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के किस-किस मंडी में ग्रेडिंग मशीन लगाई गई है? कितनी मात्रा में धान का ग्रेडिंग वर्ष 2024-25 के धान उपार्जन में जनवरी तक किया गया है? यदि ग्रेडिंग नहीं किया गया इस हेतु कौन दोषी है ? **(ख)** वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितनी-कितनी मात्रा में, ग्रेडिंग मशीन, किस-किस दर पर, किस-किस एजेंसी से क्रय की गयी है ? क्रय की निविदा कब की गई? कितने निविदाकार ने भाग लिया? प्रथम न्यूनतम निविदाकार कौन था? कितनी राशि की खरीदी की गई है ? जिलेवार जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की 22 कृषि उपज मंडी समितियों को 06 फल-सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीन तथा 20 अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीन प्रदाय की गई है **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** वर्ष 2024-25 में जनवरी तक धान उपार्जन में धान का ग्रेडिंग नहीं किया गया। छ.ग. राज्य बीज निगम को हस्तांतरित 02 अनाज ग्रेडिंग मशीन के अलावा शेष ग्रेडिंग मशीन उपयोग की स्थिति में नहीं होने से कोई दोषी नहीं है। **(ख)** वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रेडिंग मशीन क्रय नहीं की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

### रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्री मैट्रिक कन्या/बालक छात्रावासों के उन्नयन का प्रस्ताव

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**18. ( \*क्र. 2281 ) श्री फूलसिंह राठिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास व बालक छात्रावास करतला, रामपुर, भैसमा को उन्नयन करते हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावास खोले जाने की स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी नहीं। अतः छात्रावास खोले जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### जिला जांजगीर-चांपा के उद्योगों का निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

**19. ( \*क्र. 2155 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थित लघु एवं दीर्घ उद्योगों का बाँयलर इंजीनियरों व पर्यावरण संरक्षण विभाग के

सक्षम अधिकारियों द्वारा विगत 3 वर्षों में कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में कौन-कौन सी कमियां पाई गईं एवं उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, उद्योगवार सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थित वृहद्, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों का सक्षम अधिकारियों द्वारा विगत 03 वर्षों में किये गये निरीक्षण, पाई गई कमियों एवं की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में वर्षवार, उद्योगवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। जांजगीर-चाम्पा जिले में विगत 03 वर्षों में बॉयलर इंजीनियरों द्वारा किये गये निरीक्षण के संबंध में मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

### शासकीय एवं निजी अस्पतालों को बायोमेडिकल वेस्ट के भण्डारण/निष्पादन हेतु जारी लाइसेंस

[आवास एवं पर्यावरण]

**20. ( \*क्र. 789 ) श्री संदीप साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022-23 से 10/2/2025 तक प्रदेश के शासकीय एवं निजी अस्पतालों के द्वारा निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्टेज (कचरा) का भण्डारण/निष्पादन हेतु शासन द्वारा क्या नीति बनाई गई है ? बतावें ? **(ख)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के द्वारा जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा के कितने शासकीय एवं निजी अस्पतालों को बायोमेडिकल वेस्टेज का भण्डारण/निष्पादन हेतु लाइसेंस जारी किया गया है? क्या इनका नवीनीकरण किया गया है? यदि हां तो उनके नाम पते सहित अद्यतन स्थिति में बतावें ? शासन द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त संचालित किन-किन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है । विकासखण्डवार बतावें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के किन अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा कौन-कौन से शासकीय एवं निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है? क्या निरीक्षण समयावधि में निष्पादित किए जा रहे हैं? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पायी गयी हैं ? वर्षवार, विकासखण्डवार बतावें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के भण्डारण एवं निष्पादन हेतु जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) दिनांक 28/03/2016 से प्रभावशील है। **(ख)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा जिला-बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत कुल 178 चिकित्सा संस्थानों (74 शासकीय एवं 104 निजी चिकित्सा संस्थानों) को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार जारी किये गये हैं। जी हाँ, कुल 178 चिकित्सा संस्थानों को जारी प्राधिकार में से 89 चिकित्सा संस्थानों को प्राधिकार नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। जिन चिकित्सा संस्थानों के प्राधिकार नवीनीकरण जारी किये गये हैं, उनकी अद्यतन **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। मंडल द्वारा चिकित्सा संस्थानों को दिनांक 30/06/2025 तक प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु समय दिया गया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** सामान्यतः निरीक्षण प्राधिकार एवं प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने के पूर्व किया जाता है। वर्ष 2022-23 से 10/02/2025 की अवधि में किये गये निरीक्षण की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

## उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत राज्य पोषित योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना से लाभान्वित कृषक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**21. ( \*क्र. 2211 ) श्री ओंकार साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- क्या उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत राज्य पोषित योजना एवं केन्द्र परिवर्तित योजना के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन, रोपनी अधोसंरचना विकास/संरक्षित खेती/उद्यानिकी यांत्रिकरण, मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित हैं? यदि हां, तो धमतरी जिले के वर्ष 2022 से 2024 तक उक्त योजना के लाभान्वित कृषकों की विकासखण्डवार, सामग्रीवार, राशिवार जानकारी दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हां। प्रश्नांकित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2022 से 2024 तक लाभान्वित कृषकों की वर्षवार, विकासखण्डवार, सामग्रीवार, राशिवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

## जिला महासमुंद में संचालित लाइसेंस प्राप्त कृषि सेवा केन्द्र

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**22. ( \*क्र. 2303 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-महासमुंद में शासकीय नियमों का पालन करते हुए (लाइसेंस) कृषि दवायें, जैविक खाद, उर्वरक बीज आदि के दुकानों की संख्या 15 फरवरी, 2025 में विकासखण्डवार बतायें ? क्या इनके अतिरिक्त अनियमित दुकान संचालित हैं ? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? **(ख)** महासमुन्द जिले में अमानक कृषि दवाई, खाद बीज से सम्बंधित कितनी शिकायतें प्राप्त 01 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2025 में प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** क्या संचालित प्रश्नांश 'क' के दुकानों की नियमित जांच की जाती है ? यदि हां तो महासमुंद जिले में 1 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2025 की अवधि में जांच की संख्या व जांच में पाई गई कमी पर की गई कार्यवाही विकासखण्डवार बतायें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जिला-महासमुंद में 15 फरवरी, 2025 की स्थिति में शासकीय नियमों का पालन करते हुए कृषि दवायें (कीटनाशक) हेतु 638, जैविक खाद एवं उर्वरक हेतु 465 तथा कृषि फसल बीज हेतु 656 एवं सब्जी बीज व्यवसाय के लिए 46 लाइसेंस जारी किये गये हैं, जिनकी विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** जिले में कोई भी अनियमित दुकान संचालित नहीं हैं, अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। **(ख)** महासमुन्द जिले में 01 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक अमानक कृषि दवाई, खाद एवं बीज से सम्बंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। **(ग)** जी हां। प्रश्नांश 'क' अनुसार संचालित दुकानों में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 तथा बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार नियमित रूप से उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा जांच की जाती है। महासमुंद जिले में 1 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक की अवधि में 60 दुकानों की जांच की गई। जांच में पाई गई कमी एवं की गई कार्यवाही की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र -ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" \]](#)

### विधानसभा क्षेत्र धरसीवा स्थित तुलसी बाराडेरा में निर्मित थोक मंडी दुकानों का व्यवस्थापन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**23. ( \*क्र. 2025 ) श्री अनुज शर्मा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-  
(क) विधान सभा क्षेत्र धरसीवा स्थित तुलसी बाराडेरा में निर्मित थोक मंडी दुकान बनाने का क्या उद्देश्य था? उक्त दुकानें कब और कितने राशि में बनकर तैयार हुई हैं? (ख) उक्त निर्मित दुकानों पर किन-किन दुकानों में किन-किन व्यवसायों को व्यवस्थापन कराने का प्रस्ताव था? दिनांक 15.2.2025 तक क्या दुकानों का व्यवस्थापन किया गया है? यदि हां तो कितने दुकानों का व्यवस्थापन किया गया? यदि नहीं तो क्यों? जानकारी दें? (ग) प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त निर्मित दुकानों के व्यवस्थापन/आबंटन का अधिकार किसके क्षेत्राधिकार में है? यदि व्यवस्थापन नहीं हुआ है तो निर्मित दुकानों के उपयोग/आबंटन हेतु शासन की क्या योजना है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा स्थित तुलसी बाराडेरा में मंडी प्रांगण में दुकानें (शाप कम गोदाम) फल-सब्जी एवं आलू प्याज के थोक व्यापार के संचालन हेतु बनायी गयी थी, उक्त दुकानें अगस्त 2008 से अक्टूबर 2012 के मध्य फेस-1 एवं फेस-2 में 192 दुकानें (शापकम गोदाम) राशि 1293.94 लाख की लागत से बनकर तैयार हुई है। (ख) उक्त निर्मित 192 दुकानों (शापकम गोदाम) में से शहर के मध्य संचालित थोक फल व्यवसायियों हेतु 70 दुकानें (शाप कम गोदाम), आलू-प्याज, लहसुन के व्यवसायियों हेतु 60 दुकानें (शाप कम गोदाम), तथा थोक सब्जी व्यवसायियों हेतु 62 दुकानों (शाप कम गोदाम) के व्यवस्थापन का प्रस्ताव था। जी हाँ, दिनांक 15.02.2025 तक मंडी समिति द्वारा आलू-प्याज, लहसुन एवं फल व्यवसायियों हेतु निर्मित 60 दुकानों (शापकम गोदाम) में से 33 दुकानें (शाप कम गोदाम) एग्री बिजनेस एवं थोक सब्जी दुकानों (शाप कम गोदाम) में से 3 दुकाने छत्तीसगढ़ हस्त शिल्प विकास बोर्ड को किराये पर दी गई हैं। आलू प्याज, लहसून एवं फल-सब्जी के व्यवसायियों द्वारा तुलसी बाराडेरा में स्थित मंडी प्रांगण में व्यवहारिक कठिनाईया एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होने से शाप कम गोदाम किराये पर नहीं ली गई। (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार उक्त निर्मित दुकानों (शाप कम गोदाम) के व्यवस्थापन/आबंटन हेतु मंडी समिति से विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रस्ताव संचालक कृषि विपणन (प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड) को प्राप्त होने पर आबंटन की अनुमति देने का अधिकार मंडी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार संचालक कृषि विपणन (प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड) को है। अनुमति उपरांत अनुबंध इत्यादि का दायित्व मंडी समिति का है। वर्तमान में तुलसी बाराडेरा मंडी में अधिसूचित कृषि उपजों का क्रय-विक्रय कार्य संपादित हो रहा है, तथा नीलाम कार्यालय ई-नेम ऑक्सन हाल, कृषक, हमाल, रेजा, विश्राम गृह, व्यापारियों, अभिकर्ताओं के कार्यालय के लिए 8 दुकानों (शाप कम गोदाम) का उपयोग किया जा रहा है। शेष दुकानों को अन्य व्यवसायियों को किराये पर दिये जाने की योजना है।

### दुर्ग जिला में कॉलोनाइजरों की "रेरा" में शिकायत पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

**24. ( \*क्र. 1849 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रेरा (रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) प्राधिकरण में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में दुर्ग जिला की कितने कालोनाइजर के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या सभी शिकायतों का निराकरण किया गया है? यदि नहीं तो जिनका निराकरण नहीं हुआ उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** रेरा (रियल स्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) प्राधिकरण में दुर्ग जिला से संबंधित,

वर्ष 2023-2024 में कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 15 शिकायतें निराकृत हो चुकी है एवं वर्ष 2024-2025 में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 09 शिकायतें निराकृत हो चुकी है। निराकरण हेतु शेष शिकायतों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह " ]**

### **एन.जी.टी. के आदेशानुसार नदियों के प्रदूषित भाग के पुनरूद्धार हेतु तैयार कार्ययोजना**

[आवास एवं पर्यावरण]

**25. ( \*क्र. 2314 ) श्री विक्रम मंडावी :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश/निर्देश के पालन में प्रदेश की किन-किन नदियों के कितने-कितने प्रदूषित भाग के पुनरूद्धार की कार्ययोजना तैयार की गई है? इन कार्ययोजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य सम्मिलित हैं? इसमें से क्या-क्या पूर्ण, अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं? **(ख)** अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? **(ग)** क्या जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उससे संबंधित क्षेत्र की समस्या पूरी तरह से दूर हो चुकी है? यदि नहीं तो क्या कमियां हैं? **(घ)** क्या जो एस.टी.पी. संचालित हैं, उनका कार्य परिणाम पूरी तरह से संतोषजनक है? यदि नहीं तो क्यों?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की हसदेव नदी (कोरबा से उरगा), खारुन नदी (भाठागांव से बेन्द्री), महानदी (सिहावा से आरंग), शिवनाथ नदी (बेमता से सिमगा), केलो नदी (रायगढ़ से कनकटोरा) तथा अरपा नदी (बिलासपुर) के पुनरूद्धार हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है। कार्ययोजना के अंतर्गत नदियों में प्रवाहित होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की स्थापना, नदियों के फ्लड जोन में वृक्षारोपण का कार्य, भू-जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य, नदियों में न्यूनतम ई-फ्लो बनाये रखना, नदियों के किनारे अतिक्रमण की पहचान कर उसे हटाया जाना, नदियों के पास स्थित उद्योगों से परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखना इत्यादि कार्य सम्मिलित है। उपरोक्त कार्यों में से नदियों के फ्लड जोन में वृक्षारोपण का कार्य, भू-जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य, नदियों में न्यूनतम ई-फ्लो बनाये रखे जाने का कार्य, नदियों के किनारे अतिक्रमण की पहचान कर उसे हटाये जाने का कार्य एवं नदियों के पास उद्योगों से परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखे जाने संबंधी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर से प्राप्त जानकारी अनुसार नदियों में प्रवाहित होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की स्थापना की पूर्णता संबंध में **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है एवं अपूर्णता के संबंध में **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त जानकारी अनुसार घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की स्थापना के पश्चात भी निम्नलिखित समस्या पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई है :- (1) रायपुर नगरीय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले नालों के दूषित जल के उपचार हेतु 04 नग घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की स्थापना की गयी है। उत्पन्न होने वाले घरेलू दूषित जल की मात्रा के दृष्टिगत निमोरा में एक अतिरिक्त घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की आवश्यकता है। (2) दूधनदी के दायीं ओर जल संसाधन विभाग द्वारा नाले का निर्माण कार्य किया जाना है। निर्माण उपरांत नदी में प्रवाहित होने वाले 04-05 वार्डों का दूषित जल एस.टी.पी. में जोड़ दिया जायेगा। **(घ)** जी हाँ। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - सोलह" ]**

**भाग-2****नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****बी.एस.पी प्रबंधन को लीज डीड अनुबंध पंजीयन हेतु प्राप्त**

[वाणिज्यिक कर]

**1. ( क्र. 186 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बी.एस.पी प्रबंधन को लीज डीड अनुबंध पंजीयन के लिए जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, कृपया जानकारी दें? प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रकरणों की अब तक पंजीयन कार्यालय दुर्ग में रजिस्ट्री/पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, कितने आवेदन शेष हैं? शेष आवेदनों में पंजीयन की प्रक्रिया को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है? इन शेष आवेदनों को पंजीयन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी, कृपया जानकारी दें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक बी.एस.पी. प्रबंधन को प्राप्त लीज डीड अनुबंध आवेदनों की जानकारी पंजीयन विभाग से संबंधित नहीं है। उक्त अवधि में बी.एस.पी. प्रबंधन द्वारा उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग में कुल 1774 दस्तावेज पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये गये हैं, सभी का पंजीयन किया जा चुका है। वर्तमान में उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग में कोई भी दस्तावेज पंजीयन के लिए लंबित नहीं है। अतः प्रश्न के शेषांश की जानकारी उद्भूत नहीं होता है।

**मोहला-मानपुर अंतर्गत सामुदायिक अधिकार से संबंधित जानकारी**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**2. ( क्र. 571 ) श्री इन्द्रशाह मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- क्या वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा को गौण वनोपज का स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 में मान्य किया जा रहा है? यदि हां, तो भूमि अर्जन करते वक्त या वन भूमि का व्यापवर्तन (डाईवर्जन) करते वक्त जो पेड़ काटे जाते हैं उसके कारण जो ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के अधिकार प्रभावित होते हैं, उसका मुआवजा ग्राम सभा को दिए जाने हेतु क्या प्रावधान किये गए हैं या क्या निर्देश प्रसारित किये गए हैं? ऐसे मुआवजा देने हेतु गौण वनोपज के मूल्य की गणना कैसे की जाती है? अगर प्रावधान नहीं है तो कब तक बना लिए जाएंगे?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हां, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के धारा 3(1)(ग) के अनुसार "गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, स्वामित्व संग्रह के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है" पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किए जाने का प्रावधान है। जिसके आधार पर सामुदायिक वन अधिकार मान्य किया जा रहा है। भूमि अर्जन करते समय जो पेड़ काटे जाते हैं, उसके कारण जो ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के अधिकार प्रभावित होते हैं, उसका मुआवजा ग्राम सभा को दिए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.02.2025 के कंडिका क्र. 04 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act, 2013) के अनुसार ग्रामसभा को मुआवजा देने के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वनभूमि अर्जन करते समय जो पेड़ काटे जाते हैं उसके कारण जो ग्राम सभा के गौण वनोपज के स्वामित्व के अधिकार प्रभावित होते हैं, ऐसे प्रकरणों में मुआवजा हेतु वनोपज के मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया का उल्लेख भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ग्रहण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में है। उक्त अधिनियम में वर्णित संबंधित प्रावधानों का उल्लेख उपर्युक्त उल्लेखित विभागीय पत्र की कंडिका 04(घ) में भी किया गया है।

### **बाहरी राज्यों से आ रहे धान पकड़ने की कार्यवाही**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**3. ( क्र. 736 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नवम्बर, 2023 से राज्य भर में जगह-जगह पर बाहरी राज्यों से आ रहे धान को पकड़ने के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ? जब्त किये गये धान का क्या किया गया ? क्या जब्त किये गये धान की नीलामी की गई ? यदि हां, तो किस दर पर नीलामी की गई ? प्राप्त राशि का उपयोग कैसे और कहां-कहां किया गया? जिलेवार जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** राज्य में मंडी समितियों द्वारा तथा जिला कलेक्टरों द्वारा गठित संयुक्त जांच दल के द्वारा बाहरी राज्यों से आ रहे धान को पकड़ने के लिए नवम्बर 2023 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 277 प्रकरण दर्ज करते हुए 17665.60 क्विंटल धान जब्त किया गया। मंडी अधिनियम की धारा 19 एवं धारा 53 के तहत जब्त किये गये धान के 24 प्रकरणों में जिला कलेक्टर, खाद्य शाखा के निर्देशानुसार जब्त धान के बीज होने, कृषक का धान होने, या अनुज्ञा पत्र प्राप्त होने से नियमानुसार बगैर शुल्क के संबंधित को सुपुर्द में दिया गया। जब्त धान के 212 प्रकरणों में मंडी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क, एवं प्रशमन शुल्क लिया जाकर संबंधितों को धान वापस किया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया। शेष 41 प्रकरणों को कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देश उपरांत मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा कर निराकरण किया जावेगा। जिलेवार **जानकारी सलग्न प्रपत्र अनुसार है।** जी नहीं जब्त किये गये धान की नीलामी नहीं की गई, अतः शेष जानकारी निरंक है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह" \]](#)

### **श्री सिमेंट संयंत्र से निकली विषैली गैस की घटना**

[आवास एवं पर्यावरण]

**4. ( क्र. 790 ) श्री संदीप साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अन्तर्गत ग्राम खपराडीह स्थित श्री सिमेंट संयंत्र से निकली विषैली गैस से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह के छात्र-छात्राएं मूर्च्छित हो गए थे? यदि हां तो इन्हें स्वास्थ्यगत क्या-क्या परेषानियां हुई थी? पीड़ितों का नाम, पता सहित बतावें? उनकी वर्तमान में स्वास्थ्यगत स्थिति क्या है? क्या पीड़ितों को कोई सहायता/मुआवजा उपलब्ध कराई गई है? यदि हा तो विस्तार से बतावे? **(ख)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल बोर्ड के द्वारा श्री सीमेंट संयंत्र के विरुद्ध उक्त दुर्घटना के परिपेक्ष्य में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण क्या रहा है? संयंत्र के विरुद्ध क्या-क्या लापरवाही पायी गई है? किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायपुर छ.ग. से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 23/01/2025 को श्री सीमेंट कारखाने के ए.एफ.आर. मटेरियल, हेजार्डस कैमिकल वेस्ट के भण्डारण व लाईन-3 में रखे ए.एफ.आर. मटेरियल क्षेत्र में मल्टी गैस डिटेक्टर मशीन के माध्यम से जांच की गई। जांच के दौरान उक्त क्षेत्र में हानिकारक गैस नाईट्रोजन डाईऑक्साईड, क्लोरिन, कार्बन मोनो-ऑक्साईड, हाईड्रोजन सल्फाईड, सल्फर डाईऑक्साईड एवं अमोनिया की उपस्थिति नहीं पाई गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह के छात्र-छात्राएं मूर्छित होने एवं स्वास्थ्यगत परेशानियों के संबंध में कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सीमेंट संयंत्र के पास स्थित ग्राम खपराडीह में अज्ञात कारणों से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह के कुल 42 बच्चे सांस लेने में तकलीफ होने से मूर्छित हो गये थे। कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त पीडितों के नाम एवं उनकी वर्तमान स्वास्थ्यगत स्थिति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। वर्तमान में पीडित छात्र-छात्राये सामान्य स्थिति में हैं। बीच-बीच में स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा वर्तमान में स्थिति सामान्य है। जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार से मनोरोग विभाग द्वारा भी बीच-बीच में खपराडीह के स्कूलों में जाकर बच्चों को परामर्श दिया जा रहा है। पीडितों को सहायता/मुवाअजा राशि प्रदाय नहीं की गई है। **(ख)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिला प्रशासन के संयुक्त जांच दल के साथ दुर्घटना के परिपेक्ष्य में संयंत्र का निरीक्षण दिनांक 22/01/2025 को किया गया। निरीक्षण में संयंत्र द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों का नियमानुसार भण्डारण, समुचित हथालन तथा सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया जाना, पीजो मेट्रिक बिन्दुओं की स्थापना नहीं किया जाना, भण्डारित ए.एफ.आर. तथा हेजार्डस वेस्ट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं किया जाना तथा परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण क्षेत्र में सीपेज पाया गया। जिसके परिपेक्ष्य में संयंत्र के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत रुपये 10,20,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत रुपये 4,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त जानकारी अनुसार जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण अज्ञात है। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह" ]**

### **श्री सिमेंट संयंत्र से निकली विषैली गैस की घटना**

[आवास एवं पर्यावरण]

**5. ( क्र. 791 ) श्री संदीप साह :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अन्तर्गत ग्राम खपराडीह स्थित श्री सिमेंट संयंत्र से निकली विषैली गैस से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह के छात्र-छात्राएं मूर्छित हो गए थे? यदि हां, तो इन्हें स्वास्थ्यगत क्या-क्या परेशानियां हुई थीं? पीडितों का नाम, उम्र, पता सहित बतावें? उनकी वर्तमान में स्वास्थ्यगत स्थिति क्या है? क्या पीडितों को कोई सहायता/मुआवजा उपलब्ध कराया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें। **(ख)** औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के द्वारा श्री सिमेंट संयंत्र के विरूद्ध उक्त दुर्घटना के परिपेक्ष्य में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण क्या रहा है? संयंत्र के विरूद्ध क्या-क्या लापरवाही पायी गई है? किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) : (क)** कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायपुर छ.ग. से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 23/01/2025 को श्री सीमेंट कारखाने के ए.एफ.आर. मटेरियल, हेजार्डस कैमिकल वेस्ट के भण्डारण व लाईन-3 में रखे ए.एफ.आर. मटेरियल क्षेत्र में मल्टी गैस डिटेक्टर मशीन के माध्यम से जांच की गई। जांच के दौरान उक्त क्षेत्र में हानिकारक गैस नाईट्रोजन डाईऑक्साईड, क्लोरिन, कार्बन मोनो-ऑक्साईड, हाईड्रोजन सल्फाईड, सल्फर डाईऑक्साईड एवं अमोनिया की उपस्थिति नहीं पाई गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह के छात्र-छात्राएं मूर्छित होने एवं स्वास्थ्यगत परेशानियों के संबंध में कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सीमेंट संयंत्र के पास स्थित ग्राम खपराडीह में अज्ञात कारणों से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह के कुल 42 बच्चे सांस लेने में तकलीफ होने से मूर्छित हो गये थे। कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त पीडितों के नाम एवं उनकी वर्तमान स्वास्थ्यगत स्थिति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। वर्तमान में पीडित छात्र-छात्राये सामान्य स्थिति में हैं। बीच-बीच में स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा वर्तमान में स्थिति सामान्य है। जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार से मनोरोग विभाग द्वारा भी बीच-बीच में खपराडीह के स्कूलों में जाकर बच्चों को परामर्श दिया जा रहा है। पीडितों को सहायता/मुवाअजा राशि प्रदाय नहीं की गई है। **(ख)** कार्यालय, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 19/01/2025 को प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र बलौदाबाजार, सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार, राजस्व निरीक्षक सुहेला, पटवारी चण्डी एवं दिनांक 22/01/2025 को क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, प्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र बलौदाबाजार एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार द्वारा संयुक्त रूप से कारखाना जाकर जांच की गई। कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण हेतु निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन विहित नियम, धारा 7A2(b), धारा 41 सपठित नियम, 73(1), धारा 7A2(a) एवं धारा 41-ख, नियम, 127 व नियम, 128 का उल्लंघन पाये गये है। उक्त उल्लंघन के संबंध में दिनांक 29/01/2025 को कारखाने के अधिभोगी श्री नीरज अखौरी एवं कारखाना प्रबंधक श्री विजय कुमार अग्रवाल के विरुद्ध माननीय श्रम न्यायालय बलौदाबाजार में आपराधिक प्रकरण दायर किया गया है। कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त जानकारी अनुसार जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण अज्ञात है। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस" ]**

### **जिला कबीरधाम अंतर्गत फास्फेट रिच आर्गेनिक मेन्यूर(प्रोम) की खरीदी परीक्षण एवं भुगतान**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**6. ( क्र. 905 ) श्री अटल श्रीवास्तव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या जिला कबीरधाम में जैविक खेती मिशन अंतर्गत वर्ष 2024-25 में फास्फेट रिच आर्गेनिक मेन्यूर(प्रोम) की खरीदी की गई है? अगर की गई है तो कहां से और कितनी मात्रा में किस दर से खरीदी की गई है? क्या उक्त समाग्री खरीदी का भुगतान किया जा चुका है? अगर हाँ, तो कितनी राशि का भुगतान किसे किया गया है? **(ख)** क्या भुगतान से पूर्व उक्त आदान सामग्री का लेब से परीक्षण कराया गया है? यदि हाँ तो लेब को नमूना भेजने का दिनांक, परिणाम प्राप्त का दिनांक, एवं परिणाम की जानकारी दें ? **(ग)** यदि लेब से

बिना नमूना भेजे भुगतान किया गया है तो इसका भुगतान करने वाले अधिकारी कौन हैं? और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) जिला कबीरधाम में जैविक खेती मिशन अंतर्गत वर्ष 2024-25 में फास्फेट रिच आर्गेनिक मेन्यूर(प्रोम) की खरीदी नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

### सी.वीड जेल और उसके समकक्ष उत्पादों की दरें निर्धारित किए जाने हेतु बीज निगम को प्रेषित मांग

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**7. ( क्र. 1023 ) डॉ. सम्पत अग्रवाल (श्री अनुज शर्मा) (श्री संदीप साहू) (श्रीमती चातुरी नन्द) :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कृषि विभाग के किन अधिकारियों द्वारा बीज निगम को सी. वीड जेल और उसके समकक्ष उत्पादों की दरें निर्धारित किये जाने के लिए मांग प्रेषित की गई है? (ख) उक्त सामग्री के क्रय हेतु बीज निगम और राज्य शासन के किन अधिकारियों की समिति बनाई गई और उनके द्वारा क्या अनुशंसा की गई? (ग) यदि उक्त सामग्री की राज्य और केंद्र की योजनाओं में वितरण हेतु अनुमति नहीं थी तो बीज निगम को इस सामग्री की दर निर्धारण हेतु पत्र प्रेषित करने वाले अधिकारियों और अनुमत सामग्री न होने पर भी इसके क्रय की अनुशंसा करने वाले तकनीकी समिति के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) , (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

### प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना का संचालन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**8. ( क्र. 1182 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से एवं कहां-कहां इस योजना के द्वारा लाभ प्रदान किया गया है? जिलेवार, संख्यावार, प्राप्तकर्ता का नाम/समूह की जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हां, प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना माह-दिसम्बर 2023 से संचालित है। योजनांतर्गत अनुदान पर ड्रोन प्राप्तकर्ता एवं प्राप्तकर्ता समूहों की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार हैं।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

### अनुसूचित जाति घटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट के अंतर्गत व्यय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**9. ( क्र. 1289 ) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट की वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक शत-प्रतिशत लाभ मूलक लक्षित उद्देश्यों में की गई खर्च की जानकारी वर्षवार, प्रोजेक्टवार / स्कीमवार प्रदान करेंगे। यदि बीते 03 वर्षों में खर्च नहीं की गई तो

क्या अभी के बजट में इसे शामिल किया गया है? यदि हां तो कितना और नहीं, तो क्यों नहीं जानकारी देंगे?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : जानकारी संकलित की जा रही है।**

### **अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर निर्मित गोठन**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**10. ( क्र. 1533 ) श्री इन्द्र कुमार साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2023 के मध्य अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन गांव में गोठान के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गयी है? कृपया ग्रामवार जानकारी दें। **(ख)** क्या स्वीकृत समस्त गोठानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? **(ग)** कृपया बतावें कि वर्तमान में उक्त गोठानों का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2023 के मध्य अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य की ग्रामवार, गोठानवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (स्त्रोत-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर) **(ख)** स्वीकृत 92 गोठानों में से 91 गोठानों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा एक गोठान (ग्राम-टीला) में विवाद होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। (स्त्रोत-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर) **(ग)** निर्मित 91 गोठानों में से 03 गोठानों यथा ग्राम-गोइंदा, बनचरौदा एवं मोखला में गोठान का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। शेष 88 गोठानों का संचालन नहीं किया जा रहा है। (स्त्रोत-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर)

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" ]**

### **छात्रावास/आश्रमों हेतु सीसीटीवी कैमरा का क्रय**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**11. ( क्र. 1535 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2025 की अवधि तक जिला बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं धमतरी में विभागीय अधिकारी के द्वारा छात्रावास/आश्रमों के बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल करने सी.सी.टी.वी. कैमरों का क्रय किया गया है ? यदि हाँ, तो कितनी राशि का और किस दर पर ? क्या इसे जेम पोर्टल से क्रय किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या CSIDC का वैध रेट कांटेक्ट दर पर था ? यदि हाँ तो इससे खरीदी क्यों नहीं की गई ? **(ख)** निविदा कितने सी.सी.टी.वी. कैमरे के लिए की गई थी और कितने कैमरे के लिए कब-कब आदेश दिए गए हैं ? कैमरा हेतु वारंटी की अवधि क्या थी और परफॉर्मेंस सिक्युरिटी की अवधि क्या थी ? निविदा किस आईपी एड्रेस से की गई और वह किसकी थी ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** उक्त सी.सी.टी.वी. का क्रय वैध रेट कांटेक्ट दर पर CSIDC के माध्यम से किया गया है। **(ख)** **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" ]**

## **माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता में गन्ना की बोनस राशि**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**12. ( क्र. 1602 ) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता में पेराई सत्र 2019 - 20 में गन्ना बोनस की राशि प्रति किंटल कितनी थी तथा पेराई सत्र 2023 - 24 में किस दर से बोनस राशि प्रति किंटल गन्ना कृषकों को वितरित की गयी है ? **(ख)** माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए गन्ना कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से गन्ना बोनस राशि में वृद्धि हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता में पेराई सत्र 2019-20 में गन्ना प्रोत्साहन की राशि 93.75 रूपये प्रति किंटल थी तथा पेराई सत्र 2023-24 में राशि 63.025 रूपये दर से प्रोत्साहन राशि प्रति किंटल निर्धारित की गई है, उपलब्ध बजट आबंटन के अनुसार गन्ना कृषकों को समानुपातिक रूप से 59.5614 रूपये प्रति किंटल के दर से प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। शेष गन्ना प्रोत्साहन राशि हेतु बजट प्रावधान किया गया है, शेष प्रोत्साहन राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि तक गन्ना प्रोत्साहन राशि में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## **राज्य के जिलों में धान की खरीदी एवं उठाव**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**13. ( क्र. 1699 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में वर्ष 2024-25 में जिलेवार पंजीकृत किसानों की संख्या, धान सहित अन्य रबी व खरीफ फसलों की खरीद का लक्ष्य, की गई खरीदी व अद्यतन स्थिति में उठाव की स्थिति बतावें? **(ख)** क्या खरीदी किये गये फसलों के उठाव के लिए समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां तो स्पष्ट करें? **(ग)** फसल खरीद/उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित फसलों को प्राकृतिक विपदाओं से हुये नुकसान के संबंध में, जिलेवार जानकारी देंगे ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु पंजीकृत किसानों की संख्या, धान उपार्जन का अनुमान, धान खरीदी की मात्रा एवं दिनांक 04.03.2025 की स्थिति में उठाव की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान के अतिरिक्त अन्य खरीफ फसलों (अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली) एवं रबी फसलों (चना, मसूर, सरसों) के उपार्जन हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में 1,13,736 कृषक पंजीकृत है, मौसमवार, जिलेवार, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** समस्त फसल के अनुमानित लक्ष्य 83.29 हजार मेट्रिक टन के विरूद्ध धमतरी जिले में दिनांक 04.03.2025 की स्थिति में 91.00 किंटल चना का उपार्जन किया गया है, फसलवार अनुमानित लक्ष्य एवं की गई खरीदी की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- द एवं प्रपत्र- इ अनुसार है।** **(ख)** राज्य शासन द्वारा जारी धान खरीदी नीति में धान खरीदी की अंतिम तिथि से एक माह के भीतर मिलर एवं परिवहनकर्ताओं के माध्यम से संपूर्ण मात्रा का उठाव किये जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आयदाता अन्न संरक्षण अभियान-प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत अधिसूचित खरीफ फसलों (अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली) एवं रबी फसलों (चना, मसूर, सरसों) के उठाव हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं है। **(ग)** फसल खरीद/उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित फसलों को प्राकृतिक विपदाओं से नुकसान होने की जानकारी निरंक है। **[ संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]**

### **प्रदेश में संचालित प्री/पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावास में सामग्री क्रय**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**14. ( क्र. 1730 ) श्री राजेश मूणत :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-  
(क) दिनांक 10.2.2025 की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के प्री एवं पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावास तथा आश्रम संचालित हैं ? इनके लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 में क्या-क्या सामग्री क्रय की गई ? क्या इस हेतु निविदा आमंत्रित की गई या रेट कांट्रैक्ट के आधार पर आदेश दिया गया ? विवरण देवें। (ख) कंडिका "क" में उल्लेखित क्रय डिमांड आधार पर या स्व निर्णय आधार पर किया गया ? क्या इनमें स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन हुआ अथवा नहीं ? (ग) कंडिका "क" तथा "ख" के परिप्रेक्ष्य में नियम विरुद्ध क्रय की कहाँ-कहाँ की शिकायत मिली ? उस पर क्या कार्रवाई हुई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) कंडिका 'क' में उल्लेखित सामग्रियों का क्रय जिलों से प्राप्त डिमांड के आधार पर किया गया है। क्रय हेतु स्थापित प्रक्रिया एवं क्रय हेतु निर्धारित छ.ग. भण्डार क्रय नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है। (ग) कंडिका 'क' तथा 'ख' के परिप्रेक्ष्य में क्रय की किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

### **भिलाई नगर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत आदिवासी बाहुल्य बस्तियों का अधोसंरचना विकास**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**15. ( क्र. 1848 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- भिलाई नगर विधान सभा क्षेत्र के भिलाई नगर निगम अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचना विकास एवं आदिवासियों के रोजगार से संबंधित कौन-कौन से मद की कौन-कौन सी योजना वर्तमान में लागू है? उस योजना के तहत कार्यों के चयन एवं राशि आबंटन की क्या प्रक्रिया है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** भिलाई नगर निगम अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचना विकास हेतु योजना लागू नहीं है। आदिवासियों के विकास हेतु आदिवासी स्वरोजगार योजना वर्तमान में लागू है। यह योजना बैंक प्रवर्तित होने के कारण बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति व वितरण की कार्यवाही बैंक गार्ड लाइन के अनुसार की जाती है। बैंक के स्वीकृति पर 50 प्रतिशत अधिकतम 10000/- रूपये अनुदान दिया जाता है। उक्त योजना में अनुदान आबंटन राशि मुख्यालय द्वारा जारी की जाती है।

### **राज्य में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु उपाय**

[आवास एवं पर्यावरण]

**16. ( क्र. 1890 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2023 से 10/02/2025 तक राज्य में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो प्रदूषण निवारण के लिए कौन कौन से कार्य किये गये हैं? क्या राज्य के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता इन्डेक्स मापक यंत्र की स्थापना की गयी है? यदि हाँ, तो किन किन स्थानों पर यह मापक यंत्र स्थापित हैं? जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** जी हाँ । राज्य में औद्योगिक जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु उद्योगों में

आवश्यकता अनुसार औद्योगिक दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.), न्यूट्रीलाईजेशन/सेटलिंग टैंक की स्थापना की गई है। इसी तरह घरेलु जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की स्थापना की गई है। उद्योगों में वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यकता अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा ई.एस.पी./बैग फिल्टर/डस्ट कलेक्टर/वेट स्क्रबर/जल छिड़काव व्यवस्था एवं उद्योग परिसर के चारों ओर सघन वृक्षारोपण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य के निकायों में जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु एस.टी.पी. निर्माण का कार्य, नदियों के किनारे वृक्षारोपण, जल संचयन का कार्य, नगरीय ठोस अपशिष्ट का नदियों में मिलने से रोकना एवं नगरीय क्षेत्रों के तालाबों का पुनरूद्धार कार्य किये जा रहे हैं। वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु नई सड़कों का निर्माण, बी.टी. टॉपिंग कार्य, गढ़दो का मरम्मत, फव्वारा स्थापना एवं सड़कों को धूल रहित करने के लिए पानी छिड़काव किये जा रहे हैं। जी नहीं। राज्य के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता मापक यंत्र की स्थापना नहीं की गई है अपितु जिला-रायपुर, जिला-धमतरी, जिला महासमुंद, जिला-बिलासपुर, जिला-रायगढ़, जिला-दुर्ग, जिला-राजनांदगांव, जिला-बेमेतरा, जिला-कोरबा, जिला-बस्तर, जिला-कांकेर एवं जिला-सरगुजा, में वायु गुणवत्ता मापक यंत्र /मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। जिलेवार, वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस" \]](#)

### **बालोद जिला में मंडी बोर्ड/मण्डी समिति से स्वीकृत कार्य**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**17. ( क्र. 1925 ) श्रीमती अनिला भेंडिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिले के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 10.02.2025 तक मंडी बोर्ड/मण्डी समिति से कौन-कौन से कार्य, किन-किन मदों से स्वीकृत किए गए? स्वीकृत कार्यों की राशि सहित जानकारी वर्षवार, विकासखण्डवार देवें ? **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या हैं तथा किये गये व्यय की जानकारी कार्यवार, एजेंसीवार देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** बालोद जिले के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 10.02.2025 तक मंडी बोर्ड निधि से कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है एवं मण्डी समिति निधि से किसान भवन, सी.सी.रोड, पुलिया, सीमेंटीकरण, स्वागत द्वार, 200 मे. टन गोदाम, कवर्ड शेड, बाजार शेड, पक्का फड़, एवं किसान कुटीर के कार्य, स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्यों की राशि सहित जानकारी वर्षवार, विकासखण्डवार **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति तथा किये गये व्यय की जानकारी कार्यवार, एजेंसीवार **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

### **स्थापित उद्योगों द्वारा हो रहे पर्यावरण प्रदूषण पर कृत कार्यवाही**

[आवास एवं पर्यावरण]

**18. ( क्र. 1974 ) श्री भोलाराम साह :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले के अंतर्गत स्थापित उद्योगों द्वारा हो रहे पर्यावरण प्रदूषण हेतु विभाग ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ? **(ख)** पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई ? निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? वर्षवार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या उद्योगों से निकलने वाले धुंआ, राखड़, धूल एवं अपशिष्ट पदार्थ आदि से कृषकों के खेतों में उपज होने वाली फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उद्योगों से कृषकों को मुआवजा दिलाने संबंधी कोई प्रयास किए गए हैं ? यदि हां, तो विवरण देवें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी जिले के अंतर्गत स्थापित उद्योगों में जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों की प्रकृति के अनुसार दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी., न्यूट्रलाइजेशन टैंक सह सेटलिंग टैंक की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उद्योग में ईएसपी, बैग फिल्टर, डस्ट कलेक्टर एवं वेट स्क्रबर की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है, जिनका नियमित संचालन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुनिश्चित कराया जाता है।(ख) प्रश्राधीन अवधि में पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीणों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या 16 है। उक्त शिकायतों के निराकरण एवं की गई कार्यवाही की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।(ग) कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संबंध में विभाग को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और ना ही किसानों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस" \]](#)

### **खुज्जी वि.स. क्षेत्र में अनु. जाति, पिछड़ा वर्ग एवं मध्य क्षेत्र प्राधिकरण अंतर्गत ग्रामों में स्वीकृत कार्य**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**19. ( क्र. 1975 ) श्री भोलाराम साह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं मध्य क्षेत्र प्राधिकरण अंतर्गत कौन-कौन ग्राम शामिल हैं ? विकासखण्डवार, पृथक-पृथक प्राधिकरणवार बताएं ? (ख) प्रश्नांक "क" के ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 15.02.2025 तक क्या-क्या निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है ? पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ की जानकारी वर्षवार, विकासखण्डवार दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :**(क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं मध्य क्षेत्र प्राधिकरण अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची विकासखण्डवार, प्राधिकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) प्रश्नांक "क" के ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 15.02.2025 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

### **जिला दंतेवाड़ा अन्तर्गत छात्रावास एवं आश्रमों में सामग्री आपूर्ति**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**20. ( क्र. 2000 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दंतेवाड़ा जिले के छात्रावास एवं आश्रमों में वर्ष 2022-23 से 15.2.2025 तक सामग्री आपूर्ति मद एवं डी.एम.एफ मद में कितना-कितना आबंटन प्राप्त हुआ है ? मदवार सामग्री क्रय हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई ? (ख) कंडिका 'क' के अनुसार वर्षवार कौन-कौन सी सामग्री, किन-किन फर्म/एजेंसी से क्रय की गई ? फर्म एजेंसी को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (ग) क्या कंडिका 'ख' के अनुसार सामग्री सीएसआईडीसी/डीजीएसएण्डडी संस्था के दर अनुबंध के आधार पर क्रय की कियी गयी है? यदि हां तो कौन-कौन सी सामग्री दर अनुबंध के आधार पर क्रय की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है।(ख) **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस" \]](#)

### रायगढ़ जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती और नियमितिकरण में अनियमितता की शिकायतें

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**21. ( क्र. 2020 ) श्री पुन्नूलाल मोहले (श्री विक्रम मंडावी) :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या रायगढ़ जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती और नियमितिकरण में गंभीर अनियमितता की जांच वर्ष 2023 में करायी गई थी? यदि हां तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** रायगढ़ जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमितिकरण में अनियमितता की जांच वर्ष 2023 में कराई गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने के कारण संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

### विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत कुल वन पट्टा धारी किसानों द्वारा धान का विक्रय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**22. ( क्र. 2037 ) श्रीमती विद्यावती सिदार :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत कुल कितने वन पट्टा धारी किसान हैं ? सत्र 2024-25 में कितने वन पट्टा धारी किसानों द्वारा धान विक्रय किया गया ? कितने वन पट्टा धारी किसानों को किसान किताब (ऋण पुस्तिका) दी गयी ? क्या उनका खसरा बी वन प्रदाय किया गया ? **(ख)** विधान सभा क्षेत्र लैलूंगा के नगर पंचायत में कुल कितने लोग वन भूमि कब्जा धारी हैं? सर्वे कब कराया गया था ? क्या इन्हें पट्टा देने की सरकार की कोई योजना है? कब तक पट्टा दिया जावेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत कुल 3,860 वन अधिकार पत्र धारक किसान हैं। सत्र 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा अंतर्गत 471 वन अधिकार पत्र धारक किसानों द्वारा धान विक्रय किया गया है। कुल 3,860 वन अधिकार पत्र धारक किसानों को किसान किताब (ऋण पुस्तिका) प्रदाय किया जा चुका है। वन अधिकार पत्र धारकों को 1600 खसरा, बी-1 प्रदाय किया जा चुका है। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा के नगर पंचायत में कुल 319 लोग वन भूमि कब्जा धारी हैं। वर्ष 2022 में सर्वे कराया गया है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रक्रियानुसार पात्रता के आधार पर वन अधिकार पत्र प्रदाय किए जाने की कार्यवाही की जाती है। वन अधिकार पत्रों का वितरण एक सतत प्रक्रिया है। अतः वितरण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### पॉलीथीन उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के संबंध में

[आवास एवं पर्यावरण]

**23. ( क्र. 2050 ) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 दिनांक 01.07.2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आईटम्स को प्रतिबंधित किए जाने की दिनांक स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ संचालित थीं? **(ख)** अधिसूचना के बाद कितने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद किया गया है? **(ग)** भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 12/08/2021 के माध्यम से दिनांक 01/07/2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली 04 औद्योगिक इकाईयां संचालित थीं।(ख) अधिसूचना के उपरांत सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन करने वाली उपरोक्त 04 इकाईयों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी संचालन सम्मति को निरस्त किया जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन बंद कराया गया है।(ग) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं नगरीय निकायों द्वारा संयुक्त जाँच दल के माध्यम से समय-समय पर सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग एवं विक्रय के संबंध में दुकानों एवं संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है। नगरीय निकायों द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती एवं अर्थदंड लगाये जाने की कार्यवाही की जाती है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/07/2022 से दिनांक 03/03/2025 तक नगरीय निकायों द्वारा कुल 20,963 निरीक्षण किये गये। उक्त निरीक्षणों में कुल 13,587.99 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई तथा कुल रूपये 57,20,705/- अर्थदंड लगाया गया।

### **अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत कार्य**

[आवास एवं पर्यावरण]

**24. ( क्र. 2093 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि बिलासपुर की जीवन दायिनी नदी अरपा के समुचित विकास, साफ-सुथरा रखने, सौंदर्यीकरण एवं जल प्रवाह को निरंतर बनाये रखने के लिए अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, हां तो विस्तृत विवरण देवें? (ख) क्या कंडिका "क" के विकास के लिए PPP किया गया है ? यदि हां, तो क्या-क्या प्रयोजन के लिए किसके-किसके साथ एवं कितने-कितने अवधि के लिए किया गया हैं एवं उसके विकास हेतु कंसल्टेंसी कौन है? (ग) कंडिका "क" के लिए अब तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं एवं उनकी अद्यतन स्थिति क्या है एवं आगामी कार्ययोजना क्या है, विस्तृत विवरण देवें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।(ख) जी नहीं। तथापि डीपीआर के लिये कंसलटेन्ट के चयन हेतु निविदा दस्तावेज तैयार करने हेतु सलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन एडवाइजर के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अरपा साडा के रिक्वेस्ट फार प्रपोजल सलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन एडवाइजर फार टेक्निकल कंसलटेन्ट रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु 03 बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। विवरण निम्नानुसार है :- (1) प्रथम आरएफपी में एक ही निविदाकार जेएलएल प्रापर्टी कंसलटेन्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा ही भाग लिया गया। प्रथम निविदा में एकल प्रस्ताव होने के कारण निविदा खोला नहीं गया। (2) द्वितीय निविदा में भी जेएलएल प्रापर्टी कंसलटेन्ट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा ही भाग लिया गया। प्राप्त दर पर नेगोशियेशन आमंत्रित किया गया। निगोशियेशन में दर मान्य नहीं होने के कारण निविदा निरस्त की गई। (3) तीसरी निविदा में किसी भी संस्थान द्वारा भाग नहीं लिया गया। (4) अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण समिति के निर्णय अनुसार तकनीकी समिति द्वारा पीक्यू क्राईटेरिया में परिवर्तन की अनुशंसा की गई है। तत्पश्चात पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही किया जाना है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(ग) अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा कंडिका क के लिये अब तक कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" ]**

### शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाएं

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**25. ( क्र. 2156 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** 01 जनवरी, 2024 से फरवरी, 2025 तक उक्त संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? क्या उक्त अवधि में कराए गए कार्यों के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार, जानकारी उपलब्ध करावें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, युवा कैरियर निर्माण योजना, पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। जी नहीं।

[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

### पर्यावरण मंजूरी (ईसी)/पर्यावरण नियमों के उल्लंघन व अनियमितता की शिकायतें

[आवास एवं पर्यावरण]

**26. ( क्र. 2162 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023 व 2024 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी)/पर्यावरण नियमों के उल्लंघन व अनियमितता के संबंध में कितने उद्योगों के विरुद्ध शिकायत विभाग/शासन को की गई है? जिलावार जानकारी दें ? **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार कितनी शिकायतों की जांच उपरांत कार्यवाही की गई है ? जानकारी दें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में पर्यावरणीय स्वीकृति/पर्यावरण नियमों के उल्लंघन एवं अनियमितता के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को 09 उद्योगों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है। जिनकी जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

### रायपुर संभाग में अनु.जनजाति विभाग के अंतर्गत संचालित आश्रम शालाएं/ विद्यालय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**27. ( क्र. 2199 ) श्री इंद्र साव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर संभाग में जिला-रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कितने आश्रम शाला/विद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? जिलेवार एवं विकासखण्डवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार संचालित आश्रम शालाओं एवं विद्यालयों में सेटप अनुसार कौन-कौन से कितने पद स्वीकृत, भरे एवं रिक्त हैं? जानकारी दें ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? **(ग)** रायपुर संभाग में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम शाला/विद्यालयों में जनवरी, 2024 से लेकर फरवरी, 2025 तक कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं ? जिलावार जानकारी दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** रायपुर संभाग में जिला रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद में विभाग द्वारा संचालित आश्रम शालाओं की जिलेवार एवं विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार संचालित आश्रम

शालाओं एवं विद्यालयों में सेटअप अनुसार स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) रायपुर संभाग में विभाग द्वारा संचालित आश्रम शालाओं में जनवरी, 2024 से फरवरी, 2025 तक अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"\]](#)

### **जांजगीर चांपा व सक्ती जिले में उद्यानिकी किसानों के लिए संचालित योजनाएं**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**28. ( क्र. 2267 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जांजगीर चांपा व सक्ती जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी किसानों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? वित्तीय वर्ष 2021-22 से फरवरी, 2025 तक उक्त योजनाओं के तहत कितना आबंटन प्राप्त हुआ? वर्षवार, योजनावार जानकारी देवें? **(ख)** उक्तावधि में उक्त योजनाओं, मदों के अंतर्गत जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने उद्यानिकी कृषकों को लाभ दिया गया? योजनावार, वर्षवार जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जांजगीर चांपा व सक्ती जिले में उद्यानिकी किसानों के लिए संचालित योजनाओं तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 से फरवरी 2025 तक इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आबंटन का जिलेवार, वर्षवार, योजनावार **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** उक्तावधि में उक्त योजनाओं के अंतर्गत जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड जैजैपुर, मालखरोदा एवं बम्हनीडीह में कुल 5265 उद्यानिकी कृषक लाभान्वित हुये। लाभान्वित कृषकों के संबंध में विकासखण्डवार, योजनावार, वर्षवार संख्यात्मक **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

### **बस्तर संभाग में आश्रम अधीक्षकों की पदस्थापना का स्थान परिवर्तन**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**29. ( क्र. 2272 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या दिसंबर, 2024 के बाद बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित आश्रम/छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षकों/प्रभारी अधीक्षकों को बिना कारण के सीधे हटाकर अन्य शिक्षकों की पदस्थापना की गई है? यदि हां तो कहां-कहां और किन कारणों से? क्या इनके खिलाफ कोई शिकायत थी? क्या शिकायत की जांच व उस पर कार्यवाही हुई?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** दिसम्बर, 2024 के बाद बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित आश्रम/छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक को बिना कारण से हटाकर अन्य शिक्षकों की पदस्थापना संबंधी जानकारी निरंक है। शिकायत एवं अन्य कारण से हटाये गये प्रभारी अधीक्षक (शैक्षणिक संवर्ग) की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"\]](#)

### **रायगढ़ जिला में खाद एवं बीज की मांग एवं आपूर्ति**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**30. ( क्र. 2286 ) श्री उमेश पटेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिलांतर्गत विभिन्न सोयायटियों में खरीफ एवं रबी फसल हेतु यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद एवं बीज

का कितना भण्डारण किया गया है ? क्या मांग के अनुरूप खाद एवं बीज की पूर्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो किस कारण से? जानकारी दें। (ख) क्या खाद एवं बीज की कमी का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां तो कहां कहां कितनी मात्रा में जानकारी उपलब्ध कराये। (ग) क्या सरकारी आपूर्ति नहीं होने से अवैध खाद का कारोबार का मामला आया है ? यदि हां, तो कहां कहां आया है और इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी दें।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) रायगढ़ जिला अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खरीफ 2024 एवं रबी 2024-25 में (28.02.2025 तक) यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद एवं बीज के मांग के अनुरूप भंडारण की गई है, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार** है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"\]](#)

### **विशेष पिछड़ी जनजाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**31. ( क्र. 2291 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझमाडिया व बैगा जनजातियों की कुल कितनी-कितनी जनसंख्या हैं एवं प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याणार्थ एवं विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? (ख) क्या प्रदेश सरकार के द्वारा कंडिका "क" के विशेष पिछड़ी जनजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप कोई योजना चलाई जा रही हैं हां तो कौन-कौन सी? (ग) विगत 03 वर्षों में पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझमाडिया व बैगा जनजाति के लोगों को शासन द्वारा कितने प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) से लाभान्वित किया गया है, वर्षवार विवरण दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझमाडिया व बैगा जनजातियों की कुल जनसंख्या-185785 है। विशेष पिछड़ी जनजातिवार जनसंख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार** है। वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से विशेष पिछड़ी जनजाति के कल्याणार्थ एवं विकास के लिये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना संचालित की जा रही है। (ख) जी हां। प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार के 09 मंत्रालयों की 11 गतिविधियोंके क्रियान्वयन हेतु 15 नवंबर 2023 से त्रिवर्षीय प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना संचालित की जा रही है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" एवं प्रपत्र "द" अनुसार** है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"\]](#)

### **दस्तावेजों के पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज**

[वाणिज्यिक कर]

**32. ( क्र. 2299 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दस्तावेजों के पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क तथा सरचार्ज किस-किस दर से, कब-कब से लिया जा रहा है, इन दरों से पूर्व की दरें क्या-क्या थीं? (ख) अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य के गार्डलाईन दर में 30 प्रतिशत की कमी कब और क्यों की गई थी? क्या इस कमी के कारण राजस्व में होने वाली कमी की

पूर्ति के लिए पंजीयन शुल्क की दर में वृद्धि की गई थी? इस 30 प्रतिशत की जो कमी की गई थी उसे कब और क्यों समाप्त किया गया? **(ग)** जब गार्ड लाईन दर में की गई कमी को समाप्त किया गया तो पंजीयन शुल्क की दर में की गई वृद्धि को कम करके पूर्वानुसार क्यों नहीं किया गया? **(घ)** गार्ड लाईन दर में की गई कमी को समाप्त करने के कारण संबंधित व्यक्तियों पर कितना अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन पर प्रचलित स्टाम्प, पंजीयन शुल्क एवं सरचार्ज (उपकर) किस-किस दर से कब से लिया जा रहा है, पूर्व की दरें इत्यादि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** शासन के आदेश दिनांक 24/07/2019 द्वारा अन्य राज्यों के द्वारा संपत्ति की दरों में की गई कमी के फलस्वरूप राजस्व वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019-20 में प्रचलित गार्डलाईन दरों में 30 प्रतिशत कमी की गई। गार्डलाईन दरों में कमी के परिणामस्वरूप राजस्व संरक्षण के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना दिनांक 24.07.2019 से विक्रय, विनिमय तथा गैर परिवारिक दान विलेखों पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से 04 प्रतिशत किया गया। गार्ड लाईन दरों में 30 प्रतिशत की कमी 31/03/2024 तक के लिए थी। इसके उपरान्त उक्त छूट स्वतः समाप्त हो गई। **(ग)** गार्ड लाईन दरों में 30 प्रतिशत की कमी छूट समाप्ती उपरान्त राज्य के राजस्वहित को ध्यान में रखते हुए पंजीयन शुल्क में की गई वृद्धि को यथावत रखा गया। **(घ)** गार्ड लाईन दरों में कमी को समाप्त करने के कारण संबंधित व्यक्तियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक भार नगण्य है क्योंकि वर्ष 2017 उपरान्त गार्डलाईन दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस" ]

### **प्रदेश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का स्कूल शिक्षा विभाग में समायोजन**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**33. ( क्र. 2304 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 15 फरवरी, 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों एवं मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत संचालित प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालयों की संख्या जिलावार बतायें ? **(ख)** 01 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक की स्थिति में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन एवं अन्य सामग्री क्रय में भंडार क्रय नियम का अनुपालन न होने की प्राप्त शिकायतों की संख्या व की गई कार्यवाही जिलावार बतायें ? **(ग)** क्या एकलव्य आदर्श विद्यालयों का स्कूल शिक्षा विभाग में समायोजन (मर्ज) करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ? कब तक समायोजित किया जावेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** 15 फरवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश के 26 जिलों में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों एवं 10 जिलों में 15 प्रयास आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। विद्यालयों की जिलेवार संख्या की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** एवं **प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "ख" से संबंधित जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[ संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस" ]

## राजनांदगांव जिले में खदानों को विस्फोटक पदार्थों के उपयोग की प्रदत्त अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

**34. ( क्र. 2307 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022 से फरवरी, 2025 तक राजनांदगांव जिले में खदानों या खन्य किसी स्थान पर विस्फोटक पदार्थों के उपयोग हेतु कब-कब एवं किसे-किसे अनुमति दी गई? अनुमति देने का आधार क्या-क्या था? अनुमति प्राप्तकर्ता, प्रदानकर्ता का नाम, पदनाम, अनुमति दिनांक, आदि की जानकारी दें? **(ख)** क्या विस्फोटक पदार्थ के उपयोग हेतु या विस्फोट करने से पूर्व अनुमति ली जाती है? यदि हां, तो ली गई अनुमति की जानकारी, दिनांकवार, विकासखण्डवार, नाम/पता, विस्फोट दिनांक सहित दें? **(ग)** क्या विस्फोट उपरांत किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो कब-कब शिकायत प्राप्त हुई? शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत पर की गई कार्यवाही, जांचकर्ता अधिकारी के पदनाम की जानकारी विकासखण्डवार दें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** खदानों या खन्य किसी स्थान पर विस्फोटक पदार्थों के उपयोग की अनुमति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नहीं दी जाती है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजनांदगांव से जानकारी प्राप्त की गई है, जिसके अनुसार खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा विस्फोटक पदार्थों के उपयोग हेतु अनुमति नहीं दी जाती है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर के आलोक में उत्तर उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जिला राजनांदगाँव में ब्लास्टिंग के संबंध में 05 शिकायत खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को प्राप्त हुई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस" \]](#)

## अविभाजित राजनांदगांव जिले में क्रेशर खदानों का संचालन

[आवास एवं पर्यावरण]

**35. ( क्र. 2309 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2022 से फरवरी, 2025 तक अविभाजित राजनांदगांव जिले में संचालित क्रेशर खदानों को पर्यावरणीय अनुमति कब-कब, प्रदान की गयी है? क्या उक्त क्रेशर खदानों की अनुमति के पूर्व, पटवारी रिपोर्ट एवं इन्वायरमेंट इंजीनियर की रिपोर्ट ली गयी है? वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या प्रावधान पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित किये गये हैं एवं क्या उक्त प्रावधान अनुरूप क्रेशर खदानों का संचालन हो रहा है? इसकी जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है व अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया है ? वर्षवार, खदानवार, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम, अनुमतिधारक का नाम सहित जानकारी दें?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** वर्ष 2022 से फरवरी 2025 तक अविभाजित राजनांदगांव जिले में संचालित क्रशर एवं खदानों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत जल एवं वायु सम्मति जारी करने की तिथि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत क्रशर एवं खदानों को अनुमति दिये जाने के पूर्व पटवारी रिपोर्ट एवं इन्वायरमेंट इंजीनियर की रिपोर्ट नहीं ली जाती है तथापि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाता है। क्रशर एवं खदानों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत जारी की जाने वाली सम्मति में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करने यथा जल छिड़काव, ध्वनि को निर्धारित मानक के भीतर रखने, घरेलू/औद्योगिक प्रयोजन से जनित दूषित जल

के उपचार हेतु दूषित जल उपचार व्यवस्था स्थापित करने की शर्तें निहित की जाती हैं। उक्त शर्तों के अनुरूप ही क्रशर एवं खदानों का संचालन किया जा रहा है। क्रशर एवं खदानों का निरीक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जाँच अधिकारी एवं निरीक्षण दिनांक के संबंध में वर्षवार, खदानवार, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम, अनुमतिधारक के नाम सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - अडतीस" \]](#)

### **बिलासपुर जिला अंतर्गत छात्र गृह योजना के तहत पात्र छात्र**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**36. ( क्र. 2321 ) श्री दिलीप लहरिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024- 25 में 15.02.2025 छात्र गृह योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों में कितने पात्र एवं अपात्र हैं? अपात्र होने के कारण क्या हैं? **(ख)** कंडीका "क" के अनुसार पात्र हितग्राहियों को प्रति माह किस-किस दर से, कितनी-कितनी राशि का किस माध्यम से भुगतान किया गया है? विवरण दें। **(ग)** कंडीका "ख" के अनुसार कितने हितग्राहियों को भुगतान लंबित है? भुगतान लंबित होने के कारण क्या है? विवरण दें। **(घ)** उक्त राशि का भुगतान किस मद से किया जाता है?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024-25 में 15.02.2025 छात्र गृह योजना के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ग)** आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(घ)** छात्रगृह योजनांतर्गत संचालित किये जाने पर छात्रगृह किराया मद अंतर्गत भुगतान किया जाता है।

### **कोटा वि.ख. अंतर्गत अनु. जाति एवं जनजातियों के विकास हेतु संचालित योजनाएं**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**37. ( क्र. 2334 ) श्री अटल श्रीवास्तव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास एवं लाभ हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित हैं ? **(ख)** कोटा विकासखंड अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हित एवं विकास हेतु कौन कौन सी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है? योजना का नाम एवं राशि का विवरण क्या है ? **(ग)** उक्त संचालित योजनाओं से 15.02.2025 तक कितने हितग्राही कौन-कौन सी योजनाओं से लाभांशित हुये हैं? ग्रामवार जानकारी क्या दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' एवं 'द' अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

**भाग-3****अतारांकित प्रश्नोत्तर****पथलगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना में सम्मिलित ग्राम में स्वीकृत कार्य**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**1. ( क्र. 556 ) श्रीमती गोमती साय :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** पथलगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनमन योजना के तहत कुल कितने ग्रामों को शामिल किया गया है? जिनमें से कितने परिवारों को लक्षित कर जनवरी, 2025 की स्थिति में उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं? विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के तहत कितने परिवारों को आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, आजीविका एवं पोषण से लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" की योजना व अवधि अंतर्गत पथलगांव विधानसभा क्षेत्र हेतु कौन-कौन से कार्य प्रगतिरत/प्रस्तावित है और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? विवरण देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** पथलगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कुल 10 ग्रामों को शामिल किया गया है, जिसमें से 195 परिवार को लक्षित किया गया है। जनवरी 2025 की स्थिति में उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु किये जा रहे कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" ]

**दुर्ग जिले के लघु एवं भारी उद्योगों में ईसपी उपकरण का उपयोग**

[आवास एवं पर्यावरण]

**2. ( क्र. 762 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दुर्ग जिले के लघु एवं भारी उद्योगों में ईसपी (इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर) जैसे उपकरणों का क्या नियमित इस्तेमाल हो रहा है? यदि हां, तो कृपया जानकारी देवें? यदि नहीं, तो छ.ग. क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय दुर्ग भिलाई द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी देवें? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय दुर्ग भिलाई, द्वारा निगरानी की गई है? यदि हां, तो 1जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक की गई कार्यवाही/जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ? **(ग)** प्रश्नांश (क) सरकार लघु एवं भारी उद्योगों में ऐसा कोई यंत्र लगाने पर विचार करेगी, जिससे किसी संयंत्र में ईसपी बंद होने पर विभाग को सीधे अलर्ट सूचना प्राप्त हो जाएगी ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** जी हाँ। दुर्ग जिले में संचालित वृहद/मध्यम श्रेणी के 11 उद्योगों में ईएसपी (इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर) उपकरण की स्थापना कर नियमित संचालन किया जाता है। दुर्ग जिले के लघु श्रेणी के उद्योगों में वायु प्रदूषण की प्रकृति के अनुरूप ईएसपी स्थापना की आवश्यकता नहीं है। 11 उद्योगों की सूची **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।**(ग)** उद्योगों में स्थापित ईएसपी से संलग्न चिमनी में वायु प्रदूषकों के सतत् परिमाण हेतु ऑनलाइन कन्टिन्यूअस

इमिशन मॉनीटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) स्थापित किये गये हैं तथा ईएसपी संचालन की ऑनलाइन जानकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त होती है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" \]](#)

### **छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत भवनों की अद्यतन स्थिति एवं बिक्री**

[आवास एवं पर्यावरण]

**3. ( क्र. 990 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2019 से 2024 तक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितने मकान स्वीकृत हुये हैं व उनमें से कितने निर्माण कार्य कब से, पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ की स्थिति में है? कितनी लागत आयी है और उनमें से कितने मकान विक्रय किये जा चुके हैं? और कितने शेष हैं? योजनावार, जिलावार बतायें? **(ख)** उक्त निर्मित मकानों का बिक्री स्तर कम होने का कारण क्या है? उसके लिये कब-कब, क्या-क्या योजना बनायी गयी? **(ग)** वर्तमान में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किन-किन संस्थाओ से, किस दर पर, कितनी अवधि के लिये ऋण लिया गया है तथा वर्तमान में कुल कितना ऋण शेष है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** वर्ष 2019 से 2024 तक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अंतर्गत सामान्य आवास योजना, अटल विहार योजना, दीनदयाल आवास योजना के माध्यम से स्वीकृत मकान एवं उनमें से निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ की स्थिति की योजनावार, जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। लागत राशि, विक्रय किए गए एवं शेष मकानों की योजनावार, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** उक्त निर्मित मकानों का बिक्री स्तर कम होने का कारण एवं उसके लिये कब-कब, क्या-क्या योजना बनाई गई की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** वर्तमान में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा लिये गये ऋण का विवरण **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" \]](#)

### **छत्तीसगढ़ में पर्यावरण प्रदूषण एवं वृक्षारोपण**

[आवास एवं पर्यावरण]

**4. ( क्र. 991 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से जिले को पर्यावरण एवं वायु प्रदूषण के मामले में रेड जोन में चिन्हित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? किन-किन क्षेत्रों में कार्ययोजना तैयार की गयी है? **(ख)** उक्त संचालित योजनाओं का वित्तीय पोषण किस मद से किया जा रहा है ?वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया है? किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि की लागत से, कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं? **(ग)** प्रश्नांक (क) अंतर्गत छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है? किन-किन योजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण कराया गया है तथा उसके अंतर्गत उक्त वर्षों में कितने पेड़, किस लागत से, किन-किन शर्तों पर, किन-किन आद्योगिक क्षेत्रों में लगाये गये? उनमें से कितने सुरक्षित है और कितने खराब हुये? उसके जिम्मेदार कौन हैं?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य का कोई भी जिला पर्यावरण एवं वायु प्रदूषण के मामले में रेड जोन में चिन्हित नहीं किया गया है, अपितु रायपुर, दुर्ग-भिलाई तथा कोरबा को नॉन-अटेन्मेंट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। शहरी परिवेशीय वायु में धूल कणों (पी.एम 10) की मात्रा कम करने एवं परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम रायपुर, दुर्ग-भिलाई

एवं कोरबा में संचालित है। नगरीय निकायों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़क की धूल, निर्माण एवं विध्वंसक अपशिष्ट, वाहनों से उत्सर्जन, कृषि अपशिष्टों को जलाया जाना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि क्षेत्रों में कार्ययोजना तैयार की गयी है। **(ख)** उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर एवं नगर पालिक निगम भिलाई को भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम फण्ड एवं 15वे वित्त आयोग तथा नगर पालिक निगम कोरबा को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम फण्ड से राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में भारत सरकार से प्राप्त आबंटन की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आबंटित की जाती है, जिसे संबंधित निकाय को हस्तांतरित किया जाता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग-भिलाई एवं कोरबा द्वारा किये गये कार्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ग्रीन बेल्ट /हरित क्षेत्र में निगम द्वारा समय-समय पर वृक्षारोपण के कार्य किये जाते हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 में किये गये वृक्षारोपण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस" ]**

### **विशेष रूप से कमजोर जनजाति की जानकारी**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**5. ( क्र. 1172 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (समुदाय) (पीव्हीटीजी) की जनसंख्या कितनी एवं कौन-कौन सी हैं? क्या उक्त जनजातीय समूह की पहचान कर किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां तो कब-कब, कहां-कहां प्रमाण पत्र जारी किया गया है? उक्त जनजातियों के संरक्षण एवं विकास हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं? क्या किसी विशेष प्रकार का अनुदान का प्रावधान भी किया गया है? शिक्षा की दृष्टिकोण से क्या-क्या योजनायें संचालित की जा रही हैं? क्या किसी विशेष टीम का गठन इनके विकास के लिये किया गया है, यदि हां तो जानकारी दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** राज्य शासन द्वारा राज्य की पण्डो एवं भुंजिया जनजाति समुदायों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अधिक पिछड़ा हुआ माना गया है। पण्डो एवं भुंजिया जनजाति की राज्य में कुल जनसंख्या 42417 है। भारत की जनगणना 2011 अनुसार भुंजिया की कुल जनसंख्या 10603 एवं पण्डो विकास अभिकरण अनुसार पण्डों की जनसंख्या 31814 है। उक्त जनजाति समूहों की पहचान कर किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। उक्त जनजातियों के संरक्षण एवं विकास हेतु पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण तथा मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इनके लिये किसी विशेष प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं किया गया है। शिक्षा के दृष्टिकोण से इनके लिये पण्डो एवं भुंजिया अभिकरण मद से शिक्षा के क्षेत्र में भी राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभागीय शैक्षणिक योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। जी हां। इनके विकास के लिये राज्य शासन द्वारा वर्ष 2003 में भुंजिया जनजाति हेतु भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद एवं पण्डो जनजाति हेतु पण्डो विकास अभिकरण सूरजपुर का गठन किया गया है।

### **कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु जानकारी**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**6. ( क्र. 1177 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या राज्य में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु किसी प्रकार का लक्ष्य स्थापित किया गया है? यदि हां

तो लक्ष्य की जानकारी दें ? कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिये राज्य और केन्द्र से कितनी-कितनी राशि की सब्सिडी का प्रावधान है? वर्ष 2024 में लाभान्वित होने वाले व्यक्ति का नाम, पता, सब्सिडी की राशि सहित जिलेवार जानकारी दें।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हाँ। केन्द्र प्रवर्तित "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" अंतर्गत वर्ष 2024-25 में "कोल्ड स्टोरेज स्थापना" हेतु 8 इकाईयों के लक्ष्य निर्धारित है। कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिये उक्त योजनांतर्गत केन्द्र तथा राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें 5000 मैट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर अधिकतम देय अनुदान सामान्य क्षेत्रों हेतु रू. 150.00 लाख (केन्द्रांश 90 लाख, राज्यांश 60 लाख) तथा अनुसूचित क्षेत्रों हेतु रू. 200.00 लाख (केन्द्रांश 120 लाख, राज्यांश 80 लाख) प्रावधानित है। वर्ष 2024 में लाभान्वित कृषक/ उद्यमी का नाम, पता तथा अनुदान राशि की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[ संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" ]

### मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीयन कार्यालय में की गई रजिस्ट्री

[वाणिज्यिक कर]

**7. ( क्र. 1645 ) श्री दिलीप लहरिया :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीयन कार्यालय में वर्ष 2022-23 से 31.1.2025 तक रजिस्ट्री के कितने प्रकरण प्राप्त हुए ? प्राप्त प्रकरणों में से कितने आवेदन का निराकरण किया गया ? कितने शेष हैं? **(ख)** क्या प्रश्रुंकित अवधि में पंजीयन कार्यालय में बिना पक्षकार के उपस्थिति के रजिस्ट्री की शिकायतें प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आया? यदि हां तो दोषी कौन हैं व उन पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्रुंकित अवधि में रजिस्ट्री में अनियमितता अथवा गलत रजिस्ट्री करने या गलत रजिस्ट्री रोकने की कितनी शिकायत/आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदन/शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कितने प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है? कितने लंबित हैं ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीयन कार्यालय में वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक रजिस्ट्री के कुल 11404 प्रकरण प्राप्त हुए। प्राप्त प्रकरणों में से सभी आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। कोई भी प्रकरण शेष नहीं है। **(ख)** प्रश्रुंकित अवधि में पंजीयन कार्यालय में बिना पक्षकार के उपस्थिति के रजिस्ट्री की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** प्रश्रुंकित अवधि में रजिस्ट्री में अनियमितता अथवा गलत रजिस्ट्री करने या गलत रजिस्ट्री रोकने की शिकायत/आवेदन प्राप्त नहीं हुए है।

### मंडी बोर्ड के तहत स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**8. ( क्र. 1731 ) श्री राजेश मूणत :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला- रायपुर अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष 2022 से 2024 तक मंडी बोर्ड द्वारा कुल कितनी कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए थे ? इनकी स्वीकृति का आधार क्या था ? कार्यों का नाम सहित विवरण दें ? **(ख)** क्या रायपुर नगर में मंडी बोर्ड से स्वीकृत होने वाले कार्य स्वीकृति के लिए लंबित हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा कहां लंबित हैं ? विवरण दें ? **(ग)** मंडी बोर्ड के पास निर्माण कार्यों के निरीक्षण पर्यवेक्षण के लिए कितना सेटअप है ? विवरण दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जिला-रायपुर अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष 2022 से

2024 तक मंडी बोर्ड द्वारा 142 कार्यों हेतु कुल राशि रू. 5008.24 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये थे। इन कार्यों की स्वीकृति कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 44 के तहत मंडी बोर्ड द्वारा एवं धारा 40-क के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दी गई। कार्यों का नाम सहित विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जी हॉ। रायपुर नगर में मंडी बोर्ड के कृषक कल्याण निधि से कार्यों की स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** मंडी बोर्ड के पास निर्माण कार्यों के निरीक्षण पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी सेटअप का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

### **अमानक रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की गुणवत्ता की जाँच**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**9. ( क्र. 1732 ) श्री राजेश मूणत :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 10.2.2025 की तिथि तक खाद, दवाई एवं बीज विक्रेताओं के संस्थानों में अमानक रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों के गुणवत्ता की जांच कराई गई ? किस-किस जिले में किन-किन संस्थानों के बीज, खाद एवं दवाई अमानक स्तर में पाए गए तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई ? पूर्ण विवरण दें।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हॉ । वर्ष **2024-25** में **10.2.2025** की तिथि तक खाद, दवाई एवं बीज विक्रेताओं संस्थानों के रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों के लिये गए नमूने परीक्षण उपरांत अमानक पाये जाने पर उन पर की गई कार्यवाही की जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।**

### **अनुसूचित जाति घटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट की जानकारी**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**10. ( क्र. 1808 ) श्री इन्द्रशाह मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना(SCP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना(TSP) बजट उपयोजना के वित्तीय संसाधनों का उपयोग,योजना एवं आबंटन सम्बंधी कोई अधिनियम बना है ? यदि हां तो बताएं, यदि नहीं तो क्यों नहीं बनाया गया ? **(ख)** नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना(SCP)एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP)बजट अंतर्गत बीते 03 वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों को योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रचार-प्रसार हेतु अलॉट बजट राशि एवं खर्च की गई बजट राशि की जानकारी दें? क्या प्रचार- प्रसार/कार्यशालाएं आयोजित की गई ? यदि हां, तो पिछले 03 वित्तीय वर्ष में जिलावार कार्य शालाओं की वर्षवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना(SCP)एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP)बजट अंतर्गत बीते 03 वित्तीय वर्षों खर्च नहीं की गई बजट राशि को क्या अगले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया गया है? यदि हां तो कितना बजट एवं नहीं तो क्यों नहीं किया गया? जानकारी प्रदान करेंगे।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जी नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (SCP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के वित्तीय संसाधनों का उपयोग, योजना एवं आबंटन संबंधी अधिनियम नहीं बनाया गया है किन्तु नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (SCP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना

(TSP) मद में निधियों को बजट में निर्धारित किया जाकर विभिन्न निश्चित मांग संख्याओं में प्रावधानित किया जाता है जो कि अपरिवर्तनीय होता है तथा उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही राज्य के बजट में अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (SCP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) मदों में बजट का प्रावधान किया जाता है। **(ख)** नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (SCP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) बजट अंतर्गत बीते 03 वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों को योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रचार-प्रचार हेतु अलॉट बजट राशि एवं खर्च की गई बजट राशि तथा प्रचार-प्रसार/कार्यशाला आयोजन की विभागवार जानकारी **पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-अ, ब, स एवं द** अनुसार है। **(ग)** अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट अंतर्गत राज्य आयोजना मद की अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लैप्स हो जाती है जबकि केन्द्रीय योजनाओं की प्राप्त राशि लैप्स नहीं होती है अपितु बजट प्रावधान लैप्स होता है। वित्तीय वर्ष में अव्ययित केन्द्रीय योजनाओं की राशि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय की जाती है। प्रश्नानुसार वांछित विभागवार जानकारी अनुसूचित जाति विशेष घटक (एससीपी) हेतु जानकारी पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-इ में एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टीएसपी) हेतु जानकारी **पुस्ताकालय में रखे प्रपत्र-फ** अनुसार है।

### **महासमुंद जिले में कृषि विभाग द्वारा जेम पोर्टल से क्रय**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**11. ( क्र. 1844 ) श्रीमती चातुरी नन्द :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2022-23 से 2024-25 में 10.02.2025 तक की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा जेम पोर्टल से किन-किन सामग्रियों और उपकरणों की खरीदी किस-किस दर पर किन-किन एजेंसियों से की गई है ? सामग्री/उपकरण का नाम, क्रय राशि, क्रय दिनांक एवं एजेंसी का नाम सहित जानकारी वर्षवार बताएं। **(ख)** कृषि विभाग में सामग्रियों/उपकरणों की क्रय हेतु पात्रता की क्या शर्तें हैं ? क्या प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत कृषि विभाग ने जिन एजेंसियों से सामग्री/उपकरणों की खरीदी की है वो नियमानुसार पूरी पात्रता रखते हैं ? यदि नहीं तो पात्र नहीं होने के बावजूद खरीदी करने के क्या कारण है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2022-23 से 2024-25 में दिनांक 10.02.2025 तक की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा जेम पोर्टल से क्रय किये गए सामग्रियों और उपकरणों की एजेंसीवार सामग्रियों/उपकरणों का नाम, क्रय राशि, क्रय दिनांक की वर्षवार **जानकारी प्रपत्र अनुसार है। (ख)** कृषि विभाग में सामग्रियों/उपकरणों की खरीदी हेतु जेम पोर्टल में प्रथम बार आमंत्रित निविदाओं में दरो की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए कम से कम तीन मूल निर्माताओं एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जाकर, न्यूनतम दर पर खरीदी की शर्त रखी गई है। प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत कृषि विभाग जिला महासमुंद में जिन एजेंसियों से सामग्री/उपकरणों की खरीदी की गई है, वह नियमानुसार निविदा की शर्तों एवं तुलनात्मक न्यूनतम दर पर पात्रता रखते हैं।

[ संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" ]

### **प्रदेश में छात्र-छात्राओं को प्रदायित स्कालरशिप**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**12. ( क्र. 1853 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सही है कि प्रदेश में छात्र-छात्राओं को स्कालरशिप दी जाती है ? यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र भिलाई नगर में वर्ष 2023-24 व 2024-25 में किन-किन वर्ग के, कितने छात्र-छात्राओं को, कितनी स्कालरशिप दी जाती थी व कितनी दी गई तथा शेष को कब तक दी जावेगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हॉ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। शेष विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस" ]**

### **बालोद जिला अंतर्गत उद्योगों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण यंत्र**

[आवास एवं पर्यावरण]

**13. ( क्र. 1919 ) श्रीमती अनिला भेंडिया :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) बालोद जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की क्या व्यवस्था है ? (ख) संचालित उद्योगों में से कितने उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र स्थापित है तथा कितने में नहीं हैं ? जानकारी देवें? (ग) जिन उद्योगों में प्रदूषणकारी यंत्र की व्यवस्था नहीं है, उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) बालोद जिले के अंतर्गत संचालित विभिन्न उद्योगों में उद्योग की प्रकृति के अनुसार दूषित जल उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र यथा ई.टी.पी., न्यूट्रालाईजेशन टैंक सह सेटलिंग टैंक की व्यवस्था की गई है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर, साईक्लोन, डस्ट कलेक्टर, वेट स्क्रबर की व्यवस्था की गयी है।(ख) बालोद जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सम्मति प्राप्त संचालित 129 उद्योगों में से 123 प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र स्थापित हैं तथा शेष 6 अप्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र स्थापित नहीं है।(ग) सभी प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र की व्यवस्था की गई है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

### **जिला बलौदाबाजार-भाटापारा व महासमुंद अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय**

#### **महाअभियान के चिन्हांकित ग्रामों में विद्युत कनेक्शन का प्रदाय**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**14. ( क्र. 1934 ) श्री संदीप साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
जिला बलौदा बाजार-भाटापारा एवं महासमुंद में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत कितने ग्रामों एवं घरों को किन-किन योजनाओं/सुविधाओं हेतु चिन्हांकित किया गया है? क्या चिन्हांकित ग्रामों में विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है? यदि हॉ, तो ग्रामवार, जानकारी देवें? यदि नहीं, तो क्यों और कितने ग्राम विद्युत कनेक्शन हेतु शेष हैं? शेष ग्रामों में कब तक विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दी जाएगी, जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। जी हॉ।  
जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" ]**

### **बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनियों को प्रदत्त अनुमति**

[आवास एवं पर्यावरण]

**15. ( क्र. 1959 ) डॉ. सम्पत अग्रवाल :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 जनवरी, 2023 से 30 जनवरी, 2025 तक कितनी कॉलोनियों को अनुमति प्रदान की गई है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** प्रश्नाधीन अवधि में बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग से अनुमति प्राप्त कॉलोनीयों की जानकारी निरंक है।

### **कृषि बीज विकास निगम में मिनी राईस मिल एवं अन्य कृषि यंत्र का पंजीयन**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**16. ( क्र. 1960 ) डॉ. सम्पत अग्रवाल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 की अवधि में कृषि बीज विकास निगम में मिनी राईस मिल एवं अन्य कृषि यंत्र के पंजीयन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने निराकृत हुए एवं कितने लंबित हैं? लंबित रहने का कारण क्या है? **(ख)** क्या लंबित आवेदनों का निराकरण एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत किया जायेगा?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 की अवधि में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. द्वारा संचालित चैम्स प्रणाली अंतर्गत निर्माता/प्रदायकों द्वारा कृषकों को अनुदान पर प्रदाय किये जाने हेतु मिनी राईस मिल एवं अन्य कृषि यंत्र/उपकरणों के पंजीयन हेतु प्राप्त, निराकृत एवं लंबित आवेदनों की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांकित अवधि में लंबित आवेदन की जानकारी निरंक है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास" ]

### **प्रदेश में कृषि अभियंता के रिक्त पदों पूर्ति**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**17. ( क्र. 1977 ) श्री भोलाराम साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कृषि अभियंता के सेटअप के अनुसार कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने भरे हैं, कितने रिक्त हैं ? जिलावार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के पदों की भर्ती हेतु पिछले तीन वर्ष में विभाग द्वारा कब-कब विज्ञापन जारी किया गया ? वर्षवार, जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** प्रदेश में कृषि अभियंता (कृषि यंत्री) के सेटअप के अनुसार 05 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पद के विरुद्ध 04 पद भरे हैं, 01 पद रिक्त हैं। जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक "क" में उल्लेखित कृषि अभियंता (कृषि यंत्री) के पद सीधी भर्ती के पद नहीं हैं, अतः शेष जानकारी निरंक है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - पचास " ]

### **विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत रोपित ऑयल पॉम पौधा**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**18. ( क्र. 1988 ) श्री रामकुमार टोप्पो :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023-2024 में विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत ऑयल पॉम पौधा कहाँ कहाँ और कितनी मात्रा में रोपित किया गया ? वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं ? ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** कंडिका **(क)** अनुसार पौधे के रखरखाव, नलकूप, वर्मी कम्पोस्ट, एवं कृषक प्रशिक्षण हेतु कितनी अनुदान राशि दी गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** वर्ष 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र सीतापुर

अंतर्गत ऑयल पॉम का रोपण नहीं किया गया है। अतः जानकारी निरंक है। (ख) कंडिका (क) के परिपेक्ष्य में ख की जानकारी निरंक है।

### **जिला धमतरी में सहायक भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्य**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**19. ( क्र. 2001 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला धमतरी अन्तर्गत सहायक भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 15.2.2025 तक लघु सिंचाई तालाब, स्टापडेम, कार्य किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि के कराये गये हैं, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार उक्त कराये गये कार्यों में गुणवत्ताहीन/स्तरहीन कार्य कराये जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जिला धमतरी अन्तर्गत कृषि विभाग (कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 15.2.2025 तक लघु सिंचाई तालाब, स्टापडेम निर्माण कार्य नहीं कराये गये है, अतः जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार जानकारी निरंक है।

### **सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) के लोगों की प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर मुआवजा भुगतान**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**20. ( क्र. 2002 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी 2025 तक सिहावा विधानसभा क्षेत्र में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) के लोगों के प्राकृतिक आपदा, रोगग्रस्त होने एवं अन्य कारणों से कितने लोगों की मृत्यु हुई? विकासखण्डवार बतावें ? **(ख)** क्या प्रश्नांक 'क' के मृतकों को मुआवजा/सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितने को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितने को नहीं दीया गया? शेष को कब तक प्रदाय किया जावेगा ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक 'क' के मृतकों में आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर उनके वारिस को 04-04 लाख अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है। जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन" ]

### **कृषि उपकरण एवं अनुदान राशि**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**21. ( क्र. 2021 ) श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में केन्द्र तथा राज्य योजना प्रवर्तित के अंतर्गत योजना अनुसार वर्ष 2021-22 से दिनांक 15.2.2025 तक कितने किसानों/हितग्राहियों को कौन-कौन से कृषि उपकरण एवं अनुदान राशि वितरित की गई? उक्त वितरित किये गये उपकरणों में कितनी अनुदान राशि मिली ? **(ख)** प्रश्न 'क' अनुसार प्रश्नांकित अवधि में विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के कितने ग्रामों के, कितने कृषकों द्वारा कृषि उपकरणों हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, के विरुद्ध कितने हितग्राही/किसानों को उपकरण प्रदान किया गया एवं

कितने आवेदन निरस्त किये गये ? निरस्तीकरण के कारण क्या हैं? कौन-कौन से उपकरण की कितनी लागत में खरीदी की गई? क्या हितग्राही चयन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) वर्ष 2021-22 से दिनांक 15.02.2025 तक विधानसभा क्षेत्र मुंगेली से संबंधित विकासखण्ड मुंगेली एवं पथरिया में संचालनालय कृषि अंतर्गत कुल 6161 किसानों/हितग्राहियों को तथा विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत 24 किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र/उपकरण प्रदाय किये गये है। वर्षवार, योजनावार एवं यंत्र/उपकरणवार जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार प्रश्नांकित अवधि में मुंगेली एवं पथरिया विकासखण्ड में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत यंत्रों/उपकरणों हेतु प्राप्त, स्वीकृत एवं निरस्त किये गये आवेदनों तथा लागत राशि की वर्षवार, विकासखण्ड, योजनावार एवं यंत्र/उपकरणवार जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स, प्रपत्र-द** अनुसार है। हितग्राही चयन में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः जानकारी निरंक है।

### धमतरी जिले में स्थित राईस मिलों का निरीक्षण एवं स्थापित उद्योग

[आवास एवं पर्यावरण]

**22. ( क्र. 2117 ) श्री ओंकार साहू :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी जिले में कहां-कहां पर, किन-किन फर्म के नाम से राईस मिल संचालित हैं ? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के राईस मिल से डस्ट एवं दूषित पानी निकलने की वर्ष 2023-24 से 15.2.2025 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या विभाग द्वारा इन राईस मिल्स का निरीक्षण वर्ष 2022 से दिसंबर 2025 तक में किया गया ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमितता पाई गई तथा इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत संचालन सम्मति प्राप्त राईस मिलों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)** वर्ष 2023-24 से दिनांक 15/02/2025 तक की अवधि में धमतरी जिले में राईस मिलों से डस्ट एवं दूषित पानी निकलने की दो शिकायतें प्राप्त हुई है। जी हां। इन राईस मिलों का निरीक्षण किया गया है, जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - बावन" ]

### आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनाएं

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**23. ( क्र. 2157 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में पूछे गए वर्गों के कल्याण हेतु विगत 2 वर्षों में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? जिलावार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" ]

### प्रदेश में मृदा जांच हेतु स्थापित लैब

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. ( क्र. 2164 ) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कृषि विभाग अंतर्गत मृदा जांच हेतु कहां-कहां पर कितनी लैब स्थापित की गई है? इन लैब के लिये कितने पद स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) विगत 2 वर्षों में इन लैबों के द्वारा कितने मृदा नमूनों की जांच की गई? जिलावार जानकारी देवें? (ग) क्या कंडिका 'ख' अनुसार जांचों के लिये संसाधन/उपकरण समस्त लैबों में उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो किन-किन उपकरणों की कितनी-कितनी आवश्यकता है?

आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क) प्रदेश में कृषि विभाग अंतर्गत मृदा नमूनों की जांच हेतु कुल 35 स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। जिलेवार प्रयोगशाला के स्थान और इनमें स्वीकृत पद, कार्यरत व रिक्त पदों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त की जाएगी, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) कंडिका "क" में उल्लेख अनुसार स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा विगत 2 वर्षों यथा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में विश्लेषित मृदा नमूनों की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) कंडिका 'ख' अनुसार मृदा नमूनों के विश्लेषण हेतु स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - चौवन" ]

### बिल्हा वि.स. क्षेत्र के छात्रावास, आश्रम एवं आवासीय विद्यालय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. ( क्र. 2165 ) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कितने व कौन-कौन से तथा कितनी क्षमता के छात्रावास, आश्रम एवं आवासीय विद्यालय हैं? जनवरी, 2025 की स्थिति में इनमें से किन-किन के भवन जर्जर स्थिति में हैं? कितने रिपेयरिंग/अनुरक्षण कार्य योग्य तथा कितने नवीन भवन बनाया जाना है तथा कितने में नवीन अहाता बनाने व अनुरक्षण कार्य किये जाने की आवश्यकता है? कार्यवार जानकारी देवें? (ख) कंडिका 'क' अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य कराए गए हैं? इसमें कौन-कौन से कार्य समय पर पूर्ण हुए और कौन-कौन से नहीं हुए हैं व क्यों? बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2024-25 में किस-किस छात्रावास/आश्रम व आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया है? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां या शिकायत पाई गई हैं तथा क्या-क्या निराकरण एवं कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) कंडिका 'क' अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में विभाग द्वारा कोई रिपेयरिंग/अनुरक्षण के कार्य नहीं कराए गए हैं। बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित सभी छात्रावासों का वर्ष 2024-25 में निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई। सामान्य छोटी-मोटी कमियों का निराकरण जिला स्तर पर कर दिया जाता है। [ संलग्न "परिशिष्ट - पचपन" ]

## नवा रायपुर स्थित झांझ व सेंध जलाशय की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

**26. ( क्र. 2197 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नवा रायपुर स्थित झांझ व सेंध जलाशय के सौंदर्यीकरण के नाम पर जलभराव वाले हिस्से को गलत तरीके से पाटने की जांच हेतु शासन/विभाग द्वारा कब, किसकी अध्यक्षता में किन-किन सदस्यों की जांच समिति बनाई गई व जांच उपरांत समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन कब एवं क्या दिया गया ? जांच प्रतिवेदन के अनुसार अनियमितता हेतु दोषी कौन है व दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही, की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों? **(ख)** कंड़िका **(क)** अनुसार जांच समिति द्वारा जलाशय के जल क्षेत्रफल के सकारात्मक पुनः विकास हेतु जीर्णोद्धार हेतु क्या-क्या सुझाव/अनुशंसा दी गई? क्या इनका पालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। जांच प्रतिवेदन में दोष निर्धारण को उल्लेख नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। सुझाव के परिपालन हेतु कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

## वन भूमि व वन अधिकार पत्रों को शून्य किया जाने पर अद्यतन स्थिति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**27. ( क्र. 2198 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह सही है कि जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, कांकेर जिला उ.ब. कांकेर द्वारा दिनांक 07.04.2017 के निर्णयानुसार ग्राम अन्तागढ़, तहसील अन्तागढ़ जिला उ.ब. कांकेर के 17 तथा ग्राम तालाकुरा तहसील कांकेर जिला उ.ब. कांकेर के 5 इस प्रकार कुल 22 वन अधिकार मान्यता पत्र को शून्य घोषित करते हुए संबंधित भूमि को पूर्ववत् मद - राजस्व वन भूमि/वन भूमि में रखे जाने का कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा द्वारा आदेश पारित किया गया था ? यदि हाँ तो उक्त भूमि का अधिपत्य/कब्जा किनके अधीन है तथा आदेश के परिपालन में क्या-क्या कार्यवाही की गई व दिनांक 15.02.2025 की स्थिति में उक्त वन भूमि व वन अधिकार मान्यता पत्रों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हां, तहसील अन्तागढ़ के 17 प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में व्यक्तियों का उक्त भूमि पर कब्जा है तथा शेष 07 निरस्त वनाधिकार पत्र की भूमि रिक्त है एवं तहसील कांकेर अंतर्गत निरस्त 05 वन अधिकार पत्रों की भूमि पर किसी भी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं पाया गया है तथा निरस्त 05 वनाधिकार पत्र की भूमि को शून्य घोषित कर पूर्ववत् मद-घास मद/बड़े झाड़ु जंगल में यथावत रखा गया है। उक्त आदेश के परिपालन में तहसील अन्तागढ़ अंतर्गत निरस्त वनाधिकार पत्र की भूमि में काबिज 10 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली आदेश जारी किया गया है व अभिलेख दुरुस्त किया गया है तथा दिनांक 15.02.2025 की स्थिति में उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को वन अधिकार पत्र प्रदाय नहीं किया गया है।

## प्रदेश में निवासरत आदिवासियों के विकास के लिए संचालित विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**28. ( क्र. 2202 ) श्री इंद्र साव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में आदिवासियों के सर्वांगीण विकास तथा अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? विवरण दें? **(ख)** क्या उक्त संचालित योजनाएं सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत

आदिवासियों के लिए है या गैर अनुसूचित क्षेत्र (मैदानी भाग) में रहने वाले आदिवासियों को भी लाभ मिलता है? यदि हां तो 01 जनवरी, 2024 से लेकर फरवरी, 2025 तक गैर अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि, किस-किस योजना एवं कार्य के लिए स्वीकृत की गई है? विवरण दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) प्रदेश में आदिवासियों के सार्वर्गीण विकास के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र - "अ"** अनुसार है। (ख) उक्त योजनाएं अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र (मैदानी भाग) में रहने वाले आदिवासियों को भी लाभ मिलता है। प्रदेश में घोषित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए 6 अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ गठित है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र - "ब"** अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन" ]

### **हाऊसिंग बोर्ड द्वारा संचालित योजना**

[आवास एवं पर्यावरण]

**29. ( क्र. 2212 ) श्री ओंकार साह :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला धमतरी अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा किन-किन स्थानों पर आवास निर्माण व आवासीय भूखंड विक्रय की योजना संचालित है? (ख) उपरोक्त संचालित योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाएं पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं? कौन-कौन सी योजनाएं निर्माणाधीन हैं? (ग) क्या पूर्ण रूप से विकसित आवास योजनाओं के सभी आवास/भूखंड विक्रय किये जा चुके हैं? भूखंड एवं आवास क्रय करने की क्या नियम एवं शर्तें हैं?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) जिला धमतरी अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा हटकेशर, श्यामतराई, पोटियाडीह, कन्हारपुरी कुरूद, खरतुली एवं सिहाद भखारा में आवास निर्माण की योजना संचालित है। (ख) उपरोक्त संचालित योजनाओं में से हटकेशर, श्यामतराई, कन्हारपुरी कुरूद की योजना पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं एवं पोटियाडीह की योजना निर्माणाधीन है। (ग) पूर्ण रूप से विकसित आवासीय योजनाओं के आवास विक्रय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। भूखण्ड क्रय करने की नियम एवं शर्तें **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" ]

### **धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**30. ( क्र. 2220 ) श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ़ वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 की स्थिति में कितने किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा कराया तथा कितनी राशि का भुगतान किया? (ख) उक्त फसल बीमा के कारण वर्षवार कितने किसानों को फसल क्षतिपूर्ति बतौर कितनी राशि प्राप्त हुई ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबधित तहसीलो यथा छाल, धरमजयगढ़, घरघोड़ा एवं कापू में खरीफ़ वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत तक कुल 11,306 कृषकों द्वारा फसल बीमा आवरण प्राप्त कर प्रीमियम राशि (कृषक अंश) के रूप में रु. 98,20,729/- का भुगतान किया गया। (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में फसल बीमा

आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों में से मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 में कुल 244 कृषकों को पात्रता अनुसार बीमा दावा राशि रु. 15,89,302/- का भुगतान किया गया है। मौसम खरीफ वर्ष 2024 में बीमित कृषकों के बीमा दावा गणना एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मौसम रबी वर्ष 2024-25 में फसल कटाई उपरांत वास्तविक उपज आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में दावा गणना कर डिजी क्लेम के माध्यम से दावा भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

### जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित रासायनिक खाद की दुकानें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**31. ( क्र. 2266 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने रासायनिक खाद की दुकानें संचालित है? उपरोक्त दुकानों को किन शर्तों के तहत अनुमति दी गई है? **(ख)** पिछले 02 वित्तीय वर्षों में और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15.02.2025 तक उपरोक्त दुकानों के खिलाफ किस-किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाही की गई है? **(ग)** नकली खाद की रोकथाम एवं निगरानी के लिए क्या-क्या व्यवस्था बनाई गई है? जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखण्ड बम्हनीडीह, मालखरौदा एवं जैजैपुर में संचालित 82 रासायनिक खाद की दुकानों को उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 8(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी गयी है। **(ख)** पिछले 02 वित्तीय वर्षों में और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15.02.2025 तक उपरोक्त दुकानों के खिलाफ विभाग को प्राप्त शिकायत की जानकारी निरंक है। **(ग)** नकली खाद की रोकथाम एवं निगरानी के लिये जिला स्तरीय निगरानी टीम का गठन किया गया है। विकासखण्ड स्तर पर उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा सतत् निरीक्षण किया जा रहा है, तथा सहकारी तथा निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों से रासायनिक उर्वरक के नमूने प्रयोगशाला को भेजे जा रहे हैं। नमूनों का विश्लेषण परिणाम अमानक स्तर का प्राप्त होने पर तत्काल अमानक उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।

### फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**32. ( क्र. 2268 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** प्रदेश में कृषि विभाग अंतर्गत फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की कितनी शिकायतें प्राप्त हैं? जिलेवार, जानकारी देवें? **(ख)** क्या प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रश्नांश **(क)** के संबंधित व्यक्तियों के प्रमाण पत्र का परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड, संभाग मेडिकल बोर्ड एवं राज्य मेडिकल बोर्ड से पृथक - पृथक कराया गया है? क्या शिकायत हेतु जांच कमेटी का गठन किया गया है ? जांच में क्या निष्कर्ष पाया गया? **(ग)** क्या फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पाए गए नियुक्ति को रद्द किया गया ? क्या फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई? जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति से संबंधित कुल 72 अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायत प्राप्त हुई है। जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रश्नांश **(क)** से संबंधितों को मेडिकल बोर्ड/संभागीय मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का पुनः परीक्षण कराने हेतु संचालनालय कृषि/उद्यानिकी द्वारा पत्र जारी कर, उप संचालक कृषि/उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान/अनुविभागीय कृषि अधिकारी

को निर्देशित किया गया। संबंधितों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस नम्बर 2829/2024 एवं 2888/2024 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2024 के अनुसार अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार से कार्यवाही करने से रोक लगाए जाने के कारण संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई। शिकायत हेतु जांच कमेटी का गठन नहीं किया गया, अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) संचालनालय कृषि में प्राप्त शिकायतों में से अब तक 03 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत सही पाई गई है। उक्त तीनों अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें से एक कर्मचारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.09.2024 के परिपालन में पुनः सेवा में बहाल किया गया है। किसी भी प्रकरण में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" \]](#)

### **जिला बस्तर में विभागांतर्गत संचालित योजनायें, कार्यक्रम एवं उसका क्रियान्वयन**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**33. ( क्र. 2269 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बस्तर में आदिम जाति विकास विभाग के द्वारा आदिवासी समुदाय के हितार्थ/कल्याणार्थ कौन-कौन सी योजनायें/कार्यक्रम प्रचलन में हैं? वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में 15.02.2025 इन योजनाओं, कार्यक्रमों के लिए प्राप्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति बतावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र बस्तर के संदर्भ में योजना व कार्यक्रमवार हितग्राहियों की संख्या सहित प्रदत्त लाभ की जानकारी देंगे? **(ग)** क्या जिला बस्तर में इन योजनाओं, कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों से संबंधित प्रकरण लंबित हैं? यदि हां तो जानकारी देंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** जी नहीं ।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

### **जिला-बस्तर अंतर्गत उद्यानिकी विभागांतर्गत संचालित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाएं**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**34. ( क्र. 2270 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बस्तर में विभागांतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के माध्यम से जनकल्याणकारी, हितग्राहीमूलक व रोजगारमूलक कौन-कौन सी योजनायें/कार्यक्रम चलाई जा रही है? वर्ष 2024-25 में 15.02.2025 की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति की स्थिति भी बतावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र बस्तर में विभाग के द्वारा क्या-क्या कार्य करवाये गये व हितग्राहियों को क्या-क्या व कितनी मात्रा में लाभ पहुंचाया गया? हितग्राही की संख्या विकासखण्डवार सहित जानकारी देंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) : **(क)** जिला बस्तर में विभागांतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से संचालित जनकल्याणकारी, हितग्राहीमूलक उद्यानिकी योजनाओं के संबंध में वर्ष 2024-25 में 15.02.2025 की स्थिति में योजनावार तथा निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** उद्यानिकी योजनाओं के अंतर्गत पृथक से रोजगारमूलक योजना का संचालन नहीं किया जाता है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र बस्तर में उद्यानिकी विभागांतर्गत कराये गये कार्य एवं

हितग्राहियों को प्रदाय लाभ तथा विकासखण्डवार लाभान्वित हितग्राही संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है ।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - साठ" \]](#)

### **फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरणों में जांच**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**35. ( क्र. 2273 ) श्री अनुज शर्मा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के अधीनस्थ उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा फरवरी, 2025 की स्थिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी करने वाले कितने प्रकरणों में जांच प्रचलित है? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार कितने प्रकरणों में जांच पूरी कर ली गई है? जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समिति द्वारा क्या-क्या अनुशासनों की गईं? प्रकरणवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या शासन के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को नौकरी से पृथक कर उनके विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हां तो किन धाराओं में और यदि नहीं तो क्यों? क्या किसी प्रकार की कोई कार्यवाही इन प्रकरणों में प्रचलित है? यदि हां तो जानकारी प्रदान करें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के अधीनस्थ उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा फरवरी, 2025 की स्थिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी करने वाले 98 प्रकरणों में जांच प्रचलित है । (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्नांक 'क' के प्रकरणों में जांच प्रचलित है।

### **छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**36. ( क्र. 2274 ) श्री अनुज शर्मा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम द्वारा जनवरी, 2023 से फरवरी, 2025 तक अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु किन-किन योजनाओं में, कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया? जिलेवार संपूर्ण जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार योजनाओं में सेवा, उद्योग, परिवहन, कृषि तथा महिला सशक्तिकरण योजना में स्वरोजगार हेतु किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई? (ग) प्रश्नांक (ख) अनुसार विभिन्न योजनाओं में क्या विभाग द्वारा सामग्री ही प्रदाय की जाती है अथवा नकद राशि भी दी जाती है? यदि सामग्री प्रदाय की जाती है तो प्रश्नांक अवधि तक किन-किन फर्मों द्वारा क्या-क्या सामग्रियों की खरीदी की गई? जिलेवार जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) प्रश्नांक (ख) अनुसार जानकारी "निरंक" है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" \]](#)

### **उद्यानिकी किसानों के लिए संचालित योजनायें**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**37. ( क्र. 2280 ) श्री ब्यास कश्यप :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जांजगीर-चांपा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी किसानों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं

संचालित हैं? वित्तीय वर्ष 2022-23 से फरवरी, 2025 तक उक्त योजनाओं के लिए कितना आबंटन प्राप्त हुआ? (ख) उपरोक्त अवधि में उक्त योजनाओं, मदों के अंतर्गत जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के कितने-कितने उद्यानिकी कृषकों को लाभ दिया गया? योजनावार, वर्षवार, जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) जांजगीर चाम्पा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी कृषकों हेतु संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** वित्तीय वर्ष 2022-23 से फरवरी 2025 तक जिले में संचालित योजनाओं हेतु कुल राशि रु. 681.20 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त आबंटन की वर्षवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ख) प्रश्नांकित अवधि में जांजगीर-चाम्पा विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड नवागढ़ एवं बलौदा के कुल 1263 उद्यानिकी कृषकों को उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया गया है। लाभान्वित कृषकों की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

### **प्रापर्टी का पंजीयन शुल्क एवं नियम**

[वाणिज्यिक कर]

**38. ( क्र. 2287 ) श्री उमेश पटेल :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्तमान में प्रदेश में एक तहसील से दूसरे तहसील क्षेत्र में प्रापर्टी का पंजीयन कराने का शुल्क कितना है ? पूर्व में यह राशि कितनी थी और वर्तमान में कितनी पंजीयन शुल्क बढ़ाई गई है ? क्या नए नियम लागू होने के पश्चात् पंजीयन में कमी आई है ? जानकारी देवें। (ख) प्रदेश में एक तहसील से दूसरे तहसील क्षेत्र में पंजीयन शुल्क के कारण आम जनता पर बोझ कम करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं, जानकारी देवें। (ग) क्या प्रदेश में पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयक, उप पंजीयक के सभी पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो कब तक रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी ? रिक्त पदों की जानकारी जिलावार बतायें ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** (क) तहसील से संबंधित संपत्ति का पंजीयन जिला मुख्यालय के पंजीयन कार्यालय में कराये जाने पर पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त रु 25000 देय है। पूर्व में यह राशि 1000/- रू थी, जिसे वर्तमान में वृद्धि कर राशि रु. 25000/- किया गया है। नये नियम लागू होने के पश्चात् दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक पंजीबद्ध कुल दस्तावेजों की संख्या 70999 है। गत वर्ष में इसी अवधि में पंजीबद्ध कुल दस्तावेजों की संख्या 78317 थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 7318 दस्तावेज कम पंजीबद्ध हुए हैं। (ख) अन्य तहसील में पंजीयन कराये जाने से कर अपवंचन की संभावना होती है, इस कारण से दीगर तहसील के शुल्क में कमी किया जाना राजस्व हित में नहीं है। (ग) प्रदेश में पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालयों के सभी पदों पर अधिकारी कार्यरत नहीं है। जिला पंजीयक तथा उप पंजीयक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित किया गया है। पदोन्नति श्रेणी के रिक्त पदों पर अर्हता प्राप्त कर्मचारी उपलब्ध होने पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। जिला पंजीयक, वरिष्ठ उप पंजीयक एवं उप पंजीयक के रिक्त पदों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ" \]](#)

### **रायगढ़ जिले में मिलेट्स खेती**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**39. ( क्र. 2288 ) श्री उमेश पटेल :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले में मिलेट्स दलहन व तिलहन की खेती कितने रकबे में की गयी है विकासखण्डवार

जानकारी देवें? कितने रकबे में मिलेट खेती का लक्ष्य रखा गया है और लक्ष्य में से कितने रकबे में खेती की गयी एवं लक्ष्य के मुकाबले कितनी कमी रही? **(ख)** जिले में मिलेट्स एवं दलहन तिलहन खेती के लिए किसानों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? जागरूकता का लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं और दलहन, तिलहन की खेती को बढ़ावा मिले इसके लिए क्या कार्ययोजना बनायी गयी है? जानकारी देवें। **(ग)** क्या मिलेट्स का बाजार नहीं मिलने से किसानों ने दलहन, तिलहन आदि की खेती से दूरी बना ली है? यदि हां तो किसानों को मिलेट्स का बाजार कब तक मिल जाएगा, जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक मिलेट्स, दलहन व तिलहन की खेती 78600.00 हे. रकबे में की गयी है, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** वर्ष 2024-25 में मिलेट्स क्षेत्राच्छादन हेतु मौसम खरीफ एवं रबी में कुल निर्धारित लक्ष्य, पूर्ति एवं कमी/वृद्धि संबंधी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** रबी 2024-25 में शेष रकबे की पूर्ति संभावित है। **(ख)** रायगढ़ जिले में मिलेट्स, दलहन एवं तिलहन की खेती के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन/तिलहन अंतर्गत आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम, प्रमाणित बीज वितरण, फसल प्रदर्शन, कृषक खेत पाठशाला, कृषक प्रशिक्षण, कृषि आदानो/पौध संरक्षण यंत्र/उन्नत कृषि यंत्र वितरण तथा अन्य विभागीय योजना में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जी हॉ, विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से मिलेट्स, दलहन एवं तिलहन की खेती के प्रति कृषकों में जागरूकता आयी है। रायगढ़ जिले में दलहन व तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन अंतर्गत 310.00 हे. क्षेत्र का चयन कर राशि ₹. 36.30 लाख, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन अंतर्गत क्रमशः 100.00 हे. हेतु राशि ₹. 14.00 लाख एवं 211.00 हे. हेतु राशि ₹. 12.74 लाख की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागीय योजनाओं जैसे टारगेटेड राईस फैलो एरिया-तिलहन एवं दलहन, फसल प्रदर्शन योजना, एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) एवं रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट के तहत दलहन एवं तिलहन फसल प्रदर्शन हेतु कुल 2072.00 हे. क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। **(ग)** जी नहीं, रायगढ़ जिले में मिलेट्स का बाजार उपलब्ध है, वन विभाग द्वारा संचालित वन-धन केन्द्रों के माध्यम से कोदो, कुटकी एवं रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। प्राईस स्पोर्ट स्कीम (पी.एस.एस) के तहत दलहन एवं तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) एवं छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से की जा रही है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ" ]**

### **मकान एवं दुकान नक्शा पास कराने का शुल्क**

[आवास एवं पर्यावरण]

**40. ( क्र. 2289 ) श्री उमेश पटेल :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में प्रदेश में मकान और दुकान का नक्शा पास कराने का शुल्क कितना है ? पूर्व में यह राशि कितनी थी और और वर्तमान में कितनी शुल्क राशि बढ़ाई गई है ? **(ख)** प्रदेश में बढ़ाए गए नक्शा शुल्क के कारण आम जनता पर बोझ कम करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं, जानकारी देवें।

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी निरंक है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ" ]**

### तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन हार्टिकल्चर कॉलेज की प्रशासकीय स्वीकृति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**41. ( क्र. 2292 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** क्या यह सत्य है कि बजट सत्र 2024-25 में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन हार्टिकल्चर कॉलेज खोलने की घोषणा की गयी है? **(ख)** कंडिका "क" के नवीन हार्टिकल्चर कॉलेज खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति कब तक मिल जाएगी?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जी हाँ। **(ख)** तखतपुर में नवीन हार्टिकल्चर कॉलेज खोलने कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### तखतपुर वि.स. क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग एवं बीज निगम अंतर्गत खाद्यान्न सामग्रियों का भण्डारण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**42. ( क्र. 2293 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग एवं बीज निगम अंतर्गत खाद्यान्न सामग्रियों के भण्डारण हेतु कुल कितने गोदाम हैं? **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत कितने गोदाम जर्जर अवस्था में हैं एवं कितने गोदाम किराए पर चल रहे हैं? **(ग)** कंडिका "ख" के अंतर्गत जर्जर एवं किराए पर चल रहे गोदाम हेतु कब तक नवीन गोदाम स्वीकृत कर लिए जायेंगे ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग एवं बीज निगम अंतर्गत खाद्यान्न सामग्रियों के भण्डारण हेतु कोई गोदाम नहीं है, अपितु कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर में खाद्यान्न सामग्रियों के भण्डारण हेतु कुल 04 गोदाम हैं। **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत कोई भी गोदाम जर्जर अवस्था में नहीं है। कृषि उपज मंडी समिति, तखतपुर के गोदामों में से एक गोदाम कृष्णा इण्डस्ट्रीज तखतपुर, एक गोदाम बालाजी इण्डस्ट्रीज तखतपुर एवं दो गोदाम जिला विपणन अधिकारी बिलासपुर को किराये पर दिये गये हैं। **(ग)** कंडिका 'ख' के आलोक में जानकारी निरंक।

### बेलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कृषक समृद्धि योजना के पात्र /अपात्र हितग्राही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**43. ( क्र. 2296 ) श्री सुशांत शुक्ला :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** राज्य में कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत ट्यूबवेल के लिए पात्रता हेतु क्या-क्या नियम हैं ? नियम की प्रति उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के तहत बेलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2022-23 , 2023-24 एवं 2024-25 में फरवरी, 2025 तक ट्यूबवेल हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये, कितने हितग्राही पात्र एवं कितने अपात्र पाए गए ? कितना लक्ष्य निर्धारित था और कितने हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया ? वर्षवार हितग्राहियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** राज्य पोषित किसान समृद्धि योजना अंतर्गत नलकूप प्रतिस्थापन हेतु कृषक चयन के पात्रता हेतु छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्रमांक/1651/डी.17/12/2003/14-3 दि. 09.04.2012 द्वारा जारी दिशा-निर्देश की प्रति **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** विधानसभा क्षेत्र बेलतरा अंतर्गत संबद्ध विकासखंडों बिल्हा एवं कोटा में से विकासखंड बिल्हा अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कृषक महेन्द्र पिता भगवानदीन कश्यप ग्राम भाड़ी वि.ख. बिल्हा का राज्य पोषित किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप प्रतिस्थापन हेतु 01 आवेदन प्राप्त हुआ, जो पात्र

पाया गया। वर्ष 2023-24 से 2024-25 (फरवरी 2025 तक) में प्राप्त आवेदन निरंक है। योजनान्तर्गत विकासखंडवार, वर्षवार निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है:-

क्र.	विकासखंड	निर्धारित लक्ष्य (संख्या)			योग
		2022-23	2023-24	2024-25 (फरवरी 2025)	
1	बिल्हा	2	1	1	4
2	कोटा	2	2	1	5
	योग	4	3	2	9

[ संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ" ]

### जिला बिलासपुर अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में प्राप्त व व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**44. ( क्र. 2297 ) श्री सुशांत शुक्ला :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** वर्ष 2022-23 , 2023-24 एवं 2024-25 में फरवरी, 2025 तक जिला-बिलासपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार , विकासखण्डवार , मदवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" में प्राप्त राशि से कितने कार्य किए गए एवं क्या-क्या सामग्री किस-किस फार्म/ कंपनी से किन प्रक्रिया के तहत खरीदी गई ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" में प्राप्त राशि का मद परिवर्तन किया गया अथवा आबंटित राशि को पुनराबंटित किया गया ? यदि हां तो वर्षवार , विकासखण्डवार, मदवार जानकारी प्रदान करें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जिला बिलासपुर अंतर्गत प्राप्त राशि से किए गए कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। प्राप्त राशि से क्रय की गई सामग्री, फार्म/कंपनी का नाम एवं क्रय की प्रक्रिया की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ग)** जिला बिलासपुर अंतर्गत प्राप्त राशि का मद परिवर्तन नहीं किया गया है। जिलों को आबंटन जिला कलेक्टर के विकल्प पर प्रदाय किया जाता है। जिसे सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के नाम से पुनर्बंटित कर उपयोग में लाया जाता है।

### अनधिकृत विकास का नियमितीकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

**45. ( क्र. 2300 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम के अन्तर्गत 15 फरवरी, 2025 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या, निराकृत संख्या, स्वीकृत संख्या, अस्वीकृत संख्या तथा लम्बित संख्या जिलावार बताएं? **(ख)** कितने प्रकरणों में कितनी शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है ? कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है, अप्राप्त कितनी है ? अस्वीकृत प्रकरणों में पश्चातवर्ती क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? जिलावार बताएं? **(ग)** जिन प्रकरणों में शास्ति की राशि अप्राप्त है, उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है ? जिलावार बताएं ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ" ]

## निवेश क्षेत्रों का गठन एवं विकास योजनाएं

[आवास एवं पर्यावरण]

**46. ( क्र. 2301 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कितने निवेश क्षेत्र गठित हैं और कितने निवेश क्षेत्रों के गठन की कार्यवाही कब-कब से प्रक्रियाधीन है? सूची सहित बताएं? **(ख)** गठित निवेश क्षेत्रों में से कितने के लिए विकास योजनाएं तैयार की जाकर कितनी योजनाएं 15 फरवरी, 2025 तक अंगीकृत की गई हैं तथा कितनी प्रकाशित की जा चुकी है, सूची सहित बताएं? **(ग)** निवेश क्षेत्रों के गठन, विकास योजनाएं तैयार करने, अंगीकृत करने तथा प्रकाशन में असाधारण विलम्ब के कारण क्या-क्या है ? इसके निराकरण हेतु क्या किया जाएगा ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** दिनांक 15 फरवरी 2025 तक गठित निवेश क्षेत्रों में से 44 निवेश क्षेत्रों की विकास योजनाएं तैयार की जाकर छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (4) अंतर्गत अनुमोदित एवं प्रकाशित की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।(ग)** छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों एवं निर्धारित समयवधि के अंतर्गत निवेश क्षेत्रों का गठन, विकास योजना तैयार करने एवं प्रकाशन की कार्यवाही की जाती है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

[ संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ" ]

## छत्तीसगढ़ में अनाज, दलहन एवं तिलहन के आधार/ प्रमाणित बीजों के दर व वितरण/भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**47. ( क्र. 2302 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ के राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम परिपत्रानुसार वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 में अनाज, दलहन, तिलहन के प्रमाणित / आधार बीजों का विक्रय दर वर्षवार, बीजवार बतायें? **(ख)** महासमुन्द जिले में उक्तावधि में अनाज, दलहन व तिलहन बीजग्राम योजना के तहत कितना-कितना, कौन सा बीज वितरित किया गया, वर्षवार विकासखण्डवार बतायें ? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के वितरित बीजों की कितनी- कितनी राशि का बीज निगम को भुगतान किया गया, वर्षवार, विकासखण्डवार बतायें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के परिपत्र अनुसार वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 में अनाज, दलहन, तिलहन के प्रमाणित/आधार बीजों का विक्रय दर वर्षवार, फसलवार, बीजवार की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** महासमुन्द जिले में प्रश्नाधीन अवधि में अनाज, दलहन व तिलहन के केन्द्र प्रवर्तित-सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल-बीज ग्राम योजना के तहत वितरित बीज की विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार वितरित बीजों की राशि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. को भुगतान की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[ संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर" ]

## परीक्षापूर्ण प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण (अनु. जाति जन जाति पिछड़ा वर्ग ) एवं शिष्यवृत्ति दर

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**48. ( क्र. 2305 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में आ.ज.जा./अ.जा./ पि.व. के प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केंद्र की संख्या, केन्द्रवार सीटों की संख्या तथा वर्ष 2023-24, 2024-25 में वित्तिय

/भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि केंद्रवार बतायें ? (ख) क्या वर्तमान में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या एवं सीटों की संख्या में वृद्धि हेतु शासन का प्रस्ताव है ? यदि हाँ तथा तो कितना एवं क्या ? यदि नहीं तो क्या कारण है ? (ग) छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रतिभावान छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना में प्रदान शिष्यवृत्ति दर क्या है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में आ.ज.जा./अ.जा./पि.व. के प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या 05 है। केन्द्रवार सीटों की संख्या तथा वर्ष 2023-24, 2024-25 में वित्तीय/भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि केन्द्रवार की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) जी हाँ। 100 सीटर नवीन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिला बीजापुर में खोला जाना प्रस्तावित है। (ग) छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रतिभावान छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना में राशि रूपये 1,000/- प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से प्रदान की जाती है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर" \]](#)

### जिला राजनांदगांव अंतर्गत प्रधानमंत्री आदिआदर्श ग्राम योजना में स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**49. ( क्र. 2306 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- क्या राज्य में प्रधानमंत्री आदिआदर्श ग्राम योजना संचालित है? यदि हाँ तो विगत 3 वर्षों में इस योजना के तहत अविभाजित राजनांदगांव जिले में कितने ग्रामों का चयन किया गया है एवं फरवरी, 2025 तक उक्त चयनित ग्रामों में क्या-क्या और कितनी-कितनी राशि के कार्य किये गये हैं? कार्य पूर्णता अवधि, मूल्यांकन सत्यापन, विकासखण्डवार, कार्यवार, राशिवार जानकारी दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** जी हाँ। विगत 03 वर्षों में योजना के तहत अविभाजित राजनांदगांव जिले में 163 ग्रामों का चयन किया गया। फरवरी, 2025 तक उक्त चयनित ग्रामों में किए गये कार्य तथा राशि की जानकारी निरंक है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महान अभियान के अंतर्गत कृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**50. ( क्र. 2308 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- क्या वर्ष 2022 से फरवरी, 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महान अभियान के अंतर्गत कार्य किये गये हैं? यदि हां तो किन-किन जिलों में कहां-कहां, क्या-क्या कार्य किये गये हैं? कितनी-कितनी राशि केन्द्र से प्राप्त हुई, क्या-क्या खरीदी की गई? जिलेवार, वर्षवार, ग्रामवार, कार्यवार, राशिवार, कार्य पूर्ण या अपूर्ण, मूल्यांकन सत्यापन की जानकारी दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के शुभारंभ दिनांक 15 नवंबर 2023 के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में इस अभियान अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों में कार्य प्रारंभ किये गये है। प्रश्नानुसार वांछित जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र "अ", "ब", "स" एवं "द"** अनुसार है।

## आदिवासी संस्कृति एवं लोककला के संवर्धन हेतु संचालित कार्यक्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**51. ( क्र. 2312 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी संस्कृति, लोक कला व धार्मिक संस्कृति रीति रिवाज के संरक्षण, संवर्धन एवं समूह बनाने हेतु क्या प्रयास किया जा रहे हैं? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में कबीरधाम जिले (आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र) में क्या-क्या कार्यक्रम/योजनाएं व कार्य किये जा रहे हैं? कृपया बताएं ।

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी संस्कृति, लोक कला व धार्मिक संस्कृति रीति रिवाज के संरक्षण, संवर्धन हेतु आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना, देवगुडी निर्माण/मरम्मत विकास योजना, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोककला महोत्सव, अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम तथा आदिवासी परब सम्मान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय विभाग द्वारा भी पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के लोक कला व धार्मिक रीति रिवाज एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, परंपरागत जनजातीय कलाकारों के माध्यम से विभिन्न शिल्प कला को पुरखौती मुक्तांगन में प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्कृति एवं राजभाषा आयोग विभाग द्वारा भी छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी संस्कृति, लोक कला व धार्मिक संस्कृति रीति रिवाज के संरक्षण, संवर्धन हेतु कार्य किया जा रहा है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जिला कबीरधाम में :-1. आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास अंतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना में सांस्कृतिक दलों को राशि रूपये 10,000/-के मान से सहायता प्रदान की गई है। 2. अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3. संस्कृति एवं राजभाषा विभाग द्वारा :-वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनप्रतिनिधियों के मांग अनुसार विभिन्न उत्सवों, महोत्सव एवं मेला मंडई के अवसर पर 69 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मंचीय प्रस्तुति हेतु लोक कलाकारों को अवसर प्रदान कर राशि रूपये 42.15 लाख मात्र स्वीकृत किया गया है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर" ]**

**शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना, राष्ट्रीय खाद्य मिशन एवं अन्य योजनाओं के तहत क्रय किये गये कृषि यंत्र**  
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**52. ( क्र. 2313 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष दिसंबर, 2023 से 1 फरवरी, 2025 तक शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना, राष्ट्रीय खाद्य मिशन एवं अन्य योजनाओं के तहत किसानों को प्रशिक्षण एवं कृषि यंत्रों के क्रय कर वितरण हेतु कितनी राशि स्वीकृत/वितरित की गई ? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार कृषि यंत्रों के क्रय हेतु आबंटित राशि से किस-किस संस्था/फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में कृषि यंत्र किस आधार पर क्रय किए गए? संस्थावर/विकासखंडवार जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** विभाग द्वारा जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखंडवार संधारित की जाती है। विधानसभा क्षेत्र पंडरिया से सबद्ध विकासखंड पंडरिया, कवर्धा एवं सहसपुर लोहारा में दिसंबर, 2023 से 1 फरवरी, 2025 तक किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं अन्य योजनाओं के तहत आयोजित प्रशिक्षण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना में प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है। प्रश्नांकित योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर प्रदाय कृषि यंत्रों की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार**

है। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार विभाग द्वारा कृषि यंत्र का क्रय नहीं किया जाता है, अपितु कृषकों को अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। विभाग द्वारा कृषकों को हस्त चलित स्प्रेयर पम्प का वितरण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड एवं कृषकों द्वारा क्रय स्प्रेयर पम्प पर अनुदान राशि डी. बी. टी. के माध्यम से प्रदाय किया गया है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत चैम्स प्रणाली के तहत कृषकों द्वारा अपनी पसंद के आधार पर पंजीकृत प्रदायकों/निर्माताओं से शक्ति चलित कृषि यंत्रों का क्रय किया गया है। अनुदान पर प्रदाय कृषि यंत्रों का वर्षवार, संस्थावार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[ संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर" ]

### **प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या व सेटअप**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**53. ( क्र. 2316 ) श्री विक्रम मंडावी :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** प्रत्येक प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों की कितनी स्वीकृत, भरी और रिक्त सीट हैं? स्वीकृत सीट के मान से कितने चालू हालत में स्मार्ट क्लास, हाई स्पीड इंटरनेट, कम्प्यूटर, सर्व सुविधा-युक्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय में नवीनतम पाठ्यक्रम की कितनी किताबें और संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध हैं? कौन-कौन से खेल की सुविधा है, कितने शौचालय और स्नानागार है? **(ख)** प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु वर्षवार किस-किस पद का कितनी संख्या में सृजन किया गया है? किस-किस पद पर भर्ती की गई और कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों के विरूद्ध कौन-कौन कब से कार्यरत है तथा उनका मूल पद क्या है? विद्यालयवार जानकारी दें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर" ]

### **गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में जैविक कृषि से लाभान्वित कृषक**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**54. ( क्र. 2318 ) श्री कुंवर सिंह निषाद :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023 से 15.02.2025 तक जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित हैं? **(ख)** उक्त योजनाओं व कार्यक्रमों में कुल कितने किसान लाभान्वित हुए ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? **(ग)** क्या विभाग के इन प्रयासों से जैविक खेती करने वाले किसानों की आय एवं खेती के रकबे में वृद्धि हुई है ? यदि हाँ तो वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड-गुण्डरदेही एवं डौण्डीलोहरा में प्रश्नाधीन अवधि में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना एवं कार्यक्रम संचालित नहीं हैं। **(ख)** जानकारी निरंक। **(ग)** जानकारी निरंक।

### **राज्य में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत एफ.आर.ए. प्रकोष्ठ का मानदेय भुगतान**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**55. ( क्र. 2319 ) श्री कुंवर सिंह निषाद :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में कितने जिलों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए एफ.आर.ए. (FRA

Cell) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्ष 2024-25 में उनके मानदेय भुगतान की क्या स्थिति है ? यदि भुगतान नहीं हुआ है तो इस अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है ? तथा कब तक मानदेय भुगतान किया जायेगा ? जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** राज्य में 25 जिलों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन के लिए एफ.आर.ए. प्रकोष्ठ (FRA Cell) का गठन किया गया है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार वर्ष 2024-25 में उनके मानदेय भुगतान हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर संबंधित जिलों को आबंटन प्रदाय किया जा चुका है एवं भुगतान की कार्यवाही जिलों द्वारा की जा रही है। अतः अनियमितता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र किया जायेगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर" ]**

### **जिला-बिलासपुर अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत शामिल ग्राम**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

**56. ( क्र. 2322 ) श्री दिलीप लहरिया :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बिलासपुर जिले में अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम शामिल हैं? विधानसभावार, जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** बिलासपुर जिले में अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत शामिल ग्रामों की विधानसभावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर" ]**

### **नगर पालिक निगम, बीरगांव के क्षेत्र में अवैधानिक भूमि विकास का मामला**

[आवास एवं पर्यावरण]

**57. ( क्र. 2324 ) श्रीमती शेषराज हरवंश :** क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर के कार्यक्षेत्र में "दी रायपुर मशीनरी मर्चेट एसोशिएशन" के द्वारा विकास अनुज्ञा का उल्लंघन करते हुए विकास कार्य तथा निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां, तो कितना अवैधानिक है? इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है? इसकी शिकायत किससे प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? **(ख)** विकास अनुज्ञा कब जारी की गई थी और उसके पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या किया गया? अवैधानिक कार्य कब किया गया ? **(ग)** क्या अवैधानिक विकास एवं निर्माण कार्य का नियमितीकरण भी किया गया है, यदि हां तो किसके द्वारा तथा क्या यह विधि अनुरूप है? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की जाएगी ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी ) :** **(क)** जी, हाँ। नगर पालिक निगम, बीरगांव जिला रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, तत्कालीन समय में दुकान निर्माण में 4926 वर्गफीट अप्राधिकृत निर्माण किया गया था। इसके लिये निर्माण करने वाली संस्था "दी रायपुर मशीनरी मर्चेट एसोशिएशन" उत्तरदायी है। इसकी शिकायत श्री भावीन जैन एवं श्री इंद्रजीत छाबड़ा, दलदलसिवनी, मोवा, रायपुर से प्राप्त हुई है। वर्तमान में प्राप्त शिकायत पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** विकास अनुज्ञा दिनांक 21.01.2009 को जारी की गई थी। उसके पालन हेतु विकास अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का उल्लेख है। नगर पालिक निगम, बीरगांव जिला रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, अवैधानिक कार्य भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के उपरांत किया

गया। (ग) जी, नहीं। नगर पालिक निगम, बीरगांव जिला रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, अवैधानिक विकास एवं निर्माण कार्यों का नियमितकरण नहीं किया गया है। किन्तु अप्राधिकृत निर्माण का विधि अनुरूप आयुक्त नगर पालिक निगम, बीरगांव द्वारा राजीनामा किया गया है। प्राप्त शिकायत के आधार पर वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है। यदि राजीनामा के उपरांत भी अप्राधिकृत निर्माण कराना पाया जाता है, तो विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

### **बालोद जिले में जैविक खेती मिशन अंतर्गत दिया गया अनुदान**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**58. ( क्र. 2327 ) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बालोद में जैविक खेती मिशन का संचालन कब से किया जा रहा है? दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक जैविक खेती हेतु चयनित ग्रामों की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका 'क' की अवधि में चयनित कृषकों को दिए गए अनुदान, सामग्री, उपकरण आदि में व्यय की गई राशि का वर्षवार, मदवार विवरण देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** जिला बालोद में जैविक खेती मिशन का संचालन वर्ष 2014-15 से किया जा रहा है। दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक जैविक खेती हेतु चयनित ग्रामों की वर्षवार, विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नाधीन अवधि में चयनित कृषकों को दिए गए अनुदान, सामग्री, उपकरण आदि में व्यय की गई राशि का वर्षवार, मदवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर" \]](#)

### **जिला बालोद अंतर्गत पैक हाउस एवं शेडनेट हाउस के लिए दिए गए अनुदान**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

**59. ( क्र. 2328 ) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022-23 से दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक उद्यानिकी विभाग द्वारा बालोद जिले के कितने किसानों/स्व सहायता समूहों को उनके द्वारा निर्मित किए गए पैक हाउस एवं शेडनेट हाउस के लिए कितना अनुदान प्रदान किया गया है? अनुदान से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, स्थान एवं लागत की जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका 'क' में निर्मित पैक हाउस तथा शेडनेट हाउस का भौतिक सत्यापन किन के द्वारा किया गया एवं भौतिक सत्यापन में क्या पाया गया? जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :** **(क)** वर्ष 2022-23 से दिनांक 15 फरवरी 2025 तक उद्यानिकी विभाग द्वारा बालोद जिले के 24 किसानों को उनके द्वारा निर्मित किये गये पैक हाउस पर राशि रू. 48.00 लाख तथा 13 किसानों को शेडनेट हाउस के लिये राशि रू. 99.40 कुल रू. 147.40 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है। अनुदान से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, स्थान एवं लागत की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि में लाभान्वित स्व-सहायता समूह की जानकारी निरंक है। **(ख)** कंडिका 'क' में निर्मित पैक हाउस तथा शेडनेट हाउस के भौतिक सत्यापन की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर" \]](#)

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट  
परिशिष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1171) की जानकारी

झोंगराड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में फसल उत्पादन एवं परीक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी

प्रश्न

वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	योजना का नाम	घटक		प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण से संबंधित विषय	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षण का प्रकार (आवासीय/ गैर आवासीय)	प्रशिक्षण में सम्मिलित किसान (राशि रु. संख्या)	प्रशिक्षण में कुल व्यय (राशि रु. संख्या)	
					फार्म स्कूल	फार्म स्कूल							
2021-22	रजनांदगांव	झोंगराड़	रजनांदगांव	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)	राब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	कृषक प्रशिक्षण	उपखारह	बीज ग्राम योजनांतर्गत बीजोत्पादन की प्रक्रिया एवं फसल उत्पादन पर प्रशिक्षण	1	गैर आवासीय	50	15030	
						कृषक प्रशिक्षण	कलेवा	बीज ग्राम योजनांतर्गत बीजोत्पादन की प्रक्रिया एवं फसल उत्पादन पर प्रशिक्षण	1	गैर आवासीय	50	15030	
						कृषक प्रशिक्षण	इरईकला	बीज ग्राम योजनांतर्गत बीजोत्पादन की प्रक्रिया एवं फसल उत्पादन पर प्रशिक्षण	1	गैर आवासीय	50	15030	
						कृषक प्रशिक्षण	बाटगांव	अरहर फसल की उन्नत उत्पादन एवं संरक्षण विषय पर फार्म स्कूल	6	गैर आवासीय	27	13514	
						कृषक प्रशिक्षण	विचका	बीज ग्राम योजनांतर्गत बीजोत्पादन की प्रक्रिया एवं फसल उत्पादन पर प्रशिक्षण	1	गैर आवासीय	50	15000	
						कृषक प्रशिक्षण	घोटिया	बीज ग्राम योजनांतर्गत बीजोत्पादन की प्रक्रिया एवं फसल उत्पादन पर प्रशिक्षण	1	गैर आवासीय	50	15000	
2021-22	रजनांदगांव	झोंगराड़	खैरागढ़	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)	फार्म स्कूल	किसान गोष्ठी	नगागांव बरगांव	एकीकृत पौधक ताल और कीट प्रबंधन तकनीक	1	गैर आवासीय	26	16914	
						किसान गोष्ठी	नगागांव बरगांव	रबी मौसम की फसलों हेतु सामामयिक सलाह	1	गैर आवासीय	60	15000	
2022-23	रजनांदगांव	झोंगराड़	रजनांदगांव	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)	फार्म स्कूल	किसान गोष्ठी	कयारी	फार्म स्कूल प्रशिक्षण सरसों कटार बोनी	6	गैर आवासीय	26	150548	
						कृषक प्रशिक्षण	श्याकदेश	राजौत गांधी किसान न्याय योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं धान के बदले अन्य फसल लगाने हेतु	1	गैर आवासीय	53	15000	
						कृषक प्रशिक्षण	विजेलगा	तिलहन फसलों का फसल उत्पादन और संरक्षण प्राथमिकी	1	गैर आवासीय	30	24000	
						कृषक प्रशिक्षण	सिरसाही	दलहन फसलों की उत्पादन तकनीक	1	गैर आवासीय	14	1500	
									वर्ष 2022-23 योग	10		139	57760

A





क्र.	जिला का नाम	संस्था का नाम/ पता	मृत विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	उम्र	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण	प्रकरण की जाँच रिपोर्ट	दोषी पाये जाने वाले अधीक्षक / कर्मचारी पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>वर्ष 2023-24</b>									
1	काँकरे	विशिष्ट बालक छात्रावास गोविन्दपुर काँकरे	ललित हुर्डा	श्री सामसाय हुर्डा	14 वर्ष	09-11-2023	आत्महत्या	अस्पताल के स्वतः संज्ञान पर मर्ग कायम किया गया थाना द्वारा जाँच किया गया।	प्रमारी अधीक्षक को निलंबित किया गया था।
2	बीजापुर	प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास चेरामंगी	श्री जेवियर कुजूर	श्री ललित कुजूर	13 वर्ष	27/02/2024	फांसी लगाकर आत्महत्या	प्रकरण की जाँच स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया है	प्रकरण में प्रमारी अधीक्षक को निलंबित किया गया।
3	जगदलपुर	पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास दरमा	बैसु पोयाम	श्री सोमडू पोयाम	17 वर्ष	10-05-2023	फांसी लगाकर आत्महत्या	प्रकरण की जाँच स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया है	प्रकरण में प्रमारी अधीक्षक को निलंबित किया गया।
4	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम मर्दापाल	अक्षय कुमार बघेल	श्री गंगाधर बघेल	9 वर्ष	08/02/2023	हाईपर सोमनिया	हाईपर सोमनिया (मस्तिष्क में पानी भरने के कारण)	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक / कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
5	नारायणपुर								निरंक
6	दन्तेवाड़ा								निरंक
7	सुकमा								निरंक
<b>वर्ष 2024-25</b>									
1	नारायणपुर	प्री.मै.बालक छात्रावास सोनपुर	सूरजू राम कुमेटी	श्री संतुराम कुमेटी	14 वर्ष	08-04-2024	मलेरिया से	निरंक	जिला अस्पताल में मलेरिया की इलाज के दौरान छात्र की मृत्यु हुई।
2	बीजापुर	कन्या आश्रम बेदरे	कु. अनिता कुरसम	श्री वैजा कुरसम	7 वर्ष	08-07-2024	उल्टी-दस्त	जाँच में स्वास्थ्य खराब होना बताया गया है।	छात्रावास अधीक्षक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

क्रं.	जिला का नाम	संस्था का नाम/ पता	मृत विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	उम्र	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण	प्रकरण की जाँच रिपोर्ट	दोषी पाये जाने वाले अधीक्षक/ कर्मचारी पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	बीजापुर	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास फरसेगढ़	कुमारी मंजू पोयाम	सोनधन पोयाम	13 वर्ष	29/11/2024	बॉलपंजीवाल से गिर जाने से	जाँच में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया था।	प्रकरण में प्रभारी अधीक्षक को अधीक्षकीय कार्य से पृथक किया गया।
4	बीजापुर	बालक आश्रम एडापल्ली	श्री करनदास कुरसम	श्री रमेश कुरसम	7 वर्ष	16/01/2025	सीने में दर्द सांस लेने में तकलीफ	-	प्रकरण में प्रभारी अधीक्षक को निलंबित किया गया।
5	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम भण्डारसिवनी	गौरव कुमार	श्री तुलसी मण्डावी	7 वर्ष	08-12-2024	सड़क दुर्घटना	एफ.आई.आर. अप.क्र. 85/2024 धारा-281, 125 (ए)106(1) बीएनएस कायम कर प्रकरण विवेचना में है।	उक्त प्रकरण में छात्रावास अधीक्षक की भी मृत्यु हो गई।
6	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम खड़पड़ी	तामेश्वर कोराम	श्री रामचंद्र कोराम	07 वर्ष	10-03-2024	मलेरिया होने के कारण	जाँच रिपोर्ट में मलेरिया पाया गया।	जाँच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/ कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
7	कोण्डागांव	प्री-मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास गोलाबंद	सागर बघेल	श्री दयमन बघेल	17 वर्ष	19/12/2024	उल्टी दस्त होने के कारण	उल्टी दस्त होने के कारण जाँच नहीं कराया गया।	जाँच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
8	कोण्डागांव	प्री-मैट्रिक कन्या बालक छात्रावास उरदाबेड़ा	कु0 ममता	श्री लक्ष्मीनाथ	13 वर्ष	26/12/2024	गृह स्थल में (चक्कर आने के कारण )	ईलाज के दौरान कु. ममता का निधन होने से जाँच नहीं कराया गया।	जाँच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।

क्रं.	जिला का नाम	संस्था का नाम/ पता	मृत विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	उम्र	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण	प्रकरण की जाँच रिपोर्ट	दोषी पाये जाने वाले अधीक्षक / कर्मचारी पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	कोण्डागांव	कन्या आश्रम हंगवा	कु0 जयंती नाग	श्री बारामासी नाग	9 वर्ष	02-11-2025	फुड पायजनिंग	जाँच में फुड पायजनिंग होने के कारण निघन पाया गया।	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक / कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
10	कोण्डागांव	कन्या आश्रम मोहलई	कु0 लक्ष्मी कश्यप	श्री सीताराम कश्यप	9 वर्ष	21/02/2025	बुखार/निमोनिया या	जाँच में बुखार/निमोनिया के कारण पाया गया।	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक / कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
11	सुकमा	बालक आश्रम किस्टाराम	सोडी जोगा	श्री सोडी चिंगा	9 वर्ष	31/07/2024	मलेरिया	जाँच में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया था।	छात्रावास अधीक्षक को भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो के संबंध में चेतावनी दी गई है।
12	सुकमा	कन्या आश्रम कोर्रा	कु.सोडी संध्या	श्री उमेश सोडी	8 वर्ष	14/11/2024	मलेरिया	जाँच में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया था।	कन्या आश्रम कोर्रा की अधीक्षिका को पद से पृथक किया गया है।
13	सुकमा	बालक आश्रम कोयाबकूर	माडवी दुला	श्री नंदा	7 वर्ष	12-04-2024	सिर दर्द के कारण	जांच उपरांत डॉक्टर द्वारा बच्चों को सांस लेने में परेशानी होने का कारण बताया गया	संबंधित अधीक्षक को भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो के संबंध में चेतावनी दी गई है।
14	सुकमा	बालक आश्रम मानकापाल	कुडामी नन्दा	श्री देवा	8 वर्ष	27/01/2025	मलेरिया	प्रकरण की जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	बालक आश्रम मानकापाल के प्रकरण में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्र.	जिला का नाम	संस्था का नाम/ पता	मृत विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	उम्र	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का कारण	प्रकरण की जाँच रिपोर्ट	दोषी पाये जाने वाले अधीक्षक / कर्मचारी पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	बस्तर	कन्या आश्रम कोलावल	कु0 अंजना कश्यप	श्री मंगलराम	10 वर्ष	09-01-2024	स्वास्थ्य खराब होने के कारण	जाँच में स्वास्थ्य खराब होना पाया गया।	अधीक्षिका, कन्या आश्रम कोलावल को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।
16	बस्तर	पोस्ट मेट्रिक बालक छात्रावास बकावण्ड	त्रिनाथ कश्यप	श्री जगुराम कश्यप	17 वर्ष	12-12-2024	स्वास्थ्य खराब होने के कारण	जाँच में स्वास्थ्य खराब होना पाया गया।	छात्रावास अधीक्षक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
17	बस्तर	श्री मेट्रिक कमला नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर	कु0 रविना बघेल	श्री पतिराम बघेल	15 वर्ष	01-06-2025	शीतकालीन अवकाश के दौरान घर में अज्ञात कारण से की गई आत्महत्या	मण्डल संयोजक जगदलपुर का जाँच प्रतिवेदन सलग्न है	जांच में दोष सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक/कर्मचारी पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
18	दन्तेवाड़ा								

निरंक



अनुमान अधिकारी  
आदिम जाति विकास विभाग  
धनबाद, महानदी पटन, गन्धु रायपुर

परिशेष - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 1787) की जानकारी

प्रपत्र-

वर्ष 2020-21 से 10.02.2025 तक हुए विवाह पंजीयन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार

## 1. विकासखण्ड कुसमी

क्र	कार्यालय का नाम	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025 (10.02.2025 तक)	योग
1.	कार्यालय अपर कलेक्टर	0	3	3	0	0	1	7
2.	नगर पंचायत कुसमी	0	2	2	1	8	7	20
3.	जनपद पंचायत कुसमी	0	0	0	0	0	0	0
योग(1)		0	5	5	1	8	8	27

## 2. विकासखण्ड शंकरगढ़

क्र	कार्यालय का नाम	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025 (10.02.2025 तक)	योग
1.	कार्यालय अपर कलेक्टर	0	2	0	2	0	0	4
2.	नगर पंचायत शंकरगढ़	0	0	0	0	0	0	0
3.	जनपद पंचायत शंकरगढ़	0	0	0	0	0	0	0
योग (2)		0	2	0	2	0	0	4

## 3. विकासखण्ड राजपुर

क्र	कार्यालय का नाम	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025 (10.02.2025 तक)	योग
1.	कार्यालय अपर कलेक्टर	0	2	0	0	3	0	5
2.	नगर पंचायत राजपुर	1	2	6	1	5	0	15
3.	जनपद पंचायत राजपुर	2	0	7	1	3	0	13
योग (3)		3	4	13	2	11	0	33

अनुभाग अधिकारी  
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

प्रपत्र-अ

वर्ष 2020-21 से 10.02.2025 तक हुए विवाह पंजीयन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार

## 4. विकासखण्ड बलरामपुर

क्र	कार्यालय का नाम	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025 (10.02.2025 तक)	योग
1.	कार्यालय अपर कलेक्टर	0	1	2	5	3	1	12
2.	नगर पंचायत बलरामपुर	4	11	5	6	13	1	40
3.	जनपद पंचायत बलरामपुर	0	0	0	0	0	0	0
योग(4)		4	12	7	11	16	2	52

## 5. विकासखण्ड रामानुजगंज

क्र	कार्यालय का नाम	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025 (10.02.2025 तक)	योग
1.	कार्यालय अपर कलेक्टर	0	1	3	5	1	0	10
2.	नगर पंचायत रामानुजगंज	5	5	10	15	22	2	59
3.	जनपद पंचायत रामानुजगंज	0	0	0	0	0	0	0
योग(5)		5	6	13	20	23	2	69

## 6. विकासखण्ड वाइफनगर

क्र	कार्यालय का नाम	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025 (10.02.2025 तक)	योग
1.	कार्यालय अपर कलेक्टर	0	8	3	5	5	0	21
2.	नगर पंचायत वाइफनगर	0	0	0	0	2	1	3
3.	जनपद पंचायत वाइफनगर	0	0	0	0	0	0	0
योग (6)		0	8	3	5	7	1	24
महायोग (1+2+3+4+5+6)		12	37	41	41	65	13	209

अनुभाग अधिकारी  
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

## परिशेष - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 2331) की जानकारी

प्रपत्र

मेसर्स एनएमडीसी के उद्योग एवं खदानों द्वारा सम्मति शर्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वर्ष 2021-22 से 15.02.2025 तक की अवधि में की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग/खदान का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1.	मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलड़ीला आयरन और माइन, (डिपॉजिट 05) बचेली कॉम्प्लेक्स, जिला दंतेवाड़ा	28.06.2021	नेरली डेम का स्लूस गेट क्षतिग्रस्त पाया गया। खदान के डिपॉजिट 05 वर्कशॉप का ईटीपी संचालित नहीं पाया गया।	पत्र दिनांक 30.06.2021 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	नोटिस के परिपेक्ष्य में दिनांक 12.08.2021 को खदान का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।
2.	मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, ग्राम- नगरनार, जिला - बस्तर	28.11.2023	निरीक्षण के दौरान उद्योग के गेट नं. 3 के पास स्टॉर्म वाटर आउटलेट से औद्योगिक दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर किया जाना पाया गया।	पत्र दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत नोटिस जारी किया गया।	नोटिस के परिपेक्ष्य में दिनांक 13.12.2023 को उद्योग का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं किया जाना पाया गया एवं समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया। नोटिस जारी दिनांक से समाधानकारक कार्यवाही दिनांक तक की उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 4,50,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मण्डल में जमा किया गया है।
		05.08.2024 09.08.2024	वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया गया, विश्लेषण परिणाम मानकों से अधिक पाये गये।	पत्र दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत नोटिस जारी किया गया।	नोटिस के परिपेक्ष्य में दिनांक 05.09.2024 को उद्योग का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया। वायु गुणवत्ता मापन दिनांक से समाधानकारक कार्यवाही दिनांक तक की उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 9,60,000/- अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मण्डल में जमा किया गया है।

53-  
12-3-24  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर


पारोक्ष - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 2046) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावास/आश्रमों हेतु वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहाय राशि की जिलेवार/विकासखंडवार जानकारी

क.	जिला	शिष्यवृत्ति		भोजन सहाय	
		वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2023	वर्ष 2024
1	बस्तर	194274952.36	123237000.00	20780000.00	25224000.00
2	बिलासपुर	53383267.89	31950000.00	4455000.00	12996000.00
3	धमतरी	23469433.82	15219000.00	2885000.00	4344000.00
4	दुर्ग	6206100.00	3456000.00	3180000.00	12732000.00
5	जांजगीर-चांपा	27527710.33	17163000.00	960000.00	6324000.00
6	जशपुर	134087755.90	86098500.00	17240000.00	21444000.00
7	कबीरघाम	81527879.10	49392000.00	2895000.00	6000000.00
8	कोरबा	110922744.78	69354000.00	7485000.00	8988000.00
9	कोरिया	38936856.90	22653000.00	3070000.00	3468000.00
10	महासमुन्द	73437320.11	43407000.00	4315000.00	6372000.00
11	दंतवाड़ा	144263479.70	84879000.00	20865000.00	22389600.00
12	रायगढ़	74755619.71	47187000.00	12010000.00	15504000.00
13	रायपुर	21321248.07	14076000.00	8310000.00	20637600.00
14	राजनादगांव	22769381.55	13221000.00	4605000.00	7980000.00
15	कांकेर	138301809.89	85611000.00	8170000.00	13152000.00
16	सरगुजा	90524434.30	54981000.00	10080000.00	12108000.00
17	नारायणपुर	108454621.35	67365000.00	3555000.00	4704000.00
18	बीजापुर	223920232.42	131490000.00	10210000.00	7056000.00
19	बलौदाबाजार	41607344.73	25218000.00	3539000.00	9204000.00
20	गरियाबंद	64645246.62	40482000.00	6125000.00	4980000.00
21	मुंगेली	19674114.18	13671000.00	335000.00	6036000.00
22	बेमेतरा	9088791.74	5445000.00	340000.00	2988000.00
23	बालोद	47411323.53	28071000.00	5800000.00	7152000.00
24	कोण्डागांव	115377398.13	67536000.00	10290000.00	10944000.00
25	सुकमा	161930921.70	98190000.00	13380000.00	9468000.00
26	सूरजपुर	76849476.71	46935000.00	7520000.00	8400000.00
27	बलरामपुर	113748579.09	67644000.00	10400000.00	10320000.00
28	गौरेला पेण्ड्रा	54804800.00	31221000.00	5345000.00	4860000.00
29	खैरागढ़ छुईखदान	12034939.64	6939000.00	2665000.00	3696000.00
30	मनेन्द्रगढ़	40648902.91	22662000.00	5830000.00	3372000.00
31	मोहला मानपुर	47058887.99	29799000.00	5395000.00	5400000.00
32	सक्ती	35679124.76	21807000.00	500000.00	2604000.00
33	सारंगढ़ बिलाईगढ़	51608520.04	31050000.00	1255000.00	4128000.00
	योग	2460253219.95	1497409500.00	223789000.00	304975200.00

  
 अनुभाग अधिकारी  
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
 मंडलिय, नवा रायपुर, अटल नगर



क्र.	जिला	विकास खंड	वर्ष 2023 में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या				वर्ष 2024 में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या			
			पहाडी कोरवा	बैगा	कमार	अन्य संरक्षित जनजाति	पहाडी कोरवा	बैगा	कमार	अन्य संरक्षित जनजाति
8	महासमुन्द	महासमुन्द	0	0	8	0	0	17	0	0
		बागबाहरा	0	0	10	0	0	11	0	1
		पिथौरा	0	0	36	0	0	63	0	2
		बगीचा	640	0	0	0	924	0	0	0
9	जशपुर	कुगकुशी	17	0	0	0	19	0	0	0
		पत्थलगांव	0	0	0	0	2	0	0	0
		जशपुर	116	0	0	4	132	0	0	5
		धरमजयगढ़	104	0	0	66	107	0	0	63
10	रायगढ़	तमनार	0	0	0	4	0	0	0	4
		लौंगा	14	0	0	0	14	0	0	0
		कसडोल	0	0	6	0	0	13	0	0
		गौरैला	0	363	0	0	0	410	0	0
11	बलौदाबाजार	नारायणपुर	0	0	0	68	0	0	0	163
		ओरछा	0	0	0	1260	0	0	0	1577
		अम्बिकापुर	24	0	0	36	19	0	0	36
		लखनपुर	17	0	0	57	12	0	0	76
12	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही	उदयपुर	32	0	0	20	31	0	0	34
		बतौली	112	0	0	39	114	0	0	42
		मैनपाट	62	0	0	0	78	0	0	0
		सीतापुर	38	0	0	0	38	0	0	0
13	नारायणपुर	लुण्ड्रा	218	0	0	21	214	0	0	18
		खड़गांव	0	13	0	0	0	13	0	0
		भरतपुर	0	223	0	0	0	211	0	0
		मनेन्द्रगढ़	0	6	0	4	0	4	0	7
14	सरगुजा	गरियाबंद	0	0	219	81	0	238	0	63
		छुरा	0	0	111	17	0	92	0	39
		मैनपुर	0	0	185	43	0	218	0	54
		फिरोश्वर	0	0	7	0	0	12	0	0

क्र.	जिला	विकास खंड	वर्ष 2023 में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या			वर्ष 2024 में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या				
			पहाड़ी कोरवा	बैगा	कमार	अन्य संरक्षित जनजाति	पहाड़ी कोरवा	बैगा	कमार	अन्य संरक्षित जनजाति
17	खैरागढ़	खैरागढ़	0	0	0	0	3	0	0	
		छुईखदान	0	94	0	0	83	0	0	
		बिल्हा	0	44	0	0	47	0	0	
18	बिलासपुर	कोटा	0	134	0	0	138	0	0	
		रामचन्द्रपुर	0	0	0	276	0	0	251	
		बलरामपुर	59	0	0	0	0	0	1	
19	बलरामपुर	वाङ्गफनगर	0	0	0	127	0	0	163	
		शंकरगढ़	335	0	0	1	0	0	0	
		कुसमी	303	0	0	0	0	0	0	
20	जांजगीर-बापा	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	सक्ती	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	दंतेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	बस्तर	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	दुर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	बालोद	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	कोण्डागांव	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	राजनांदगांव	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	सारंगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	बेमतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	मोहला मानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग		2109	1390	678	2609	2415	1440	768	3189



अनुभाग अधिकारी  
 श्री.जी. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
 भंडारखण्ड, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 989) की जानकारी

प्रपत्र-अ

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अंतर्गत संघालित महाविद्यालय एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की अद्यतन स्थिति

क्र.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय संघालित स्थल का नाम	भवन	अध्ययनरत छात्रों की संख्या जनवरी-2025 की स्थिति
1	पं. किशोरी लाल शुक्ल उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, राजनौरगांव	पेण्ड्री राजनौरगांव	स्वयं	637
2	क्रांतिकारी डेबरीश्वर उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर	धरमपुरा, जगदलपुर	स्वयं	530
3	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, अर्जुन्दा बालोद	प्राथमिक शाला भवन अर्जुन्दा	-	141
4	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, धमतरी	स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन चर्रा कुरुद	-	142
5	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, साजा बेमतरा	बीज अनुप्रमाणिक केन्द्र मोहागांव, साजा	-	207
6	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुनकुरी जशपुर	आई.टी.आई. भवन सत्याटोली कुनकुरी	-	137
7	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, सांकरा-पाटन	प्राथमिक शाला भवन सांकरा	-	336
8	महंत ब्रिसाहू दास उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, गौरला-पेण्ड्री-भरवाही	बीट.सी.सी. कृषि महाविद्यालय विलासपुर	-	131
9	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कोतवा, जशपुर	नगर पंचायत कैम्पस, बस स्टैंड के पास कोतवा	-	73
10	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, सीतापुर, सरगुजा	आई.टी.आई. भवन सत्याटोली कुनकुरी	-	111
11	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, चिरमिरी, कोरिया	यात्री प्रतिश्ठालय, पोड़ी चिरमिरी	-	86
12	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रामानुजगज बलरामपुर	शास. पॉलिटेक्निक कोलेज आरगाही रामानुजगज	-	61
13	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, चपका, सोनारपाल बस्तर	क्रा.ड. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र जगदलपुर	-	115
14	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, हथनी बिलासपुर	हथनी आई.टी.आई. भवन	-	106
15	वानिकी महाविद्यालय सांकरा-पाटन	प्राथमिक शाला भवन सांकरा	-	254
<b>निजी महाविद्यालय</b>				
1	दत्तेश्वरी उद्यानिकी महाविद्यालय रायपुर	मनोपवार अस्पताल के पास, माना बस्ती, रायपुर	स्वयं	58
2	गायत्री उद्यानिकी महाविद्यालय धमतरी	गोकुलपुर रुद्री रोड धमतरी	स्वयं	27
3	कै.एल. उद्यानिकी महाविद्यालय धमतरी	गुण्डरदेही रोड, पोटियाडीह धमतरी	स्वयं	67
4	रानी दुर्गावती उद्यानिकी महाविद्यालय मैडुका, पेण्ड्री रोड	मैडुका, पेण्ड्री रोड	स्वयं	37
<b>कुल योग -</b>			-	<b>3256</b>

(विकास विभाग)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे/रिक्त पदों की जानकारी

प्रपत्र-ब

क्र.	पदनाम	पं. किशोरी लाल शुक्ला उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, राजनींदगांव				क्रांतिकारी डेवरीधूर उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर			
		स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	अधिष्ठाता	1	0	1	1	0	1	1	
2	प्राध्यापक	3	0	3	-	-	-	-	
3	सह-प्राध्यापक	2	0	2	2	0	2		
4	सहायक प्राध्यापक	19	7	12	13	4	9		
5	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1	1	0	1		
6	सेक्शन ऑफिसर	1	0	1	1	0	1		
7	सहायक ग्रेड-1	1	0	1	1	0	1		
8	सहायक ग्रेड-2	1	0	1	1	1	0		
9	सहायक ग्रेड-3	2	1	1	2	0	2		
10	क्षेत्र विस्तार अधिकारी	7	0	7	7	0	7		
11	कम्प्यूटर आपरेटर	2	2	0	2	2	0		
12	जटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	0	2	2	1	1		
13	प्रयोगशाला तकनीशियन-2	11	0	11	8	0	8		
14	प्रयोगशाला परिचारक	8	0	8	8	0	8		
15	इलेक्ट्रिशियन	1	1	0	1	0	1		
16	प्लम्बर	1	1	0	1	0	1		
17	मैट्रन	1	0	1	1	0	1		
18	प्रक्षेत्र सहायक	3	0	3	-	-	-		
19	ड्राईवर	2	2	0	2	0	2		
20	बुक कीपर	1	0	1	1	0	1		
21	पुस्तक/स्वीपर/चौकीदार	15	0	15	15	1	14		
22	माली	2	0	2	2	0	2		
	योग	87	14	73	72	9	63		

क्र.	पदनाम	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, अर्जुन्दा बालोद			उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, धमतरी			उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, साजा बेमतरा			
		स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	
1	अधिष्ठाता	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
2	सह-प्राध्यापक	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
3	सहायक प्राध्यापक	13	5	8	13	7	6	13	5	8	
4	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
5	सेक्शन ऑफिसर	1	0	1	1	1	0	1	0	1	
6	सहायक ग्रेड-1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
7	सहायक ग्रेड-2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
8	क्षेत्र विस्तार अधिकारी	7	0	7	7	0	7	7	0	7	
9	प्रयोगशाला तकनीशियन	8	0	8	8	0	8	8	1	7	
10	सहायक ग्रेड-3	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
11	वाहन चालक	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
12	भृत्य	3	0	3	3	0	3	3	0	3	
	योग	41	5	36	41	8	33	41	6	35	

क्र.	पदनाम	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुनकुरी जशपुर			उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, सांकरा-पाटन			महत बिसाहू दास उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, गारेला-पेण्ड्रा-मरवाही		
		स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	अधिष्ठाता	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	सह-प्राध्यापक	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	सहायक प्राध्यापक	13	4	9	13	8	5	13	4	9
4	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	सेक्शन ऑफिसर	1	0	1	1	1	0	1	0	1
6	सहायक ग्रेड-1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7	सहायक ग्रेड-2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
8	क्षेत्र विस्तार अधिकारी	7	0	7	7	0	7	7	0	7
9	प्रयोगशाला तकनीशियन	8	0	8	8	0	8	8	0	8
10	सहायक ग्रेड-3	2	0	2	2	0	2	2	0	2
11	वाहन चालक	1	0	1	1	0	1	1	0	1
12	भृत्य	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	योग	41	4	37	41	9	32	41	4	37

क्र.	पदनाम	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रामानुजगंज-बलरामपुर				उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, चंपका सोनारपाल बस्तर				उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, हथनी बिलासपुर			
		स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या			
1	अधिष्ठाता	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
2	सह-प्राध्यापक	2	0	2	2	0	2	2	0	2			
3	सहायक प्राध्यापक	13	1	12	13	1	12	13	1	12			
4	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
5	सेक्शन ऑफिसर	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
6	सहायक ग्रेड-1	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
7	सहायक ग्रेड-2	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
8	क्षेत्र विस्तार अधिकारी	7	0	7	7	0	7	7	0	7			
9	प्रयोगशाला तकनीशियन	8	0	8	8	0	8	8	0	8			
10	सहायक ग्रेड-3	2	0	2	2	0	2	2	0	2			
11	वाहन चालक	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
12	गृह्य	3	0	3	3	0	3	3	0	3			
	<b>योग</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>40</b>			



क्र.	पदनाम	दत्तेश्वरी उद्यानिकी महाविद्यालय, रायपुर			के.एल. उद्यानिकी महाविद्यालय, धमतरी			गायत्री उद्यानिकी महाविद्यालय, धमतरी			रानी दुर्गावती, उद्यानिकी महाविद्यालय, मेहुका पेण्ड्रा रोड		
		आवश्यक पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	आवश्यक पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	आवश्यक पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
2	सहायक प्राध्यापक	15	5	10	15	10	5	15	12	3	15	4	11
3	सहायक प्राध्यापक कान्हेरुखल / पार्ट टाइम टीचर	4	0	4	4	4	0	4	2	2	4	0	4
4	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
5	फॉर्म मैनेजर	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
6	एकाउंट ऑफिसर	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
7	स्टार कीपर	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
8	बस/जीप/ट्रैक्टर चालक	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2
9	लेब अट-चेट/लेब टेक्निशियन	6	2	4	6	3	3	6	6	0	6	0	6
10	कम्प्यूटर आपरेटर/एन.डी.सी.	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	3	-1
11	फॉर्म/गार्डन/वर्कशाप सुपरिन्टेंडेंट	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
12	एग्रीकल्चर असिस्टेंट	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
13	फिल्ड असिस्टेंट	2	0	2	2	1	1	2	2	0	2	0	2
14	इलेक्ट्रीशियन	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
15	पूला	2	1	1	2	2	0	2	2	0	2	0	2
16	स्वीपर	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2
17	वाचमेन	3	1	2	3	2	1	3	2	1	3	0	3
18	मैकेनिक	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
19	माली	1	1	0	1	1	0	1	2	-1	1	0	1
	योग	48	12	36	48	34	14	48	42	6	48	9	39

(विकास विभाग)  
उप सचिव

उत्कृष्टीकरण श्रमण  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
भंडालय, नवा रायपुर, अदल नगर

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालोद द्वारा अनुमति दी गई है, उक्त स्थलों की जानकारी

क्र.	भू-स्वामी	स्थान	खसरा न.	रकबा (हे.)	शासकीय/ निजी स्थान
1	2	3	4	5	6
<b>वित्तीय वर्ष 2022-23</b>					
1	टिकेन्द्र	ग्राम गिधाली तहसील डौण्डी	116	0.3800	निजी
2	सन्मति एजुकेशन सोसायटी डौण्डीलोहरा	ग्राम कामता विकासखंड डौण्डी	317/1, 317/2	0.3000, 0.2500	निजी
3	कोमलचंद पिता राजमल	ग्राम अंडी डौंडी लोहरा तहसील	639/2 638/1	0.24 0.31	निजी
4	कमलेश कुमार पिता फूलचंद जैन	ग्राम अंडी डौंडी लोहरा तहसील डौंडी लोहरा	90/2 250	0.49 0.38	निजी
5	खिलेन्द्र पिता इंद्रावन सिंह	टिकरापारा डौंडी लोहरा तहसील डौंडी लोहरा	16	1.040	निजी
6	दीपक पिता हजारीमल जैन	पुराना बसस्टैंड डौंडी लोहरा तहसील डौंडी लोहरा	1380/1	0.3340	निजी
7	हजारीमल पिता बस्तीमल जैन	पुराना बसस्टैंड डौंडी लोहरा तहसील डौंडी लोहरा	31/3	0.11	निजी
8	श्री शंभू राम	ग्राम बैहाकुंआ तहसील डौण्डीलोहरा	434/1, 434/4	0.70, 0.19	निजी
9	श्री दीनदयाल	ग्राम बैहाकुंआ तहसील डौण्डीलोहरा	434/2, 434/4	0.71, 0.19	निजी
10	श्री दयाराम साहू	ग्राम कामता तहसील डौण्डीलोहरा	125/1	0.41	निजी
11	श्री टिकेश्वर सोनकर	ग्राम गोदूलमुंडा तहसील डौण्डी	25/2	0.21	निजी
12	श्रीमती पूर्णिमा देवी	ग्राम कुसुमकसा तहसील डौण्डी	352/4	0.02	निजी
13	श्री अघनी बाई	ग्राम कुसुमकसा तहसील डौण्डी	746/1	1.335	निजी

14	श्री जनक लाल	ग्राम कुसुमकसा तहसील डौण्डी	805	1.82	निजी
15	श्री चोमन लाल कोरेटी	ग्राम बिटाल तहसील डौण्डी	198/3	0.14	निजी
16	श्री बिरेन्द्र कुमार डडसेना	ग्राम कुसुमकसा तहसील डौण्डी	30/1, 75, 87	0.66, 0.61, 0.95	निजी
17	श्री धरमचंद सोनी	ग्राम गोदुलमुडा तहसील डौण्डी	8/9	0.02	निजी
18	श्री नारद राम गोंड	ग्राम बिटाल चिखलाकसा तहसील डौण्डी	362/2	0.33	निजी
19	श्री भुवनेश्वर	ग्राम भरदा तहसील डौण्डी लोहरा	1486/1, 1486/2, 1486/3	0.13, 0.18, 0.10	निजी
20	श्री प्रेमचंद जैन	ग्राम कारूटोला चिखलाकसा तहसील डौण्डी	202, 203/2	0.07, 0.46	निजी
21	श्री दीपक अग्रवाल	ग्राम चिल्हाटीखुर्द तहसील डौण्डी	266/9	0.25	निजी

**वित्तीय वर्ष 2023-24**


1	राम्हीन जोजे	डौंडीलोहारा, तहसील डौण्डीलोहरा	9, 15/7	2.62, 0.03	निजी
2	ताराचंद	डौंडीलोहारा, तहसील डौंडीलोहरा	423	0.40	निजी
3	रामदास उपाध्याय	ग्राम-दल्लीराजहरा, चिखलाकसा, तह0 डौंडी,	013/2	0.8	निजी
4	श्रीमती सुशीला देवी जोजे	ग्राम- धुरूवाटोला, तह0 डौण्डी,	358/1	0.37	निजी
5	श्रीमती सुशीला देवी जोजे	ग्राम-नरटोला, तह0 डौण्डी,	294/3	0.40	निजी
6	श्रीमती सुमित्रा देवी जैन जोजे	ग्राम गोदुलमुंडा तहसील डौण्डी	25/5	0.42	निजी
7	कुश कुमार	ग्राम-आवराटोला, तह0 डौण्डी,	67/2	0.32	निजी
8	कोमल सिंह	ग्राम-आवराटोला, तह0 डौण्डी,	67/1	0.32	निजी
9	दीपक मित्तल जैन	ग्राम- चिखलाकसा, तह. डौण्डी	463	0.35	निजी
10	प्रहलाद जैन	ग्राम - नरटोला, तह. डौण्डी जिला- बालोद, छ.ग.	25, 276/2	0.16/0.70	निजी
11	श्रीमति भंवरीदेवी सोनी	ग्राम चिखलाकसा दल्लीराजहरा तह. डौंडी बालोद(छ.ग.)	1418	2.06	निजी
12	श्रीमति रूखमणी बाई	ग्राम वार्ड न. 12 चिखलाकसा, दल्लीराजहरा, तह. डौंडी	601/1	1.00	निजी
13	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	ग्राम गैजी डौंडीलोहारा ग्राम गैजी डौंडीलोहारा	239	1.65	शासकीय
14	आशुतोष माथुर पिता एस. आर. माथुर	ग्राम खमारटोला तह. डौंडी	6/3	0.96	निजी

15	किशन कुमार पटेल	डोंडीलोहारा तह. डोंडीलोहारा	32/1	0.04	निजी
16	नसीब पिता भागीराम	ग्राम कुसुमकसा तह. डोंडी	235/9 210/10	0.0200 0.0243	निजी
17	नगर पंचायत चिखलाकसा	तह. डोंडी चिखलाकसा तह. डोंडी	475	0.55	शासकीय
18	किरण जैन पिता मनोज जैन	ग्राम जमही कुसुमकसा तह. डोंडी	133/1	1.42	निजी
19	चंदाबाई पति सुभाषजैन	ग्राम जमही कुसुमकसा तह. डोंडी	133/2	1.42	निजी
20	एनुका सारवा पिता सियाराम सारवा	ग्राम कामता तहसील डोंडीलोहारा	143/6	0.04	निजी
21	तराचंद पिता फूसालाल	ग्राम व तहसील डोंडीलोहारा	423	0.40	निजी
22	कुशकुमार पिता रंजीत	ग्राम आवारटोला तह. डोंडी	67/2	0.32	निजी
23	कोमल सिंह	ग्राम आवारटोला तह. डोंडी	67/1	0.32	निजी
24	म.प्र.शा.आ.जाति कल्याण वि.शा.उ.म., शा. सहगाँव स्वामित्व शासकीय भूमि जिला बालोद(छ.ग.)	म.प्र.शा.आ.जाति कल्याण वि.शा.उ.म., शा. सहगाँव स्वामित्व शासकीय भूमि	566/2	0.30	शासकीय

## वित्तीय वर्ष 2024-25

1	श्रीमान् मनीष कुमार जैन,	ग्राम-चिखलाकसा, तह0 डौण्डी,	573	1.75	निजी
2	श्री विक्की कुमार तोलानी,	ग्राम-खम्हारटोला,	1/8, 6/11	0.05, 0.43	निजी
3	श्रीमती रधिया बाई,	ग्राम-बटेरा, डौण्डी लोहारा,	427/1	0.38	निजी
4	श्रीमति कामयानी ठाकुर	ग्राम- कामता तह0 डौण्डी लौहारा	116/3, 117,144/1	0.04, 0.16, 0.01	निजी
5	श्री मुकेश कुमार सिन्हा,	ग्राम-डौण्डी लोहारा,	237/2	0.26	निजी
6	श्रीमान् शोभा राम, ग्राम-डौण्डी लोहारा	तह0 डौण्डी लौहारा	722/1	0.0197	निजी
7	श्रीमति कामयानी ठाकुर	ग्राम डौण्डी लौहारा तह0 डौण्डी लौहारा	713/7, 713/8,	0.09, 0.08	निजी
8	श्री दयालू राम, ग्राम-डौण्डी लोहारा	तह0 डौण्डी लौहारा	654/6	0.08	निजी
9	श्रीमान् प्रकाश भंसाली, ग्राम-डौण्डी लोहारा	तह0 डौण्डी लौहारा	946/2	0.33	निजी
10	श्रीमान् संदीप कुमार जैन, ग्राम-डौण्डी लोहारा	तह0 डौण्डी लौहारा	50/9	0.20	निजी
11	श्रीमान् खिलेशवर	ग्राम-अंडी, तहसील डौण्डी लोहारा,	955/10	0.38	निजी
12	श्रीमान् शैलेन्द्र,	ग्राम-अंडी, तहसील डौण्डी लोहारा,	98, 100/1, 104/1, 104/2	0.620, 0.320, 0.420, 0.200	निजी
13	श्रीमान् प्रकाश भंसाली,	ग्राम-डौण्डी लोहारा, तहसील डौण्डी लोहारा,	675/1, 676, 679, 647/1	0.26, 0.10, 0.16, 0.018	निजी
14	श्रीमान् गजेन्द्र ठाकुर,	ग्राम-सम्बलपुर, तहसील डौण्डी लोहारा,	51/1	1.15	निजी

15	श्री धनन्जय रावटे,	ग्राम-सम्बलपुर, तहसील डौण्डी लोहारा,	36/6, 36/7	0.060, 0.020	निजी
16	श्रीमान् रमेश जायसवाल,	ग्राम-खम्हारटोला, तहसील डौण्डी लोहारा,	6/4, 1/6	0.37, 0.11	निजी
17	श्रीमान् रमेश जायसवाल,	ग्राम-खम्हारटोला, तह0 डौण्डी,	4/8,	0.75	निजी
18	श्रीमती मन्जु तोलानी,	ग्राम-खैरवाही, तहसील डौण्डीलोहारा	327/4	0.33	निजी
19	श्रीमती संगीता कुम्हार,	ग्राम-चिखलाकसा, तह0 डौण्डी,	76, 77/1, 189/2, 189/5, 189/6, 189/12, 189/14, 190/1, 212/2, 212/5, 216/5, 216/10 (कुल खसरा 12)	0.03, 0.09, 0.50, 0.24, 0.14, 0.08, 0.05, 1.05, 0.80, 0.19, 0.30, 0.19 (कुल रकबा 3.66 हे.)	निजी
20	श्रीमती चन्द्रशीला जायसवाल	ग्राम-चिखलाकसा, तह0 डौण्डी,	189/1, 189/8	0.25, 0.30	निजी
21	श्री कोमल सिंह धुर्वे,	ग्राम-बिटाल, तह0 डौण्डी,	177/1	0.3200	निजी
22	श्री परविन्दर सिंह छतवाल एवं श्रीमती सरनजीत कोर	ग्राम-कुसुमकसा, तह0 डौण्डी,	349/14, 349/6	0.14, 0.09	निजी
23	श्री जोसफ के.ए. एवं श्रीमती रीना जोसफ,	ग्राम-कुसुमकसा, तह0 डौण्डी	349/15, 349/19, 349/17, 349/18	0.10, 0.43, 0.11, 0.09	निजी
24	श्री रोमन लाल, वार्ड	ग्राम-गुजरा, तह0 डौण्डी,	583/3	0.1000	निजी
25	श्री देवी राम,	ग्राम-गुजरा, तह0 डौण्डी,	583/1	0.1300	निजी
26	श्री शरीफ खान,	ग्राम-गुजरा, तह0 डौण्डी,	584	0.0700	निजी
27	श्री गणेश रामटेके	ग्राम संबलपुर तहसील डौण्डीलोहारा	33	0.38	निजी
28	श्रीमती नीलिमा सिंह/लाल निवेन्द्र सिंह टेकाम	ग्राम-सिवनी, तह0 डौण्डीलोहारा,	01	0.34	निजी
29	श्रीमती नीलिमा/लाल निवेन्द्र सिंह टेकाम	ग्राम-बटेरा, तह0 डौण्डीलोहारा,	07	0.22	निजी
30	श्री दुखुराम	ग्राम-दैहान, तह0 बालोद,	541	0.820	निजी

  
 अतिरिक्त सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग,  
 मंत्रालय, रायपुर


वेस्ट मटेरियल परिवहन/ डंप करने के सम्बन्ध में 02 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन पर की गयी कार्यवाही का विवरण

क्र.	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का विवरण	की गयी कार्यवाही
1.	15.05.2024	श्री टिकेन्द्र कुमार साहू, उपसरपंच ग्रा.पं. गिधाली	मेसर्स निको मार्निंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड ग्राम गिधाली, तहसील-डौण्डी, जिला - बालोद द्वारा गांव की शासकीय भूमि पर कब्जा कर तथा अन्य गांव में अवैध तरीके से अयस्क के अनुपयोगी डस्ट को एकत्र किया जाता है जो कि हर साल बारिश में ये डस्ट बहकर किसानों के खेतों में जाता है एवं अन्य के संबंध में।	प्राप्त शिकायत के संबंध में जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर संयुक्त दल द्वारा जाँच की कार्यवाही की जा रही है, जो कि प्रक्रियाधीन है।
2.	04.04.2024 परिवहन अधिकारी (आरटीओ) (परिवहन विभाग जिला बालोद में प्राप्त)	श्री टिकेन्द्र कुमार साहू, महामंत्री, भा.ज.पा. मंडल डौण्डी, उपसरपंच ग्रा.पं. पंचायत गिधाली	मेसर्स निको मार्निंग कम्पनी ग्राम गिधाली के द्वारा 10 चक्का एवं 12 चक्का भार साधक गाड़ियों में अधिक लोड होने के कारण गाड़ी में 30 से 45 टन तक लेकर परिवहन किये जाने जिससे अधिक लोड होने के कारण गाड़ियां खराब होकर जगह-जगह खड़े रहने से होने वाले रोड एक्सिडेंट तथा मेसर्स निको मार्निंग कम्पनी के पास मुख्य सड़क के दोनों ओर गाड़ी खड़े रहने से आने-जाने में होने वाली भारी कठिनाई के संबंध में।	कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, जिला-बालोद से प्राप्त जानकारी दिनांक 07.03.2025 अनुसार परिवहन कार्यालय द्वारा परिवहन उड़न दस्ता दुर्ग को उक्त शिकायत के संबंध में जांच करवाई गई थी। कार्यालय परिवहन उड़न दस्ता दुर्ग द्वारा मेसर्स निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से कोई भी वाहन ओवरलोड चलते नहीं पाये जाने एवं कम्पनी के डिस्पोज पंजी तथा वे-ब्रिज संबंधी रिकार्ड चेक करने पर ओवरलोड नहीं होना पाया गया व मैनेजर द्वारा बताया गया कि यहाँ से ओवरलोड माल नहीं दिया जाता है और यहाँ से जो वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ प्रदाय किया जाता है उन्हें कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बालोद द्वारा चिन्हित स्थलों पर भेजा जाता है।

15/05/25  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

## विशेष भुगतान की श्रेणी में आने वाले कार्यों/मदों की सूची


स.क्र.	मद	विवरण
1	जीएसटी टीडीएस कटौती	संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विभिन्न निविदा भुगतान पर जीएसटी (टीडीएस) GSTN पोर्टल पर जमा किया जाना
2	मजदूरी सेस	छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक वेल्फेयर बोर्ड के लिये मजदूरी सेस का भुगतान, श्रम विभाग
3	खनन रॉयल्टी	निविदाकारों/वेण्डरों को किये गये भुगतान में से काटे गये प्राप्तियों को जमा नहीं किये जाने की स्थिति में खनन विभाग को रॉयल्टी टैक्स का भुगतान
4	भूमि अधिग्रहण	विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिये
5	दूरभाष देयक	मासिक दूरभाष देयक का भुगतान
6	अनुभाग द्वारा नकद आहरण	Petty cash expense के लिये कार्यपालन अभियंता के नाम से जारी सेल्फ चेक चालान के माध्यम से संबंधित मद में जमा
7	सेल्फ चेक के माध्यम से उप अनुविभाग द्वारा भुगतान	(अ) व्यक्तिगत इन्श्योरेंस के लिये भुगतान। (ब) हैंड रिसिट के लिये भुगतान। (स) अस्थायी अग्रिम भुगतान। (द) स्थायी अग्रिम भुगतान। (ई) मास्टर रोल भुगतान। (ट) ₹1000 से कम के आवश्यक भुगतान। (ठ) मजदूरों को बैरिकेडिंग कार्य के लिये भुगतान। (ड) चालान के माध्यम से विभाग के मद में उपयोग करने वाले अथवा विभाग द्वारा विश्राम भवन किराया जमा करने के लिये जारी किये गये सेल्फ चेक

  
 चंदन कुमार  
 विशेष सौचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 वित्त विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 तक जिला बिलासपुर अंतर्गत संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में भोजन सहाय मद में जारी की गई राशि की जानकारी

(राशि लाखों में)

क्र.	छात्रावास का नाम	प्रथम किश्त दिनांक (03 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर)	द्वितीय किश्त दिनांक (03 माह अक्टूबर, नवंबर, दिसम्बर)
		15-10-2024	04-12-2024
1	2	3	4
1	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोटा	1.296	1.08
2	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मस्तूरी	1.80	1.512
3	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी	3.60	1.08
4	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाटा बिलासपुर	5.04	5.04
5	पोस्ट मैट्रिक पी.जी. आदिवासी बालक छात्रावास जरहाभाटा बिलासपुर	0.864	0.648
6	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास जरहाभाटा बिलासपुर	4.32	4.32
7	पोस्ट मैट्रिक स्नातकोत्तर आदिवासी कन्या छात्रावास पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र साईंस कॉलेज सीपतरोड बिलासपुर	1.80	1.80
8	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सीपतरोड बिलासपुर	4.86	4.788
9	पोस्ट मैट्रिक स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खमतराई बिलासपुर	1.80	1.08
10	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जी.डी.सी.कॉलेज के पास बिलासपुर	2.52	3.24
11	पोस्ट मैट्रिक पी.जी. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बृहस्पतिबाजार बिलासपुर	1.332	2.124
12	पोस्ट मैट्रिक कर्मचारी पुत्र छात्रावास राजकिशोर नगर बिलासपुर	0.576	0
13	पोस्ट मैट्रिक कर्मचारी पुत्री छात्रावास साईंस कॉलेज के पास सीपतरोड बिलासपुर	1.44	0
14	पो.मै.नवीन पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास राजकिशोर नगर बिलासपुर	1.44	0.576
15	पो.मै.पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास गौरवपथ बिलासपुर	1.368	1.728
16	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बिल्हा	1.80	1.80
17	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिल्हा	1.88	1.88
18	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तखतपुर	3.60	2.52
19	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तखतपुर	1.80	1.80
	<b>योग :-</b>	<b>43.136</b>	<b>37.016</b>



अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
संज्ञालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशेष - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2294) को जानकारों

## प्रपत्र-अ

(वर्ष 2024-25 में स्टेट जीएसटी टीम द्वारा ई-वे बिल जांच की कुल कितनी कार्यवाही की गई ? कितनी पेनाल्टी किन-किन अधिकारियों द्वारा वसूली गई ? )

कुल 63 अधिकारियों द्वारा 2077 वाहनों पर 31 करोड़ 17 लाख 64 हजार शास्ति लगाई गई

(राशि लाख में)

क्रं.	जांचकर्ता अधिकारी का नाम	वाहनों की संख्या	लगाई गई टैक्स वसूली / पैनाल्टी शास्ति की राशि
1	श्री आभास सिंह ठाकुर, सहायक आयुक्त	13	25.11
2	सुश्री अहिल्या मिश्रा, सहायक आयुक्त	3	2.19
3	श्री आलोक जायसवाल, उपायुक्त	4	2.31
4	श्री आलोक कुमार सिंह, उपायुक्त	4	2.07
5	श्री आनंद डोगरें सहायक आयुक्त	75	169.45
6	श्रीमती अंजु कुमार, उपायुक्त	5	3.63
7	श्री आशीष कुमार मंडावी, सहायक आयुक्त	28	32.68
8	श्री आशुतोष भोई, सहायक आयुक्त	62	58.58
9	श्रीमती भावना अली, सहायक आयुक्त	10	12.52
10	श्री भुपेन्द्र गोटी, सहायक आयुक्त	81	66.66
11	श्री सी. खलखो, सहायक आयुक्त	37	47.66
12	सश्री सीसीलिया कुजुर, सहायक आयुक्त	1	0.50
13	सुश्री दिप्ति तिवारी, सहायक आयुक्त	16	10.50
14	श्री दुर्गेश पाण्डेय, सहायक आयुक्त	17	13.21
15	श्री हर्षित मिश्रा, सहायक आयुक्त	9	5.31
16	श्री जितेश कुमार, सहायक आयुक्त	74	149.91
17	श्रीमती जोसिता मिंज, उपायुक्त	1	0.53
18	श्रीमती कल्पना साहू, सहायक आयुक्त	17	12.67
19	श्रीमती कांती पिंरदा, सहायक आयुक्त	33	11.85
20	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त	13	7.88
21	श्री एम.एल. निर्मलकर, सहायक आयुक्त	3	3.55
22	श्री मदन बड़ा, सहायक आयुक्त	110	202.01
23	श्री मंगेश कारेकर, उपायुक्त	36	20.69
24	श्रीमती मीना मिश्रा, सहायक आयुक्त	7	1.75
25	श्री एम.पी.एस तिवारी, उपायुक्त	2	5.90
26	श्री मुकेश त्यागी, उपायुक्त	1	0.39
27	श्री नरेन्द्र गोस्वामी, राज्य कर अधिकारी	135	230.32
28	श्री नरेश हुर्रा, राज्य कर अधिकारी	4	5.76
29	श्री नवदीपक साहू, सहायक आयुक्त	10	11.01
30	श्रीमती नीलमणि टोपों, सहायक आयुक्त	1	0.45
31	श्रीमती नीता दीवान, सहायक आयुक्त	8	8.42

क्रं.	जांचकर्ता अधिकारी का नाम	वाहनों की संख्या	लगाई गई टैक्स वसूली / पैनाल्टी शास्ति की राशि
32	श्री नितिन गर्ग, उपायुक्त	18	15.46
33	श्री नूरेन्द्र पटेल, सहायक आयुक्त	6	84.77
34	श्री पंकज श्रीरंगें, राज्य कर अधिकारी	59	34.98
35	श्री पारितोष इन्द्रगुरु, सहायक आयुक्त	61	53.29
36	श्री प्रकाश गुप्ता, सहायक आयुक्त	34	65.02
37	श्री प्रशांत कोमिया, सहायक आयुक्त	21	22.75
38	सुश्री पूर्वा गुप्ते, सहायक आयुक्त	3	9.29
39	सुश्री रागिनी सिंह, सहायक आयुक्त	3	1.12
40	श्री राकेश कुमार अरोरा, राज्य कर अधिकारी	46	28.29
41	श्री रामनरेश चौहान, उपायुक्त	26	17.37
42	सुश्री रश्मि साय, सहायक आयुक्त	73	43.01
43	श्रीमती रीता बड़ा, उपायुक्त	17	12.38
44	श्रीमती रिंकी जंघेल, सहायक आयुक्त	1	1.15
45	श्री संदीप साय, सहायक आयुक्त	57	22.48
46	श्री संदीप यदु, सहायक आयुक्त	2	13.42
47	श्रीमती सविता कोराम, सहायक आयुक्त	1	0.56
48	श्री शंकर सिंह जानसन, सहायक आयुक्त	107	349.14
49	श्रीमती श्रद्धा सुमन वर्मा, सहायक आयुक्त	5	2.11
50	सुश्री श्रुती सोनी, सहायक आयुक्त	3	3.33
51	श्री सौरभ बासू, सहायक आयुक्त	33	27.06
52	श्री सुखना राम भगत, सहायक आयुक्त	7	14.26
53	श्री सुलोचना पटेल, सहायक आयुक्त	7	8.47
54	श्री सुमित महोबिया, उपायुक्त	105	178.85
55	श्री सुनील चौधरी, संयुक्त आयुक्त	3	11.49
56	श्री सुरेन्द्र पटेल, सहायक आयुक्त	294	638.16
57	श्री सुरेश कुमार नवरत्न, राज्य कर अधिकारी	42	35.64
58	श्रीमती सुषमा बड़ा, उपायुक्त	5	2.24
59	श्रीमती सुषमा लाल, सहायक आयुक्त	5	1.69
60	श्री टीकम गुनेन्द्र, सहायक आयुक्त	26	64.66
61	श्रीमती उषा किरण एक्का, सहायक आयुक्त	3	1.42
62	श्रीमती वर्षा गजपाल, उपायुक्त	7	5.33
63	श्री विजय कैवर्त, सहायक आयुक्त	177	223.02
	<b>कुल योग</b>	<b>2077</b>	<b>3117.64</b>

## प्रपत्र-ब

(वर्ष 2024-25 में गुटखा/पान मसाला फर्म के विरुद्ध छापा अथवा ई-वे बिल की कार्यवाही की गई ? फर्म के नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावे ?)

कुल 28 वाहन, लगाई गई शास्ति 1 करोड़ 34 लाख 17 हजार

क्रं.	वाहन क्रमांक	फर्म का नाम	जीएसटीएन	फर्म का पता	लगाई गई शास्ति (राशि लाखों में)
1	CG10AR0633	मेसर्स के.पान सुगंध प्रा0लि0	22AADCK1910B1ZG	प्लॉट नं0 75, 76, सिरगिटटी सेक्टर ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर छ0ग0	1.79
2	CG10AR0633	मेसर्स के.पी. सुगंध	22AACCK9524A1Z1	प्लॉट नं0 70 सिरगिटटी सेक्टर ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर छ0ग0	0.65
3	CG10AR0633	मेसर्स के.पी. सुगंध	22AACCK9524A1Z1	प्लॉट नं0 70 सिरगिटटी सेक्टर ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर छ0ग0	0.65
4	CG10ar0633	मेसर्स के.पान सुगंध प्रा0लि0	22AADCK1910B1ZG	प्लॉट नं0 75, 76, सिरगिटटी सेक्टर ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर छ0ग0	7.14
5	CG10AR0633	मेसर्स के.पी. सुगंध	22AACCK9524A1Z1	प्लॉट नं0 70 सिरगिटटी सेक्टर ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर छ0ग0	2.59
6	GJ02AT9123	मेसर्स राधे स्पाईस	24EQEPP9112C1Z2	1/10/73/14, एफएफ 14, शांति अक्रेड, हाईवे रोड़ उन्झा, महेसाना, गुजरात 384170	4.16
7	CG15DQ5124	मेसर्स बर्नवाल ट्रेडर्स	22CUOPB2733D1Z5	देवेश्वर कॉलोनी अस्तबल के पास, अंबिकापुर सरगुजा छ0ग0 497001	12.22
8	HR55AK8375	मेसर्स एसकेआर ट्रेडर्स	07FYPPR0350Q1ZL	प्रथम तल, बी 522, खसरा नं. 220 गली नं. 4, पुस्ता 2, सोनिया विहार, नई दिल्ली, 110094	14.60
9	CG22AC5729	मेसर्स महावीर ट्रेडर्स	22ALMPJ5906B1ZI	म. न. 17, मुड़ीपार रोड, तरेसर, राजनांदागांव छ0ग0 491441	1.26
10	CG08AX9575	मेसर्स पवनपुत्र फलेवर	22AEDPR5648Q2ZV	जंगलपुर, डोगरगंड़ रोड़, जंगलपुर पोस्ट ऑफिस, राजनांदागांव छ0ग0 491441	8.49
11	CG04PD6316	मेसर्स हरिओम एजेंसी	22AESPCK9532R1ZN	2 कनन कॉम्प्लेक्स, गवालीपारा, दुर्ग छ0ग0 491001	3.41
12	CG 10 AN 4157	मेसर्स चेलाराम एण्ड संस	22AEUPJ2086D1ZK	डी 48 जोन 2 व्यपार विहार, बिलासपुर छ0ग0 495001	0.87
13	NL01N7586	मेसर्स आरकेएस ट्रेडर्स	07EVNPS5944H1ZU	प्रथम तल, 267 एसएफएस पीकेटी 1/2, सेक्टर 3, नई दिल्ली वेस्ट दिल्ली, 110078	15.73
14	NL01AB8415	मेसर्स आरकेएस ट्रेडर्स	07EVNPS5944H1ZU	प्रथम तल, 267 एसएफएस पीकेटी 1/2, सेक्टर 3, नई दिल्ली वेस्ट दिल्ली, 110078	16.21
15	NL01Q1938	मेसर्स आरकेएस ट्रेडर्स	07EVNPS5944H1ZU	प्रथम तल, 267 एसएफएस पीकेटी 1/2, सेक्टर 3, नई दिल्ली वेस्ट दिल्ली, 110078	14.11
16	HR73B3087	मेसर्स हिमालया ट्रेडिंग कंपनी	06JFAPD4856M1Z4	भूतल 716, जिंदवारा, लेन नं. 6बी, राधा कृष्ण पार्क, सरहाउल विलेज, गुरुग्राम हरियाणा 122015	4.50
17	CG09GJ1508	मेसर्स मेवर डिस्ट्रीब्यूटर	08CDZPR6259J1ZD	36, न्यू बापू बाजार, उदयपुर, राजस्थान 313001	2.71
18	NL01N6622	मेसर्स सूरज ट्रेडर्स	07ORJPS6864L1ZI	प्लॉट नं. 64, खसरा नंर 49/6, गोपाल नगर, फेस 2, बी ब्लॉक, जफरपुर, मेन रोड नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, 110043	10.10
19	CG04MQ0935	मेसर्स श्री गणेश मार्केटिंग	22AATFS4188E1ZW	शॉप नं0 78, शहिद स्मारक काम्प्लेक्स, रायपुर छ0ग0 492001	0.40
20	RJ50GV5107	मेसर्स बाबुलाल जयचंद	24AEDPN4101Q1ZI	एफ 14, सुपात्या आर्केड, हाईवे रोड़ उन्झा, महेसाना, गुजरात 384170	1.10
21	CG04MQ0935	मेसर्स गणेश मार्केटिंग	22AATFS4188E1ZW	शॉप नं0 78, शहिद स्मारक काम्प्लेक्स, रायपुर छ0ग0 492001	0.40

क्रं.	वाहन क्रमांक	फर्म का नाम	जीएसटीएन	फर्म का पता	लगाई गई शास्ति (राशि लाखों में)
22	CG08W5109	मेसर्स राठी टैबाको	22BBIPR0456H1ZR	नियर रामदेव मंदिर, गंजपारा, दुर्ग छ0ग0 491001	0.94
23	CG24N9805	मेसर्स दृष्टि ट्रेडर्स	21AOFPB5140K1ZG	भूतल 5186/6, नियम ग्रामदेवती स्ट्रीट, ग्रामदेवती मंदिर के सामन, ब्रहमपुर, ओडिसा 760006	5.16
24	CG08AU1074	मेसर्स मनजार एजेंसी	22CSAPM8241B1Z9	वार्ड नं. 15, मंजर एजेसी, जी.ई रोड, रायपुर नाका, राजनांदगांव छ0ग0 491441	0.20
25	CG08ah6774	मेसर्स श्री हेमंत ट्रेडर्स	22ADUPW9075A1Z4	01, गंज लाईन नियर बालाजी मंदिर, राजनांदगांव छ0ग0 491441	0.40
26	CG08L2705	मेसर्स श्री हेमंत ट्रेडर्स	22ADUPW9075A1Z4	01, गंज लाईन नियर बालाजी मंदिर, राजनांदगांव छ0ग0 491441	0.40
27	MH40AK1177	मेसर्स गोपाल इन्टरप्राईजेस	27CXEPR2068C1ZH	6 फ्लोर, हाउस नं. 30 <sup>ए</sup> हिन्गा रोड़, वार्ड नं0 02, नागपुर, महाराष्ट्र 441110	2.92
28	CG16B2338	मेसर्स संजय ट्रेडर्स	22AEUPJ9825J1ZY	वार्ड नं0 13, नेहरू पार्क रोड़, सूरजपुर छ0ग0 497229	1.07
<b>कुल योग</b>					<b>134.17</b>

परोशेष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2265) की जानकारी

प्रपत्र

कोल वाशरी व कोल डिपो द्वारा पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	उद्योग का नाम	शिकायत का बिन्दु	शिकायत प्राप्ति दिनांक	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स जय माता दी कोल एण्ड लॉजिस्टिक, ग्राम-सिवनी, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	कोरबा रोड में संचालित जय माता दी कोल डिपो का अनुमति निरस्त करने बाबत।	20/05/2024	उद्योग का निरीक्षण दिनांक 30/05/2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही नहीं की गई।
2.	मेसर्स प्रीमियर मिनरल्स (कोल डिपो), ग्राम-उच्चभिट्टी, तहसील-चाम्पा, जिला-जांजगीर-चाम्पा	प्रीमियर मिनरल्स की अनुमति निरस्त करने की हो रही मांग।	03/06/2024	प्राप्त शिकायत के संबंध में परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि उद्योग को मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी सम्मति की वैधता समाप्त हो गई है। अतः उद्योग को पत्र दिनांक 12/06/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के अंतर्गत उत्पादन बंद करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। वर्तमान में उद्योग बंद है।

54  
अध्यक्ष

उत्तराखण्ड शासन  
पर्यावरण विभाग  
शाहीपुर, चण्डीपुर

(क) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों जहां ग्रेडिंग मशीन प्रदाय की गई है की जानकारी :-

क्रमांक	मंडी का नाम	जिला	प्रदाय वर्ष	रिमार्क
<b>फल-सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीन</b>				
01	राजनांदगांव	राजनांदगांव	06.12.2006	उपयोग की स्थिति में नहीं है।
02	दुर्ग	दुर्ग		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
03	रायगढ़	रायगढ़		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
04	पखांजूर	नारायणपुर		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
05	तुलसी (रायपुर)	रायपुर	31.03.2008	उपयोग की स्थिति में नहीं है।
06	तिफरा (बिलासपुर)	बिलासपुर		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
<b>अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीन</b>				
07	रायपुर	रायपुर	25.08.2005	उपयोग की स्थिति में नहीं है।
08	नवापारा	रायपुर		बीज निगम को हस्तांतरित। प्रक्रिया केन्द्र अभनपुर।
09	धमतरी	धमतरी		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
10	कुरुद	धमतरी		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
12	कवर्धा	कबीरधाम		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
13	बिलासपुर	बिलासपुर		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
14	मुंगेली	मुंगेली		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
15	जगदलपुर	बस्तर		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
16	नारायणपुर	नारायणपुर		19.07.2006
17	दुर्ग	दुर्ग	उपयोग की स्थिति में नहीं है।	
18	सरायपाली	महासमुंद	उपयोग की स्थिति में नहीं है।	
19	बसना	महासमुंद	उपयोग की स्थिति में नहीं है।	
20	आरंग	रायपुर	बीज निगम को हस्तांतरित। प्रक्रिया केन्द्र जोरा।	
21	राजिम	गरियाबंद	31.03.2008	उपयोग की स्थिति में नहीं है।
22	सक्ती	सक्ती		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
23	महासमुंद	महासमुंद	02.03.2009	उपयोग की स्थिति में नहीं है।
24	नेवरा	रायपुर		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
25	सारंगढ़	सारंगढ़		उपयोग की स्थिति में नहीं है।
26	नैला	जांजगीर-चांपा		उपयोग की स्थिति में नहीं है।

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## परिशेष - तेरह

प्रपत्र-अ

तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 789) की जानकारी

जिन चिकित्सा संस्थानों के प्राधिकार नवीनीकरण जारी किये गये हैं, उनकी अद्यतन जानकारी


क्र.	संस्थान का नाम एवं पता	विकासखंड	शासकीय / निजी	प्राधिकार जारी दिनांक	प्राधिकार नवीनीकरण जारी दिनांक	प्राधिकार/ प्राधिकार नवीनीकरण की वैधता	अद्यतन स्थिति
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम सिमगा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	शासकीय	25-07-2019	29-04-2022	11-07-2023	आवेदन क्र. 16221553 दिनांक 23-12-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम हथबंद, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	शासकीय	29-06-2019	18-02-2025	27-06-2027	-
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम दामाखेड़ा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	शासकीय	29-06-2019	18-02-2025	27-06-2027	-
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम-रोहरा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	शासकीय	16-07-2019	23-06-2022	30-06-2023	आवेदन क्र. 16223026 दिनांक 23-12-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सुहेला, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा	सिमगा	शासकीय	05-07-2019	-	03-07-2020	आवेदन क्र. 16209719 दिनांक 25-02-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
6.	आरोग्यम सुपरस्पेसिटी हॉस्पिटल, सिमगा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	03-08-2022	20-10-2023	01-08-2026	-
7.	श्री विनायक हॉस्पिटल प्रसूति एंड ट्राuma सेंटर, वार्ड 5, सिमगा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	18-11-2022	-	13-09-2023	आवेदन क्र. 18186427 दिनांक 06-02-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
8.	शिवनाथ हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, सिमगा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	07-01-2025	-	26-12-2025	-
9.	श्री शिवम् हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन एवं बाजार के बाज, सिमगा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा	सिमगा	निजी	27-02-2015	-	26-02-2016	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
10.	जय बाबा मल्टीस्पेसिटी हॉस्पिटल, हथबंद, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	20-04-2022	-	17-04-2023	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
11.	पंथ श्री गृध मुनि नाम साहब मेमोरियल हॉस्पिटल, दामाखेड़ा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	01-08-2022	24-11-2023	28-07-2026	-
12.	कुरेशी मल्टीस्पेसिटी हॉस्पिटल, हथबंद, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	15-09-2022	-	13-09-2023	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
13.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम हिरमी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	22-10-2011	26-10-2021	03-10-2024	आवेदन क्र. 18222294 दिनांक 10-02-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
14.	व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र, श्री सीमेंट ग्राम खापराडीह, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	20-01-2017	07-12-2020	19-01-2025	आवेदन क्र. 17136515 दिनांक 23-12-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन

15.	श्री राम किकर हॉस्पिटल, सरोपी तालाब के सामने, सिमगा जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	16-11-2017	18-04-2024	15-11-2026	-
16.	श्री कुलेश्वर नर्सिंग होम, सिमगा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	सिमगा	निजी	22-01-2019	-	07-01-2020	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
17.	जिला अस्पताल, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	03-06-2017	10-05-2024	02-06-2025	-
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम धनसिर, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	03-07-2019	12-04-2022	01-07-2024	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम सरसीवा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	03-07-2019	20-07-2022	01-07-2024	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
20.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम अर्जुनी, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	24-07-2019	18-01-2022	22-07-2022	आवेदन क्र. 16330786 दिनांक 17-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
21.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम लवन, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	26-07-2019	07-09-2022	07-07-2023	आवेदन क्र. 16309174 दिनांक 23-12-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
22.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम लाहोद, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	29-07-2019	12-05-2022	28-07-2024	आवेदन क्र. 16326411 दिनांक 19-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
23.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम भाटागांव, सिविल लाइन, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	01-10-2019	01-09-2021	21-09-2021	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
24.	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, टोनातर, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	06-06-2024	-	03-06-2025	-
25.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ग्राम सकरी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	18-09-2024	-	12-09-2025	-
26.	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ग्राम बेलाडुला, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	शासकीय	12-02-2025	-	06-02-2026	-
27.	निर्मला हॉस्पिटल, सरसीवा, पोस्ट-ऑफिस बलौदाबाजार, जिला - बलौदाबाजार भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	07-10-2014	15-01-2024	31-12-2025	-
28.	राधा कृष्णा हॉस्पिटल, ग्राम लिमही, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	30-08-2024	-	28-08-2025	-
29.	किलकारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	26-02-2021	21-07-2022	21-02-2025	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
30.	ओमकार हॉस्पिटल, मदनराज रेस्टोरेन्ट, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	13-10-2021	22-03-2023	06-10-2025	-
31.	कोटेश्वर हॉस्पिटल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	20-10-2021	-	11-10-2022	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
32.	श्री राम हॉस्पिटल, ग्राम लिमही, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	15-06-2022	21-07-2023	14-06-2026	-
33.	आनंद हॉस्पिटल, ट्रेफिक पुलिस स्टेशन, गोरव पथ, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	18-07-2022	26-09-2023	14-07-2026	-
34.	जीवनरेखा मल्टीस्पेसिटी हॉस्पिटल, बेलतिकरी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	25-11-2022	19-03-2024	23-11-2026	-
35.	साहू नर्सिंग होम, अम्बेडकर चौक, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	13-12-2022	-	08-12-2023	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

36.	श्री गुरुदेव नर्सिंग होम, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	30-01-2023	18-02-2025	29-01-2027	-
37.	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम लवन, जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	06-12-2008	12-03-2024	05-12-2026	-
38.	गंगा लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च लिमिटेड, सिविल लाइन, बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	27-08-2015	12-12-2023	26-08-2025	-
39.	चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन के सामने बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	28-08-2015	17-10-2022	27-08-2025	-
40.	दिव्या नर्सिंग होम, गर्दन चौक, बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	07-10-2015	27-09-2022	06-10-2025	-
41.	श्री सतगुरु कृपा हॉस्पिटल, ग्राम सरसीवा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	26-12-2018	05-01-2024	16-12-2025	-
42.	बाजपाई नर्सिंग होम, अम्बेडकर चौक, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	20-11-2014	21-07-2022	17-04-2025	-
43.	अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, ग्राम रावन, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	बलौदाबाजार	निजी	10-10-2014	23-01-2025	09-10-2027	-
44.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम रोहंसी, पलारी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	25-06-2019	29-04-2022	23-06-2024	आवेदन क्र. 16279719 दिनांक 21-12-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
45.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम ओडन, पलारी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	25-06-2019	25-04-2022	23-06-2024	आवेदन क्र. 16301716 दिनांक 17-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
46.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पलारी, पोस्ट ऑफिस, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	09-07-2019	-	05-07-2020	आवेदन क्र. 16501394 दिनांक 27-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
47.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम कोसमंडी, पलारी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	09-07-2019	22-08-2022	05-07-2025	-
48.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम लछनपुर, पलारी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	17-07-2019	12-02-2025	14-07-2028	-
49.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम-दातन, पलारी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	31-07-2019	26-10-2021	29-07-2023	आवेदन क्र. 16292555 दिनांक 14-09-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
50.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम-गिधपुरी, पलारी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	02-08-2019	07-01-2025	23-06-2028	-
51.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम-जरवे, पलारी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	05-03-2024	-	24-07-2024	आवेदन क्र. 15460515 दिनांक 07-11-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन है
52.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम-संदी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	15-01-2024	-	11-01-2025	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
53.	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ग्राम जारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	05-03-2024	-	03-03-2025	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

54.	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ग्राम गातापार, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	शासकीय	16-08-2024	-	13-08-2025	-
55.	आनंद मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वार्ड 9, पलारी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	पलारी	निजी	18-07-2022	26-09-2023	09-02-2026	-
56.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम मोपर, भाटापारा जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	शासकीय	29-06-2019	18-02-2025	05-07-2027	-
57.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम गाताडीह, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	शासकीय	03-07-2019	29-04-2022	01-07-2023	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
58.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम बिटकुली, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	शासकीय	05-07-2019	13-12-2021	30-06-2024	आवेदन क्र. 16224712 दिनांक 27-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
59.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम निपनिया, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	शासकीय	05-07-2019	-	30-06-2020	आवेदन क्र. 16237973 दिनांक 20-08-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
60.	सिविल हॉस्पिटल, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	शासकीय	16-07-2019	05-01-2023	14-07-2025	-
61.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम नगरदा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	शासकीय	16-07-2019	20-07-2022	14-07-2023	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
62.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम-मोपका, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	शासकीय	01-07-2024	-	05-07-2027	-
63.	सियाराम हॉस्पिटल, बिलासपुर रोड, भाटापारा जिला-बलौदाबाजार भाटापारा	भाटापारा	निजी	10-10-2014	12-10-2023	09-10-2025	-
64.	राम कृष्ण हॉस्पिटल, बलौदाबाजार रोड, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा	भाटापारा	निजी	24-09-2015	18-09-2018	23-09-2019	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
65.	डॉ.जे.के.आदिल हॉस्पिटल, गाँधी मंदिर वार्ड, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा	भाटापारा	निजी	03-06-2022	15-05-2023	12-10-2025	-
66.	ठाकुर हॉस्पिटल, शीतला मंदिर, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	निजी	07-10-2014	31-12-2018	31-12-2019	आवेदन क्र. 18214859 दिनांक 19-02-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
67.	सियाराम हॉस्पिटल, बलभद्र वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	निजी	10-10-2014	12-10-2023	09-10-2025	-
68.	भृगु हॉस्पिटल, भाटापारा, बलौदाबाजार रोड, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	निजी	27-02-2015	08-07-2022	26-02-2024	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
69.	आस्था नर्सिंग होम, मुन्शी इस्माइल वार्ड, पोस्ट ऑफिस भाटापारा, बलौदाबाजार भाटापारा	भाटापारा	निजी	10-10-2014	24-11-2021	09-10-2024	आवेदन क्र. 16855510 दिनांक 17-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन है
70.	वाइल्ड केयर हॉस्पिटल, गाँधी मंदिर वार्ड, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	निजी	19-09-2013	30-10-2023	18-09-2025	-
71.	डॉ. किरण जीवनमाल हॉस्पिटल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	भाटापारा	निजी	18-06-2014	22-11-2021	17-06-2024	आवेदन क्र. 15868231 दिनांक 02-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन

72.	सब हेल्थ सेंटर, ग्राम रामपुर, कसडोल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	03-04-2024	-	02-04-2025	-
73.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ग्राम देवपुर, कसडोल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	06-06-2024	-	03-06-2025	-
74.	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ग्राम थारगाँव, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	16-08-2024	-	11-08-2025	-
75.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ग्राम नरदहा, कसडोल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	18-09-2024	-	12-09-2025	-
76.	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ग्राम बाया, कसडोल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	06-11-2023	-	02-11-2024	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
77.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कसडोल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	12-07-2019	-	30-06-2020	आवेदन क्र. 16384197 दिनांक 27-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
78.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम बारनवापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	28-06-2019	-	28-05-2020	आवेदन क्र. 16408594 दिनांक 27-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
79.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम सोनाखान, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	28-06-2019	12-05-2022	28-05-2023	आवेदन क्र. 14105483 दिनांक 20-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
80.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम राजदेवरी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	12-07-2019	-	30-06-2020	आवेदन क्र. 16425998 दिनांक 27-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
81.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम बरपाली, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	12-07-2019	12-05-2025	30-06-2023	आवेदन क्र. 14864937 दिनांक 22-06-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
82.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम अर्जुनी (बी), जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	12-07-2019	23-06-2022	09-07-2023	आवेदन क्र. 16402566 दिनांक 27-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
83.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम कटगी, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	06-08-2019	08-06-2022	01-08-2024	आवेदन क्र. 16395069 दिनांक 16-12-2024 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन
84.	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ग्राम छेछर, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	शासकीय	19-09-2025	-	12-09-2025	-
85.	शिव शक्ति हॉस्पिटल, ग्राम छारछेद, कसडोल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	निजी	04-09-2023	12-02-2025	30-08-2028	-
86.	संस्कार हॉस्पिटल, खेरा रोड, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	निजी	03-02-2023	-	01-02-2024	संस्थान द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।
87.	आद्या हॉस्पिटल, ग्राम छारछेद, कसडोल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	निजी	18-07-2022	05-01-2024	14-07-2026	-
88.	नरेन्द्र मिश्रा मेमोरियल संजीवनी हॉस्पिटल, कसडोल जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	निजी	03-05-2017	10-05-2023	31-12-2025	-
89.	आनंद हॉस्पिटल, बस स्टैंड के पास, कसडोल जिला बलौदाबाजार - भाटापारा	कसडोल	निजी	01-11-2018	-	03-10-2019	आवेदन क्र. 17859583 दिनांक 09-01-2025 मंडल में नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाधीन

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग

## किये गये निरीक्षण की वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	ब्लॉक	चिकित्सा संस्थानों का नाम एवं पता	निजी / शासकीय	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता
<b>वर्ष 2022-23 (01/04/2022 से 31/03/2023)</b>					
1.	बलौदावाजार	श्री राम हॉस्पिटल , (ए यूनिट ऑफ मां वमलेश्वरी हेल्थ केयर) लिमाही, बलौदावाजार, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	31-05-2022	रसायनज्ञ
		वाजपेई नर्सिंग होम एण्ड डेंटल हॉस्पिटल ,अम्बेडकर चौक, बलौदावाजार, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	20-06-2022	रसायनज्ञ
		किलकारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल , हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी 101, बलौदावाजार, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	07-07-2022	रसायनज्ञ
		आनंद हॉस्पिटल (प्रभुति मर्जरी एण्ड ट्राउमा सेन्टर) ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पीछे, गौरव पथ, बलौदावाजार, जिला- बलौदावाजार भाटापारा	निजी	20-06-2022	रसायनज्ञ
		मेमर्स स्व: चन्दा देवी तिवारी हॉस्पिटल ,पोलिस स्टेशन के सामने, भाटापारा, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	निजी	27-08-2022	रसायनज्ञ
		दिव्या नर्सिंग होम ,गार्डन चौक, एमवीआई के सामने,बलौदावाजार,जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	27-08-2022	रसायनज्ञ
		श्री गुरुदेव नर्सिंग होम वैष्णव कॉलोनी वार्ड नं.-21, बलौदावाजार, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	23-12-2022	रसायनज्ञ
		ओंकार हॉस्पिटल , मदनराज रेस्टोरेंट के पाम हॉई स्कूल रोड, बलौदावाजार जिला - बलौदावाजार - भाटापारा	निजी	14-03-2023	रसायनज्ञ
2.	मिमगा	जय बाबा मल्टिस्पेशियलिटी हॉस्पिटल ,हथवंद, जिला- बलौदावाजार भाटापारा	निजी	04-04-2022	रसायनज्ञ
		आरोग्यम सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल , विलामपुर रोड, मिमगा, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	19-07-2022	रसायनज्ञ
		पंथ श्री ग्रिध मूनिनाम माहव मेमोरियल ,कवीर धर्मानगर, दामाखेड़ा, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	19-07-2022	रसायनज्ञ
		कुरैशी मल्टिस्पेशियलिटी हॉस्पिटल,वाजार चौक, हथवंद, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	10-08-2022	रसायनज्ञ
3.	भाटापारा	त्रिगु हॉस्पिटल , बलौदावाजार रोड, भाटापारा, जिला- बलौदावाजार भाटापारा	निजी	08-06-2022	रसायनज्ञ
4.	पलारी	आनंद मल्टिस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वार्ड नं.-9, वाजार रोड पलारी, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	20-06-2022	रसायनज्ञ
5.	कमडोल	संस्कार हॉस्पिटल, खैरा मोड़,वार्ड नं.-03,कटगी, कमडोल, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	23-12-2022	रसायनज्ञ
<b>वर्ष 2023-24 (01/04/2023 से 31/03/2024)</b>					
1.		आनंद हॉस्पिटल (प्रभुति मर्जरी एण्ड ट्राउमा सेन्टर) ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पीछे, गौरव पथ, बलौदावाजार, जिला- बलौदावाजार भाटापारा	निजी	12-09-2023	रसायनज्ञ
		मेमर्स वाजपेयी नर्सिंग होम एण्ड डेंटल हॉस्पिटल अम्बेडकर चौक, बलौदावाजार, जिला-बलौदावाजार- भाटापारा	निजी	10-04-2023	रसायनज्ञ
		गंगा लॉईफ केयर हॉस्पिटल एण्ड रिमर्च प्राईवेट लिमिटेड, मिबिल लार्डन, बलौदावाजार, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	12-09-2023	रसायनज्ञ
		मेमर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-अर्जुनी, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शासकीय	12-09-2023	रसायनज्ञ
2.	मिमगा	आरोग्यम सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल , विलामपुर रोड, मिमगा, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	06-10-2023	रसायनज्ञ
		पंथ श्री ग्रिध मूनिनाम माहव मेमोरियल ,कवीर धर्मानगर, दामाखेड़ा, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	31-10-2023	रसायनज्ञ

		मेमर्स श्री रामकिंकर हॉस्पिटल विलासपुर रोड, मिमगा, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	निजी	14-04-2023	रसायनज्ञ
		मेमर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-मुहेला, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	27-07-2023	रसायनज्ञ, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक
3.	भाटापारा	चौईलड केयर हॉस्पिटल गांधी मंदिर बाई, भाटापारा, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	21-04-2023	रसायनज्ञ
		मियाराम हॉस्पिटल बालभद्र बाई, भाटापारा, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	12-09-2023	रसायनज्ञ
		मेमर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-मोपका, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शासकीय	22-02-2024	रसायनज्ञ
4.	पलारी	आनंद मल्टिस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बाई नं.-9, बाजार रोड पलारी, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	19-09-2023	रसायनज्ञ
		मेमर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जर्वे, ब्लॉक-पलारी, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	19-01-2024	रसायनज्ञ
		मेमर्स हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (सब हेल्थ सेंटर), जारा, बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	19-01-2024	रसायनज्ञ
5.	कमडोल	मेमर्स निरेन्द्र मिश्रा मेमोरियल मंजीवनी हॉस्पिटल, वजरंग चौक कमडोल, जिला - बलौदावाजार-भाटापारा	निजी	13-04-2023	रसायनज्ञ
		शिव शक्ति हॉस्पिटल ग्राम च पोष्ट-चरचेड, पोष्ट पिसदा, धाना-कमडोल, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	07-08-2023	रसायनज्ञ
		आद्या हॉस्पिटल, चारचिड रोड कमडोल, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	13-10-2023	रसायनज्ञ
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाया, ब्लॉक-कमडोल, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	शामकीय	07-08-2023	रसायनज्ञ
		मेमर्स सब हेल्थ सेंटर रामपुर, पोस्ट -कटगी, कमडोल, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	19-01-2024	रसायनज्ञ
वर्ष 2024-25(01/04/2024 से 10/02/2025)					
1.	बलौदावाजार	साहू नर्सिंग होम, मेन रोड अम्बेडकर चौक के पास, मिमगा, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	04-07-2024	रसायनज्ञ
		आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मकरी बलौदावाजार, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	29-07-2024	रसायनज्ञ
		मेमर्स राधा कृष्णा हॉस्पिटल ग्राम-लिमाही, तहमील - बलौदावाजार, जिला - बलौदावाजार-भाटापारा	निजी	09-08-2024	रसायनज्ञ
		मेमर्स आक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, अम्बूजा मीमेंट लिमिटेड ग्राम-रावन, तहमील - बलौदावाजार, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	निजी	28-12-2024	महायक अभियंता
2.	मिमगा	मेमर्स शिवनाथ हॉस्पिटल न्यू बस स्टेण्ड के सामने, रायपुर रोड मिमगा, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	निजी	17-10-2024	कनिष्ठ वैज्ञानिक
3.	भाटापारा	मेमर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-मोपर, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	04-07-2024	रसायनज्ञ
4.	पलारी	मेमर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-शिधपुरी, ब्लॉक - पलारी, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	07-07-2024	रसायनज्ञ
		मेमर्स हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर ग्राम-गातापार, बलौदावाजार, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	29-07-2024	रसायनज्ञ
5.	कमडोल	मेमर्स आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्राम-नरदहा, ब्लॉक - कमडोल, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	29-07-2024	रसायनज्ञ
		आयुष्मान आरोग्य मंदिर (सब हेल्थ सेंटर) ग्राम-खेहर, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शामकीय	29-07-2024	रसायनज्ञ

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

## निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों की जानकारी

क्रमांक	ब्लॉक	चिकित्सा संस्थानों का नाम एवं पता	निजी / शासकीय	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता	निरीक्षण के समय पायी गई कमियाँ
<b>वर्ष 2022-23 (01/04/2022 से 31/03/2023)</b>						
1.	बलौदावाजार	निरंक				
2.	मिमगा					
3.	भाटापारा					
4.	पलारी					
5.	कमडोल					
<b>वर्ष 2023-24 (01/04/2023 से 31/03/2024)</b>						
1.	बलौदावाजार	मेसर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-अर्जुनी, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शासकीय	12-09-2023	रमायनज	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।
2.	मिमगा	मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-सुहेला, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शासकीय	27-07-2023	रमायनज, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।
3.	भाटापारा	निरंक				
4.	पलारी					
5.	कमडोल					
<b>वर्ष 2024-25 (01/04/2024 से 10/02/2025)</b>						
1.	बलौदावाजार	माहू नर्सिंग होम, मेन रोड अम्ब्रेडकर चौक के पास, मिमगा, जिला-बलौदावाजार भाटापारा	निजी	04-07-2024	रमायनज	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के तहत विना प्राधिकार नवीनीकरण कराये संस्थान मंचालन
2.	मिमगा	निरंक				
3.	भाटापारा	मेसर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-मोपर, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शासकीय	04-07-2024	रमायनज	संस्थान विना प्राधिकार मंचालित पाया गया
4.	पलारी	मेसर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-सिधपुरी, ब्लॉक - पलारी, जिला-बलौदावाजार-भाटापारा	शासकीय	07-07-2024	रमायनज	संस्थान द्वारा प्राधिकार नवीनीकरण हेतु बिलंब से आवेदन किया गया।

  
 अवधि सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

परोपेष्ट - चोदह

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2303) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला- महासमुंद अंतर्गत शासकीय नियमों का पालन करते हुए (लाइसेंस) कृषि दवाएँ, जैविक खाद एवं उर्वरक एवं बीज के दुकानों की 15.02.2025 की स्थिति में जानकारी

इकाई संख्या

क्र.	विकासखण्ड	जिले से जारी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)				योग
		कृषि फसल बीज	सब्जी बीज	उर्वरक / जैव उर्वरक	कीटनाशक	
1	महासमुंद	128	33	102	151	414
2	बागबाहरा	149	7	97	137	390
3	पिथौरा	159	2	116	171	448
4	बसना	115	2	95	102	314
5	सरायपाली	105	2	55	77	239
	योग	656	46	465	638	1805

  
(विकास निष्ठा)  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

जिला-महासमुंद जिले में 01 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2025 की अवधि में दुकानों/विक्रय संस्थानों पर की गई जाँच की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	दुकान/विक्रय संस्थान का नाम	विक्रय प्रतिष्ठान	जाँच में कमी पायी गई	की गई कार्यवाही
1	महासमुंद	प्रणव कृषि केन्द्र मधेवा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में एकजास्ट फेन बंद पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
2	महासमुंद	आर.के. ट्रेडर्स लाफिनखुर्द	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में उर्वरक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
3	महासमुंद	साहू कृषि केन्द्र लाफिनखुर्द	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में लायसेंस का प्रदर्शन उचित स्थान पर नहीं पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
4	महासमुंद	ओंकार कृषि केन्द्र बम्हनी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में एकजास्ट फेन बंद पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
5	महासमुंद	महालक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र कोसरगी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
6	महासमुंद	अन्नपूर्णा बीज भंडार महासमुंद	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	बिल निर्धारित प्रारूप में अद्यतन नहीं किया गया।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
7	महासमुंद	दाउ जी कृषि सेवा केन्द्र महासमुंद	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में एकजास्ट फेन बंद पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
8	महासमुंद	शनि कृषि केन्द्र खट्टी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
9	महासमुंद	महेन्द्र कृषि एवं बीज केन्द्र पारिद	कीटनाशी, बीज विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक एवं बीज मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
10	महासमुंद	श्री साई कृषि सेवा केन्द्र कोसरगी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में लायसेंस का प्रदर्शन उचित स्थान पर नहीं पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
11	बागबाहरा	ज्वाला कृषि केन्द्र बागबाहरा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया

(विक्रम मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग

क्र.	विकासखण्ड	दुकान / विक्रय संस्थान का नाम	विक्रय प्रतिष्ठान	जाँच में कमी पायी गई	की गई कार्यवाही
	2	3	4	5	6
12	बागबाहरा	महेश कृषि सेवा केन्द्र बागबाहरा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
13	बागबाहरा	अभिषेक कृषि केन्द्र बागबाहरा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
14	बागबाहरा	खुशबू भूमि कृषि सेवा केन्द्र बागबाहरा	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	उर्वरक बोरियो का रखरखव व्यवस्थित नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
15	बागबाहरा	आर.एस. ट्रेडर्स बागबाहरा	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	उर्वरक बोरियो का रखरखव व्यवस्थित नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
16	बागबाहरा	श्री गणेश कृषि केन्द्र बागबाहरा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
17	बागबाहरा	श्री हरि कृषि केन्द्र बागबाहरा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
18	बागबाहरा	भवानी फर्टिलाइजर बागबाहरा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
19	बागबाहरा	जय दुर्गा कृषि केन्द्र बागबाहरा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
20	बागबाहरा	परमेश्वरी कृषि केन्द्र बागबाहरा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
21	बागबाहरा	सिन्हा कृषि केन्द्र बोकरामुड़ा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
22	बागबाहरा	शिवम बीज मंडार बागबाहरा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
23	पिथौरा	प्रधान कृषि सेवा केन्द्र बडेलोरम	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में लागसेंस का प्रदर्शन उचित स्थान पर नहीं पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
24	पिथौरा	विनायक हाईटेक सांकरा	बीज विक्रय प्रतिष्ठान	बीज भंडारण, वितरण की जानकारी समय पर नहीं देना।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया

Not

क्र.	विकासखण्ड	दुकान/विक्रय संस्थान का नाम	विक्रय प्रतिष्ठान	जॉच में कमी पायी गई	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
25	पिथौरा	महाराज कृषि सेवा केन्द्र भगतदेवरी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
26	पिथौरा	चौधरी कृषि सेवा केन्द्र परसवानी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में लायसेंस का प्रदर्शन उचित स्थान पर नहीं पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
27	पिथौरा	बजरंग कृषि सेवा केन्द्र सांकरा	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में लायसेंस का प्रदर्शन उचित स्थान पर नहीं पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
28	पिथौरा	खत्री ट्रेडर्स सांकरा	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में लायसेंस का प्रदर्शन उचित स्थान पर नहीं पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
29	पिथौरा	मनीष कृषि सेवा केन्द्र बम्हनी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
30	पिथौरा	चंचला कृषि सेवा केन्द्र लोहरीनडोंगरी	बीज विक्रय प्रतिष्ठान	बीज भंडारण, वितरण की जानकारी समय पर नहीं देना।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
31	पिथौरा	अमन कृषि सेवा केन्द्र झगरेनडीह	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में उर्वरक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
32	पिथौरा	पटेल बीज भंडार सांकरा	बीज विक्रय प्रतिष्ठान	बीज भंडारण, वितरण की जानकारी समय पर नहीं देना।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
33	पिथौरा	कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र भैरवपुर	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में उर्वरक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
34	पिथौरा	विकास कृषि सेवा केन्द्र भगतदेवरी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
35	पिथौरा	पटेल कृषि सेवा केन्द्र भगतदेवरी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
36	बसना	कंसल खाद भंडार बसना	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
37	बसना	सिन्धु कृषि सेवा केन्द्र बंसुला	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में उर्वरक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया

116

क्र.	विकासखण्ड	दुकान/विक्रय संस्थान का नाम	विक्रय प्रतिष्ठान	जॉब में कमी पायी गई	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
38	बसना	किसान कृषि सेवा केन्द्र बंसुला	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में उर्वरक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
39	बसना	कृषा कृषि सेवा केन्द्र बसना	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में एक्जास्ट फोन बंद पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
40	बसना	सम्लेश्वरी कृषि सेवा केन्द्र परसकोल	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में एक्जास्ट फोन बंद पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
41	बसना	मनीष कृषि सेवा केन्द्र रसोड़ा	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	उर्वरक बोरियो का रखरखव व्यवस्थित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
42	बसना	अग्रवाल कृषि केन्द्र भंवरपुर	उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान	उर्वरक बोरियो का रखरखव व्यवस्थित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
43	बसना	पटेल कृषि सेवा केन्द्र भंवरपुर	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
44	बसना	ग्रीन एग्री वर्ल्ड जीराडबरी	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
45	बसना	हरिश कृषि सेवा केन्द्र बसना	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में एक्जास्ट फोन बंद पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
46	सरायपाली	गिरिजा कृषि सेवा केन्द्र बलौदा	बीज विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में बीज मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
47	सरायपाली	धारित्री कृषि सेवा केन्द्र बलौदा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
48	सरायपाली	ओम एगो बलौदा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
49	सरायपाली	पूनम कृषि सेवा केन्द्र बलौदा	बीज विक्रय प्रतिष्ठान	बीज मंडारण, वितरण की जानकारी समय पर नहीं देना।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया

Wob

क्र.	विकासखण्ड	दुकान/विक्रय संस्थान का नाम	विक्रय प्रतिष्ठान	जाँच में कमी पायी गई	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
50	सरायपाली	हर्षित कृषि सेवा केन्द्र मुधा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में एकजास्ट फेन बंद पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
51	सरायपाली	पटेल कृषि सेवा केन्द्र मुधा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में लायसेंस का प्रदर्शन उचित स्थान पर नहीं पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
52	सरायपाली	गंगा कृषि सेवा केन्द्र मुधा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में लायसेंस का प्रदर्शन उचित स्थान पर नहीं पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
53	सरायपाली	दीपक कृषि सेवा केन्द्र डूडूमचुवां	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
54	सरायपाली	दिनेश कृषि सेवा केन्द्र केंदुवा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान में लायसेंस का प्रदर्शन उचित स्थान पर नहीं पाया गया	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
55	सरायपाली	दीपेश कृषि सेवा केन्द्र केंदुवा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया
56	सरायपाली	आचार्य कृषि सेवा केन्द्र तोरेसिंहा	कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान	संस्थान में कीटनाशक मूल्य सूची उचित स्थान पर नहीं।	संबंधित फर्म को नोटिस दिया गया

(विकास मित्र),  
उप सचिव  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अ.प्र. क.प्र.

(सचिव)  
नोडल अधिकारी (वि.स.)  
संचालनालय कृषि  
छ.ग. रायपुर

प्रपत्र-स

01 जनवरी 2024 से 15 फरवरी, 2025 की स्थिति में संचालित सब्जी बीज विक्रय केन्द्रों (दुकान) की जांच का विवरण

क्र.	विकास- खण्ड	दुकान/बीज विक्रेता का नाम पूर्ण पता सहित	लाइसेंस जारी करने का दिनांक	वैधता दिनांक	जांच में पाई गई कमी (हो/नहीं)	कमी पाये जाने पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	7	8
1		मे. वर्षा कृषि केन्द्र, श्री दिग्वीजय चंद्राकर, न्यू सब्जी मार्केट के सामने महासमुन्द	11/19.07.2022	19.07.2027	नहीं	-
2	महासमुन्द	मे. अंबे एगो सेल्स, श्री शशांक चंद्राकर, इंदिरा मार्केट महासमुन्द	76/01.03.2021	01.03.2026	नहीं	-
3		मे. विकास कृषि केन्द्र, श्री मंगलू राम डोंगरे, छिलपावन महासमुन्द	55/05.02.2025	05.02.2030	नहीं	-
4	बसना	मे. खत्री बीज भंडार, हुमा अक्रम कुरैशी, नगर पंचायत मेन रोड बसना	64/31.10.2020	31.10.2025	नहीं	-



(विकास मिश्रा)  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## निराकरण हेतु शेष शिकायतों की जानकारी

वर्ष 2023-2024

सरल क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	आवेदक	अनावेदक (बिल्डर्स/कोलोनिज़ेर)	लंबित प्रक्रिया
1	M-PRO-2023-01949	श्री के.के. टी. अप्पा राव एवं श्रीमती के. पार्वती अप्पा राव	तुन कन्स्ट्रक्शन द्वारा- देवतुन चक्रवर्ती	प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त

वर्ष 2024-2025

सरल क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	आवेदक	अनावेदक (बिल्डर्स/कोलोनिज़ेर)	लंबित प्रक्रिया
1	M-PRO-2024-02395	श्रीमती स्नेहा गावडे	मेसर्स फिनिक्स इन्फ्रा इस्टेट इंटरनेशनल प्रा.लि.	माननीय अपीलीय अधिकरण से स्थगन प्राप्त
2	M-PRO-2024-02544	श्री सौम्या दवे	रायल पाम बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स	माननीय अपीलीय अधिकरण से स्थगन प्राप्त
3	M-PRO-2024-02571	श्रीमती कुसुम कोठारी	मेसर्स रजत बिल्डर्स एण्ड अजय सुराना	प्राधिकरण के समक्ष न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	M-PRO-2025-02694	श्रीमती शबनम खान	मेसर्स आर.एन.रियालिटीज एल.एल.पी	प्राधिकरण के समक्ष न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	M-PRO-2025-02700	श्रीमती अनीता साहू	मेसर्स वन्देमातरम बिल्डर्स	प्राधिकरण के समक्ष न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	M-PRO-2025-02701	श्री झाड़ू राम	मेसर्स वन्देमातरम बिल्डर्स	प्राधिकरण के समक्ष न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	M-PRO-2025-02702	श्री विकास सिंह	तुन कन्स्ट्रक्शन द्वारा- देवतुन चक्रवर्ती	प्राधिकरण के समक्ष न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8	M-PRO-2025-02710	श्री राजकुमार सिंह	तुन कन्स्ट्रक्शन द्वारा- देवतुन चक्रवर्ती	प्राधिकरण के समक्ष न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9	M-PRO-2025-02712	श्रीमती मनीषा सिंह	छ.ग. गुह निर्माण मण्डल, दुर्ग	प्राधिकरण के समक्ष न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
छत्तीसगढ़


परिशेष - सोलह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2314) की जानकारी

प्रपत्र-अ

पूर्ण / संचालित घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की जानकारी

क्रमांक	नदियों का नाम	प्रदूषित भाग का नाम	निकाय का नाम	घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) स्थल का नाम एवं क्षमता	
				स्थल	क्षमता (एम.एल.डी.)
1.	खारुन नदी	भाटागांव से बेन्द्री	रायपुर	कारा	35
				निमोरा	90
				चन्दनडीह	75
			भाटागांव	06	
			धमतरी	मुजगहन	19.60
2.	केलो नदी	रायगढ़ से कनकटोरा	रायगढ़	रायगढ़	25
3.	अरपा	बिलासपुर	बिलासपुर	विल्हाटी	17
				दोमुहानी	54
4.	महानदी	सिहावा से आरंग	गोबरा-नवापारा	वार्ड क्रमांक 04 मुक्तिधाम के पास	7.60
			कांकेर	कांकेर	7.70
			राजिम	वार्ड क्रमांक 01	2.80
5.	शिवनाथ	बेमता से सिमगा	सिमगा	सिमगा	2.80



अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

## प्रपत्र-ब

अपूर्ण / प्रस्तावित घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की जानकारी

क्रमांक	नदियों का नाम	प्रदूषित भाग का नाम	निकाय का नाम	घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) स्थल का नाम, क्षमता एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि		
				स्थल	क्षमता (एम.एल.डी.)	निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि
1.	हसदेव	कोरबा से उरगा	कोरबा	कोरबा	33	कार्य अप्रारम्भ। कार्य प्रारंभ अवधि से 24 माह
			चाम्पा	वार्ड क्रमांक 13 घोघरा नाला	5.3	सिविल कार्य पूर्ण, शेष कार्य दिनांक 30/04/2025 तक पूर्ण किया जावेगा।
2.	अरपा	बिलासपुर	बिलासपुर	कोनी	6.00	मार्च 2025
				मंगला	10.00	
				मंगला	5.00	

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

## नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

## पारिशेष्य - सत्रह

## परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 736) की जानकारों

प्रपत्र

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 736 द्वारा श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, माननीय सदस्य छ.ग. विधानसभा

क्र.	जिला	मंडी का नाम	नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक प्रकरणों की संख्या	जब्त धान की मात्रा क्विंटल में	दर्जा प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी है।	जब्त किये गये धान का क्या किया गया।	क्या जब्त किये गये धान की नीलामी की गई है।	यदि हो किस प्रकार एवं किस दर पर नीलामी की गई है	प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ किया गया	शिमांक
1	3	4	5	8	9	10	11	12		
1		रायपुर	0	0						
2		नवापारा	0	0						
3	रायपुर	आंरा	0	0						
4		नेवरा	0	0						
5		अभनपुर	0	0						
		जिले का कुल योग	0	0						
6		भाटापारा	0	0						
7	बलोदाबाजार-भाटापारा	बलोदाबाजार	0	0						
8		कसडोल	0	0						
		जिले का कुल योग	0	0						
9	गरियाबंद	गरियाबंद	71	4448.00	41 प्रकरणों में कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				मंडी अधिनियम तथा निराश्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उदरमहित मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का उपयोग किया गया।	30 प्रकरण अनिराकृत।
10		राजिम	0	0						
		जिले का कुल योग	71	4448.00						
11		महासमुंद	0	0						
12		बागबहरा	6	637.96	कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।					
13	महासमुंद	सरायपाली	8	1035.90	01 प्रकरणों में कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार धान का बीज प्रमाणित होने के कारण वगैरे शुल्क लिये प्रकरण निराकृत किया गया। 07 प्रकरणों में कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।					
14	महासमुंद	बसना	7	707.42	कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				मंडी अधिनियम तथा निराश्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उदरमहित मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का उपयोग किया गया।	

क्रं.	जिला	मंडी का नाम	नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक प्रकरणों की संख्या	जब्त धान की मात्रा क्विंटल में	दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी है।	जब्त किये गये धान का क्या किया गया।	क्या जब्त किये गये धान की नीलामी की गई है।	यदि हाँ किस प्रकार एंव किस दर पर नीलामी की गई है	प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ किया गया	रिमाक
1	3	4	5	8		10	11	12		
15	महासमुंद	पिपौरा	1	26.00	कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	-	-	-	मंडी अधिनियम तथा निराश्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उद्विहित मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का उपयोग किया गया।	-
	जिले का कुल योग		22	2407.28						
16		धमतरी	0	0						
17		कुरुद	0	0						
18	धमतरी	नगरी	1	25.52	कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	-	-	-		
19	जिले का कुल योग		1	25.52						
	दुर्ग	दुर्ग	0	0						
	जिले का कुल योग		0	0						
20	बालोद	बालोद	0	0						
	जिले का कुल योग		0	0						
21	केतारा	केतारा	0	0						
	जिले का कुल योग		0	0						
22	राजनंदगांव	राजनंदगांव	0	0	मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				मंडी अधिनियम तथा निराश्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उद्विहित मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का उपयोग किया गया।	-
23		डोगरागांव	1	307.40						
24	राजनंदगांव	डोगरागांव	9	1272.00	06 प्रकरण किसान होने से खाद्य अधिकारी राजनंदगांव द्वारा निराकृत किया गया तथा 03 प्रकरण पर मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				मंडी अधिनियम तथा निराश्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उद्विहित मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का उपयोग किया गया।	-
	जिले का कुल योग		10	1579.40						

क्र.	जिला	मंडी का नाम	नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक प्रकरणों की संख्या	जब्त धान की मात्रा विचटल में	दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी है।	जब्त किये गये धान का क्या किया गया।	क्या जब्त किये गये धान की नीलामी की गई है।	यदि हाँ किस प्रकार एवं किस दर पर नीलामी की गई है	प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ किया गया	रिमार्क
1	3	4	5	8	9	10	11	12		02 प्रकरण प्रक्रियाधीन
25	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	बांधावाजार	7	1404.45	05 प्रकरण बीज होने से खाद्य अधिकारी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी द्वारा निराकृत किया गया। कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				मंडी अधिनियम तथा निराश्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उदग्रहित मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का उपयोग किया गया।	
26	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	खैरागढ़	2	421.00	01 प्रकरण कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				मंडी अधिनियम तथा निराश्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उदग्रहित मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का उपयोग किया गया।	01 प्रकरण प्रक्रियाधीन
27	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	गण्डई	3	130.00	कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				मंडी अधिनियम तथा निराश्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उदग्रहित मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का उपयोग किया गया।	
28	कक्वा	कक्वा	4	110.00	कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				मंडी अधिनियम तथा निराश्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उदग्रहित मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क का उपयोग किया गया।	
29	कक्वा	पण्डरिया	0	0.00						
30	जिले का कुल योग		4	110.00						
31	बिलासपुर	बिलासपुर	0	0						
32		तखतपुर	0	0						
33		कोटा	0	0						
33		जयसमनगर	0	0						
34	जिले का कुल योग		0	0	01 प्रकरण में अट्टा पत्र होने से एवं 11 प्रकरण पर कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	01 प्रकरण अनिराकृत।
	मोहला पण्ड्रा मसवाही	पण्ड्रागढ़	13	603.70						
	जिले का कुल योग		13	603.70						

क्र.	जिला	मंडी का नाम	नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक प्रकरणों की संख्या	जब धान की मात्रा क्विंटल में	दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी है।	जब किये गये धान का क्या किया गया।	क्या जब किये गये धान की नीलामी की गई है।	यदि हों किस प्रकार एवं किस दर पर नीलामी की गई है	प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ किया गया	रिमार्क
1	3	4	5	8	9	10	11	12		
35	मुंगेली	मुंगेली	0	0	-	-	-	-	-	-
36		लोरमी	0	0	-	-	-	-	-	-
		जिले का कुल योग	0	0	-	-	-	-	-	-
37		नैला	0	0	-	-	-	-	-	-
38	जाजमीर-चापा	अकलतरा	0	0	-	-	-	-	-	-
39		चापा	0	0	-	-	-	-	-	-
		जिले का कुल योग	0	0	-	-	-	-	-	-
40		सक्ती	0	0	-	-	-	-	-	-
41	सक्ती	आमनदुल्ला	0	0	-	-	-	-	-	-
42		जैजपुर	0	0	-	-	-	-	-	-
		जिले का कुल योग	0	0	-	-	-	-	-	-
43	कोरवा	कटघोरा	0	0	-	-	-	-	-	-
		जिले का कुल योग	0	0	-	-	-	-	-	-
44	रायगढ़	रायगढ़	8	418.00	कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	-	-	-	संबंधित से वसूल की गई राशि मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क, मंडी निधि में जमा किया गया है तथा निराश्रित निराश्रित शुल्क की राशि कलेक्टर, पंचायत शाखा रायगढ़ को भेजी गई है।	-
45	रायगढ़	घरघोड़ा	6	234.80	कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	-	-	-	संबंधित से वसूल की गई राशि मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क, मंडी निधि में जमा किया गया है तथा निराश्रित निराश्रित शुल्क की राशि कलेक्टर, पंचायत शाखा रायगढ़ को भेजी गई है।	-
46		खरसिया	0	0	-	-	-	-	-	-
		जिले का कुल योग	14	652.80	-	-	-	-	-	-
47	सारंगढ़	सारंगढ़	0	0	-	-	-	-	-	-
48	बिलाईगढ़	बरगकेला	0	0	-	-	-	-	-	-
49		भटगाव	0	0	-	-	-	-	-	-
		जिले का कुल योग	0	0	-	-	-	-	-	-
50	सरगुजा	अम्बिकापुर	0	0	-	-	-	-	-	-
		जिले का कुल योग	0	0	-	-	-	-	-	-
51	सूरजपुर	सूरजपुर	0	0	-	-	-	-	-	-
52		प्रतापपुर	0	0	-	-	-	-	-	-
		जिले का कुल योग	0	0	-	-	-	-	-	-

क्र.	जिला	मंडी का नाम	नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक प्रकरणों की संख्या	जब्त धान की मात्रा क्विंटल में	दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी है।	जब्त किये गये धान का क्या किया गया।	क्या जब्त किये गये धान की नीलामी की गई है।	यदि हाँ किस प्रकार एवं किस दर पर नीलामी की गई है	प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ किया गया	रिमांक
1	3	4	5	8	कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित श्रुलक तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	10	11	12	संबंधितों से वसूल की गई राशि मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क, मंडी निधि में जमा किया गया है तथा निर्धारित निराश्रित श्रुलक की राशि कलेक्टर, पंचायत शाखा रायगढ़ को भेजी गई है।	-
53	बलरामपुर	रामानुजगंज	26	830.80		-	-	-		-
54	जिले का कुल योग	कुसमो	0	0		-	-	-		-
		जयपुर	20	451.60	10 प्रकरण कलेक्टर खाद्य शाखा एवं 10 प्रकरण मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित श्रुलक तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	-	-	-	संबंधितों से वसूल की गई राशि मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क, मंडी निधि में जमा किया गया है तथा निर्धारित निराश्रित श्रुलक की राशि कलेक्टर, पंचायत शाखा रायगढ़ को भेजी गई है।	-
55	जयपुर	जयपुर	20	451.60		-	-	-		-
56	जिले का कुल योग	पथलगांव	0	0		-	-	-		-
57	कोरिया	बैकुण्ठपुर	0	0		-	-	-		-
58	एम.सी.बी.	मनेन्द्रगढ़	10	419.35	05 प्रकरण कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित श्रुलक तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	-	-	-	संबंधितों से वसूल की गई राशि मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क, मंडी निधि में जमा किया गया है तथा निर्धारित निराश्रित श्रुलक की राशि कलेक्टर, पंचायत शाखा रायगढ़ को भेजी गई है।	04 प्रकरण लंबित एवं 01 प्रकरण किसान साबित होने से बगैर मंडी शुल्क प्राप्त किया।
59	बस्तर	जगदलपुर	22	823.00	प्रकरण कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित श्रुलक तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	-	-	-	संबंधितों से वसूल की गई राशि मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क, मंडी निधि में जमा किया गया है तथा निर्धारित निराश्रित श्रुलक की राशि कलेक्टर, पंचायत शाखा रायगढ़ को भेजी गई है।	-
60	कोण्डगांव	कोण्डगांव	10	1606.00	09 प्रकरण कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित श्रुलक तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	-	-	-	संबंधितों से वसूल की गई राशि मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क, मंडी निधि में जमा किया गया है तथा निर्धारित निराश्रित श्रुलक की राशि कलेक्टर, पंचायत शाखा रायगढ़ को भेजी गई है।	1 प्रकरण मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उपज मय वाहन पुलिस थाना अनंतपुर की अभिवक्षा में प्रदत्त किया गया

क्र.	जिला	मंडी का नाम	नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक प्रकरणों की संख्या	जब्त धान की मात्रा विन्टल में	दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी है।	जब्त किये गये धान का क्या किया गया।	क्या जब्त किये गये धान की नीलामी की गई है।	यदि हाँ किस प्रकार एवं किस दर पर नीलामी की गई है	प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ किया गया	शिकाई
1	3	4	5	8	9	10	11	12		
61	कोण्डागांव	केशकाल	3	139.20	प्रकरण कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।	-	-	-	संबंधितों से वसूल की गई राशि मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क, मंडी निधि में जमा किया गया है तथा निर्धारित निराश्रित शुल्क की राशि कलेक्टर, पंचायत शाखा रायगढ़ को भेजी गई है।	-
			<b>13</b>	<b>1745.20</b>						
62	कांकर	कांकर	0	0						
63		चारामा	0	0						
64		सबलपुर	0	0						
65		पहाजुर	0	0						
		जिले का योग	<b>0</b>	<b>0</b>						
66	दतेवाड़ा	गीदम	0	0						
		जिले का योग	<b>0</b>	<b>0</b>						2 प्रकरण अनिराकृत
67	सुकमा	कोटा	39	1613.50	01 प्रकरण कलेक्टर कार्यालय द्वारा निराकृत एवं 38 प्रकरण कलेक्टर खाद्य शाखा के निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत नियमानुसार मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा प्रशमन शुल्क लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया गया।				संबंधितों से वसूल की गई राशि मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क, मंडी निधि में जमा किया गया है तथा निर्धारित निराश्रित शुल्क की राशि कलेक्टर, पंचायत शाखा रायगढ़ को भेजी गई है।	
		जिले का योग	<b>39</b>	<b>1613.50</b>						
68	नारायणपुर	नारायणपुर	0	0						
		जिले का योग	<b>0</b>	<b>0</b>						
69	बीजापुर	बीजापुर	0	0						
		जिले का योग	<b>0</b>	<b>0</b>						
		महायोग	<b>277</b>	<b>17665.60</b>						

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## परोशेष्ट - अडारह

पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 4 (क्र. 790) की जानकारी

प्रपत्र


कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त पीडितों के नाम एवं उनकी वर्तमान स्वास्थ्यगत स्थिति की जानकारी

क्रमांक	मरीज का नाम	पिता का नाम	उम्र/लिंग	पता
1.	अमरीका	चंद्रकुमार	14/महिला	चंडी
2.	तृती	-	15/महिला	पडकीडीह
3.	टिकेश्वरी	संतोष	15/महिला	चंडी
4.	खुमेश्वरी	चेवा	15/महिला	पडकीडीह
5.	कामनी	मुखीत	महिला	पडकीडीह
6.	नेहा	रतन सिंह	15/महिला	खपराडीह
7.	लकेश्वरी	दिलीप	15/महिला	पडकीडीह
8.	देवराज	राजू यादव	14/पुरुष	करही
9.	नीतिन	कांशी	17/पुरुष	चंडी
10.	शारदा	ईश्वरी	15/महिला	खपराडीह
11.	रोशनी	वैशाखू	14/महिला	खपराडीह
12.	अंजली	महावीर	16/महिला	खपराडीह
13.	भुमिका	मनोहर	16/महिला	खपराडीह
14.	आरती	वीर सिंह	15/महिला	खपराडीह
15.	गरीमा	मिथलेश	14/महिला	खपराडीह
16.	पुष्पांजली	मिथलेश	15/महिला	खपराडीह
17.	दीपिका	संतोष	15/महिला	चंडी
18.	लीलाधर	-	15/महिला	चंडी
19.	रितु बंजारे	रामायण	14/महिला	खपराडीह
20.	गायत्री	बुलाकी	15/महिला	पडकीडीह
21.	दिपिका	बिन्दु ध्रुव	14/महिला	पडकीडीह
22.	वर्षा	उदल दारा	15/महिला	खपराडीह
23.	अंजली	रामायण	15/महिला	खपराडीह
24.	उर्वशी	ईश्वर	15/महिला	चंडी
25.	पूर्णिमा	चेतन वर्मा	15/महिला	खपराडीह
26.	शेल कुमारी	यश्रंत	15/महिला	खपराडीह

27.	रिंगनी रात्रे	बुधराम	15/महिला	पडकीडीह
28.	खुशबु	खिलेश्वर	16/महिला	पडकीडीह
29.	रितु यादव	दिलीप	14/महिला	पडकीडीह
30.	कामनी यादव	कमलेश	15/महिला	पडकीडीह
31.	रिंगनी यदु	रमेश यदु	15/महिला	पडकीडीह
32.	रिंकी निषाद	रामलाल	15/महिला	करही
33.	उर्वशी गोस्वामी	दुकेश्वर	14/महिला	करही
34.	भुनेश्वरी	रामलाल	14/महिला	करही
35.	मेघा	-	15/महिला	खपराडीह
36.	कंचन	मनोहर	15/महिला	पडकीडीह
37.	अंजली	कुंवर सिंह	16/महिला	चंडी
38.	गीतांजली	रतन लाल	14/महिला	खपराडीह
39.	पायल	गोवर्धन	16/महिला	पडकीडीह
40.	पूर्वा वर्मा	अजय	14/महिला	खपराडीह
41.	दुर्गेश्वरी	रामकुमार	12/महिला	खपराडीह
42.	टिकेश्वरी वर्मा	मिथलेश	12/महिला	खपराडीह

टीप:-

1. उपरोक्त सूची में प्रारंभिक 18 बच्चे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, सुहेला, सिविल हास्पिटल भाटापारा, जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार में भर्ती थे जिन्हें पूर्णतः ठीक हो जाने के दो दिनों पश्चात् हास्पिटल से छुट्टी कर दिया गया था।
2. उक्त घटना के बाद बीच-बीच में स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा वर्तमान में स्थिति सामान्य है।
3. जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार से मनोरोग विभाग द्वारा भी बीच-बीच में खपराडीह के स्कूलों में जाकर बच्चों को परामर्श दिया जा रहा है।

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

## परोशेष्ट - उन्नोस

पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 5 (क्र. 791) की जानकारी

प्रपत्र

कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-  
भाटापारा से प्राप्त पीडितों के नाम एवं उनकी वर्तमान स्वास्थ्यगत स्थिति की जानकारी

क्रमांक	मरीज का नाम	पिता का नाम	उम्र/लिंग	पता
1.	अमरीका	चंद्रकुमार	14/महिला	चंडी
2.	तृती	-	15/महिला	पड़कीडीह
3.	टिकेश्वरी	संतोष	15/महिला	चंडी
4.	खुमेश्वरी	चेवा	15/महिला	पड़कीडीह
5.	कामनी	मुखीत	महिला	पड़कीडीह
6.	नेहा	रतन सिंह	15/महिला	खपराडीह
7.	लकेश्वरी	दिलीप	15/महिला	पड़कीडीह
8.	देवराज	राजू यादव	14/पुरुष	करही
9.	नीतिन	कांशी	17/पुरुष	चंडी
10.	शारदा	ईश्वरी	15/महिला	खपराडीह
11.	रोशनी	बैशाखू	14/महिला	खपराडीह
12.	अंजली	महावीर	16/महिला	खपराडीह
13.	भुमिका	मनोहर	16/महिला	खपराडीह
14.	आरती	वीर सिंह	15/महिला	खपराडीह
15.	गरीमा	मिथलेश	14/महिला	खपराडीह
16.	पुष्पांजली	मिथलेश	15/महिला	खपराडीह
17.	दीपिका	संतोष	15/महिला	चंडी
18.	लीलाधर	-	15/महिला	चंडी
19.	रितु बंजारे	रामायण	14/महिला	खपराडीह
20.	गायत्री	बुलाकी	15/महिला	पड़कीडीह
21.	दिपिका	बिन्दु ध्रुव	14/महिला	पड़कीडीह
22.	वर्षा	उदल दारा	15/महिला	खपराडीह
23.	अंजली	रामायण	15/महिला	खपराडीह
24.	उर्वशी	ईश्वर	15/महिला	चंडी
25.	पूर्णिमा	चेतन वर्मा	15/महिला	खपराडीह
26.	शेल कुमारी	यश्वंत	15/महिला	खपराडीह
27.	रिंगनी रात्रे	बुधराम	15/महिला	पड़कीडीह
28.	खुशबु	खिलेश्वर	16/महिला	पड़कीडीह
29.	रितु यादव	दिलीप	14/महिला	पड़कीडीह
30.	कामनी यादव	कमलेश	15/महिला	पड़कीडीह

31.	रिंगनी यदु	रमेश यदु	15/महिला	पड़कीडीह
32.	रिंकी निषाद	रामलाल	15/महिला	करही
33.	उर्वशी गोस्वामी	टुकेश्वर	14/महिला	करही
34.	भुनेश्वरी	रामलाल	14/महिला	करही
35.	मेघा	-	15/महिला	खपराडीह
36.	कंचन	मनोहर	15/महिला	पड़कीडीह
37.	अंजली	कुंवर सिंह	16/महिला	चंडी
38.	गीतांजली	रतन लाल	14/महिला	खपराडीह
39.	पायल	गोवर्धन	16/महिला	पड़कीडीह
40.	पुर्वा वर्मा	अजय	14/महिला	खपराडीह
41.	दुर्गेश्वरी	रामकुमार	12/महिला	खपराडीह
42.	टिकेश्वरी वर्मा	मिथलेश	12/महिला	खपराडीह

टीप:-

1. उपरोक्त सूची में प्रारंभिक 18 बच्चे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमगा, सुहेला, सिविल हास्पिटल भाटापारा, जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार में भर्ती थे जिन्हें पूर्णतः ठीक हो जाने के दो दिनों पश्चात् हास्पिटल से छुट्टी कर दिया गया था।
2. उक्त घटना के बाद बीच-बीच में स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा वर्तमान में स्थिति सामान्य है।
3. जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार से मनोरोग विभाग द्वारा भी बीच-बीच में खपराडीह के स्कूलों में जाकर बच्चों को परामर्श दिया जा रहा है।

55-  
12-3-25  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

## परिशेष - बीस

परिवर्तित अतारोकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1182) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	लामान्वित ग्राम	प्राप्तकर्ता की कुल संख्या	प्राप्तकर्ता का नाम	स्व सहायता समूह का नाम
1	2	5	6	7	8
1	बालोद	बघमरा (बालोद) परसदाडीह (गुण्डरदेही)	2	श्रीमती चित्ररेखा साहू श्रीमती भुनेश्वरी साहू	जय गंगा मैया महिला स्व सहायता समूह सिद्धी महिला स्व सहायता समूह
2	बलौदाबाजार	रानीजरौद (सिमगा) तरंगा (भाटापारा) करदा (बलौदाबाजार)	3	श्रीमती मालती साहू श्रीमती जिया यदु श्रीमती निरुपा साहू	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह सरस्वती महिला स्व सहायता समूह वैभव लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह
3	मुंगेली	मोहनमट्टा (पथरिया) चोरमाटीकला (तखतपुर)	1	श्रीमती गोदावरी साहू	जय माता दी महिला स्व सहायता समूह
4	बिलासपुर	पोडी ( मस्तुरी)	2	श्रीमती प्रिमाता बाई वस्त्रकार श्रीमती सीमा वर्मा	महामाया महिला स्व सहायता समूह जय मां गायत्री महिला स्व सहायता समूह
5	रायपुर	नगपुरा (आरंग) गुल्लू (आरंग)	2	श्रीमती चंद्रकली वर्मा श्रीमती पुष्पा यादव	अक्षर महिला स्व सहायता समूह कंचन महिला स्व सहायता समूह
6	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	खपरीतेली(खैरागढ़)	1	श्रीमती सावित्री साहू	जय मां भवानी महिला स्व सहायता समूह
7	सारंगढ़-बिलाईगढ़	खनगांव (बरमकेला)	1	श्रीमती सुनीता पटेल	शुभकामना महिला स्व सहायता समूह
8	दुर्ग	मतवारी ( दुर्ग)	1	श्रीमती जागृति साहू	गायत्री महिला स्व सहायता समूह
9	जांजगीर-चांपा	पोण्डी (नवागढ़)	1	श्रीमती हेमलता मनहर	नारी निवेश महिला स्व सहायता समूह
	योग		14		

टीप :- नमो ड्रोन दीदी योजनांतर्गत इफको संस्था द्वारा महिला स्व सहायता समूह सदस्यों को ड्रोन प्रदाय किया गया है।

(विकास मिशन)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी

## परिवर्तित अतारांकेत प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1533) की जानकारी

प्रपत्र

अमनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर निर्मित गोठान की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत ग्राम गोठान का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	मद/ योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	अद्यतन भौतिक स्थिति		वर्तमान में गोठान का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है
									पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2019-20	अमनपुर	आलेखुटा	आलेखुटा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	16.04	11.76	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
2	2019-20	अमनपुर	आमदी	आमदी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	13.53	13.21	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
3	2020-21	अमनपुर	आमनेर	आमनेर	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	19.01	11.03	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
4	2020-21	अमनपुर	बकतरा	बकतरा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	10.99	9.63	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
5	2019-20	अमनपुर	बेलर	बेलर	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	16.04	10.92	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
6	2019-20	अमनपुर	बेन्दी	बेन्दी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	14.88	13.42	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
7	2020-21	अमनपुर	भरेंगा	भरेंगा	गोठानों में शौचालय निर्माण (01 महिला/01 पुरुष)	एसबीएम (ग्रामीण)	0.24	0.24	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
8	2019-20	अमनपुर	भटागांव	भटागांव	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	19.54	12.87	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
9	2020-21	अमनपुर	भाटापारा बे.	भाटापारा बे.	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	14.78	13.47	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
10	2020-21	अमनपुर	भेलवाडीह	भेलवाडीह	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	14.64	12.20	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
11	2020-21	अमनपुर	भुरका	भुरका	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	17.22	10.71	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
12	2019-20	अमनपुर	बिरोदा	बिरोदा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	18.53	10.18	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
13	2019-20	अमनपुर	चण्डी	चण्डी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	15.86	15.34	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
14	2020-21	अमनपुर	छछानपैरी	छछानपैरी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	12.62	11.22	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
15	2019-20	अमनपुर	दादरझोरी	दादरझोरी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	18.97	11.80	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
							17.89	11.55	पूर्ण	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है







64	2019-20	अमनपुर	सुन्दरकेरा	सुन्दरकेरा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा एसबीएम (ग्रामीण)	15.02	14.74	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
					गोठानों में शौचालय निर्माण (01 महिला/01 पुरुष)		0.24	0.24		
65	2018-19	अमनपुर	तामासिवनी	तामासिवनी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा एसबीएम (ग्रामीण)	17.73	16.19	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
					गोठानों में शौचालय निर्माण (01 महिला/01 पुरुष)		0.24	0.24		
66	2020-21	अमनपुर	तर्रा	तर्रा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	9.37	6.69	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
67	2022-23	अमनपुर	तर्रा	तर्रा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	8.59	5.90	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
68	2018-19	अमनपुर	टेकारी	टेकारी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा एसबीएम (ग्रामीण)	14.06	12.80	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
					गोठानों में शौचालय निर्माण (01 महिला/01 पुरुष)		0.24	0.24		
69	2018-19	अमनपुर	थनौद	थनौद	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	15.00	14.29	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
					गोठानों में शौचालय निर्माण (01 महिला/01 पुरुष)		0.24	0.24		
70	2019-20	अमनपुर	टेलकाबांघा	टेलकाबांघा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	17.31	14.45	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
71	2022-23	अमनपुर	टीला	टीला	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	8.60	0.00	-	विवाद होने के कारण कार्य अप्रारंभ
72	2018-19	अमनपुर	टोकरो	टोकरो	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	13.28	11.80	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
					गोठानों में शौचालय निर्माण (01 महिला/01 पुरुष)		0.24	0.24		
73	2018-19	अमनपुर	तोरला	तोरला	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा एसबीएम (ग्रामीण)	15.28	12.80	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
					गोठानों में शौचालय निर्माण (01 महिला/01 पुरुष)		0.24	0.24		
74	2020-21	अमनपुर	उगेतरा	उगेतरा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	11.52	9.34	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
75	2019-20	अमनपुर	उल्वा	उल्वा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	11.77	11.51	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
76	2020-21	अमनपुर	उमरपोटी	उमरपोटी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	11.16	9.78	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
77	2020-21	अमनपुर	उपरवारा	उपरवारा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी, डब्ल्यू.ए.टी, वृक्षारोपण, पशु विश्राम स्थल एवं शेड निर्माण	मनरेगा	7.93	5.61	पूर्ण	नहीं किया जा रहा है
<b>योग</b>							<b>1137.58</b>	<b>892.24</b>		

1	2018-19	आरंग	निसदा	ग्राम गौठान निसदा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	15.73	11.12		पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं	
								0.24	0.24			
2	2018-19	आरंग	गोइदा	ग्राम गौठान गोइदा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	18.34	11.61	पूर्ण	ग्राम पंचायत द्वारा संचालित		
3	2018-19	आरंग	भिलाई	ग्राम गौठान भिलाई	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	15.72	10.92	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
4	2018-19	आरंग	बनचरौदा	ग्राम गौठान बनचरौदा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	19.57	15.44	पूर्ण	ग्राम पंचायत द्वारा संचालित		
5	2018-19	आरंग	गौरमाठ	ग्राम गौठान गौरमाठ	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	19.94	11.71	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
6	2018-19	आरंग	मोखला	ग्राम गौठान मोखला	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	14.94	13.98	पूर्ण	ग्राम पंचायत द्वारा संचालित		
7	2018-19	आरंग	गिधवा	ग्राम गौठान गिधवा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	19.63	10.63	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
8	2020-21	आरंग	चरौदा	ग्राम गौठान चरौदा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	17.15	16.76	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
9	2020-21	आरंग	छटेरा	ग्राम गौठान छटेरा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	10.68	5.79	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
10	2020-21	आरंग	भलेरा	ग्राम गौठान भलेरा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	16.43	14.50	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
11	2020-21	आरंग	पंधी	ग्राम गौठान पंधी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	15.67	11.10	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
12	2020-21	आरंग	अकोलीकला - लि.	ग्राम गौठान अकोलीकला-लि.	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	11.62	11.00	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
13	2020-21	आरंग	अकोलीखुर्द-पं.	ग्राम गौठान अकोलीखुर्द-पं.	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	14.68	10.76	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
14	2020-21	आरंग	कुम्हारी	ग्राम गौठान कुम्हारी	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	17.99	16.75	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
15	2020-21	आरंग	पाहदा	ग्राम गौठान पाहदा	कोटना, पानी टंकी, वर्मी टैंक, सी.पी.टी. डब्ल्यू.ए.टी. वृक्षारोपण	मनरेगा	17.61	11.45	पूर्ण	वर्तमान में संचालित नहीं		
<b>योग</b>							<b>245.94</b>	<b>183.76</b>				
<b>महायोग</b>							<b>1383.52</b>	<b>1076.00</b>				

सही /-  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत रायपुर

(विकास मिश्रा)  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## परीशेष - बाईस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1535) की जानकारी

## प्रपत्र-अ

## प्रश्नांश "क" की जानकारी

जिला बीजापुर, सुकमा दंतेवाड़ा एवं धमतरी में सी.सी.टी.वी. कैमरा क्रय के दर एवं राशि की जिलेवार/वर्षवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
		दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बीजापुर	-	-	-	-	61321.91	3495349.00	-	-
2	सुकमा	-	-	202705.00	7500000.00	173860.00	1564737.00	-	-
3	दंतेवाड़ा	-	-	123968.00	10656616.00	-	-	-	-
4	धमतरी	-	-	-	-	60000.00	180000.00	-	-



अनुभाग अधिकारी

श्री.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रश्नांश "ख" की जानकारी

जिला बीजापुर, सुकमा दंतोवाड़ा एवं धमतरी में कथ किये गये सी.सी.टी.वी कैमरो की संख्या, कथ आदेश, वारंटी की अवधि, परफॉर्मंस सिक्युरिटी की अवधि तथा आई.पी एड्रेस संबंधित जानकारी

क्रं.	जिला का नाम	निविदा हेतु सी.सी.टी.वी. की संख्या	सी.सी.टी.वी. कथ की जानकारी		सी.सी.टी.वी. हेतु वारंटी की अवधि	परफॉर्मंस सिक्युरिटी की अवधि	निविदा हेतु उपयोग किया गया आई.पी एड्रेस	आई.पी एड्रेस का अधिकारी / कर्मचारी की जानकारी
			संख्या	आदेश क्रं./दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बीजापुर	57	57	323121100027/ 11.12.2023	1 वर्ष	1 वर्ष	192.168.192.80	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बीजापुर
2	सुकमा	37	37	323011600046/ 16.01.2023	1 वर्ष	1 वर्ष		सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सुकमा
		7	7	324022800130/ 28.02.2024	1 वर्ष	1 वर्ष	117.223.1.181	
		2	2	324022900030/ 29.02.2024	1 वर्ष	1 वर्ष		
		2	2	324022900031/ 29.02.2024	1 वर्ष	1 वर्ष		
3	दंतोवाड़ा	86	86	322041800019/ 18.04.2022	1 वर्ष	1 वर्ष	192.168.29.122	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दंतोवाड़ा
4	धमतरी	3	3	324022700017/ 27.02.2024	1 वर्ष	1 वर्ष	192.168.1.3	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास धमतरी



अनुभाग अधिकारी

आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशेष - तेईस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1699) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रदेश में वर्ष 2024-25 में पंजीकृत किसानों, धान खरीदी का अनुमान, खरीदी एवं

उठाव जानकारी (दिनांक 04.03.2025 की स्थिति में)

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	पंजीकृत किसानों की संख्या	अनुमानित उपार्जित धान की मात्रा	उपार्जित धान की मात्रा	कुल उठाव
1	2	3	4	5	6
1	बस्तर	52385	270742	276071.28	229223.27
2	बीजापुर	20643	112096	119788.80	51722.69
3	दन्तेवाड़ा	16124	30493	33431.56	27122.62
4	कांकेर	105576	544224	531429.04	422421.92
5	कौडागांव	55741	306790	312481.00	195880.67
6	नारायणपुर	12023	32317	38075.84	31439.03
7	सुकमा	18513	81040	92938.96	49856.22
8	बिलासपुर	137672	780348	691983.48	689574.10
9	गौरैलापेन्द्रामरवाही	24493	130249	140579.76	91698.95
10	जांजगीरचाम्पा	126949	707437	632793.08	631464.30
11	कोरबा	54121	316567	291554.88	291066.48
12	मुंगेली	110491	616735	556032.40	497549.38
13	रायगढ़	85241	595263	508797.64	506255.06
14	सक्ती	94600	571318	513741.16	507048.88
15	सारंगढ़बिलाईगढ़	89555	517943	465671.32	449104.77
16	बालोद	154215	826617	756559.88	712151.37
17	बेमेतरा	164699	1031939	937107.04	828315.81
18	दुर्ग	114757	648484	576107.12	570665.17
19	कवर्धा	129500	664157	649362.24	562279.25
20	राजनांदगांव	133016	773756	701488.36	546126.49
21	खैरागढ़छुईखदानगण्डई	71572	426350	403764.12	305864.29
22	मोहलामानपुरअं.चौकी	44877	239787	222042.60	133277.45
23	बलौदाबाजार	167814	962910	855396.64	797344.57
24	धमतरी	128344	674312	619813.60	619813.60
25	गरियाबंद	91163	536768	535349.96	468161.71
26	महासमुंद	162288	1245963	1104273.24	908191.39
27	रायपुर	139303	787671	699741.72	692319.79
28	बलरामपुर	51750	285505	297036.12	237504.29
29	जशपुर	51307	336458	373937.16	263267.43
30	कोरिया	23117	137195	128475.12	120746.94
31	सरगुजा	62409	351073	364690.36	362572.34
32	सुरजपुर	64669	361945	397204.48	368954.67
33	मनेन्द्रगढ़चिरमिरीभरतपुर	20171	95548	96989.56	96125.16
	<b>योग</b>	<b>2779098</b>	<b>16000000</b>	<b>14924709.52</b>	<b>13265110.06</b>

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## खरीफ 2024-25 प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) हेतु पंजीकृत जिलेवार पंजीयन रिपोर्ट (दिनांक 25-02-2025 की स्थिति में)

क्र.	जिला	अरहर			उड़द			मूंग			सोयाबीन			मूंगफली			कुल		
		पंजीयन संख्या	प्रतिष्ठ रकबा (हे.)	गिरदावरी रकबा (हे.)	पंजीयन संख्या	प्रतिष्ठ रकबा (हे.)	गिरदावरी रकबा (हे.)	पंजीयन संख्या	प्रतिष्ठ रकबा (हे.)	गिरदावरी रकबा (हे.)	पंजीयन संख्या	प्रतिष्ठ रकबा (हे.)	गिरदावरी रकबा (हे.)	पंजीयन संख्या	प्रतिष्ठ रकबा (हे.)	गिरदावरी रकबा (हे.)	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	बस्तर	92	12.02	10.95	876	206.10	199.61	0	0.00	0.00	2	0.07	0.07	0	0.00	0.00	938	218.19	210.63
2	बीजापुर	1	0.20	0.20	103	30.19	23.91	92	27.09	24.04	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	172	57.48	48.15
3	दन्तेवाड़ा	62	8.38	8.40	253	65.78	63.93	39	8.43	8.03	7	0.59	0.59	1	0.00	0.00	326	83.18	80.95
4	कोरकूर	238	22.63	19.12	5175	1125.15	1065.31	52	7.72	7.42	4	6.19	3.62	10	1.08	0.57	5378	1161.84	1095.46
5	कोडगांव	15	2.08	1.67	4560	1181.07	1169.02	9	1.18	1.18	1	0.30	0.30	0	0.00	0.00	422	136.96	136.49
6	नारायणपुर	2	0.22	0.22	422	136.66	136.19	111	0.08	0.08	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	259	98.75	88.09
7	सुकमा	76	23.19	22.30	96	32.71	26.94	0	42.85	38.86	0	0.00	0.00	17	4.28	3.79	119	25.95	21.26
8	बिलासपुर	84	17.42	13.80	18	2.24	1.66	0	0.00	0.00	4	2.02	2.02	203	39.93	28.64	1034	265.24	223.72
9	गौरता पेन्डा मरवाही	284	68.33	55.91	698	156.10	138.34	5	0.84	0.79	1	0.05	0.05	4	1.34	1.34	24	2.74	2.72
10	जाजगीर चाम्पा	14	1.06	1.06	6	0.35	0.33	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	64	21.14	19.53	633	145.16	141.81
11	कोरबा	226	39.31	39.02	432	83.48	82.03	7	1.23	1.23	0	0.00	0.00	425	151.26	147.45	745	334.11	327.85
12	मंगेरी	506	154.17	153.50	17	3.62	2.95	0	0.00	0.00	26	25.07	23.96	1397	365.84	315.27	4007	1677.97	1616.72
13	रायगढ़	867	201.96	200.90	3078	1084.25	1074.64	162	25.92	25.92	0	0.00	0.00	122	12.76	8.78	660	53.55	46.95
14	सक्ती	6	0.45	0.38	562	39.73	37.27	6	0.62	0.52	0	0.00	0.00	1881	192.36	147.68	6208	697.07	625.23
15	सारगढ़ बिलाईगढ़	35	2.18	2.04	4808	473.25	447.27	224	29.27	28.24	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	566	107.01	103.90
16	बालोद	247	34.49	32.85	348	65.36	64.24	6	6.45	6.10	1	0.71	0.71	499	126.71	121.57	3367	1646.80	1575.56
17	बेमतरा	2450	811.82	780.63	104	16.68	14.75	4	2.31	2.31	879	689.28	656.30	1	0.06	0.06	1208	756.68	725.31
18	दुर्ग	578	229.35	220.32	34	7.93	7.93	7	1.27	1.15	766	518.07	495.85	1	0.08	0.08	6793	3498.77	3432.60
19	कवर्धा	4274	1323.67	1291.20	456	64.30	62.53	15	3.36	3.36	1619	1856.26	1846.66	967	251.18	230.61	1295	706.97	659.52
20	राजनांदगांव	371	100.40	90.20	98	15.06	13.83	10	0.84	0.84	892	590.59	554.56	1	0.08	0.08	6939	4003.18	3889.00
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	2244	571.79	543.73	488	64.23	53.38	10	2.49	2.49	5288	3363.97	3288.70	4	0.71	0.71	112	26.61	23.12
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	65	15.95	13.87	47	9.58	8.98	2	0.81	0.81	0	0.00	0.00	1	0.27	0.27	338	108.86	98.57
23	बलौदाबाजार	86	40.36	34.69	121	18.79	17.87	1	0.41	0.41	24	37.20	34.11	118	12.11	11.49	345	57.40	55.37
24	धमतरी	30	2.67	2.48	310	53.82	51.98	3	0.41	0.41	0	0.00	0.00	5	0.50	0.50	1518	439.81	418.66
25	गरियाबंद	563	113.20	104.19	795	274.77	266.66	12	1.92	1.55	0	0.00	0.00	320	49.93	46.27	9909	2462.49	2125.04
26	महासमंद	149	19.50	16.45	7781	1714.30	1547.46	1241	199.64	177.26	0	0.00	0.00	3055	529.05	383.87	55	22.44	19.71
27	रायपुर	31	13.16	13.16	15	4.25	4.18	1	0.40	0.40	1	1.62	1.62	10	3.01	0.35	4554	1415.25	1392.95
28	बलरामपुर	2994	848.88	843.26	2165	434.61	430.84	1	0.05	0.05	1	0.04	0.04	934	131.68	118.76	6737	2988.12	2820.56
29	जशपुर	2386	678.71	646.96	4625	1587.65	1540.98	45	9.29	8.24	2	0.42	0.42	2575	712.04	623.96	2089	590.34	574.50
30	कोरिया	1353	270.50	265.12	1396	284.56	276.65	3	0.66	0.66	0	0.00	0.00	195	34.63	32.07	10916	2421.25	2201.04
31	सरगजा	5469	880.59	815.23	6740	1097.76	1030.43	11	2.85	1.25	0	0.00	0.00	3090	440.06	354.13	10711	2552.79	2269.82
32	सुरजपुर	4855	763.95	718.92	6268	1040.59	983.05	24	3.57	2.78	0	0.00	0.00	3090	744.68	565.07	4050	1027.53	1013.73
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	2956	615.99	606.48	2523	401.77	397.80	3	0.33	0.33	0	0.00	0.00	87	9.44	9.12	97006	30976.20	29237.73
	महाबोग	33609	7888.55	7569.16	55418	11776.66	11242.94	2098	382.29	344.13	10518	7092.44	6909.57	18456	3836.26	3171.93			

(सिंकास मिश्रा)  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

## रबी 2024-25 प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) हेतु पंजीकृत जिलेवार पंजीयन रिपोर्ट (दिनांक 25-02-2025 की स्थिति में)

क्र.	जिला	चना		मसूर		राई/सरसो		कुल	
		पंजीयन संख्या	प्रविष्ट रकबा (हे.)	पंजीयन संख्या	प्रविष्ट रकबा (हे.)	पंजीयन संख्या	प्रविष्ट रकबा (हे.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बस्तर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	बीजापुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	दन्तेवाड़ा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	काकर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	कोंडागांव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	नारायणपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	सुकमा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	बिलासपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	गौरला पेन्ड्रा मरवाही	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	जाजगीर चाम्पा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	कोरबा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	मंगली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	रायगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	सक्ती	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	बालोद	6548	7470.62	24	7.73	131	125.69	6604	7604.04
17	बेमतरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	दुर्ग	6	19.42	0	0.00	9	21.04	15	40.46
19	कवर्धा	1	3.25	1	0.01	1	0.51	1	3.76
20	राजनांदगांव	2	2.19	0	0.00	0	0.00	2	2.19
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	बलौदाबाजार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	धमतरी	9970	10855.15	14	8.19	209	214.05	10104	11077.39
25	गरियाबंद	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26	महासमूद	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	रायपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28	बलरामपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
29	जशपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30	कोरिया	1	2.24	1	0.61	1	0.22	1	3.07
31	सरगुजा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32	सरजपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	<b>महायोग</b>	<b>16528</b>	<b>18352.87</b>	<b>40</b>	<b>16.54</b>	<b>351</b>	<b>361.51</b>	<b>16727</b>	<b>18730.92</b>

(विकास मिश्र)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-द

खरीफ फसलों (अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली) एवं रबी फसलों (चना, मसूर, सरसो) हेतु निर्धारित अनुमानित लक्ष्य की जानकारी

(मात्रा 000 मेट्रन में)

क्रमांक	फसल का नाम	अनुमानित लक्ष्य
1	2	3
1	अरहर	5.17
2	उड़द	6.04
3	मूंग	0.21
4	सोयाबीन	6.80
5	मूंगफली	7.91
6	चना	52.74
7	मसूर	1.37
8	सरसो	3.05
	योग	83.29

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-इ

## धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी का रिपोर्ट दिनांक 04/03/2025

क्रमांक	उपार्जन केन्द्र का नाम	खरीदी मात्रा (क्विंटल में)
1	2	3
1	तरसीवा	66.00
2	लोहरसी	0.00
3	कातलबोड़	5.50
4	रामपुर	19.50
कुल योग :-		91.00

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग


पंरोशेष्ट - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1730) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास तथा आश्रमों की जानकारी

क	संस्था का प्रकार	अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			कुल योग		महायोग
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्री.मैट्रिक छात्रावास	896	430	1326	198	144	342	3	5	8	1097	579	1676
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	159	159	318	48	44	92	24	23	47	231	226	457
3	आश्रम	714	459	1173	26	25	51	0	0	0	740	484	1224
	योग	1769	1048	2817	272	213	485	27	28	55	2068	1289	3357

  
**अनुभाग अधिकारी**  
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मंत्रालय, नया रावपुर

## प्रपत्र - "ब"

## प्रश्नांश "क" की जानकारी

प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास तथा आश्रमों हेतु वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक क्रय की गई सामग्रियों की जानकारी

क	वर्ष	सामग्री का नाम	सामग्री का क्रय निविदा अथवा रेट कांट्रेक्ट पर किया गया।	सामग्री का क्रय डिमांड के आधार अथवा स्व-निर्णय पर किया गया।	सामग्री का क्रय हेतु स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया गया अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	थाली, गिलास, बाल्टी, आलमारी, तखत, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, पानी ड्रम, जग, टाट पट्टी, भगोना, कढ़ाई, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट चेयर, कूकर, अनाज कोठी, गद्दा, मच्छरदानी, फिलाईल, सीलींग पंखा, परात, इस्टरबोन, प्लास्टिक बाल्टी, एल.ई.डी. लाइट, चम्मच, तकिया, सबमर्सिबल पंप, कंट्रोल पैनल, डायनिंग टेबल, कंबल, चादर, सेनेटरी पैड, स्टील पानी टंकी, गैस भट्टा, खेल सामग्री, सी.सी.टी.वी कैमरा आदि।	सामग्री का क्रय रेट कांट्रेक्ट (सी.एस.आई.डी.सी) एवं निविदा पर किया गया है।	सामग्री का क्रय डिमांड के आधार पर किया गया है।	सामग्री का क्रय हेतु स्थापित प्रक्रियाओं एवं छ. ग. मण्डार क्रय नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।
2	2022-23		सामग्री का क्रय रेट कांट्रेक्ट (सी.एस.आई.डी.सी) एवं निविदा पर किया गया है।	सामग्री का क्रय डिमांड के आधार पर किया गया है।	सामग्री का क्रय हेतु स्थापित प्रक्रियाओं एवं छ. ग. मण्डार क्रय नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।
3	2023-24		सामग्री का क्रय रेट कांट्रेक्ट (सी.एस.आई.डी.सी) एवं निविदा पर किया गया है।	सामग्री का क्रय डिमांड के आधार पर किया गया है।	सामग्री का क्रय हेतु स्थापित प्रक्रियाओं एवं छ. ग. मण्डार क्रय नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।
4	2024-25 (दिनांक 10.02.2025 की स्थिति में)		सामग्री का क्रय रेट कांट्रेक्ट (सी.एस.आई.डी.सी) एवं निविदा पर किया गया है।	सामग्री का क्रय डिमांड के आधार पर किया गया है।	सामग्री का क्रय हेतु स्थापित प्रक्रियाओं एवं छ. ग. मण्डार क्रय नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।



**अनुभाग अधिकारी**  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रावपुर

## परोशेष्ट - पचोस

परिवातत अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1890) की जानकारी

प्रपत्र

वायु गुणवत्ता के मापन हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापक यंत्र (पी.एम.10/पी.एम.2.5 सेम्पलर) /मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जिलावार एवं वर्षवार जानकारी :-

क्रमांक	जिला	स्टेशन का नाम व पता		मापन पद्धति	स्थापना दिनांक
1.	रायपुर	1	एम्स टाटीबंध रायपुर	मैनुअली	01/05/2019
		2	क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, न्यू एच.आईजी, जी-9, हीरापुर, टाटीबंध, रायपुर	मैनुअली	वर्ष-1995
		3	बूलवर्थ (इंडिया) प्रा. लि., सरोरा, रायपुर	मैनुअली	वर्ष-1992
		4	नगर निगम आफिस, खमतराई, रायपुर	मैनुअली	01/03/2019
		5	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रावाभाठा, रायपुर	मैनुअली	01/07/2019
		6	जिला हॉस्पिटल, पंडरी, रायपुर	मैनुअली	01/08/2019
		7	प्राईमरी हेल्थ सेंटर, ग्राम-रीवा, ब्लॉक-आरंग, रायपुर	मैनुअली	03/05/2024
		8	सी. एम. आई. डी. सी., कार्यालय परिसर, मिलतरा, रायपुर	ऑनलाईन	01/06/2022
		9	न्यू बस स्टैण्ड भाठागांव, रायपुर	ऑनलाईन	01/06/2022
		10	एम्स टाटीबंध, रायपुर	ऑनलाईन	01/06/2022
		11	इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, जोरा, रायपुर	ऑनलाईन	01/06/2022
2.	धमतरी	12	जिला हॉस्पिटल, धमतरी	मैनुअली	01/09/2023
		13	लाईवलीहूड कॉलेज हास्टल, धमतरी	मैनुअली	01/09/2023
3.	महासमुंद	14	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय महासमुंद	मैनुअली	01/01/2025
		15	कार्यालय नगर पालिक परिषद, महासमुंद	मैनुअली	01/01/2025
4.	विलासपुर	16	पर्यावरण संरक्षण मंडल, भवन व्यापार विहार, विलासपुर	मैनुअली	17/09/2010
		17	नगर पालिक निगम, विलासपुर कार्यालय जोन क्रमांक 08, कोनी	मैनुअली	05/02/2024
		18	नगर पालिक निगम, विलासपुर कार्यालय जोन क्रमांक 06, तोरवा, विलासपुर	मैनुअली	05/02/2024
		19	नगर पालिक निगम, विलासपुर कार्यालय जोन क्रमांक 01, सकरी, विलासपुर	मैनुअली	05/02/2024
		20	नगर पालिक निगम, विलासपुर कार्यालय जोन क्रमांक 02, तिफरा, विलासपुर	मैनुअली	05/02/2024
		21	जन स्वास्थ्य सहयोग, ग्राम-गनियारी, विलासपुर	मैनुअली	05/02/2024
5.	रायगढ़	22	ओ.पी. जिल्दल इण्डस्ट्रीयल पार्क पुंजीपथरा तुमीडीह, रायगढ़	ऑनलाईन	01/06/2022
		23	ओ.पी. जिल्दल स्कूल, कुंजेमुरा, रायगढ़	ऑनलाईन	01/06/2022
		24	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-मिलूपारा, रायगढ़	ऑनलाईन	01/08/2022
		25	एस. ई. सी. एल., कॉलोनी, नवापारा, झाल, रायगढ़	ऑनलाईन	01/06/2022
		26	क्षेत्रीय कार्यालय भवन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, टी.बी. टावर रोड, रायगढ़	मैनुअली	01/11/2017
		27	प्रशासकीय भवन, जिल्दल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पुंजीपथरा, रायगढ़	मैनुअली	01/11/2017
		28	ओ. पी. जिल्दल स्कूल, जे.एस.पी.एल., पतरापानी, रायगढ़	मैनुअली	17/04/2019
6.	दुर्ग	29	लघु उद्योग निगम, इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई	मैनुअली	07/12/1988
		30	बोकारो हॉस्टल, सेक्टर-04, भिलाई	मैनुअली	21/12/1987
		31	क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई	मैनुअली	16/12/1987
		32	सी.एस.आई.डी.सी., पुराना ऑफिस, औद्योगिक विकास केन्द्र, वोरई	मैनुअली	03/11/2017

		33	क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई	ऑनलाईन	01/08/2022
		34	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई	ऑनलाईन	23/08/2022
7.	राजनांदगांव	35	कम्पोजिट बिल्डिंग कलेक्टोरेट, राजनांदगांव	मैनुअली	09/10/2023
		36	पद्मश्री गोविन्द राम ऑडिटोरियम भवन, गौरव पथ, राजनांदगांव	मैनुअली	11/10/2023
8.	बेमेतरा	37	हायर सेकेण्डरी स्कूल, गुधेली, बेरला, बेमेतरा	मैनुअली	20/02/2024
9.	कोरवा	38	तहसील ऑफिस के पास, रामपुर, कोरवा	मैनुअली	01/05/2008
		39	प्रगति नगर, जामनीपाली, कोरवा	मैनुअली	05/11/1993
		40	आई.टी.आई, रामपुर, कोरवा	मैनुअली	20/08/2004
		41	गितांजली भवन, कोरवा	मैनुअली	22/06/2019
		42	क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, तहसील ऑफिस के पास, रामपुर, कोरवा	ऑनलाईन	01/06/2022
		43	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, डी.ए.वी., गेवरा, कोरवा	ऑनलाईन	01/06/2022
10.	बस्तर	44	ऑफिस परिसर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी.-05 एवं 06, अधनपुर, एच.बी.सी., जगदलपुर	मैनुअली	22/02/2023
		45	जूनियर एच.आई.जी., बी-10, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोधघाट, जगदलपुर	मैनुअली	12/01/2023
		46	मेसर्स विमल स्टोन एसोसिएट, सेमी अर्बन आई. ए. फ्रेजरपुर, जगदलपुर	मैनुअली	02/12/2024
11.	कांकेर	47	सरफेस इंजीनियरिंग ऑफिस, सिंगरभाट, मेन रोड, कांकेर	मैनुअली	11/03/2024
		48	सी-2, महेश्वरी कॉलोनी, रामनगर, कांकेर	मैनुअली	11/03/2024
12.	सरगुजा	49	ऑफिस परिसर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कन्या परिसर रोड, अंबिकापुर	मैनुअली	02/02/2024
		50	डाटा सेंटर, गांधी चौक, अंबिकापुर	मैनुअली	10/01/2024

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 रायपुर

## पारोशेष्ट - छबोस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1974) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2022-23 से 31-01-2025 तक पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीणों द्वारा प्राप्त शिकायत तथा की गई कार्यवाही की जानकारी

वर्ष 2022						
क्र	शिकायत कर्ता का नाम व पता	शिकायत का विषय व विवरण	शिकायत प्राप्ति का माध्यम एवं दिनांक	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	श्रीमती खिलेश्वरी साहू सभापति जनपद पंचायत राजनांदगांव जिला राजनांदगांव	ग्राम टेडसेरा स्थित पी. एस. ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी एवं शिवनाथ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से निकलने वाले गंदा पानी को बंद कराने बाबत।	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव का पत्र दिनांक 21.10.2022	27.12.2022	शिकायत पत्र में उल्लेखित उद्योग मेसर्स पी.एस. स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, ग्राम टेडसेरा निरीक्षण दिवस पर संचालित पाया गया। उद्योग में प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु स्थापित ईटीपी संचालित पाया गया तथा परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया तथा उद्योग मेसर्स शिवनाथ उद्योग ग्राम टेडसेरा निरीक्षण दिवस पर बंद पाया गया। उद्योग में प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु ईटीपी स्थापित किया गया है तथा परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	श्रीमती अनिता वर्मा ग्राम पंचायत पेंड्री जनपद पंचायत डोंगरगढ़	पेंड्री नाला एनीकट में प्रदूषित मिष्ठान फेकने के कारण पानी प्रदूषित/ विषेला होने बाबत।	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव का पत्र दिनांक 21.10.2022	27.12.2022	शिकायत पत्र में उल्लेखित उद्योग मेसर्स कलश प्रोडक्ट ग्राम ब्राम्हनी तहसील डोंगरगढ़ निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया। उद्योग में मिष्ठान का निर्माण किया जाता है। मौके पर परिसर में मिष्ठान अपशिष्ट का भण्डारण नहीं पाया गया तथा एनीकट में अपशिष्ट को फेंका जाना नहीं पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
वर्ष 2023						
1.	श्री संतोष कुमार लोहिया निवासी- कामठी लार्डन, राजनांदगांव	मेसर्स जनता इण्डस्ट्री ग्राम-पैरी तहसील डोंगरगांव से प्रदूषण एवं पर्यावरण दूषित करने की शिकायत	कार्यालय कलेक्टर जिला राजनांदगांव का ज्ञापन दिनांक 24.02.2023	24.03.2023	शिकायत पत्र में उल्लेखित उद्योग मेसर्स जनता इण्डस्ट्री ग्राम-पैरी तहसील डोंगरगांव में स्थापित ईटीपी बन्द पाया गया, परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण पाया गया। उद्योग में राखड़ का अव्यवस्थित भण्डारण पाया गया।	उद्योग का जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क के तहत दिनांक 27.03.2023 को नोटिस जारी किया गया।
				19.04.2023	नोटिस के परिप्रेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	श्री महेश कुमार साहू एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम टेडसेरा तहसील एवं जिला राजनांदगांव	टेडसेरा स्थित पी.एस. स्टील व शिवनाथ उद्योग द्वारा प्रदूषित पानी की निकासी पर तत्काल रोक लगाने बाबत	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव का पत्र दिनांक 03.03.2023	12.04.2023	निरीक्षण के दौरान उद्योगों पी.एस. स्टील व शिवनाथ उद्योग ग्राम-टेडसेरा जिला-राजनांदगांव में स्थापित ईटीपी संचालित पाया गया। परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

3.	सरपंच एवं ग्रामवासी, ग्राम पंचायत ईरा राजनांदगांव ।	श्रद्धा राइस मिल सांकरा एवं कमल साल्वेंट सोमनी से हो रहे प्रदूषण एवं काला डस्ट के संबंध में।	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव का पत्र दिनांक 26.04.2023	12.07.2023	शिकायत पत्र में उल्लेखित उद्योग मेसर्स श्रद्धा राइस मिल के बायलर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्थापित मेकेनिकल डस्ट कलेक्टर संचालित पाया गया तथा ठोस अपशिष्ट राखडु के भण्डारण हेतु कवर्डशेड निर्मित किया जाना पाया गया। उद्योग में वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा उद्योग मेसर्स कमल साल्वेंट में स्थापित ईटीपी बन्द पाया गया एवं परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण अवलोकित किया गया। बायलर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्थापित मेकेनिकल डस्ट कलेक्टर पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया जिससे चिमनी उत्सर्जन की स्थिति अवलोकित किया गया।	उद्योग मेसर्स कमल साल्वेंट को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत दिनांक 13.07.2023 को नोटिस जारी किया गया।
				03.08.2023	उद्योग मेसर्स कमल साल्वेंट का निरीक्षण किया गया। उद्योग द्वारा नोटिस के परिप्रेक्ष्य में सुधारामक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
4.	अध्यक्ष ग्राम विकास समिति मोखली एवं समस्त ग्रामवासी तहसील डोंगरगांव।	ग्राम मोखली में चल रहे चूना पत्थर खदान (मेसर्स देवलाल वर्मा माइन्स ग्राम मोखली) पर प्रतिबंध लगाने बावत्	कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) राजनांदगांव का पत्र दिनांक 01.05.2023	24.05.2023	उत्खनन कार्य बंद पाया गया, फ्युजिटिव उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना, खदान की घेराबन्दी किया जाना पाया गया, खदान की परिधि से लगभग एक किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं होना पाया गया, क्रशर प्लांट बन्द पाया गया, क्रशर के स्क्रीन को टीन शेड से कवर्ड किया जाना पाया गया तथा क्रशर में जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
5.	सरपंच ग्राम पंचायत फरहद, विकास खंड व जिला-राजनांदगांव	फैक्ट्री (मे0 अन्नपूर्णा राईस, जंगलपुर, राजनांदगांव) से निकलने वाले गंदा पानी नाला में बहाने से रोक लगाने बाबत्।	कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव का जन-चौपाल का पत्र दिनांक 13.06.2023	06.09.2023	निरीक्षण दिवस उद्योग मे0 अन्नपूर्णा राईस, जंगलपुर, राजनांदगांव संचालित पाया गया। उद्योग से उत्पन्न दूषित जल उपचार हेतु स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्र (ईटीपी) कार्यरत पाया गया। उद्योग परिसर के बाहर उपचारित जल का निस्सारण नहीं पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
6.	श्री राजीव सिंह, त्रिदिव माँ बंजारी धाम के पास, ग्राम-बरगाही तहसील-धुमका।	ग्राम बरगाही माँ बंजारी धाम के पास स्थापित डामर प्लांट (हॉट मिक्स प्लांट-मेसर्स ओम इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी) के प्रदूषण से मुक्ति दिलाने बाबत्।	आवेदक का पत्र मण्डल में प्राप्त दिनांक 20.09.2023	09.10.2023	निरीक्षण के दौरान हॉट मिक्स प्लांट-मेसर्स ओम इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी मण्डल से बिना जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये संचालित होना पाया गया।	उद्योग पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत दिनांक 09-10-2023 को उक्त हॉट मिक्स प्लांट का उत्पादन बन्द करने/विद्युत विच्छेदन के निर्देश दिये गये।
<b>वर्ष 2024</b>						
1.	सरपंच ग्राम पंचायत भानपुरी जनपद पंचायत एवं जिला राजनांदगांव	ग्राम पंचायत भानपुरी में संचालित चूना पत्थर खदान को बंद करने बाबत्।	कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) राजनांदगांव का पत्र दिनांक 15.01.2024	27.02.2024	निरीक्षण दिवस पर खनन कार्य नहीं किया जाना पाया गया। प्रदूषण की स्थिति नहीं पाई गई।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

2.	श्री विवेक कुमार शर्मा, जिला उपाध्याय, भारतीय जनता युवा मोर्चा, राजनांदगांव	मनिन्दर सिंह के द्वारा अवैध रूप से स्टोन क्रशर (खसरा नं. 106 डुमरडीहकला) के संचालन को बंद कराये जाने बाबत।	आवेदक का पत्र दिनांक 08.04.2024	16.04.2024  24.05.2024	शिकायत पत्र में उल्लेखित क्रशर प्लांट का वायुब्रेटरी स्क्रीन कवर्ड नहीं होने, जल छिड़काव हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने तथा क्रशर परिसर की सड़क में धूल के जमाव से फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।  उद्योग द्वारा नोटिस के परिप्रेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत दिनांक 16.04.2024 को नोटिस जारी किया गया।  स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3.	सरपंच ग्राम पंचायत फरहद, विकास खंड व जिला- राजनांदगांव	फैक्ट्री (मे0 अन्नपूर्णा राईस, जंगलपुर राजनांदगांव) से निकलने वाले काले धूल उड़ने बाबत।	कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव का जन-चौपाल पत्र दिनांक 06.08.2024	12.08.2024  29.08.2024	शिकायत पत्र में उल्लेखित उद्योग मे0 अन्नपूर्णा राईस, जंगलपुर राजनांदगांव निरीक्षण दिवस पर संचालित पाया गया। उद्योग में स्थापित बायलर इकाई से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु साइक्लोनिक डस्ट कलेक्टर पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाए जाने के कारण चिमनी से उत्सर्जन तथा राखड़ के खुले में भंडारित होने की वजह से फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति अवलोकित किया गया है। वर्षा जल के साथ मिलकर राखड़ का बहाव परिसर के बाहर होना पाया गया।  उद्योग द्वारा नोटिस के परिप्रेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु नोटिस जारी कर रुपये 15,625/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मण्डल में जमा की गई है।  स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
4.	श्रीमती रेखा कोसरे, सरपंच एवं अन्य ग्राम पंचायत खुटेरी, विकासखंड एवं जिला- राजनांदगांव	मे0 कमल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्सन प्रा0 लि0, खुटेरी की पर्यावरण एवं प्रदूषण जांच व घास-भूमि की जांच कराने बाबत।	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव का पत्र दिनांक 07.10.2024	26.10.2024  29.10.2024	उद्योग की सॉल्वेंट इकाई बंद पाई गई तथा रिफाईनरी इकाई संचालित पाई गई। आंशिक उपचारित दूषित जल का परिसर के बाहर निस्सारण किया जाना पाया गया। उद्योग में स्थापित बायलर से संबद्ध चिमनी से उत्सर्जन एवं ठोस अपशिष्ट यथा राखड़ का अव्यवस्थित खुले में भण्डारण से फ्यूजिटिव उत्सर्जन पाया गया।  उद्योग द्वारा नोटिस के परिप्रेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु नोटिस जारी कर रुपये 37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मण्डल में जमा की गई है।  स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
5.	श्रीमती रेखा कोसरे, सरपंच एवं अन्य ग्राम पंचायत खुटेरी, विकासखंड एवं जिला- राजनांदगांव	मे0 हाईटेक पैनल प्रा0 लि0, खुटेरी की पर्यावरण एवं प्रदूषण जांच व घास-भूमि की जांच कराने बाबत।	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव का पत्र दिनांक 07.10.2024	26.10.2024	उद्योग मे0 हाईटेक पैनल प्रा0 लि0, खुटेरी में बायलर सेक्शन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित वेट स्कबर एवं डस्ट कलेक्टर संचालित पाया गया तथा उत्पन्न राखड़ का उपयोग भू-भरण हेतु किया जाता है। स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।


6.	श्रीमती रेखा कोसरे, सरपंच एवं अन्य ग्राम पंचायत खुटेरी, विकासखंड एवं जिला- राजनांदगांव	मे0 अरिहंत पैकेजिंग, खुटेरी की पर्यावरण एवं प्रदूषण जांच व घास-भूमि की जांच कराने बाबत।	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव का पत्र दिनांक 07.10.2024	26.10.2024	उद्योग मे0 अरिहंत पैकेजिंग, खुटेरी संचालित नहीं पाया गया। उद्योग में विद्युत चलित मशीन का उपयोग किया जाता है। उद्योग प्रदूषणकारी प्रकृति का नहीं है। स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
7.	श्रीमती रेखा कोसरे, सरपंच एवं अन्य ग्राम पंचायत खुटेरी, विकासखंड एवं जिला- राजनांदगांव	मेसर्स जय अम्बे मक्का चिप्स प्रा0 लि0, खुटेरी के द्वारा अपने फैक्ट्री में अन्य और उद्योग चालकर नियम विरुद्ध कार्य पर्यावरण प्रदूषण जांच की जांच कराने बाबत।	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव का पत्र दिनांक 07.10.2024	26.10.2024	निरीक्षण दिवस उद्योग मरम्मत कार्य के कारण बन्द पाया गया। उद्योग में स्थापित बायोमॉस चलित बॉयलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण प्रदूषण का स्थिति निर्मित होने की संभावना है तथा उद्योग द्वारा मंडल से सम्मति भी प्राप्त नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग मेसर्स जय अम्बे मक्का चिप्स प्रा0 लि0, खुटेरी पर एवं उद्योग परिसर में संचालित एक अन्य और उद्योग मेसर्स सोनी पेपर प्रोडक्ट्स के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत उत्पादन बन्द करने / विद्युत विच्छेदन करने के निर्देश दिये गये।
8.	श्री गणेश राम वर्मा, ग्राम नाथुनवागांव, तुमडीबोड़, तहसील डोंगरगांव	स्वयं के कृषि भूमि में गंदा पानी एवं प्रदूषित पदार्थ के संबंध में आवेदन पत्र।	कार्यालय कलेक्टर जिला राजनांदगांव का पत्र दिनांक 19.12.2024	28.01.2025	होटल छत्तीसगढ़ पैलेस के पीछे की ओर कृषि भूमि लगी हुई है। होटल से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया जाना पाया गया तथा कृषि भूमि में दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया। होटल से उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके एवं बचे हुये भोजन आदि को गड्ढे में डालकर खाद बनाया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

  
**अवर सचिव**  
**छत्तीसगढ़ शासन**  
**आवास एवं पर्यावरण विभाग**  
**मंत्रालय, रायपुर**

परिशेष - सत्ताईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2000) की जानकारी प्रपत्र-अ

क	वर्ष	सामग्री आपूर्ति मद् (विभागीय मद्)		डी.एम.एफ मद्	
		प्राप्त आवंटन	व्यय राशि	प्राप्त आवंटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1	2022-23	299.32	188.24	814.765	803.336
2	2023-24	204.81	158.34	129.347	111.960
3	2024-25 (15.02.2025)	116.95	114.78	155.27	136.27

  
 अनुभाग अधिकारी  
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मंत्रालय, नया रायपुर

## प्रश्नांश "ख" की जानकारी

दन्तेवाड़ा जिला द्वारा कय की गई सामग्री, फर्म/एजेंसी का नाम एवं फर्म/एजेंसी को किये गये भुगतान की वर्षवार जानकारी

क्र.	वर्ष	सामग्री का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
<b>विभागीय मद</b>				
1	2022-23	तकिया दरी	छ0ग0 राज्य हाथ करघा	1778669.00
2		गद्दा	छ0ग0 राज्य हाथ करघा	2206600.00
3		शू रेक, सब्जी रेक टायलेट क्लीनर	ए.जे.सप्लायर	5048440.00
4		फिनाईल	अमर मेडिकल स्टोर	417199.00
5		एल.ई.डी मानिटर	साई इन्टर प्राईजेस	82800.00
6		फुड कंटेनर	सारथी इन्टर प्राईजेस	700800.00
7		प्लास्टिक झाडू	सारथी इन्टर प्राईजेस	241664.00
8		कम्प्युटर सामग्री	साई इन्टर प्राईजेस	50335.00
9		कार्यालय सामग्री	जीत मेटल स्टोर्स	69900.00
10		एंगल आयरन कोट	नेताम इंजीनियरिंग	441593.00
11		एंगल आयरन कोट	नेताम इंजीनियरिंग	175687.00
12		रिवालविंग चेर	साई इन्टर प्राईजेस	5225.00
13		रिवालविंग चेर	अरबन सप्लायर	319087.00
14		सिलिंग फेन विथ रेगुलेटर	अरबन सप्लायर	47863.00
15		आफिस चेर	साई इन्टर प्राईजेस	2136.00
16		सिलिंग फेन विथ रेगुलेटर	अरबन सप्लायर	37227.00
17		कम्प्युटर चेर	साई इन्टर प्राईजेस	1772.00
18		जाति प्रमाण पत्र	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	1199352.00
19		जाति प्रमाण पत्र	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	2699929.00
20		जाति प्रमाण पत्र	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	3297959.00
21	2023-24	सत्कार व्यवस्था	गरिमा किराना स्टोर	68897.00
22		डोंगल, प्रिंटर, वाटर कुलर	ऋषभ इन्टर प्राईजेस	249267.00
23		फिनाईल	जीत मेटल स्टोर्स	35030.00
24		आवश्यक सामग्री	जीत मेटल स्टोर्स	24800.00
25		ट्यूब लाईट	छ0ग0 इन्टरप्राईजेस	700852.00
26		पंखा	जी.एस.इन्टरप्राईजेस	1745007.00
27		फिनाईल	नलिन मेडिकल स्टोर	830956.00
28		एल.ई.डी लैंप	जी.एस.इन्टरप्राईजेस	147197.00
29		ट्यूब लाईट	ओरियेटल सेल्स कारपोरेशन	198574.00
30		पंखा	अरबन सप्लायर	446772.00
31		स्टेशनरी सामग्री	पूनम इन्टरप्राईजेस	133997.00
32		स्टेशनरी सामग्री	किरण इन्फ्रा	399821.00
33		पंजी	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	470489.00


क्र.	वर्ष	सामग्री का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
34		पंजी	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	588112.00
35		पंजी	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	117622.00
36		पंजी	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	29311.00
37		आवेदन फार्म	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	82198.00
38		छात्रावास पंजी	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	12106.00
39		आवेदन फार्म	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	11469.00
40		पेपर पेटी	संजू इन्टरप्राइजेस	49380.00
41		कॉटरेज	संजू इन्टरप्राइजेस	99474.00
42		कॉटरेज	संजू इन्टरप्राइजेस	98480.00
43		लेखन सामग्री	पूनम इन्टरप्राइजेस	149895.00
44		पंजी	आदर्श सहकारी मुद्रालेखन	1886500.00
45		कार्यालय सामग्री	पूनम इन्टरप्राइजेस	88227.00
46		कार्यालय सामग्री	साई इन्टर प्राइजेस	371464.00
47		अन्य सामग्री	जीत मेटल स्टोर्स	98460.00
48		चालान बुक , प्रशस्ति पत्र	इंशात इन्टरप्राइजेस	6030.00
49	2023-24	बस्ता कपड़ा	आयुष्मान क्लाथ स्टोर	10000.00
50		आवश्यक सामग्री	शर्मा क्लाथ स्टोर	59200.00
51		टेबल कुर्सी सुधार	शिव कम्प्युटर	146000.00
52		बोर मोटर रिपेयर	साई इन्टर प्राइजेस	375500.00
53		अन्य आवश्यक कार्य	साई इन्टर प्राइजेस	457540.00
54		अन्य आवश्यक कार्य	साई इन्टर प्राइजेस	414538.00
55		सी.सी.टी.व्ही. सुधार	साई इन्टर प्राइजेस	450865.00
56		वाटर कनेक्शन अन्य कार्य	साई इन्टर प्राइजेस	457540.00
57		सी.सी.टी.व्ही. सुधार	साई इन्टर प्राइजेस	508370.00
58		सी.सी.टी.व्ही. सुधार	साई इन्टर प्राइजेस	240799.00
59		प्रमाण पत्र	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	1094057.00
60		प्रमाण पत्र	चौहान सेल्स एण्ड सर्विस	1349971.00
61		प्रमाण पत्र	आदर्श सहकारी मुद्रालेखन	1034400.00
62		अन्य कार्य	पूनम इन्टरप्राइजेस	94603.00
63		कार्टरेज	अल्का ट्रेडर्स	399360.00
64		स्टेशनरी सामग्री	अल्का ट्रेडर्स	198150.00
65		स्टेशनरी सामग्री	प्राची इन्टरप्राइजेस	187400.00
66		स्टेशनरी सामग्री	प्राची इन्टरप्राइजेस	399890.00
67		स्टेशनरी सामग्री	गौरव इन्टरप्राइजेस	101229.00
68		स्टेशनरी (फाईल पेड/कवर)	प्राची इन्टरप्राइजेस	396840.00
69		स्टेशनरी (फाईल पेड/कवर)	अल्का ट्रेडर्स	394950.00
70		टेबल ग्लास/फाईलपेड	अल्का ट्रेडर्स	199845.00
71		टेबल ग्लास/कवर स्टे.	प्राची इन्टरप्राइजेस	199845.00
72	2024-25	स्टेशनरी सामग्री	प्राची इन्टरप्राइजेस	199600.00

क्र.	वर्ष	सामग्री का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
73		स्टेशनरी/अन्य रजिस्टर	अल्का ट्रेडर्स	398999.00
74		स्टेशनरी/अन्य रजिस्टर	अल्का ट्रेडर्स	398500.00
75		प्रिंटर/स्टेशनरी	अल्का ट्रेडर्स	199750.00
76		स्टेशनरी	अल्का ट्रेडर्स	199400.00
77		काटरेज/कैशबुक/अन्य पंजी	अल्का ट्रेडर्स	199800.00
78		सी.सी.टी.व्ही. कैमरा	साई इंटरप्राइजेस	211902.00
79		स्टेशनरी	किरण इन्फा	99910.00
80		स्टेशनरी	किरण इन्फा	99916.00
81		स्टेशनरी	ईशा इंटरप्राइजेस	49300.00
82		काटरेज	ईशा इंटरप्राइजेस	50600.00
83		रिफिलिंग	ईशा इंटरप्राइजेस	39600.00
84	2024-25	स्टेशनरी	ईशा इंटरप्राइजेस	46400.00
85		स्टेशनरी	ईशा इंटरप्राइजेस	34790.00
86		स्टेशनरी	प्राची इन्टरप्राइजेस	88200.00
87		छात्रावास/आश्रमों के लिए आवश्यक सामग्री	आदर्श सहकारी मुद्रणालय	1585460.00
88		छात्रावास/आश्रमों के लिए आवश्यक सामग्री	आदर्श सहकारी मुद्रणालय	1000000.00
89		छात्रावास/आश्रमों के लिए चादर/कम्बल	खाद्यी ग्रामोद्योग	3099000.00
90		फार्म छपाई प्रामण पत्र	निविदा चौहान	999600.00

**जिला खनिज न्यास निधि मद**

1		जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में सी.सी.टी.व्ही. स्थापना कार्य	आई विजन रायपुर	106.566
2		जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत/निवासरत छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर में शयन कक्ष हेतु फोम गद्दा प्रदाय कार्य	अरिहंत वस्त्रालय एण्ड वस्त्र उद्योग	99.946
3		जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत आदिवासी छात्र/छात्राओं को खेल प्रतिस्पर्धा हेतु स्पोर्ट्स कीट प्रदाय कार्य	कायना इन्टरप्राइजेस	130.162
4		जिले के आश्रम/छात्रावासों में उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य	यश इंटरप्राइजेस	100.340
5		जिले में 50 आश्रम छात्रावासों में सौर उर्जा स्ट्रीट लाईट आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य	इकोन डिटीव वेंचर प्राईवेट लिमिटेड	158.080
6	2022-23	जिले के आश्रम/छात्रावासों के लिये डिजिट कुलर सामग्री प्रदाय कार्य	सिंधानिया ग्रुप एण्ड इंडस्ट्रीज	40.000
7		जिले के आश्रम/छात्रावासों में फोम गद्दा सामग्री प्रदाय कार्य	शिवा इन्टरप्राइजेस	54.680
8		जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत / निवासरत छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर में शयन कक्ष के लिये मच्छरदानी फाल सहित सामग्री प्रदाय कार्य	बालाजी ट्रेडर्स	40.000

क.	वर्ष	सामग्री का नाम	फर्म का नाम	मुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
9		जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत/निवासरत छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर के लिये तखत सामग्री प्रदाय कार्य	सिंधानिया ग्रुप एण्ड इंडस्ट्रीज	73.562
10	2023-24	नवगुरुकुल कोडिंग क्लासेस के आवासीय छात्र-छात्राओ आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य	अधीक्षका	31.960
11		जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत छात्रावासों में आवासीय छात्रों को रात्रि पोशाक प्रदाय कार्य।	डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गॉरमेंट फैक्टरी	80.000
12	2024-25	जिले में संचालित आश्रम/छात्रावसों में छात्र/छात्राओं हेतु सामग्री क्रय कार्य (गद्दा-500 एवं चादर-4500 नग)	मेसर्स तनुज इंटरप्राइजेस	60.270
13		जिले संचालित 127 विभागीय दंतेवाड़ा व गीदम आश्रम/छात्रावासों में छात्र/छात्राओं के लिये सामग्री क्रय कार्य भाग-01	योवराज कन्सट्रक्शन	38.000
14		जिले संचालित 127 विभागीय कुआकोण्डा व कटेकल्याण आश्रम/छात्रावासों में छात्र/छात्राओं के लिये सामग्री क्रय कार्य भाग-02	योवराज कन्सट्रक्शन	38.000

  
 अनुभाग अधिकारी  
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मंत्रालय, नया रायपुर

## अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का विवरण

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अरपा विशेष क्षेत्र के भीतर रिवरफ्रंट परियोजना हेतु मौजूदा अरपा नदी के दोनों किनारों पर 200मी क्षेत्र को अरपा विशेष क्षेत्र के रूप में चिह्नित कर अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर का गठन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में दिनांक 05/11/2010 को प्रकाशित एवं आदेश दिनांक 24.12.2010 विकास प्राधिकारी समिति का गठन किया गया है। भारतीय तकनीकी संस्थान गुवाहाटी के साथ मिलकर ली एसोसियेट्स द्वारा सर्वेक्षण कर विकास योजना तैयार की गई। अरपा नदी की अधिकतम चौड़ाई 250मी. प्रस्तावित की गई है, तथा कोनी पुल से बिलासपुर बैराज तक कुल लम्बाई लगभग 14.4 किमी प्रस्तावित है। बिलासा पार्क से अपोलो पुल के मध्य तथा बिलासपुर बैराज के पीछे हिस्से तक अरपा नदी में वर्ष भर पानी की उपलब्धता एवं परियोजना क्षेत्र को सदाबहार बनाए रखने के लिए एक 100मी. चौड़ाई का नहर एवं नाली प्रस्तावित किया गया है, जिससे भैंसाझार बांध से तथा अपशिष्ट जल रिसाईकलिंग के पश्चात् नहाने योग्य स्तर के पानी का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। यातायात सुलभ बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर 30मी तथा 24मी. सड़कें प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा नदी पर चार नए पुल तथा इंदिरा सेतु के विस्तार हेतु दो से चार लेन पुल प्रस्तावित है। मानसून के दौरान जलमग्न हो जाने वाले शनिचरी रपटा पर शहर की विरासत के रूप में पैदल चलने वालों और छोटे वाहनों के लिए सस्पेंशन पुल प्रस्तावित है। अरपा विशेष क्षेत्र विकास योजना में 21 ग्राम सम्मिलित है जिसकी लंबाई 27.20 कि.मी ग्राम लोफंदी से ग्राम दोमुहानी एनीकट तक, नदी तट से निर्धारित सीमा के दोनो ओर 200-200 मीटर, कुल क्षेत्रफल 1115.00 हेक्टेयर है। अधिसूचना क्रमांक एफ 7-06/2011/32 रायपुर दिनांक 15.02.2011 से भूमि भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील है। अधिसूचना क्रमांक 7-25/2010/32 रायपुर दिनांक 06.07.2010 द्वारा नियत बिलासपुर निवेश क्षेत्र से अरपा साडा क्षेत्र को अपवर्जित किया गया है। छ.ग. राजपत्र में दिनांक 09 अगस्त 2013 को अरपा साडा के वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण किया गया।

विकास योजना अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छ.ग. राजपत्र में दिनांक 10 फरवरी 2014 को अरपा साडा की विकास योजना 2033 का अनुमोदन किया गया है। पीपीपीएसी कमेटी की बैठक 18.05.2015 के द्वारा योजना की अनुमानित लागत राशि रूपये 1673.80 करोड़ की विस्तृत डी.पी.आर. स्टेज वार्डज तैयार कराये जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 04.03.2016 द्वारा डीपीआर तैयार करने हेतु राशि रूपये 8.20 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पी.पी.पी. योजना हेतु शासकीय भूमि निःशुल्क आबंटन का प्रस्ताव कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा पत्र क्रमांक 9618 दिनांक 03.12.2015 को सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर को 15 ग्रामों की कुल भूमि 869.51 एकड़ में से परीक्षण उपरांत 447.49 एकड़ भूमि (छोटे बड़े झाड़ के जंगल की भूमि शामिल नहीं) बंटित की जा सकती है प्रेषित किया गया है। घास चराई एवं नजूल मद - 199.95 एकड़ में से 194.28 एकड़ आबंटन की अनुशंसा। पानी के नीचे मद - 210.16 एकड़ में से 210.16 एकड़ शासन की अनुमति पश्चात आबंटन की अनुशंसा। अन्य मद के अंतर्गत - निस्तार पत्रक से पृथक कर 80.22 एकड़ में से 43.05 एकड़ आबंटन योग्य एवं बड़े झाड़ मद में - 45.67 एकड़ एवं छोटे झाड़ मद में - 332.51 एकड़ कुल 378.18 एकड़ फारेस्ट क्लीयरेंस पश्चात आबंटन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 4-13/सात-1/2015 रायपुर दिनांक 05.07.2016 कुल रकबा 869.51 एकड़ भूमि में से रकबा 210.16 एकड़ " पानी के नीचे" मद की भूमि को छोड़कर शेष रकबा 234.99 एकड़ भूमि को छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधानों के तहत निस्तार पत्रक से पृथक करने की कार्यवाही उपरांत राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्र.-1 की कंडिका 23 के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 की गार्ड लाईन के आधार पर प्रब्याजी एवं वार्षिक भू-भाटक लेकर, निम्नांकित सामान्य एवं विशेष शर्तों के तहत आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक 2783 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा सचिव छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग रायपुर को अरपा साडा की पीपीपी योजना के क्रियान्वयन हेतु निःशुल्क भूमि आबंटन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वर्तमान तक निशुल्क भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निशुल्क भूमि आबंटन के पश्चात ही डीपीआर की कार्यवाही जा सकेगी।

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर


परोशेठ - उन्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2156) की जानकारी

प्रपत्र

## प्रश्नांश 'ख' की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	व्यय राशि (लाख में)
1.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	17.50
2.	युवा कैरियर निर्माण योजना	62.47
3.	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	1269.74
4.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	27993.63



अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशिष्ट - तीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 2162) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01/01/2023 से दिनांक 31/12/2024 तक की स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति/पर्यावरण नियमों के उल्लंघन एवं अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	शिकायत का विषय	की गई कार्यवाही
जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा				
1.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (परसवानी लाईम स्टोन माईन्स), ग्राम - हिरमी, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा	श्री बसंत आडिल, बलौदाबाजार-भाटापारा	1. परसवानी लाईम स्टोन माईन्स (अल्ट्राटेक सीमेंट, हिरमी) के अवैध संचालन एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा जारी संचालन सम्मति दिनांक 28.03.2023 के संबंध में शिकायत। 2. लाईम स्टोन माईन्स (परसवानी लाईम स्टोन माईन्स) खनन घोटाला - क्षमता विस्तार हेतु बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति, संचालन सम्मति एवं स्थापना सम्मति प्राप्त किये अवैध उत्खनन की सी.बी.आई./न्यायिक जांच करवाने व वैधानिक कार्यवाही बाबत। 3. परसवानी माईस (अल्ट्राटेक सीमेंट, हिरमी) शिकायत पर लंबित जांच व अग्रिम कार्यवाही बाबत।	शिकायत खदान क्षेत्र में स्थापित क्रशर से संबंधित थी. मंडल के अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ स्थल निरीक्षण किया जाकर स्थल पंचनामा बनाया गया, जिसकी प्रति शिकायतकर्ता को भी दी गयी तथा तथा उद्योग मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को पर्यावरणीय स्वीकृति में आवश्यक संशोधन हेतु निर्देशित किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। जांच प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय को दिनांक 18.03.2024 को प्रेषित किया गया है।
2.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम - कुकुरडीह, तहसील व जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा	श्री बसंत आडिल, बलौदाबाजार-भाटापारा	अल्ट्राटेक सीमेंट कुकुरडीह स्थित ग्राम-सरकीपार, समेराडीह, पीपराही, जिला- बलौदाबाजार द्वारा अवैध पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अवैध संचालन सम्मति सीमेंट संयंत्र का संचालन/उत्पादन के संबंध में	शिकायतकर्ता को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 09.10.2024 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13.12.2022 की प्रति उपलब्ध कराकर शिकायत निराकृत की गयी।
3.	मेसर्स अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, रवान, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा	श्री बसंत आडिल, बलौदाबाजार-भाटापारा	अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, रवान (बलौदाबाजार) को यूनिट- 3 एवं 4 स्थापना हेतु केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से नियम विरुद्ध पक्षपातपूर्ण जारी टी.ओ.आर. दिनांक 29.05.2024 की सघन एवं उच्च स्तरीय जांच कर रद्द करने तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर में सूचीबद्ध जन-सुनवाई की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने बाबत	टी.ओ.आर. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। अतः शिकायत की प्रति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली को दिनांक 27.12.2024 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
4.	मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, खपराडीह, तहसील-सिमगा, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा	श्री बसंत आडिल, बलौदाबाजार-भाटापारा	श्री सीमेंट खपराडीह का सी.टी.ई. एक्सटेंशन आवेदन क्रमांक - 17130111, दिनांक 25.10.2024 का आपत्ति दर्ज करने व त्रुटिपूर्ण पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 11.02.2019 पर आवश्यक कार्यवाही बाबत	पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी की गयी है. अतः शिकायत की प्रति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली को दिनांक 31.12.2024 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (गुमा लाइमस्टोन माइन-2, ग्राम - गुमा, सरसेनी, खपराडीह, तहसील - सिमगा, पलारी, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा	श्री बसंत आडिल, बलौदाबाजार-भाटापारा	गुमा लाइमस्टोन माइन-2 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति का उल्लंघन कर बगैर संचालन सम्मति अवैध खनन की जांच एवं वैधानिक कार्यवाही बाबत	प्राप्त शिकायत के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जांच हेतु दिनांक 27.12.2024 को समिति का गठन किया गया है। कार्यवाही की जा रही है।
जिला - दुर्ग				
6.	मेसर्स टेथिस केम प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट क्रमांक - 17/एन, हेवी इंडस्ट्रियल एरिया, हथखोज, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री धीरज तिवारी श्री राम सिंह ठाकुर, हाउस नं 24, छावनी चौक, भिलाई	बिना पर्यावरण मंजूरी और जाली दस्तावेज के मेसर्स टेथिस केम प्राईवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ के अवैध संचालन/ उत्पादन गतिविधियों के संबंध में	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को दिनांक 10.10.2024 को प्रकरण के संबंध में लेख किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है।
7.	मेसर्स एम.पी. टार प्रोडक्ट्स, प्लॉट क्रमांक - 69-70, लाईट इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई, जिला- दुर्ग	श्री धीरज तिवारी श्री राम सिंह ठाकुर, हाउस नं 24, छावनी चौक, भिलाई माननीय एन.जी.टी. में प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 274/2024	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बगैर उत्पादन करने बाबत	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जांच हेतु दिनांक 24.02.2025 को समिति का गठन किया गया है।
जिला - बिलासपुर				
8.	मेसर्स होराईजन कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-भनेसर, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	श्री सौरभ सिंह	मेसर्स होराईजन कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ई.आई.ए/ई.एम.पी. रिपोर्ट में गलत जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में	प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में उद्योग को दिनांक 09.01.2025 को पत्र प्रेषित कर संबंधित विभागों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। दस्तावेज उद्योग से अप्राप्त है।
जिला-जांजगीर-चांपा				
9.	मेसर्स महावीर कोल वाशरी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कन्हारबन्द, जिला-जांजगीर-चांपा	श्री साहेबलाल सूर्यवंशी, ग्राम-कन्हारबन्द, जिला-जांजगीर-चांपा	निर्माण कार्य करने के पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गयी है	उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26.07.2023 की सूचना मंडल द्वारा दिनांक 02.05.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराकर शिकायत निराकृत किया गया।

  
 अवर सांचव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

## पारोक्ष - इकतीस

परिवाहते अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2199) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"


## प्रश्नांश "क"

रायपुर संभाग अन्तर्गत जिला रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुन्द, धमतरी एवं गरियाबंद में संचालित आश्रम शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जिलेवार विकासखण्डवार जानकारी

क	जिला	विकास खण्ड	आश्रम का नाम	निवासरत छात्र / छात्राओं की संख्या	
				जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक	अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक
1	2	3	4	5	
1	रायपुर	धरसीवा	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम शाला रायपुरा रायपुर	300	303
2		आरंग	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम शाला आरंग	29	30
3			अनुसूचित जाति कन्या आश्रम शाला चन्द्रखुरी फार्म	29	30
4			अनुसूचित जाति कन्या आश्रम शाला भण्डारपुरी	37	39
5			अनुसूचित जाति कन्या आश्रम शाला समोदा	55	57
6			अनुसूचित जाति कन्या आश्रम शाला कोसरंगी	69	70
योग				519	529
1	बलौदाबाजार	पलारी	अनु.जाति कन्या आश्रम देवसुन्दरा (प्राथमिक)	14	16
2			अनु.जाति कन्या आश्रम पलारी (प्राथमिक)	75	79
3		कसडोल	अनु.जाति कन्या आश्रम गिरौदपुरी (प्राथमिक)	35	38
4			आदिवासी बालक आश्रम चरौदा (प्राथमिक)	50	50
5			आदिवासी कन्या आश्रम बार (प्राथमिक)	48	46
6			आदिवासी बालक आश्रम सोनाखान(माध्यमिक)	50	50
7			आदिवासी कन्या आश्रम कसडोल (माध्यमिक)	72	73
योग				344	352
1	महासमुन्द	महासमुन्द	आदिवासी बालक आश्रम, परसदा	30	30
2	महासमुन्द	महासमुन्द	आदिवासी कन्या आश्रम, सिरपुर	125	125
3	महासमुन्द	महासमुन्द	अनुसूचित जाति बालक आश्रम, घोड़ारी	30	30
4	महासमुन्द	बागबाहरा	आदिवास कन्या आश्रम, कोमाखान	120	120
5	महासमुन्द	पिथौरा	आदिवासी कन्या आश्रम, पिरदा	30	32
6	महासमुन्द	पिथौरा	आदिवासी कन्या आश्रम, सागुनढाप	75	80
7	महासमुन्द	पिथौरा	आदिवासी कन्या आश्रम, बम्हनी	29	33
8	महासमुन्द	पिथौरा	आदिवासी बालक आश्रम, चनौरडीह	31	34
9	महासमुन्द	पिथौरा	आदिवासी बालक आश्रम, तरेकेला	40	40
10	महासमुन्द	पिथौरा	आदिवासी बालक आश्रम, बरेकेलखुर्द	41	43
11	महासमुन्द	पिथौरा	आदिवासी बालक आश्रम, सिंगारपुर	43	45
12	महासमुन्द	पिथौरा	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, पिथौरा	60	64
13	महासमुन्द	बसना	आदिवासी कन्या आश्रम, बसना	120	120

क	जिला	विकास खण्ड	आश्रम का नाम	निवासरत छात्र / छात्राओं की संख्या	
				जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक	अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक
1	2	3	4		5
14	महासमुन्द	बसना	आदिवासी बालक आश्रम, फुलवारी	60	60
15	महासमुन्द	बसना	आदिवासी बालक आश्रम, छोटेटेमरी	40	40
16	महासमुन्द	बसना	आदिवासी बालक आश्रम, उड़ेला	70	70
17	महासमुन्द	बसना	आदिवासी कन्या आश्रम, खोकसा	60	60
18	महासमुन्द	सरायपाली	आदिवासी कन्या आश्रम, सरायपाली	42	45
19	महासमुन्द	सरायपाली	आदिवासी कन्या आश्रम, चट्टीगिरोला	50	50
20	महासमुन्द	सरायपाली	आदिवासी बालक आश्रम, अमरकोट	40	40
21	महासमुन्द	सरायपाली	आदिवासी बालक आश्रम, टेमरी	49	52
22	महासमुन्द	सरायपाली	आदिवासी कन्या आश्रम, बैदपाली	30	30
23	महासमुन्द	सरायपाली	आदिवासी कन्या आश्रम, छुईपाली	45	45
24	महासमुन्द	सरायपाली	आदिवासी कन्या आश्रम, डुडुमचुंवा	80	80
योग				1340	1368
1	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम दुगली	71	72
2	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम बिरनासिल्ली	30	30
3	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम करैहा	65	65
4	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम भैंसामुडा	22	23
5	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम सलोनी	55	55
6	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम सिहावा	60	61
7	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम कसपुर	51	52
8	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम बोरई	50	50
9	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम घोटगांव	49	54
10	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम गेदरा	40	40
11	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम सांकरा	60	59
12	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम भोथापारा	47	45
13	धमतरी	नगरी	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम मेचका	36	38
योग				636	644
1	गरियाबंद	छुरा	आदिवासी बालक आश्रम तौरैंगा	30	30
2	गरियाबंद	छुरा	आदिवासी बालक आश्रम गायडबरी	82	83
3	गरियाबंद	छुरा	आदिवासी कन्या आश्रम छुरा	120	120
4	गरियाबंद	छुरा	आदिवासी कन्या आश्रम नागिनबाहरा	54	57
5	गरियाबंद	छुरा	आदिवासी कन्या आश्रम दादरगांव नया	60	60
6	गरियाबंद	छुरा	आदिवासी कन्या आश्रम परसदाखुर्द	95	95
7	गरियाबंद	छुरा	आदिवासी कन्या आश्रम बम्हनी	35	33
8	गरियाबंद	गरियाबंद	कमार बालक आश्रम गरियाबंद	51	53
9	गरियाबंद	गरियाबंद	आदिवासी बालक आश्रम कामरभौदी	15	16
10	गरियाबंद	गरियाबंद	आदिवासी बालक आश्रम आमामोरा	57	58

क	जिला	विकास खण्ड	आश्रम का नाम	निवासरत छात्र / छात्राओं की संख्या	
				जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक	अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक
1	2	3	4	5	
11	गरियाबंद	गरियाबंद	आदिवासी बालक आश्रम ओंड़	31	34
12	गरियाबंद	गरियाबंद	आदिवासी बालक आश्रम टैवारी	16	18
13	गरियाबंद	गरियाबंद	आदिवासी बालक आश्रम धवलपुर	100	98
14	गरियाबंद	गरियाबंद	आदिवासी बालक आश्रम पीपरछेड़ी	60	59
15	गरियाबंद	गरियाबंद	आदिवासी कन्या आश्रम विजयनगर पण्टोरा	100	102
16	गरियाबंद	गरियाबंद	आदिवासी कन्या आश्रम गरियाबंद	115	115
17	गरियाबंद	गरियाबंद	नवीन आदिवासी कन्या आश्रम बारुका	51	52
18	गरियाबंद	गरियाबंद	आदिवासी कन्या आश्रम मौँहामाठा	65	67
19	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम मैनपुर	119	121
20	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम छिन्दौला	18	18
21	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा(भाठीगढ़)	170	175
22	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम तौरेंगा	105	105
23	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम बुरजाबहाल	120	121
24	गरियाबंद	मैनपुर	कमार बालक आश्रम झरियाबाहरा	100	100
25	गरियाबंद	मैनपुर	अनु.जाति बालक आश्रम धुरुवागुड़ी	64	66
26	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम कुल्हाड़ीघाट	110	114
27	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम कुल्हाड़ीघाट	50	50
28	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम शोभा	55	56
29	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम कालीमाटी	70	70
30	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम साहेबिनकछार	50	51
31	गरियाबंद	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम नगबेल-गरहाडीह	100	100
योग				2268	2297
महायोग				5107	5190

  
 अनुभाग अधिकारी  
 आदिम जाति विकास विभाग  
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र - "ब"

प्रश्नांश "ख"

रायपुर संभाग अन्तर्गत जिला रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुन्द, धमतरी एवं गरियाबंद में संचालित आश्रम शालाओं की जिलेवार विकासखण्डवार जानकारी

क	जिला	अधीक्षक पद			भृत्य पद (नियमित)			आकस्मिकता भृत्य			पूर्ण कालिक स्वीपर (कलेक्टर दर)		
		स्वीकृत	भरे	रिक्त	स्वीकृत	भरे	रिक्त	स्वीकृत	भरे	रिक्त	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	रायपुर	6	6	0	0	0	0	35	3	32	6	6	0
2	बलौदाबाजार	7	7	0	0	0	0	28	9	19	0	0	7
3	महासमुन्द	24	1	23	0	0	0	94	42	52	24	0	24
4	धमतरी	13	0	13	13	13	0	39	21	18	13	10	3
5	गरियाबंद	31	0	31	31	31	0	123	34	89	31	0	31
	योग	81	14	67	44	44	0	319	109	210	74	16	65



अनुभाग अधिकारी  
आदिम जाति विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रश्नांश "ख"

रायपुर संभाग अन्तर्गत जिला रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुन्द, धमतरी एवं गरियाबंद के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विद्यालयों की स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

क	जिला	स्वीकृत पद			भरे/कार्यरत			रिक्त					
		प्रधान पाठक	शिक्षक / सहायक शिक्षक	भृत्य	स्वच्छक (सफाई कर्मी) अंशकालीन स्वीपर	प्रधान पाठक	शिक्षक / सहायक शिक्षक	भृत्य	स्वच्छक (सफाई कर्मी) अंशकालीन स्वीपर	प्रधान पाठक	शिक्षक / सहायक शिक्षक	भृत्य	स्वच्छक (सफाई कर्मी) अंशकालीन स्वीपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	0	14	5	5	0	11	2	4	0	3	3	1
2	बलौदाबाजार	9	26	0	9	8	19	0	9	1	7	0	0
3	महासमुन्द	24	65	24	24	6	43	22	19	18	22	2	5
4	धमतरी	13	17	1	13	13	15	0	13	0	2	1	0
5	गरियाबंद	35	100	8	38	22	64	1	35	13	36	7	3
	योग	81	222	38	89	49	152	25	80	32	70	13	9

अनुभाग अधिकारी  
आदिम जाति विकास विभाग  
ईलाहाबाद, महानदी भवन, नवा रायपुर

## परीशेष - बत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2272) की जानकारी

547

सदस्य, विधान सभा द्वारा चाही गई शिकायत एवं अन्य कारणों से हटाये गये प्रमारी अधीक्षक की जानकारी।

क्र.	संचालित आश्रम/छात्रावास का नाम	कार्यरत प्रमारी अधीक्षक (शैक्षणिक संवर्ग) नाम एवं पदनाम सहित।	दिसम्बर 2024 के बाद प्रमारी अधीक्षक(शैक्षणिक संवर्ग) को हटाने संबंधी जानकारी एवं कारण।	हटाये गये कर्मचारियों की शिकायत का विवरण?क्या शिकायत की जांच व उस पर कार्यवाही हुई है।
1	2	3	4	5
जिला - बस्तर				
1	प्री मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास मूली जिला बस्तर	श्री विक्रम पुजारी, स०शि० एल.बी.	श्री कन्हैया लाल शांडिल्य मा.शा.प्रधान पाठक, को बीमार होने के कारण हटाया गया।	निरंक
2	प्री मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास मुण्डागांव जिला बस्तर	श्री देवीराम कश्यप, प्रधान पाठक	श्री एम.एस.मौर्य, प्रधान पाठक, को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
3	पोस्ट मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास बड़ेकिलेपाल जिला बस्तर	श्री जीवन लाल यादव, प्रधान पाठक	श्री विजय कुमार नाग, शिक्षक, को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
4	पोस्ट मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास कुंगारपाल जिला बस्तर	श्री बुधराम मौर्य, शिक्षक	श्रीमती राजकुमारी बघेल, स०शि० (एल.बी.) को को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
5	पोस्ट मैट्रिक अपिब कन्या छात्रावास धरमपुरा जिला बस्तर	श्रीमती प्रमा ठाकुर, स०शि० एल.बी.	श्रीमती आशोमती कश्यप, प्रधान पाठक, के पास दो छात्रावास का प्रभार में होने के कारण एक छात्रावास से हटाया गया।	निरंक
6	नवीन पोस्ट मैट्रिक अजजा कन्या छात्रावास धरमपुरा जिला बस्तर	श्रीमती रोहिणी मरकाम, शिक्षक एल.बी.	श्रीमती यामिनी कश्यप, शिक्षक को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
7	पोस्ट मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास लोहण्डीगुड़ा	श्री शाशिकांत मोरे, प्रधान पाठक	श्री जगतुराम बघेल, शिक्षक (एल.बी.) को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक

8	प्राथमिक अजजा बालक आश्रम पालनार	श्री संतुराम कर्मा, प्रधान पाठक	श्री तुलसी राम भारद्वाज, शिक्षक को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
9	प्राथमिक अजजा बालक आश्रम कापानार 1 जिला बस्तर	श्री जगदीश प्रसाद बघेल, प्रधान पाठक	श्री राजेश नाग, शिक्षक को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
10	प्राथमिक अजजा बालक आश्रम जामगांव	श्री जदुनाथ भारद्वाज, प्रधान पाठक	श्री सुरेन्द्र सिंग कश्यप अधीक्षक की मृत्यु होने के कारण अन्य शिक्षक को पदस्थ किया गया।	निरंक
11	माध्यमिक अजजा बालक आश्रम भानपुरी	श्री नरेश चन्द्र भारती, प्रधान पाठक	श्री कृष्ण कुमार हुमने शिक्षक (एल. बी.) को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
12	प्राथमिक अजजा बालक आश्रम छोटैआमबाल जिला बस्तर	श्री नरसिंह बघेल, शिक्षक एल.बी.	श्री आसमन राम बघेल स०शि० (एल.बी.) को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
13	प्राथमिक अजजा बालक आश्रम गोदियापाल	श्री सुकरुराम बघेल, स०शि० एल.बी.	श्री राजेन्द्र कुमार हिडको स०शि० (एल.बी.) को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
14	प्राथमिक अजजा बालक आश्रम गढदा	श्री रमेश कुमार सेठिया, प्रधान पाठक	श्री जीवनाथ कश्यप, प्रधान पाठक को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
15	प्राथमिक अजजा बालक आश्रम सुरगुड़ा जिला बस्तर	श्री रोमनाथ यादव, प्रधान पाठक	श्री दौलत राम मौर्य, शिक्षक (एल.बी.) को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत हटाया गया।	निरंक
जिला -दत्तेवाड़ा				
1	आदिवासी कन्या आश्रम बड़ेगुडरा वि०ख० कटेकल्याण जिला दत्तेवाड़ा	श्रीमती मीना कुंजाम शिक्षक एल०बी०	श्रीमती देवकुमारी नायक, शिक्षक एल.बी. को कार्य के प्रति उदासीनता के कारण हटाया जाकर मूल संस्था में वापस किया गया।	निरंक

जिला-बीजापुर				
1	बालक आश्रम एडापल्ली वि०ख० भोपालपटनम जिला बीजापुर	श्री अप्पाजी चन्द्रशेखर प्रधान अध्यापक बालक आश्रम पीलूर	श्री तोरैम जगदीश प्र०अ० प्रमारी अधीक्षक बालक आश्रम एडापल्ली वि०ख० भोपालपटनम (संस्था में अध्ययनरत छात्र की मृत्यु होने के कारण)	प्रमारी अधीक्षक के निलंबन की कार्यवाही की गई । प्रमारी अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच उपरांत संबंधित प्रमारी अधीक्षक के निलंबन की कार्यवाही की गई ।
2	बालक छात्रावास ईटपाल वि०ख० बीजापुर जिला बीजापुर	श्री स्वामीदास साहनी, शिक्षक एल.बी. माध्यमिक शाला मुरकीनार	श्री विजय कुमार प्र०अ० प्रमारी अधीक्षक बालक छात्रावास ईटपाल वि०ख० बीजापुर (बिना सूचना के लगातार संस्था से अनुपस्थित एवं संस्था संचालन में लापरवाही बरतने के कारण)	
3	बालक आश्रम जारामरका वि०ख० भैरमगढ़ जिला बीजापुर	श्री बलराम वाचम, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला बदेपारा विकासखण्ड भैरमगढ़	श्री त्रिजेश बड़डे शिक्षक एल०बी० प्रमारी अधीक्षक बालक आश्रम जारामरका वि०ख० भैरमगढ़ (लकवा ग्रस्त होने के कारण)	निरंक
जिला-सुकमा				
1	बालक आश्रम दोरनापाल, जिला सुकमा	श्री कड्डी सोनू, सहायक शिक्षक जनपद प्राथमिक शाला मिसमा	श्री कुहराम कन्ना, (स. शि.) प्रमारी अधीक्षक बालक आश्रम दोरनापाल को कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अधीक्षक पद से पृथक करते हुए उनके मूल पदस्थ संस्था प्रा.शा. वितानुका हेतु भारमुक्त किया गया है ।	कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला सुकमा के आदेश क्रमांक/आ.वि./ज.जा.गौ.दि./2024-25 / 2256 सुकमा दिनांक 14.11.2024 के तहत थी स्तरीय जांच समिति गठन कर जांच किया गया । प्राप्त शिकायत सही पुष्टी हुई तथा संस्था परिसर में साफ-सफाई का अभाव पाया गया तथा संस्था में संघारित कोई पंजी अवलोकन नहीं कराया गया तथा जांच दल द्वारा दिनांक 19.11.2024 तक कार्यालय में अवलोकन कराने का निर्देश दिया गया था । जिसके उपरांत भी संबंधित प्रमारी अधीक्षक के द्वारा अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है । उनके कार्य की उदासीनता के कारण अधीक्षक पद से पृथक करते हुए उनके मूल पदस्थ संस्था हेतु भारमुक्त किया गया है ।

2	बालक आश्रम पेददाकुर्ती, जिला सुकमा	श्री सरियम शिवराम, सहायक शिक्षक प्रा.शा. कार्करलका	श्री कडती गुलाबी, (स. शि.) प्रमारी अधीक्षक बालक आश्रम दोरनापाल को कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अधीक्षक पद से पृथक करते हुए उनके मूल पदस्थ संस्था प्रा.शा. पोटेमङ्गू हेतु भारमुक्त किया गया है।	कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला सुकमा के आदेश क्रमांक/आ.वि./ज.जा.गौ.दि. /2024-25/ 2256 सुकमा दिनांक 14.11.2024 के तहत श्री स्वरीय जांच समिति गठन कर जांच किया गया। जिसमें प्राप्त शिकायत पर कोई पुष्टी नहीं हुई। किंतु संस्था परिसर में साफ-सफाई का अभाव पाया गया तथा संस्था में संचारित कोई पंजी अवलोकन नहीं कराया गया तथा जांच दल द्वारा दिनांक 19.11.2024 तक कार्यालय में अवलोकन कराने का निर्देश दिया गया था। जिसके उपरान्त भी संबंधित प्रमारी अधीक्षक के द्वारा अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके कार्य की उदासीनता के कारण अधीक्षक पद से पृथक करते हुए उनके मूल पदस्थ संस्था हेतु भारमुक्त किया गया है।
3	बालक आश्रम पालाचलमा जिला सुकमा	श्री उईके संतु प्रधानपाठक प्रा.शा. कोसमपाइ	श्री वेट्टी हडमा, (प्र.पा.) प्रमारी अधीक्षक बालक आश्रम पालाचलमा को कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अधीक्षक पद से पृथक करते हुए उनके मूल पदस्थ संस्था मा.शा. टेटराई हेतु भारमुक्त किया गया है।	निरंक
4	बालक आश्रम उरसांगल, जिला सुकमा	श्री दुधी चमरा, सहायक शिक्ष, एल.बी. प्रा.शा. कोर्रापाइ	श्री संतोष नाग, (स. शि.) प्रमारी अधीक्षक बालक आश्रम उरसांगल को कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अधीक्षक पद से पृथक करते हुए उनके मूल पदस्थ संस्था प्रा.शा. मनीकोटा कन्नापारा हेतु भारमुक्त किया गया है।	निरंक

5	कन्या शिक्षा परिसर सुकमा, जिला सुकमा	श्रीमती मीना धुव, सहायक शिक्षक एल.बी.प्रा.शा. आवासपारा दुब्बाटोटा	श्रीमती चम्पा मुवाकी, (प्र.पा.) प्रमारी अधीक्षक कन्या शिक्षा परिसर सुकमा को कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अधीक्षक पद से पृथक करते हुए उनके मूल पदस्थ संस्था कन्या शिक्षा परिसर सुकमा हेतु भारमुक्त किया गया है।	निरंक
6	प्री.मै.बा.छा.तालनार, जिला सुकमा	श्री संजय डेरहा, सहायक शिक्षक, मा.शा. तालनार	श्री देवारांम वेदटी, (प्र.पा.) प्रमारी अधीक्षक प्री.मै.बा.छा. तालनार को कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अधीक्षक पद से पृथक करते हुए उनके मूल पदस्थ संस्था बालक आश्रम कोडरीपाल हेतु भारमुक्त किया गया है।	निरंक
7	बालक आश्रम गुम्मा, जिला सुकमा	श्री देवा राम वेदटी, प्रधान पाठक बलाक आश्रम कोडरीपाल	श्री हेम शंकर नेताम, (प्र.पा.) प्रमारी अधीक्षक बालक आश्रम गुम्मा को कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अधीक्षक पद से पृथक करते हुए उनके मूल पदस्थ संस्था प्रा.शा. कमलापदर हेतु भारमुक्त किया गया है।	निरंक

  
**अनुभाग अधिकारी**  
**आदिम जाति विकास विभाग**  
 संजयपुर, सुदूरपश्चिमी प्रदेश, नेपाल

## परीशेष - तैतीस

प्रपत्र-अ

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2286) की जानकारी

रायगढ़ जिला में खाद की मांग अनुरूप आपूर्ति

खरीफ 2024

(इकाई मे.टन)

क्र.	जिला	सोसायटी का नाम	उर्वरक की मांग/लक्ष्य			उर्वरक की भंडारण/आपूर्ति		
			यूरिया	डीएपी	योग	यूरिया	डीएपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायगढ़	कोकड़ीतराई	120.92	74.00	194.92	120.92	74.00	194.92
2		तरेकेला	215.55	105.00	320.55	215.55	105.00	320.55
3		तारापुर	279.50	162.35	441.85	279.50	162.35	441.85
4		धनागर	232.20	135.15	367.35	232.20	135.15	367.35
5		नंदेली	301.50	150.00	451.50	301.50	150.00	451.50
6		बायंग	214.29	120.00	334.29	214.29	120.00	334.29
7		भातपुर	380.21	217.45	597.66	380.21	217.45	597.66
8		कांटाहरदी	201.33	67.00	268.33	201.33	67.00	268.33
9		बंगुरसिया	147.60	30.00	177.60	147.60	30.00	177.60
10		टारपाली	145.80	73.70	219.50	145.80	73.70	219.50
11		जामगांव	137.17	60.40	197.57	137.17	60.40	197.57
12		लोइंग	222.08	34.00	256.08	222.08	34.00	256.08
13		कोड़तराई	271.13	123.85	394.98	271.13	123.85	394.98
14		कछार	216.27	120.00	336.27	216.27	120.00	336.27
15		पुसौर	133.65	89.95	223.60	133.65	89.95	223.60
16		पड़ीगाँव	149.40	90.00	239.40	149.40	90.00	239.40
17		बड़े हल्दी	238.95	105.20	344.15	238.95	105.20	344.15
18		बड़े भंडार	297.45	120.75	418.20	297.45	120.75	418.20
19		गोर्गा	306.63	106.35	412.98	306.63	106.35	412.98
20		नवापारा मांड	235.44	158.35	393.79	235.44	158.35	393.79
21		कोड़ातराई	282.48	144.45	426.93	282.48	144.45	426.93
22		तेलिपाली	194.18	69.80	263.98	194.18	69.80	263.98
23		जतरी	190.13	60.00	250.13	190.13	60.00	250.13
24		छिछोर उमरिया	268.65	130.40	399.05	268.65	130.40	399.05
25		तेतला	264.20	154.95	419.15	264.20	154.95	419.15

क्र.	जिला	सोसायटी का नाम	उर्वरक की मांग/लक्ष्य			उर्वरक की भंडारण/आपूर्ति		
			यूरिया	डीएपी	योग	यूरिया	डीएपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	रायगढ़	तिलगी	231.08	180.00	411.08	231.08	180.00	411.08
27		कोड़पाली	329.09	175.70	504.79	329.09	175.70	504.79
28		केशला ( 331 )	198.45	85.00	283.45	198.45	85.00	283.45
29		गढ़उमरिया	114.66	64.35	179.01	114.66	64.35	179.01
30		खरसिया	298.47	154.90	453.37	298.47	154.90	453.37
31		हालाहुली	322.29	276.50	598.79	322.29	276.50	598.79
32		बरगढ़	520.24	265.00	785.24	520.24	265.00	785.24
33		तुरेकेला	388.71	300.00	688.71	388.71	300.00	688.71
34		चपले	357.30	195.05	552.35	357.30	195.05	552.35
35		बनीपाथर	362.25	162.55	524.80	362.25	162.55	524.80
36		मुरा	345.60	190.00	535.60	345.60	190.00	535.60
37		जैमुरा	378.90	135.05	513.95	378.90	135.05	513.95
38		जोबी	311.85	181.35	493.20	311.85	181.35	493.20
39		फरकानारा	269.55	202.65	472.20	269.55	202.65	472.20
40		खडगाँव	421.47	226.70	648.17	421.47	226.70	648.17
41		धरमजयगढ़	341.51	90.05	431.56	341.51	90.05	431.56
42		सिसरिंगा	251.46	128.70	380.16	251.46	128.70	380.16
43		खम्हार	139.05	85.00	224.05	139.05	85.00	224.05
44		जमारगीडीह	229.05	135.00	364.05	229.05	135.00	364.05
45		खडगाँव	224.55	120.00	344.55	224.55	120.00	344.55
46		गेरसा	216.45	115.00	331.45	216.45	115.00	331.45
47		कुडेकेला	405.50	206.55	612.05	405.50	206.55	612.05
48		छाल	113.27	80.00	193.27	113.27	80.00	193.27
49		कापू	316.76	119.70	436.46	316.76	119.70	436.46
50		घरघोड़ा	174.60	90.00	264.60	174.60	90.00	264.60
51		कुडुमकेला	135.90	50.00	185.90	135.90	50.00	185.90
52		कुर्मीभौना	206.55	100.00	306.55	206.55	100.00	306.55
53		टेंडानवापारा	320.85	126.20	447.05	320.85	126.20	447.05

क्र.	जिला	सोसायटी का नाम	उर्वरक की मांग/लक्ष्य			उर्वरक की भंडारण/आपूर्ति		
			यूरिया	डीएपी	योग	यूरिया	डीएपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	रायगढ़	छरटांगर	215.10	93.85	308.95	215.10	93.85	308.95
55		तमनार	216.90	110.45	327.35	216.90	110.45	327.35
56		जरेकेला	232.97	79.65	312.62	232.97	79.65	312.62
57		खम्हरिया	103.05	50.85	153.90	103.05	50.85	153.90
58		उरबा	104.40	50.00	154.40	104.40	50.00	154.40
59		धौराभांटा	283.10	108.50	391.60	283.10	108.50	391.60
60		हमीरपुर	140.85	50.00	190.85	140.85	50.00	190.85
61		सराईटोला	339.30	155.00	494.30	339.30	155.00	494.30
62		सराईपाली	211.50	75.55	287.05	211.50	75.55	287.05
63		लैलूंगा	166.71	49.75	216.46	166.71	49.75	216.46
64		राजपुर	178.65	68.65	247.30	178.65	68.65	247.30
65		कोड़ासिया	228.60	72.40	301.00	228.60	72.40	301.00
66		केशला ( 100 )	164.25	65.00	229.25	164.25	65.00	229.25
67		लारीपानी	132.47	82.90	215.37	132.47	82.90	215.37
68		मुकडेगा	79.96	49.85	129.81	79.96	49.85	129.81
69		लिबरा	201.60	138.30	339.90	201.60	138.30	339.90
रायगढ़ कुल			16571.46	8244.80	24816.26	16571.46	8244.80	24816.26



नोडल अधिकारी (वि.स.)

संचालनालय कृषि

छ.ग.रायपुर

(विकास शिक्षा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग


मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


रायगढ़ जिला में खाद की मांग अनुरूप आपूर्ति  
रबी 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक)

इकाई मे.टन

क्र.	जिला	सोसायटी का नाम	उर्वरक की मांग/लक्ष्य			उर्वरक की भंडारण/आपूर्ति		
			यूरिया	डीएपी	योग	यूरिया	डीएपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायगढ़	कोकड़ीतराई	61.66	10.00	71.66	61.66	10.00	71.66
2		तरेकेला	74.34	0.00	74.34	74.34	0.00	74.34
3		तारापुर	83.34	35.25	118.59	83.34	35.25	118.59
4		धनागर	91.35	0.00	91.35	91.35	0.00	91.35
5		नंदेली	140.63	60.75	201.38	140.63	60.75	201.38
6		बायंग	67.46	25.00	92.46	67.46	25.00	92.46
7		भातपुर	146.25	90.00	236.25	146.25	90.00	236.25
8		कांटाहरदी	30.15	33.50	63.65	30.15	33.50	63.65
9		बंगुरसिया	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50
10		जामगांव	2.30	0.55	2.85	2.30	0.55	2.85
11		लोईंग	8.37	0.00	8.37	8.37	0.00	8.37
12		कोड़तराई	72.68	65.00	137.68	72.68	65.00	137.68
13		कछार	35.68	35.35	71.03	35.68	35.35	71.03
14		पुसौर	39.15	23.25	62.40	39.15	23.25	62.40
15		पड़ीगाँव	35.33	0.00	35.33	35.33	0.00	35.33
16		बड़े हल्दी	68.40	20.00	88.40	68.40	20.00	88.40
17		बड़े भंडार	31.50	0.75	32.25	31.50	0.75	32.25
18		गौरा	50.94	28.00	78.94	50.94	28.00	78.94
19		नवापारा मांड	102.02	59.40	161.42	102.02	59.40	161.42
20		कोड़तराई	86.46	35.25	121.71	86.46	35.25	121.71
21		तेलिपाली	51.35	0.00	51.35	51.35	0.00	51.35
22		जतरी	27.00	2.00	29.00	27.00	2.00	29.00
23		छिछोर उमरिया	31.01	0.00	31.01	31.01	0.00	31.01
24		तेतला	64.04	20.85	84.89	64.04	20.85	84.89
25		तिलगी	70.43	1.25	71.68	70.43	1.25	71.68
26		कोड़पाली	51.71	0.00	51.71	51.71	0.00	51.71
27		केशला ( 331 )	0.54	0.80	1.34	0.54	0.80	1.34
28		गढ़उमरिया	27.00	25.20	52.20	27.00	25.20	52.20
29		खरसिया	34.83	25.00	59.83	34.83	25.00	59.83
30		हालाहुली	15.43	10.00	25.43	15.43	10.00	25.43
31		बरगढ़	75.60	50.00	125.60	75.60	50.00	125.60
32		तुरेकेला	61.65	30.00	91.65	61.65	30.00	91.65

क्र.	जिला	सोसायटी का नाम	उर्वरक की मांग/लक्ष्य			उर्वरक की भंडारण/आपूर्ति			
			यूरिया	डीएपी	योग	यूरिया	डीएपी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33	रायगढ़	बनीपाथर	15.30	10.00	25.30	15.30	10.00	25.30	
34		मुरा	63.94	25.00	88.94	63.94	25.00	88.94	
35		जैमुरा	25.20	25.00	50.20	25.20	25.00	50.20	
36		जोबी	35.10	15.00	50.10	35.10	15.00	50.10	
37		फरकानारा	23.40	10.00	33.40	23.40	10.00	33.40	
38		खडगाँव	60.30	25.00	85.30	60.30	25.00	85.30	
39		धरमजयगढ़	12.74	0.15	12.89	12.74	0.15	12.89	
40		सिसरिंगा	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	
41		खम्हार	1.98	0.55	2.53	1.98	0.55	2.53	
42		कुडेकेला	39.29	26.55	65.84	39.29	26.55	65.84	
43		कापू	16.02	0.00	16.02	16.02	0.00	16.02	
44		घरघोड़ा	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	
45		टैंडानवापारा	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	
46		छर्राटांगर	161.00	54.65	215.65	161.00	54.65	215.65	
47		जरेकेला	2.12	6.65	8.77	2.12	6.65	8.77	
48		लैलूगा	3.81	1.55	5.36	3.81	1.55	5.36	
49		राजपुर	102.19	21.20	123.39	102.19	21.20	123.39	
50		कोड़ासिया	65.91	0.65	66.56	65.91	0.65	66.56	
51		केशला (100)	30.15	1.85	32.00	30.15	1.85	32.00	
52		लारीपानी	42.02	0.45	42.47	42.02	0.45	42.47	
53		मुकडेगा	17.00	12.90	29.90	17.00	12.90	29.90	
54		लिबरा	19.98	44.00	63.98	19.98	44.00	63.98	
<b>रायगढ़ कुल</b>			<b>2497.09</b>	<b>975.00</b>	<b>3472.09</b>	<b>2497.09</b>	<b>975.00</b>	<b>3472.09</b>	

  
 नोडल अधिकारी (वि.स.)  
 संचालनालय कृषि  
 छ.ग.रायपुर


  
 (विकास मिश्रा)  
 उप सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


## रायगढ़ जिला में बीज की मांग अनुरूप आपूर्ति की जानकारी

खरीफ 2024					
क्र.	जिला	सोसायटी का नाम	बीज की मांग/लक्ष्य		बीज की भंडारण/आपूर्ति
			फसल का नाम	मात्रा (क्विं.)	मात्रा (क्विं.)
1	2	3	4	5	6
1	रायगढ़	कोकड़ीतराई	धान	315.00	315.00
2		तरेकेला	धान	480.00	480.00
3		तारापुर	धान	480.00	480.00
4		धनागर	धान	510.00	510.00
5		नंदेली	धान	420.00	420.00
6		बायंग	धान	420.00	420.00
7		भातपुर	धान	510.00	510.00
8		कांटाहरदी	धान	390.00	390.00
9		बंगुरसिया	धान	135.00	135.00
10		टारपाली	धान	420.00	420.00
11		जामगांव	धान	240.00	240.00
12		लोइंग	धान	537.90	537.90
13		कोड़तराई	धान	450.00	450.00
14		कछार	धान	389.70	389.70
15		पुसौर	धान	462.60	462.60
16		पड़ीगाँव	धान	345.00	345.00
17		बड़े हल्दी	धान	300.00	300.00
18		बड़े भंडार	धान	474.00	474.00
19		गोर्दा	धान	480.00	480.00
20		नवापारा मांड	धान	375.00	375.00
21		कोड़ातराई	धान	475.50	475.50
22		तेलिपाली	धान	270.00	270.00
23		जतरी	धान	435.00	435.00

खरीफ 2024					
क्र.	जिला	सोसायटी का नाम	बीज की मांग/लक्ष्य		बीज की भंडारण/आपूर्ति
			फसल का नाम	मात्रा (क्विं.)	मात्रा (क्विं.)
1	2	3	4	5	6
24	रायगढ़	छिछोर उमरिया	धान	450.00	450.00
25		तेतला	धान	459.00	459.00
26		तिलगी	धान	450.00	450.00
27		कोड़पाली	धान	450.00	450.00
28		केशला ( 331 )	धान	375.60	375.60
29		गढ़उमरिया	धान	300.00	300.00
30		खरसिया	धान	510.00	510.00
31		हालाहुली	धान	432.00	432.00
32		बरगढ़	धान	570.00	570.00
33		तुरेकेला	धान	472.80	472.80
34		चपले	धान	441.00	441.00
35		बनीपाथर	धान	495.00	495.00
36		मुरा	धान	420.00	420.00
37		जैमुरा	धान	320.00	320.00
38		जोबी	धान	119.00	119.00
39		फरकानारा	धान	426.00	426.00
40		खडगाँव	धान	210.00	210.00
41		धरमजयगढ़	धान	358.20	358.20
42		सिसरिगा	धान	780.00	780.00
43		खम्हार	धान	360.00	360.00
44		जमारगीडीह	धान	45.00	45.00
45		खडगाँव	धान	399.00	399.00
46		गेरसा	धान	45.00	45.00
47		कुडेकेला	धान	210.00	210.00
48		छाल	धान	311.00	311.00
49		कापू	धान	740.10	740.10
50		घरघोड़ा	धान	754.00	754.00

खरीफ 2024					
क्र.	जिला	सोसायटी का नाम	बीज की मांग/लक्ष्य		बीज की भंडारण/आपूर्ति
			फसल का नाम	मात्रा (क्विं.)	मात्रा (क्विं.)
1	2	3	4	5	6
51	रायगढ़	कुडुमकेला	धान	225.00	225.00
52		कुर्मीभौना	धान	243.30	243.30
53		टेंडानवापारा	धान	356.00	356.00
54		छरटांगर	धान	367.00	367.00
55		तमनार	धान	835.00	835.00
56		जरेकेला	धान	750.00	750.00
57		खम्हरिया	धान	120.00	120.00
58		उरबा	धान	239.40	239.40
59		धौराभांटा	धान	738.00	738.00
60		हमीरपुर	धान	150.00	150.00
61		सराईटोला	धान	356.00	356.00
62		सराईपाली	धान	240.00	240.00
63		लैलूंगा	धान	661.00	661.00
64		राजपुर	धान	745.00	745.00
65		कोड़ासिया	धान	790.20	790.20
66		केशला ( 100 )	धान	465.00	465.00
67		लारीपानी	धान	448.00	448.00
68		मुकडेगा	धान	381.00	381.00
69		लिबरा	धान	477.00	477.00
रायगढ़ कुल				28804.30	28804.30

  
 (विक्रम मिश्रा)  
 उप सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

  
 नोडल अधिकारी (वि.स.)  
 संचालनालय कृषि  
 छ.ग.रायपुर

## रायगढ़ जिला में बीज की मांग अनुरूप आपूर्ति की जानकारी

रबी 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक)

क्र.	जिला	सोसायटी का नाम	बीज की मांग / लक्ष्य				बीज की भंडारण / आपूर्ति			
			फसल का नाम	मात्रा (क्वि.)	फसल का नाम	मात्रा (क्वि.)	फसल का नाम	मात्रा (क्वि.)	फसल का नाम	मात्रा (क्वि.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रायगढ़	कोकड़ीतराई	गेहूँ	70.00	सरसों	0.00	गेहूँ	70.00	सरसों	0.00
2		तरेकेला	गेहूँ	80.00	सरसों	1.20	गेहूँ	80.00	सरसों	1.20
3		तारापुर	गेहूँ	100.00	सरसों	0.80	गेहूँ	100.00	सरसों	0.80
4		धनागर	गेहूँ	80.00	सरसों	1.20	गेहूँ	80.00	सरसों	1.20
5		नंदेली	गेहूँ	20.00	सरसों	0.00	गेहूँ	20.00	सरसों	0.00
6		भातपुर	गेहूँ	100.00	सरसों	0.80	गेहूँ	100.00	सरसों	0.80
7		कोड़तराई	गेहूँ	170.00	सरसों	0.00	गेहूँ	170.00	सरसों	0.00
8		कछार	गेहूँ	40.00	सरसों	0.00	गेहूँ	40.00	सरसों	0.00
9		पुसौर	गेहूँ	100.00	सरसों	1.20	गेहूँ	100.00	सरसों	1.20
10		बड़े हल्दी	गेहूँ	40.40	सरसों	0.00	गेहूँ	40.40	सरसों	0.00
11		बड़े भंडार	गेहूँ	120.00	सरसों	0.00	गेहूँ	120.00	सरसों	0.00
12		गोर्गा	गेहूँ	80.00	सरसों	1.20	गेहूँ	80.00	सरसों	1.20
13		नवापारा मांड	गेहूँ	60.00	सरसों	1.20	गेहूँ	60.00	सरसों	1.20
14		कोड़ातराई	गेहूँ	60.00	सरसों	0.80	गेहूँ	60.00	सरसों	0.80
15		तेलिपाली	गेहूँ	60.00	सरसों	0.80	गेहूँ	60.00	सरसों	0.80
16		छिछोर उमरिया	गेहूँ	100.00	सरसों	0.00	गेहूँ	100.00	सरसों	0.00
17		तेतला	गेहूँ	90.00	सरसों	0.80	गेहूँ	90.00	सरसों	0.80
18	रायगढ़	तिलगी	गेहूँ	80.00	सरसों	0.00	गेहूँ	80.00	सरसों	0.00
19		केशला (331)	गेहूँ	80.00	सरसों	0.80	गेहूँ	80.00	सरसों	0.80
20		खरसिया	गेहूँ	84.80	सरसों	0.00	गेहूँ	84.80	सरसों	0.00
21		हालाहुली	गेहूँ	70.00	सरसों	0.00	गेहूँ	70.00	सरसों	0.00
22		बरगढ़	गेहूँ	50.00	सरसों	0.00	गेहूँ	50.00	सरसों	0.00
23		तुरेकेला	गेहूँ	100.00	सरसों	0.00	गेहूँ	100.00	सरसों	0.00
24		चपले	गेहूँ	242.00	सरसों	0.00	गेहूँ	242.00	सरसों	0.00
25		बनीपाथर	गेहूँ	50.00	सरसों	0.00	गेहूँ	50.00	सरसों	0.00
26		मुसा	गेहूँ	149.60	सरसों	0.00	गेहूँ	149.60	सरसों	0.00
27		कुडेकेला	गेहूँ	6.00	सरसों	0.12	गेहूँ	6.00	सरसों	0.12
28		छाल	गेहूँ	4.00	सरसों	0.00	गेहूँ	4.00	सरसों	0.00
29		तमनार	गेहूँ	25.20	सरसों	0.00	गेहूँ	25.20	सरसों	0.00
30		लैलूगा	गेहूँ	50.00	सरसों	0.00	गेहूँ	50.00	सरसों	0.00
रायगढ़ कुल				2362.00		10.92		2362.00		10.92

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स.)

संचालनालय कृषि


छ.ग.रायपुर

परोशेष्ट - चौतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2291) की जानकारी


प्रपत्र "अ"  
प्रश्नांश "क" की जानकारी

विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	कुल जनसंख्या
1	2
अबुझमाड़िया	23330
बैगा	88317
बिरहोर	3490
कमार	26622
पहाड़ी कोरवा	44026
कुल योग	185785

  
असुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मन्त्रालय, नया रावपुर

प्रपत्र "ब"  
प्रश्नांश "ख" की जानकारी

क्र.	भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग	गतिविधि का नाम
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के घर का प्रावधान संपर्क सड़के
2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	दवा लागत सहित मोबाईल मेडिकल यूनिट
3	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	छात्रावासों का निर्माण
4	जलशक्ति मंत्रालय	पाईप से जलापूर्ति एवं सामुदायिक जलापूर्ति
5	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन
6	आदिम जाति विकास मंत्रालय	वनधन केन्द्रों की स्थापना बहु-उद्देशीय केन्द्रों का निर्माण
7	ऊर्जा मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	अविद्युतिकृत घरों का विद्युतीकरण एवं ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा का प्रावधान एवं सड़कों एवं बहुउद्देशीय केन्द्रों हेतु सौर प्रकाश व्यवस्था
8	दूरसंचार विभाग	मोबाईल टॉवर की स्थापना
9	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

  
अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रावपुर

प्रपत्र "स"  
प्रश्नांश "ग" की जानकारी

क.	वर्ष	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का नाम	प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित पीन्डीटीजी हितग्राहियों की संख्या	रिमाक
1	2	3	4	
1	2022-23	पहाड़ी कोरवा	23	-
2		बिरहोर	6	-
3		कमार	8	-
4		अबूझमाड़िया	93	-
5		बैगा	109	-
		योग	239	
1	2023-24	पहाड़ी कोरवा	0	-
2		बिरहोर	0	-
3		कमार	0	-
4		अबूझमाड़िया	0	-
5		बैगा	0	-
		योग	0	
1	2024-25	पहाड़ी कोरवा	2	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 14 हितग्राहियों का नाम, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी)-2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं वर्ष 2018 की आवास प्लस सूची में दर्ज होने के कारण पीएम जनमन के तहत सर्वे नहीं किया गया है। इन हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।
2		बिरहोर	0	
3		कमार	8	
4		अबूझमाड़िया	0	
5		बैगा	4	
		योग	14	

अमुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रावपुर

प्रपत्र "द"  
प्रश्नांश "ग" की जानकारी

क्र.	वर्ष	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का नाम	प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित पीव्डीजी हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	योजना अप्रारंभ
1	2022-23	पहाड़ी कोरवा	
2		बिरहोर	
3		कमार	
4		अबूझमाड़िया	
5		बैगा	
		योग	
1	2023-24	पहाड़ी कोरवा	5250
2		बिरहोर	528
3		कमार	3833
4		अबूझमाड़िया	3
5		बैगा	12686
		योग	22300
1	2024-25	पहाड़ी कोरवा	1913
2		बिरहोर	37
3		कमार	634
4		अबूझमाड़िया	1148
5		बैगा	441
		योग	4173



अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रावपुर

## परिशेष - पेंटीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2299) की जानकारी

ii =

## प्रश्नांश "क" के संबंध में

दस्तावेज का प्रकार	प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरें	प्रभावशीलता दिनांक	पूर्व की दरें	प्रभार्य पंजीयन शुल्क की दरें	प्रभावशीलता दिनांक	पूर्व की दरें	प्रभार्य सरचार्ज (उपकर) की दर	प्रभावशीलता दिनांक	पूर्व की दरें
विक्रय पत्र	संपत्ति के बाजार मूल्य का 5%	01.04.2012	7.5%	संपत्ति के बाजार मूल्य का 4%	25.07.2019	0.8%	देय स्टाम्प शुल्क का 12%	22.02.2023	देय स्टाम्प शुल्क का 5%
दान (पारिवारिक)	संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.5%	26.03.2014	5%	500 / - रु.	06.12.2024	0.8%	देय स्टाम्प शुल्क का 12%	22.02.2023	देय स्टाम्प शुल्क का 5%
दान (गैर पारिवारिक)	संपत्ति के बाजार मूल्य का 5%	26.03.2014	7.5%	संपत्ति के बाजार मूल्य का 4%	25.07.2019	0.8%	देय स्टाम्प शुल्क का 12%	22.02.2023	देय स्टाम्प शुल्क का 5%
विनिमय (भूमि से भूमि, भवन से भवन तथा गैर व्यवसायिक)	संपत्तियों के बाजार मूल्य के अंतर की रीति पर 5%	01.04.2014	अधिक मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य का 5%	संपत्ति के बाजार मूल्य का 4%	25.07.2019	0.8%	लागू नहीं	-	लागू नहीं
विनिमय (भूमि से भवन या भवन से भूमि या व्यवसायिक)	अधिक मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य पर 5%	01.04.2012	7.5%	संपत्ति के बाजार मूल्य का 4%	25.07.2019	0.8%	लागू नहीं	-	लागू नहीं
पट्टा (30 वर्षीय)	औसत वार्षिक माटक के पांच गुने का 5% + प्रीमियम रीति का 5%	01.11.2000	यथावत्	स्टाम्प शुल्क का तीन चौथाई	01.11.2000	यथावत्	देय स्टाम्प शुल्क का 12%	22.02.2023	देय स्टाम्प शुल्क का 5%
निर्मुक्ति (पारिवारिक)	हक त्याग से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.5%	26.03.2014	4%	500 / - रु.	06.12.2024	0.8%	लागू नहीं	-	लागू नहीं
निर्मुक्ति (गैर पारिवारिक)	हक त्याग से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का 2%	26.03.2014	4%	संपत्ति के बाजार मूल्य का 4%	06.12.2024	0.8%	लागू नहीं	-	लागू नहीं
विभाजन (परिवर्तित भूमि)	प्रत्येक अंशधारी के लिए 2000 / - रु.	26.03.2014	विभाजित अंश के बाजार मूल्य का 4%	500 / - रु.	06.12.2024	0.8%	लागू नहीं	-	लागू नहीं
विभाजन (कृषि भूमि)	प्रत्येक अंशधारी के लिए 100 / - रु.	26.03.2014	विभाजित अंश के बाजार मूल्य का 4%	500 / - रु.	06.12.2024	0.8%	लागू नहीं	-	लागू नहीं

## परोशष्ट - छत्तीस


पारेवातेत अतारोकेत प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2304) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

## प्रश्नांश "क" की जानकारी

प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की जिलेवार जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	जगदलपुर	6
2.	कांकेर	5
3.	दंतेवाड़ा	4
4.	बीजापुर	4
5.	नारायणपुर	2
6.	सुकमा	3
7.	कोण्डागांव	5
8.	सरगुजा	5
9.	जशपुर	6
10.	बलरामपुर	6
11.	सूरजपुर	4
12.	कोरिया	1
13.	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी	2
14.	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	3
15.	रायगढ़	4
16.	कोरबा	3
17.	सवती	1
18.	मुंगेली	1
19.	राजनांदगांव	1
20.	मोहला-मानपुर-चौकी	2
21.	बालोद	1
22.	कबीरधाम	1
23.	बलौदाबाजार	1
24.	महासमुन्द	1
25.	धमतरी	1
26.	गरियाबंद	2
	योग	75

  
 अनुभाग अधिकारी  
 आ.जा. वि. अनु.जा.वि. विभाग  
 नरसिंह, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "ब"

प्रश्नांश "क" की जानकारी

प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों की जिलेवार जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	प्रयास आवासीय विद्यालयों की संख्या			
		बालक	कन्या	संयुक्त	योग
1	2	3	4	5	6
1.	रायपुर	2	2	0	4
2.	बस्तर	0	0	1	1
3.	सरगुजा	0	0	1	1
4.	दुर्ग	1	0	1	2
5.	बिलासपुर	0	1	1	2
6.	कांकेर	0	0	1	1
7.	कोरबा	0	0	1	1
8.	जशपुर	0	0	1	1
9.	बालोद	0	0	1	1
10.	रायगढ़	0	0	1	1
	योग	3	3	9	15

*Seema*  
 अनुभाग अधिकारी  
 आ.जा. सप्ता अनु.जा.वि. विभाग  
 ऑडिटिंग, नया रायपुर, अटल नगर

## प्रश्नांश "ख" की जानकारी

01 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक की स्थिति में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन एवं अन्य सामग्री क्रय में भंडार क्रय नियम का अनुपालन न होने की प्राप्त शिकायतों व की गई कार्यवाही की जिलेवार संख्या से संबंधित जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	जिले द्वारा की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	जगदलपुर	निरंक	निरंक	निरंक
2.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक
3.	दंतेवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक
4.	बीजापुर	01	शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आक्षेप की जांच कलेक्टर द्वारा की गई, जिसमें आक्षेप निराधार पाया गया है।	प्रकरण निराकृत
5.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक
6.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक
7.	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक
8.	सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक
9.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक
10.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	निरंक
11.	सूरजपुर	निरंक	निरंक	निरंक
12.	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक
13.	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-धिरमिरी	निरंक	निरंक	निरंक
14.	गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक
15.	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक
16.	कोरबा	निरंक	निरंक	निरंक
17.	सक्ती	निरंक	निरंक	निरंक
18.	मुंगेली	निरंक	निरंक	निरंक
19.	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	निरंक
20.	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	निरंक	निरंक	निरंक
21.	बालोद	निरंक	निरंक	निरंक
22.	कबीरधाम	निरंक	निरंक	निरंक
23.	बलौदाबाजार	निरंक	निरंक	निरंक
24.	महासमुंद	निरंक	निरंक	निरंक
25.	धमतरी	निरंक	निरंक	निरंक
26.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक

*Sany*  
अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
नियंत्रण, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशेष - सैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2307) की जानकारी

प्रपत्र

## ब्लास्टिंग के संबंध में खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.	शिकायत का दिनांक	विकासखण्ड	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विषय वस्तु	जाँचकर्ता अधिकारी का पदनाम	की गई कार्यवाही
1.	12.11.2022	डोंगरगांव	सरपंच ग्राम पंचायत घोरदा	ग्राम घोरदा चूना पत्थर खदान प्रतिबंध लगाने बाबत।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग), डोंगरगांव, खनि निरीक्षक राजनांदगांव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अधिकारी, राजनांदगांव	शिकायत की जांच राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अधिकारी, एवं खनिज विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा किया गया। जांच में अनियमितता पाये जाने पर ग्राम घोरदा तहसील डोंगरगांव के खसरा नंबर 372/1, 372/2, 373, रकबा 1.955 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत उत्खनिपट्टा को कार्यालयीन पत्र दिनांक 03.05.2023 द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51 (29) के तहत अस्थायी रूप से बंद करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2023 द्वारा पट्टाधारी को अंतरिम राहत प्रदान किया गया है।
2.	25.04.2023	डोंगरगांव	मनीष कुमार साहू सदस्य जनपद पंचायत डोंगरगांव	ग्राम मोहभटठा में संचालित पत्थर उत्खनन एवं चलित केशर के प्रदूषण से मुक्ति दिलाने एवं अवैध उत्खनन की जांच बाबत।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग) डोंगरगांव, तहसीलदार डोंगरगांव, खनि निरीक्षक राजनांदगांव,	शिकायत के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव, खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त जांच किया गया, प्राप्त प्रतिवेदन के भुनसार स्वीकृत उत्खनिपट्टा के अलावा खसरा नंबर 209 रकबा 0.388 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज चूनापत्थर मात्रा 65960 घनमीटर का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। उक्त प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है।
3.	15.10.2024	राजनांदगांव	सरपंच ग्राम पंचायत भानपुरी	ग्राम पंचायत भानपुरी में संचालित चूनापत्थर खदान को बंद कराने बाबत।	-	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 23.03.2017 को कोअर्सिव (बलपूर्वक) स्टेप नहीं लिये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
4.	09.01.2025	राजनांदगांव	शिवसेना प्रदेश महासचिव लाल जांगडे रेशम	ग्राम राजा भानपुरी में संचालित गिट्टी खदान की जांच कर उचित कार्यवाही बाबत।	-	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 23.03.2017 को कोअर्सिव (बलपूर्वक) स्टेप नहीं लिये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
5.	29.01.2025	छुरिया	समस्त ग्रामवासी हैदलकोडो	बोर ब्लास्टिंग व पत्थर उत्खनन बंद कराने बाबत	सहायक खनि अधिकारी राजनांदगांव,	सहायक खनि अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 23.12.2023 एवं 22.10.2024 दिनांक को ग्राम हैदलकोडो स्थित खसरा नं. 532 भाग रकबा 2.024 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज साधारण पत्थर को उत्खनिपट्टा अवधि दिनांक 02.06.2012 से 01.06.2042 स्वीकृत क्षेत्र का जांच किया गया। ग्राम हैदलकोडो, में संचालित पत्थर खदान श्री तरूण गांधी, के नाम से स्वीकृत है। ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि शिकायत हमारे ग्रामवासियों द्वारा नहीं की गई है। ग्रामवासियों द्वारा शिकायतकर्ता के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुये कहा गया कि उक्त शिकायत सत्य नहीं है, शिकायत निराधार है। शिकायत पत्र में उल्लेखित मोबाईल नंबर से संपर्क करने पर सर्विस में नहीं बताया गया। तरूण गांधी के पत्थर खदान से लगभग 100 मीटर दूरी पर शासकीय गौठान में पानी बोर मशीन चालू है। खेत में लगे बोर खदान क्षेत्र से 150 मीटर दूरी है जिसमें कोई समस्या नहीं है, जिसमें पानी आ रहा है। खदान से 200 मीटर के दायरे में मकान अवस्थित है, जिसमें किसी भी प्रकार का दरार नहीं पाया गया है। प्राप्त शिकायत निराधार पाया गया है।

03-3-25

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर


## पारोक्ष - अड़तीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 2309) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2022 से फरवरी 2025 तक की अवधि में अविभाजित राजनांदगांव जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु अधिनियम के तहत सम्मति प्राप्त संचालित क्रशर एवं खदानों का नाम एवं पता तथा सम्मति जारी दिनांक की जानकारी

क्र.	क्रशर /खदान का नाम एवं पता	ईकाई का प्रकार (क्रशर /खदान/ खदान सह क्रशर)	जल/वायु सम्मति जारी दिनांक
1	2	3	4
1.	मेसर्स श्री नवकार स्टोनस ग्राम डुमरडीहकला तहसील व जिला राजनांदगांव	क्रशर	10.03.2022
2.	मेसर्स लेण्डमार्क रायल इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-चिरचारीकला तहसील छुरिया जिला- राजनांदगांव	खदान सह क्रशर	31.05.2023
3.	मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन कारी 2.773 हेक्टेयर ग्राम-डुमरडीहकला तहसील व जिला- राजनांदगांव	खदान	04.05.2023
4.	मेसर्स महानिधी माईस एंड मिनरल 1.214 हेक्टेयर ग्राम- विचारपुर नवागांव तहसील डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव	खदान	16.05.2023
5.	मेसर्स भारत बिल्डर्स ग्राम-परना, तहसील, डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव	खदान	30.06.2023
6.	मेसर्स आर.डी. मिनरल्स (बनहरदी लाईम स्टोन कारी) ग्राम- बनहरदी, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव	खदान	13.07.2023
7.	मेसर्स भारत बिल्डर्स ग्राम-परना, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	क्रशर	25.01.2023
8.	मेसर्स निर्मलचंद जैन स्टोन क्रशर ग्राम-घोरधा, तहसील-डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव	क्रशर	21.03.2023
9.	मेसर्स अर्चना मिनरल्स ग्राम-मोहभट्टा, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव	क्रशर	19.04.2023
10.	मेसर्स अर्चना मिनरल्स ग्राम-भरकाटोला, तहसील व जिला- राजनांदगांव	क्रशर	20.04.2023
11.	मेसर्स आर.डी. मिनरल्स ग्राम- बनहरदी, तहसील -डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव	क्रशर	23.05.2023
12.	मेसर्स जबकसा आर्डनरी स्टोन कारी ग्राम- अलकुरा तहसील मानपुर जिला- मानपुर/मोहला/अम्बागढ़ चौकी	खदान सह क्रशर	03.05.2024
13.	मेसर्स महावीर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- नीचेकोड़ा तहसील अम्बागढ़ चौकी जिला- मानपुर/मोहला/ अम्बागढ़ चौकी	खदान सह क्रशर	03.05.2024
14.	मेसर्स परेश कुमार (कलकसा लाईम स्टोन कारी 1.214 हेक्टेयर ) ग्राम- कलकसा, तहसील खैरागढ़ जिला-खैरागढ़-छुइखदान-गंडई	खदान	01.01.2024
15.	मेसर्स मुडीपार लाईम स्टोन कारी ग्राम- मुडीपार, तहसील व जिला राजनांदगांव	खदान	19.07.2024

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 पर्यावरण एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

## प्रपत्र-ब

वर्ष 2022 से फरवरी 2025 तक की अवधि में अविभाजित राजनांदगांव जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु अधिनियम के तहत सम्मति प्राप्त संचालित क्रशर एवं खदानों का नाम एवं पता, अनुमति धारक का नाम, निरीक्षण की तिथि एवं निरीक्षणकर्ता का पदनाम की जानकारी

## वर्ष 2023

क्र.	क्रशर /खदान का नाम एवं पता	ईकाई का प्रकार (क्रशर /खदान/ खदान सह क्रशर)	अनुमति धारक का नाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स लेण्डमार्क रायल इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-चिरचारीकला तहसील छुरिया जिला- राजनांदगांव	खदान सह क्रशर	श्री वरूण जैन	24.05.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक
2.	मेसर्स दुमरडीहकला लाईम स्टोन कारी 2.773 हेक्टेयर ग्राम- दुमरडीहकला तहसील व जिला- राजनांदगांव	खदान	श्री हितेन्द्र सिंह बग्गा	18.04.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ
3.	मेसर्स महानिधी माईस एंड मिनरल 1.214 हेक्टेयर ग्राम- विचारपुर नवागांव तहसील डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव	खदान	श्री गौरव सिंह ठाकुर	11.05.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ
4.	मेसर्स भारत बिल्डर्स ग्राम-परना, तहसील, डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव	खदान	श्रीमती शांति देवी	27.06.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक
5.	मेसर्स आर.डी. मिनरल्स (बनहरदी लाईम स्टोन कारी) ग्राम-बनहरदी, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव	खदान	श्री राहुल गोलछा	13.07.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक
6.	मेसर्स भारत बिल्डर्स ग्राम-परना, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	क्रशर	श्रीमती शांति देवी	23.01.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ
7.	मेसर्स निर्मलचंद जैन स्टोन क्रशर ग्राम-घोरधा, तहसील-डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव	क्रशर	श्री निर्मलचंद जैन	13.03.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक
8.	मेसर्स अर्चना मिनरल्स ग्राम-मोहभट्टा, तहसील-डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव	क्रशर	श्रीमती अर्चना दास	13.03.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक
9.	मेसर्स अर्चना मिनरल्स ग्राम-भरकाटोला, तहसील व जिला- राजनांदगांव	क्रशर	श्रीमती अर्चना दास	19.04.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक
10.	मेसर्स आर.डी. मिनरल्स ग्राम-बनहरदी, तहसील -डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव	क्रशर	रोमिल गोलछा	24.03.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक
11.	मेसर्स परेश कुमार (कलकसा लाईम स्टोन कारी 1.214 हेक्टेयर ) ग्राम-कलकसा, तहसील खैरागढ़ जिला- खैरागढ़-छुइखदान-गंडई	खदान	श्री परेश कुमार	20.12.2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक

वर्ष 2024

क्र.	क्रशर /खदान का नाम एवं पता	ईकाई का प्रकार (क्रशर /खदान/ खदान सह क्रशर)	अनुमति धारक का नाम	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स जबकसा आर्डनरी स्टोन कारी ग्राम- अलकुरा तहसील मानपुर जिला- मानपुर/मोहला/ अम्बागढ़ चौकी	खदान सह क्रशर	श्री खेतहाराम	08.04.2024	कनिष्ठ वैज्ञानिक
2.	मेसर्स महावीर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- नीचेकोड़ा तहसील अम्बागढ़ चौकी जिला- मानपुर/मोहला/ अम्बागढ़ चौकी	खदान सह क्रशर	श्री सुनील जैन	06.04.2024	कनिष्ठ वैज्ञानिक
3.	मेसर्स मुडीपार लाईम स्टोन कारी ग्राम- मुडीपार, तहसील व जिला राजनांदगांव	खदान	श्री राजेश चन्द्राकर	08.07.2024	कनिष्ठ वैज्ञानिक
4.	मेसर्स श्री नवकार स्टोनस ग्राम डुमरडीहकला तहसील व जिला राजनांदगांव	क्रशर	श्री राहुल कोठारी	31.01.2024	रसायनज्ञ
5.	मेसर्स लेण्डमार्क रायल इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- चिरचारीकला तहसील छुरिया जिला- राजनांदगांव	खदान सह क्रशर	श्री वरूण जैन	24.05.2024	कनिष्ठ वैज्ञानिक
6.	डुमरडीहकला लाईम स्टोन कारी 2.773 हेक्टेयर ग्राम- डुमरडीहकला तहसील व जिला- राजनांदगांव	खदान	श्री हितेन्द्र सिंह बग्गा	25.04.2024	कनिष्ठ वैज्ञानिक
7.	मेसर्स भारत बिल्डर्स ग्राम-परना, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	क्रशर	श्रीमती शांति देवी	03.05.2024	कनिष्ठ वैज्ञानिक
8.	मेसर्स निर्मलचंद जैन स्टोन क्रशर ग्राम-घोरधा, तहसील-डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव	क्रशर	श्री निर्मलचंद जैन	25.04.2024	कनिष्ठ वैज्ञानिक


  
 अध्यक्ष  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 जलवायु एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - उनतालीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2334) की जानकारी

'प्रपत्र-अ'

क.	संचालित योजना का नाम
1	छात्रावास आश्रम योजना
2	ऑनलाईन शिष्यवृत्ति योजना
3	छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना
4	स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना
5	छात्र भोजन सहाय योजना (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
6	खाद्यान सुरक्षा योजना
7	गुरुकुल आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास
8	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
9	विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु आवासीय विद्यालय
10	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना
11	क्रीडा परिसर योजना
12	ऑन लाईन पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
13	बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना
14	हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना
15	आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना
16	देवगुडी निर्माण/मरम्मत योजना
17	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत योजना
18	सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोक कला महोत्सव
19	राजीव युवा उत्थान योजना एवं ट्रायबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली
20	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री. मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना
21	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
22	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
23	पीएम जनमन योजना
24	नियद नेल्लानार योजना
25	वन अधिकार पट्टा
26	सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
27	बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
28	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
29	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण
30	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति
31	रविदास चर्मशिल्प योजना
32	अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
33	मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण
34	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना
35	प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम
36	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान

  
 अनुभाग अधिकारी  
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मंत्रालय, नया रावपुर

प्रपत्र-ब

प्रश्नांश 'ख' की जानकारी

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

वर्ग- अनुसूचित जनजाति

क्र.	कोटा विकासखण्ड में लामान्वित किये जा रहे योजना का नाम	योजना का नाम	राशि (लाखों में)	संचालित योजनाओं से 15.02.2025 तक कितने हितग्राहियों को न-कोन सौ योजनाओं से लामान्वित हुये
1	2	3	4	5
1	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	पुलिया निर्माण (मुख्य मार्ग से बेगा पारा पहुंच मार्ग पर) ग्राम व ग्राम पंचायत बारीडीह, वि.ख. कोटा वर्ष 2023-24	9.709	अप्रैल 2024 से 15.02.2025 तक योजना अंतर्गत विकासखण्ड कोटा में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है।
2	वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्रों का वितरण	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र- 1. पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण - 75467 / - 2. CFRMC को आर्थिक सहायता- 214947 / - 3. CFRMC को आर्थिक सहायता- 347116 / - 4. CFRMC को वन अधि.अधि.के क्रियाचयन हेतु 300000 / -	9.375	34 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है।
3	आदिवासी सांस्कृतिक का परिरक्षण एवं विकास (देवगुड़ी निर्माण/ मरम्मत)	देवगुड़ी निर्माण कार्य (2023-24)	1.50	ग्राम करका में देवगुड़ी निर्माण हेतु 1.50 लाख स्वीकृत की गई है।
4	मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना	मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना (2023-24) मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना (2024-25)	8.50	कोटा विकासखण्ड अंतर्गत 85 अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को प्रति ग्राम पंचायत रु. 10000 / - के मान से उनके बैंक खाते में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर द्वारा राशि हस्तांतरित की गई। कोटा विकासखण्ड अंतर्गत 85 अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को प्रति ग्राम पंचायत रु. 10000 / - के मान से उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा को राशि पुनर्बंदिता की गई है।
5	आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना	आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना (2023-24) आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना (2024-25)	2.00	संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों से प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण राशि समर्पित की गई।
6	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जनजाति)	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2023-24	100.64	वर्ष 2023-24 में कुल 1294 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति ऑनलाइन भुगतान किया गया है।
7	छात्रावास/आश्रम योजना (अनुसूचित जनजाति)	छात्रावास/आश्रम योजना वर्ष 2023-24 छात्रावास/आश्रम योजना वर्ष 2024-25	177.63	1166 अनुसूचित जनजाति
8	अत्याचार निवारण (राहत योजना) अ.ज. जा.	राहत योजना वर्ष 2023-24 राहत योजना वर्ष 2024-25	109.80	1220 अनुसूचित जनजाति
			4.20	2 अनुसूचित जनजाति
			3.50	2 अनुसूचित जनजाति

## वर्ग- अनुसूचित जाति

क्र.	कोटा विकासखण्ड में लाभान्वित किये जा रहे योजना का नाम	योजना का नाम	राशि ( लाखों में )	संचालित योजनाओं से 15.02.2025 तक कितने हितग्राहियों को न-कौन सी योजनाओं से लाभान्वित हुये
1	अनुसूचित जाति अंतर्जातीय विवाह योजना (अनुसूचित जाति)	अनुसूचित जाति अंतर्जातीय विवाह योजना	2.50	वर्ष 2023-24 में निरंक एवं वर्ष 2024-25 में 01 हितग्राही को अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति दंपति को लाभ दिया गया है।
2	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	0.00	अप्रैल 2024 से 15.02.2025 तक योजना अंतर्गत विकासखण्ड कोटा में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है।
3	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति)	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2023-24	106.89	वर्ष 2023-24 में कुल 1081 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति ऑनलाईन भुगतान किया गया है।
4	छात्रावास/आश्रम योजना (अनुसूचित जाति)	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2024-25 छात्रावास/आश्रम योजना वर्ष 2023-24 छात्रावास/आश्रम योजना वर्ष 2024-25	0.00 30.81 17.42	दिनांक 15.02.2025 की स्थिति में छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 210 अनुसूचित जाति 224 अनुसूचित जाति
5	अत्याचार निवारण (साहत योजना) अ.जा.	साहत योजना वर्ष 2023-24	6.75	8 अनुसूचित जाति

अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मन्त्रालय, नया रायपुर


'प्रपत्र-स'

प्रश्नांश 'ग' की जानकारी

सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकार वितरित ग्राम सभा

क्र. क्र.	जिला	अनुभाग स्तरीय समिति का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	अधिकार पत्र किसके नाम से जारी हुआ है (ग्राम सभा/वन अधिकार समिति/संयुक्त वन प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत/अन्य समिति)	स्थानीय समुदाय का प्रकार		दोनो	आरक्षित वन	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अलगत मान्य क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			अधिकार पत्र जारी करने का वर्ष (कैलेंडर वर्ष)	
								एसटी ओटीए फडी	प्रकार			राजस्व वन	संरक्षित वन	अन्य वन		कुल क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बिलासपुर	कोटा	कोटा	कोनचरा	कोनचरा	कोनचरा	कोनचरा	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	45.000	2020
2	बिलासपुर	कोटा	कोटा	नवागांव सोनसाय	नवागांव सोनसाय	नवागांव सोनसाय	नवागांव सोनसाय	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	267.117	2020
3	बिलासपुर	कोटा	कोटा	बिटकुली	रिगरिगा	रिगरिगा	रिगरिगा	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	604.110	2020
4	बिलासपुर	कोटा	कोटा	सल्का	सल्का	सल्का	सल्का	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	203.312	2020
5	बिलासपुर	कोटा	कोटा	लिटिया	बेड़ापाट	बेड़ापाट	बेड़ापाट	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	20.000	2020
6	बिलासपुर	कोटा	कोटा	मिटठू नवागांव	मिटठू नवागांव	मिटठू नवागांव	मिटठू नवागांव	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	45.000	2020
7	बिलासपुर	कोटा	कोटा	सक्तीबहरा	भेलवाटिकरी	भेलवाटिकरी	भेलवाटिकरी	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	45.000	2020
8	बिलासपुर	कोटा	कोटा	नागचुवा	बांसाझाल	बांसाझाल	बांसाझाल	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	101.171	2020
9	बिलासपुर	कोटा	कोटा	मझगांव	मझगांव	मझगांव	मझगांव	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	201.825	2020
10	बिलासपुर	कोटा	कोटा	बारीडीह	बारीडीह	बारीडीह	बारीडीह	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	271.060	2020
11	बिलासपुर	कोटा	कोटा	चपोरा	बांसाझाल	बांसाझाल	बांसाझाल	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	318.087	2020
12	बिलासपुर	कोटा	कोटा	छतौना	छतौना	छतौना	छतौना	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	1043.605	2020
13	बिलासपुर	कोटा	कोटा	परसापानी	परसापानी	परसापानी	परसापानी	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	816.174	2020
14	बिलासपुर	कोटा	कोटा	सेमरिया	सेमरिया	सेमरिया	सेमरिया	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	666.627	2020
15	बिलासपुर	कोटा	कोटा	करका	करका	करका	करका	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	173.732	2021
16	बिलासपुर	कोटा	कोटा	नागचुआ	बांसाझाल	बांसाझाल	बांसाझाल	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	82.394	2021
17	बिलासपुर	कोटा	कोटा	पटैता	पटैता	पटैता	पटैता	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	140.211	2021
18	बिलासपुर	कोटा	कोटा	कुवारीमुडा	कुवारीमुडा	कुवारीमुडा	कुवारीमुडा	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	56.890	2021
19	बिलासपुर	कोटा	कोटा	रतखण्डी	बरर	बरर	बरर	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	100.00	2021
20	बिलासपुर	कोटा	कोटा	कचनपुर	कचनपुर	कचनपुर	कचनपुर	-	-	दोनो	-	-	-	अन्य	110.000	2021

21	7	बिलासपुर	कोटा	कोटा	कुरवर	चिखलाडबरी छुईहा	कुरवर	कुरवर	-	-	-	-	-	अन्य	209.000	2021
22	8	बिलासपुर	कोटा	कोटा	उमरिया	सरगोड, परसापानी	उमरिया	उमरिया	-	-	-	-	-	अन्य	162.000	2021
23	9	बिलासपुर	कोटा	कोटा	टांटीधार	भस्को	भस्को	भस्को	-	-	-	-	-	अन्य	48.700	2021
24	10	बिलासपुर	कोटा	कोटा	टांटीधार	भनवारटंक	भनवारटंक	भनवारटंक	-	-	-	-	-	अन्य	51.000	2021
25	11	बिलासपुर	कोटा	कोटा	टांटीधार	बगधरा	बगधरा	बगधरा	-	-	-	-	-	अन्य	21.222	2021
26	12	बिलासपुर	कोटा	कोटा	केन्दा	केन्दा	केन्दा	केन्दा	-	-	-	-	-	अन्य	46.063	2021
27	13	बिलासपुर	कोटा	कोटा	खोगसरा	खोगसरा	खोगसरा	खोगसरा	-	-	-	-	-	अन्य	136.363	2021
28	14	बिलासपुर	कोटा	कोटा	तुलुफ	तुलुफ	तुलुफ	तुलुफ	-	-	-	-	-	अन्य	42.903	2021
29	15	बिलासपुर	कोटा	कोटा	करवा	करवा	करवा	करवा	-	-	-	-	-	अन्य	138.122	2021
30	16	बिलासपुर	कोटा	कोटा	रिगवार	खसरिया	खसरिया	खसरिया	-	-	-	-	-	अन्य	536.470	2021
31	17	बिलासपुर	कोटा	कोटा	पुडू	पुडू	पुडू	पुडू	-	-	-	-	-	अन्य	123.075	2021
32	1	बिलासपुर	कोटा	कोटा	टांटीधार	भस्को	भस्को	भस्को	-	-	-	-	-	अन्य	150.000	2024
33	2	बिलासपुर	कोटा	कोटा	मोहली	मोहली	मोहली	मोहली	-	-	-	-	-	अन्य	960.000	2024
34	49	बिलासपुर	कोटा	कोटा	दारसागर	दारसागर	दारसागर	दारसागर	-	-	-	63.272	117.684	-	180.956	2024
														योग :-	8117.189	

  
 अनुभाग अधिकारी  
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मंत्रालय, नया रायपुर

**‘प्रपत्र-द’**  
**प्रश्नांश ‘ग’ की जानकारी**


(मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना )

क्रमांक	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	बैंक खाते में अंतरित की गई राशि (प्रथम एवं द्वितीय किश्त) वर्ष 2023-24	बैंक खाते में अंतरित की गई राशि (प्रथम किश्त) वर्ष 2024-25
1	2	3	4	5	6
1	बिलासपुर	कोटा	आमामुड़ा	10000.00	5000.00
2	बिलासपुर	कोटा	आमागोहन	10000.00	5000.00
3	बिलासपुर	कोटा	अमाली	10000.00	5000.00
4	बिलासपुर	कोटा	अमने	10000.00	5000.00
5	बिलासपुर	कोटा	बानाबेल	10000.00	5000.00
6	बिलासपुर	कोटा	बारीडीह	10000.00	5000.00
7	बिलासपुर	कोटा	बरपाली	10000.00	5000.00
8	बिलासपुर	कोटा	बेलगहना	10000.00	5000.00
9	बिलासपुर	कोटा	भैंसाझार	10000.00	5000.00
10	बिलासपुर	कोटा	भरदैयाडीह	10000.00	5000.00
11	बिलासपुर	कोटा	बहेरामुडा	10000.00	5000.00
12	बिलासपुर	कोटा	बिल्लीबंद	10000.00	5000.00
13	बिलासपुर	कोटा	बिटकुली	10000.00	5000.00
14	बिलासपुर	कोटा	चंगोरी	10000.00	5000.00
15	बिलासपुर	कोटा	चपोरा	10000.00	5000.00
16	बिलासपुर	कोटा	छेरकाबांधा	10000.00	5000.00
17	बिलासपुर	कोटा	छतौना	10000.00	5000.00
18	बिलासपुर	कोटा	चुरेली	10000.00	5000.00
19	बिलासपुर	कोटा	दारसागर	10000.00	5000.00
20	बिलासपुर	कोटा	दवनपुर	10000.00	5000.00
21	बिलासपुर	कोटा	डांडबछाली	10000.00	5000.00
22	बिलासपुर	कोटा	धनरास	10000.00	5000.00
23	बिलासपुर	कोटा	धूमा	10000.00	5000.00
24	बिलासपुर	कोटा	गोबरीपाट	10000.00	5000.00
25	बिलासपुर	कोटा	झिंगटपुर	10000.00	5000.00
26	बिलासपुर	कोटा	जोगीपुर	10000.00	5000.00
27	बिलासपुर	कोटा	कलारतराई	10000.00	5000.00
28	बिलासपुर	कोटा	कलमीटार	10000.00	5000.00
29	बिलासपुर	कोटा	कंचनपुर	10000.00	5000.00
30	बिलासपुर	कोटा	करहीकछार	10000.00	5000.00
31	बिलासपुर	कोटा	करका	10000.00	5000.00
32	बिलासपुर	कोटा	करवा	10000.00	5000.00
33	बिलासपुर	कोटा	केंदा	10000.00	5000.00
34	बिलासपुर	कोटा	केंदाडांड	10000.00	5000.00
35	बिलासपुर	कोटा	खैरा	10000.00	5000.00
36	बिलासपुर	कोटा	खरगहनी	10000.00	5000.00

37	बिलासपुर	कोटा	खोंगसरा	10000.00	5000.00
38	बिलासपुर	कोटा	खुरदूर	10000.00	5000.00
39	बिलासपुर	कोटा	कोंनचरा	10000.00	5000.00
40	बिलासपुर	कोटा	कुरदर	10000.00	5000.00
41	बिलासपुर	कोटा	कुरुवार	10000.00	5000.00
42	बिलासपुर	कोटा	कुवारीमूड़ा	10000.00	5000.00
43	बिलासपुर	कोटा	लालपुर	10000.00	5000.00
44	बिलासपुर	कोटा	लिटिया	10000.00	5000.00
45	बिलासपुर	कोटा	लूफा	10000.00	5000.00
46	बिलासपुर	कोटा	मझगांवा	10000.00	5000.00
47	बिलासपुर	कोटा	मझगांव	10000.00	5000.00
48	बिलासपुर	कोटा	मझवानी	10000.00	5000.00
49	बिलासपुर	कोटा	मित्तूनवागांव	10000.00	5000.00
50	बिलासपुर	कोटा	मोहली	10000.00	5000.00
51	बिलासपुर	कोटा	मोहदा	10000.00	5000.00
52	बिलासपुर	कोटा	नांगचुवा	10000.00	5000.00
53	बिलासपुर	कोटा	नगोई	10000.00	5000.00
54	बिलासपुर	कोटा	नगपुरा	10000.00	5000.00
55	बिलासपुर	कोटा	नवागांव मोहदा	10000.00	5000.00
56	बिलासपुर	कोटा	नवागांव सल्का	10000.00	5000.00
57	बिलासपुर	कोटा	नवागांव सोनसाय	10000.00	5000.00
58	बिलासपुर	कोटा	नेवसा	10000.00	5000.00
59	बिलासपुर	कोटा	नेवारीबहरा	10000.00	5000.00
60	बिलासपुर	कोटा	पहंदा	10000.00	5000.00
61	बिलासपुर	कोटा	पण्डरापथरा	10000.00	5000.00
62	बिलासपुर	कोटा	परसापानी	10000.00	5000.00
63	बिलासपुर	कोटा	परसदा	10000.00	5000.00
64	बिलासपुर	कोटा	पटैता	10000.00	5000.00
65	बिलासपुर	कोटा	पोड़ी	10000.00	5000.00
66	बिलासपुर	कोटा	पोड़ी(सल्का)	10000.00	5000.00
67	बिलासपुर	कोटा	पुडू	10000.00	5000.00
68	बिलासपुर	कोटा	रानीबछाली	10000.00	5000.00
69	बिलासपुर	कोटा	रानीसागर	10000.00	5000.00
70	बिलासपुर	कोटा	रतखण्डी	10000.00	5000.00
71	बिलासपुर	कोटा	रिंगवार	10000.00	5000.00
72	बिलासपुर	कोटा	सल्का	10000.00	5000.00
73	बिलासपुर	कोटा	सक्तीबहरा	10000.00	5000.00
74	बिलासपुर	कोटा	सेमरिया	10000.00	5000.00
75	बिलासपुर	कोटा	सेमरा	10000.00	5000.00
76	बिलासपुर	कोटा	सिलपहरी	10000.00	5000.00
77	बिलासपुर	कोटा	शिवतराई	10000.00	5000.00
78	बिलासपुर	कोटा	सिलदहा	10000.00	5000.00
79	बिलासपुर	कोटा	सोनपुरी	10000.00	5000.00
80	बिलासपुर	कोटा	टाटीधार	10000.00	5000.00

81	बिलासपुर	कोटा	तेन्दूभाठा	10000.00	5000.00
82	बिलासपुर	कोटा	तुलुफ	10000.00	5000.00
83	बिलासपुर	कोटा	उमरिया	10000.00	5000.00
84	बिलासपुर	कोटा	उमरिया(दादर)	10000.00	5000.00
85	बिलासपुर	कोटा	उपका	10000.00	5000.00

टीप:- वर्ष 2024-25 में आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के द्वितीय किश्त की राशि प्रत्येक ग्राम पंचायत रु. 5000/- के मान से उनके खाते में अंतरित की जाने की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा द्वारा की जा रही है।

  
अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

## अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

## पौरिशेष्ट - चालीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क. 556) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश "क" "ख" एवं "ग" की जानकारी

क्र.	पीएम जनमन अंतर्गत विधानसभा पथलगांव में शामिल विकास खण्ड का नाम	पीएम जनमन अंतर्गत विधानसभा पथलगांव में शामिल ग्राम का नाम	कुल लक्षित परिवार संख्या	आवास संख्या	स्वच्छ पेयजल सुविधा	बेहतर सड़क	स्वास्थ्य व्यवस्था	पोषण से लाभान्वितों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पथलगांव	बुलडेगा (बिरहोरपारा)	27	7	स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु कुल 03 ग्राम में से 91 परिवार को लक्षित करते हुवे 05 नलकूप खनन कार्य प्रस्तावित है।	मैन रोड़ से बुलडेगा व्हाया बिरहोरपारा	91	46
2		सांवाटोली (कुकुरभूका)	7	0		एल.100-एल.-57, कुकुरभूका से कोईलारपहरी	16	10
3	कांसाबेल	पोगद (कोडालिया)	12	9		एल.061-लईका बुड़ा से पोगोड़	32	16
4		राजपुर (छेरगोदरी)	9	0		एल.062, कांसाबेल बगीचा मैन रोड़ से छेरगोदरी	36	24
5		डमनीपानी (सागीभावना)	6	0		-	22	2
6		बरमुड़ा (बटईकेला)	2	5		एल.060-बटईकेला परसापानी पी.डब्ल्यू. डी. मार्ग से बरमुड़ा	9	5

क्र.	पीएम जनमन अंतर्गत विधानसभा पत्थलगांव में शामिल विकास खण्ड का नाम	पीएम जनमन अंतर्गत विधानसभा पत्थलगांव में शामिल ग्राम का नाम	कुल लक्षित परिवार संख्या	पीएम जनमन अंतर्गत प्रगतिरत/प्रस्तावित कार्य का विवरण				
				आवास संख्या	स्वच्छ पेयजल सुविधा	बेहतर सड़क	स्वास्थ्य व्यवस्था	पोषण से लाभान्वितों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	बगीचा	ढोढरअम्बा	77	33		एल.095-ढोढरअम्बा कदमटोली से डुहडुहकोना	251	30
8		मरोल	15	3		एल. 0104-महुवाटोली मरोल रोड़ से पहाड़टोली (रंगोला)	45	7
9		घुघरी	23	12		एल.093-टी.आर. घुघरी से भगवान ढोढहा	76	6
10		घोघर	17	27		एल.116-जबला से नवापारा	55	7
योग :-			195	96	-	-	633	153

  
 अनुभाग अधिकारी  
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मन्त्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - इकतालीस  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 762) की जानकारी

प्रपत्र-अ

दुर्ग जिले के अंतर्गत संचालित उद्योगों की सूची जिनमें ईएसपी स्थापित है

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता
1.	मेसर्स भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला-दुर्ग।
2.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. सेल पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, (ए ज्वाइन्ट वेंचर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एण्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड) (2x250=500 मेगावॉट) ग्राम-पुरैना जिला-दुर्ग।
3.	मे0 एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (ए ज्वाइन्ट वेंचर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि. एण्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.) (1x74=74 मेगावॉट) भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर जिला-दुर्ग।
4.	मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल सीमेंट वर्क्स, जामुल, जिला दुर्ग।
5.	मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेण्ट लिमिटेड, ग्राम मलपुरीखुर्द एवं खासाडीह जिला दुर्ग।
6.	मेसर्स टॉपवर्थ स्टील्स एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई जिला-दुर्ग।
7.	मेसर्स जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई जिला-दुर्ग।
8.	मेसर्स रायपुर पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, 75, 76 औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई जिला - दुर्ग।
9.	मेसर्स सुविधि इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम- मेसर्स पुष्प स्टील एण्ड माइनिंग) प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई।
10.	मेसर्स निरोज इस्पात प्रा. लिमिटेड, 14- ए भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई जिला-दुर्ग।
11.	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी कुम्हारी जिला-दुर्ग।

७६-२५  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
अवकाश एवं पर्यावरण विभाग  
रायपुर

## प्रपत्र-ब

क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई-दुर्ग द्वारा ईएसपी (इलेक्ट्रो स्टेतिक प्रेसिपिटेटर) स्थापित करने वाले उद्योगों की 01 जनवरी 2023 से 31.12.2024 तक की गई जाँच/कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण/ जाँच की तिथि	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1-	मेसर्स भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला-दुर्ग।	28.02.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
23.03.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
18.04.2023 एवं 19.04.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग को पाई गई कमियों बाबत दिनांक 25.04.2023 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत नोटिस जारी किया गया।	-	
22.06.2023		नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार किया गया। ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
24.07.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
25.07.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
08.08.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
25.09.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
26.09.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
27.10.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
28.11.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
29.11.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
29.12.2023		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	
24.01.2024		ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-	

		29.04.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		30.04.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		28.05.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग पर दिनांक 03-06-2024 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई थी। उक्त राशि उद्योग द्वारा मंडल में जमा की गई है।	-
		26.06.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		29.07.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		30.07.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		30.08.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		25.09.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		26.09.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		29.11.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
2	मेसर्स एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, (ए ज्वाइन्ट वेंचर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एण्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड) (2x250=500 मेगावॉट) ग्राम-पुरेना जिला-दुर्ग।	10.03.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		28.06.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		07.08.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		22.09.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		22.03.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		31.07.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
3	मे0 एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (ए ज्वाइन्ट वेंचर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि. एण्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.) (1x74=74 मेगावॉट) भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर जिला-दुर्ग।	10.03.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		07.06.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		28.06.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		07.08.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		22.09.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		22.03.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		31.07.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
4	मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड जामुल सीमेंट वर्क्स, जामुल, जिला दुर्ग।	12.01.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		24.04.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-



		13.02.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		21-05-2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग पर दिनांक 03-06-2024 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई थी। उक्त राशि उद्योग द्वारा मंडल में जमा की गई है।	-
		27.06.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		06.09.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		13.11.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		13.12.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
7	मेसर्स जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई जिला-दुर्ग।	16.01.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		07.02.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		20.02.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		11.04.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		06.06.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		07.08.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		23.08.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग को पाई गई कमियों बाबत दिनांक 24.08.2023 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत नोटिस जारी किया गया।	-
		21.09.2023	नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार किया गया। ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		10.10.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		09.02.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		19.03.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		21.05.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		08.08.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		08.10.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		13.11.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		13.12.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
8	मेसर्स रायपुर पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, 75, 76 औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई जिला - दुर्ग।	14.01.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		07.02.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		20.02.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		21.02.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग को पाई गई कमियों बाबत दिनांक 21.02.2023 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत नोटिस	-

				जारी किया गया तथा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 62,500/- अधिरोपित की गई थी। उक्त राशि उद्योग द्वारा मंडल में जमा की गई है।	
		11.04.2023	नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार किया गया। ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	
		15.06.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		10.10.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		22.02.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		19.03.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		09.04.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		21.05.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग के पैलेट प्लांट की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाये जाने के कारण पत्र दिनांक 03-06-2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 30,000/- अधिरोपित की गई थी। उक्त राशि उद्योग द्वारा मंडल में जमा की गई।	-
		25.06.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		30.07.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		03.10.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		13.11.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
9	मेसर्स सुविधि इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम- मेसर्स पुष्प स्टील एण्ड माइनिंग) प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक विकास केन्द्र बोर्ड।	23.08.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग को पाई गई कमियों बाबत दिनांक 24.08.2023 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत नोटिस जारी किया गया।	-
		26.09.2023	नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार किया गया। ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	
		06.03.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग को पाई गई कमियों बाबत दिनांक 07.03.2024 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत नोटिस जारी किया गया।	-
		19-04-2024	नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार किया गया। ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	
		16.07.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग को पाई गई कमियों बाबत दिनांक 18.07.2024 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के तहत नोटिस जारी किया गया।	-

		03.08.2024	नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार किया गया। ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		05.09.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		25.09.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		04.10.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
10	मेसर्स निरोज इस्पात प्रा. लिमिटेड, 14- ए भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज भिलाई जिला-दुर्ग।	13.02.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		15.04.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		07.06.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		04.09.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		13.10.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		19.10.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		05.02.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		02.04.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		24.06.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		29.07.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		13.09.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		06.11.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
11	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी कुम्हारी जिला-दुर्ग।	27.04.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		02.06.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		25.07.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		07.08.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		21.09.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		20.12.2023	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-
		28.05.2024	ईएसपी पूर्ण दक्षता से संचालित पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	-

  
**अनुराग शर्मा**  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग  
 रायपुर

## परिशेष - बयालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 990) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2019 से 2024 तक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अंतर्गत सामान्य आवास योजना, अटल विहार योजना, दीनदयाल आवास योजना के माध्यम से स्वीकृत मकान एवं उनमें से निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ की स्थिति की योजनावार, जिलावार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	योजना का नाम	स्थान का नाम	स्वीकृत कार्य वर्ष	स्वीकृत मकानों की संख्या	विक्रय किये गए मकानों की संख्या	शेष मकानों की संख्या	लागत राशि (लाख में)	पूर्ण मकानों की संख्या	अपूर्ण मकानों की संख्या	अप्रारंभ मकानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रायपुर	सामान्य आवास योजना	टाटीबंध रायपुर	2022	42	42	0	1162.02	0	42	0
2			कबीर नगर रायपुर	2023	33	33	0	1034.12	0	33	0
3			पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर	2025	9	9	0	315.05	0	9	0
4			कबीर नगर रायपुर	2022	96	96	0	937.77	96	0	0
				2024	48	35	13	318.67	0	48	0
5			टाटीबंध रायपुर	-	47	10	37	0	0	0	47
6		सामान्य आवास योजना	मुनगी रायपुर	2023	209	67	142	455.97	0	73	136
7		सामान्य आवास योजना	नरदहा रायपुर	2023	208	74	134	532.19	38	0	179
				2024				469.67	0	29	
				2025				190.7	0	0	
8		अटल विहार योजना	भूरकोनी रायपुर	2025	345	0	345	2207.07	0	116	229
9		अटल विहार योजना	पथरी राजिम	2025	363	108	255	1442.88	0	137	226
10		सामान्य आवास योजना	धरमपुरा, रायपुर	2021	48	48	0	472.27	0	48	0
11				2023	101	101	0	438.79	0	101	0
12		अटल आवास योजना	बेलभाठा, अभनपुर	2024	33	33	0	115.73	0	0	33
13		अटल विहार योजना	गोबरा, नवापारा	2023	17	13	4	166.53	17	0	0
14		अटल विहार योजना	आरंग	2019	4	4	0	43.92	4	0	0
15	2021			10	10	0	128.12	10	0	0	
16	2023			10	10	0	174.68	0	10	0	
17	2024			120	73	47	1327.26	0	75	45	
18	महासमुन्द	अटल विहार योजना	मचेवा	2020	64	62	2	185.26	64	0	0
19				2020	10	10	0	173.50	10	0	0
20				2020	32	31	1	89.75	32	0	0

क्र.	जिला का नाम	योजना का नाम	स्थान का नाम	स्वीकृत कार्य वर्ष	स्वीकृत मकानों की संख्या	विक्रय किये गए मकानों की संख्या	शेष मकानों की संख्या	लागत राशि (लाख में)	पूर्ण मकानों की संख्या	अपूर्ण मकानों की संख्या	अपारंभ मकानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21				2021	14	14	0	217.60	14	0	0
22				2022	16	14	2	319.86	16	0	0
23				2023	80	0	80	585.50	0	80	0
24		सामान्य आवास योजना	दुर्ग	2022	41	24	17	319.20	0	41	0
25	दुर्ग	अटल विहार योजना	कुम्हारी	2022	226	211	15	2457.98	226	0	0
26			दुर्ग	2024	277	204	73	8340.01	0	0	277
27		अटल विहार योजना	पोटियाडीह,	2018-19	334	264	70	1450.53	165	84	85
28	धमतरी		खरतुली	2024	182	35	147	0	0	0	182
29			सिहाद	2024	189	9	180	0	0	0	189
30		अटल विहार योजना	सिवनी	2022-23	62	16	46	0	0	0	62
31	बालोद		गुरुर	2022-23	231	83	148	0	0	84	147
32	बेमेतरा	अटल विहार योजना	बीजाभाठ	2023	10	8	2	410.52	5	5	0
33	खैरागढ़- छुईखदान- गण्डई	दीनदयाल आवास योजना	खम्हरियाखुर्द	2024	48	47	1	549.56	0	48	0
34	बस्तर	रिडेव्हलपमेंट योजना	चादनी चौक जगदलपुर	2023	123	61	62	3772.59	0	88	35
35	दंतेवाड़ा	सामान्य आवास योजना	गीदम	2024	108	48	60	914.28	0	22	80
36	बीजापुर	अटल विहार योजना	कोतापाल	2021	183	173	10	1845.32	183	0	0
37	कोण्डागांव	अटल विहार योजना	मरारपारा कोण्डागांव	2023	53	47	3	961.97	0	53	0
38		अटल आवास योजना	कराठी भानुप्रतापपुर	2024	87	6	81	512.77	0	0	87
39	कांकेर		बारगरी, चारामा	2024	140	0	140	925.77	0	0	140
40	विलासपुर	सामान्य आवास योजना	अभिलाषा परिसर फेस II	2021	111	111	0	2401.05	0	111	0
41	विलासपुर	सामान्य आवास योजना	देवरीखुर्द फेस II	2021	173	152	21	2697.34	0	173	0
42	रायगढ़	सामान्य आवास योजना	गोठी, तमनार	कम पंजीयन होने के कारण भवनों का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है।	183	163	20	2033.06	0	0	183

क्र.	जिला का नाम	योजना का नाम	स्थान का नाम	स्वीकृत कार्य वर्ष	स्वीकृत मकानों की संख्या	विक्रय किये गए मकानों की संख्या	शेष मकानों की संख्या	लागत राशि (लाख में)	पूर्ण मकानों की संख्या	अपूर्ण मकानों की संख्या	अप्रारंभ मकानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	गौरला पेण्ड्रा मरवाही	सामान्य आवास योजना	बंधी	अप्रारंभ	135	विक्रय हेतु विज्ञापन जारी नहीं हुआ है।	135	2101.65	0	0	135
44	जांजगीर चांपा	अटल विहार योजना	कुलीपोटा	अप्रारंभ	61	44	17	1260.00	0	0	61
45	सरगुजा	अटल विहार योजना	जगदीशपुर	-	355	221	134	0	0	355	355
	महायोग				5271	2824	2444	46458.48	880	1865	2913


64  
12/3/25

## लागत राशि, विक्रय किए गए एवं शेष मकानों की योजनावार, जानकारी

क्र.	जिला का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत मकानों की संख्या	विक्रय किये गए मकानों की संख्या	शेष मकानों की संख्या	निर्मित मकानों का बिक्री स्तर कम होने का कारण	उसके लिये कब-कब, क्या-क्या योजना बनायी गयी ?
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	सामान्य आवास योजना जी.ई.रोड, रायपुर में व्यवसायिक सह-आवासीय प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण कार्य	42	42	-	-	-
2		कबीर नगर, फेस-03 एवं 04, रायपुर में 06 एच.आई.जी. डूप्लेक्स एवं 27 एम.आई.जी. स्वतंत्र भवनों का निर्माण कार्य	33	33	-	-	-
3		सेक्टर.01, पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर में 03 सिनि.एच.आई.जी. डूप्लेक्स एवं 06 सिनि.एच.आई.जी. डूप्लेक्स स्वतंत्र भवनों का निर्माण कार्य	9	9	-	-	-
4		कबीर नगर] फेस-03, रायपुर में 96 एल.आई.जी. एवं 48 ई.डब्ल्यू.एस. (एस+6) प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण कार्य	144	131	13	-	-
5	रायपुर	टाटीबंध, रिंग रोड नंबर 02, रायपुर में 23 दुकान एवं 45 एम.आई.जी. एवं 02 पेंट हाऊस का निर्माण कार्य	47	10	37	-	-
6		सामान्य आवास योजना मुनगी रायपुर	209	67	142	उक्त योजना निर्माणाधीन/ प्रस्तावित है। योजना में भवनों का मांग अनुसार निविदा कर आबंटन की किया जा रहा है।	-
7		सामान्य आवास योजना नरदहा रायपुर	208	74	134	-	-
8		अटल विहार योजना भुरकोनी रायपुर	345	0	345	-	-
9		अटल विहार योजना, पथर्रा राजिम	363	108	255	-	मकानों की बिक्री स्तर बढ़ाए जाने हेतु समय-समय पर विज्ञापन जारी कर तथा केनोपी के माध्यम से प्रचार-प्रसार की जा रही है।
10		सामान्य आवास योजना , धरमपुरा	149	149	0	-	-
11		अटल आवास योजना, बेलभाठा	33	33	0	-	-

क्र.	जिला का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत मकानों की संख्या	विक्रय किये गए मकानों की संख्या	शेष मकानों की संख्या	निर्मित मकानों का बिक्री स्तर कम होने का कारण	उसके लिये कब-कब, क्या-क्या योजना बनायी गयी ?
1	2	3	4	5	6	7	8
12		अटल विहार योजना, आरंग	806	110	696	वर्तमान मांग अनुसार भवनों का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है।	भवनों के विज्ञापन प्रकाशित कर पंजीयन जारी है।
13		सामान्य आवास योजना, सेक्टर-12 नवा रायपुर अटल नगर	1052	66	986	1052 भवनों के निर्माण हेतु दिसम्बर 2024 में स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना प्रस्तावित है।	भवनों के विज्ञापन प्रकाशित कर पंजीयन जारी है।
14	बस्तर	रिडेंट्सहलपमेंट योजना, चांदनी चौक, जगदलपुर	123	61	62	योजना वर्तमान में प्रगतिरत है।	शिविर के माध्यम से प्रचार-प्रसार
15	दंतेवाड़ा	सामान्य आवास योजना	108	48	60	मांग अनुसार भवनों का निर्माण	-
16	बीजापुर	अटल विहार योजना	183	173	10	पंजीयन वापसी के कारण भवन रिक है	भवनों का पंजीयन जारी है
17	कोण्डागांव	अटल विहार योजना	53	47	3	पंजीयन वापसी के कारण भवन रिक है ।	भवनों का पंजीयन जारी है
18		अटल आवास योजना	87	6	81	पर्याप्त पंजीयन प्राप्त होने पर निर्माण किया जाएगा	भवनों का पंजीयन जारी है ।
19	कांकेर	अटल आवास योजना	140	0	140	रेरा पंजीयन पश्चात् पंजीयन एवं निर्माण किया जाएगा।	-
20	बिलासपुर	सामान्य आवास योजना अभिलाषा परिसर फेस II	111	111	0	-	-
21		सामान्य आवास योजना देवरीखुर्द फेस II	173	152	21	88 % बुकिंग हो गयी है।	मकानों का पंजीयन जारी है।
22	रायगढ़	सामान्य आवास योजना गोढी तमनार	183	20	163	मकान क्रय करने में लोगों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है। अतः भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।	चौक चौराहों पर कैम्प, समाचार पत्रों के साथ पैम्पलेट वितरण, योजना के आसपास के रहवासी क्षेत्रों के लोगों से व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है। भवनों के पंजीयन जारी है।
23	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही	सामान्य आवास योजना बंधी	135	-	135	वर्तमान में रेरा पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है	-
24	जांजगीर चांपा	अटल विहार योजना	61	44	17	72% बुकिंग हो गयी है।	मकानों के विक्रय के लिए फ्लेक्स बेनर, पाम्पलेट के माध्यम प्रचार-प्रसार। भवनों के


क्र.	जिला का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत मकानों की संख्या	विक्रय किये गए मकानों की संख्या	शेष मकानों की संख्या	निर्मित मकानों का बिक्री स्तर कम होने का कारण	उसके लिये कब-कब, क्या-क्या योजना बनायी गयी ?
1	2	3	4	5	6	7	8
							पंजीयन जारी है।
25	सरगुजा	अटल विहार योजना (जगदीशपुर)	355	211	134	कुल 355 भवनों में से मांग अनुसार 211 भवनों का विक्रय किया गया है, परन्तु योजना हेतु आबंटित भूमि का माननीय उच्च न्यायालय में भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण दर्ज होने के कारण भवनों के आबंटन हेतु विज्ञापन में विलंब हुआ।	भवनों के विक्रय हेतु दिनांक 08.10.2023 दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 16.06.2024 को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए कुल 211 भवनों का विक्रय किया गया। वर्तमान में विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है।
		महायोग	5152	1705	3434		

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

वर्तमान में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा लिये गये ऋण का विवरण

(राशि लाख में)

प्राप्त ऋणों का विवरण (मूल स्वीकृति अनुसार)							
क्र.	निगम/बोर्ड/कम्पनी/ आयोग	प्रयोजन	बैंक का नाम	कुल ऋण राशि	फरवरी 2025 की स्थिति में शेष ऋण राशि	ऋण अवधि (वर्ष में)	व्याज दर
1	2	3	4	5	6	7	8
	छ. ग. गृह निर्माण मण्डल	राज्य के कर्मचारियों हेतु 146 ब्लॉक मुख्यालयों में कुल 6424 भवनों का निर्माण कार्य हेतु शासन की गारंटी वर्ष 2017-18 में प्रदान किया गया है।	केनरा बैंक, पचपेड़ी नाका रायपुर	80000.00	57858.11	17.5 वर्ष	8.45%
2	छ. ग. गृह निर्माण मण्डल	नया रायपुर अटल नगर के सेक्टर 29 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित 728 प्रकोष्ठ भवनों के क्रय हेतु शासन की गारंटी वर्ष 2018-19 में प्रदान किया गया है।	इंडियन बैंक (इलाहाबाद बैंक) एमसीबी ब्रांच, तेलीबांधा, रायपुर	19500.00	12748.76	15 वर्ष	8.20%

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - तिरालीस  
अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 991) की जानकारी

## प्रपत्र-अ

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आबंटित राशि की जानकारी -

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि (करोड़ में)
1	2019-20	12.06
2	2020-21	1.0
3	2021-22	निरंक
4	2022-23	1,944
5	2023-24	1.692
योग-		16.696

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा को आबंटित राशि की जानकारी -

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ में)
1	2019-20	निरंक
2	2020-21	निरंक
3	2021-22	1.06
4	2022-23	1,944
5	2023-24	1.692
योग-		4.696

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एवं 15वे वित्त आयोग से नगर पालिक निगम रायपुर को आबंटित राशि की जानकारी -

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि (करोड़ में)	15वे वित्त आयोग से आबंटित राशि (करोड़ में)
1	2019-20	निरंक	निरंक
2	2020-21	निरंक	55.00
3	2021-22	2.50	35.35
4	2022-23	0.35	29.00
5	2023-24	निरंक	निरंक

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एवं 15वे वित्त आयोग से नगर पालिक निगम दुर्ग-भिलाई को आबंटित राशि की जानकारी -

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि (करोड़ में)	15वे वित्त आयोग से आबंटित राशि (करोड़ में)
1	2019-20	निरंक	निरंक
2	2020-21	1.50	52.00
3	2021-22	1.00	34.72
4	2022-23	0.35	27.00
5	2023-24	निरंक	निरंक

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
अवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

## प्रपत्र-ब

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त राशि एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी -

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	किये गये कार्य	राशि (रूपये में)
1.	2019-20	आई.आई.टी. कानपूर को भिलाई के पर्यावरणीय अध्ययन हेतु कार्यदेश	5885250.00
2.	2019-20	पर्यावरणीय प्रचार-प्रसार	5493321.00
3.	2020-21	पर्यावरणीय प्रचार-प्रसार	192317.00
4.	2020-21	एन.आई.टी. रायपुर (उपकरण क्रय हेतु तकनीकी परामर्श)	299720.00
5.	2020-21	पर्यावरणीय प्रचार-प्रसार	56542.00
6.	2020-21	पर्यावरणीय प्रचार-प्रसार	34088.00
7.	2020-21	पर्यावरणीय प्रचार-प्रसार	76567.00
8.	2020-21	पर्यावरणीय प्रचार-प्रसार	55446.00
9.	2020-21	पर्यावरणीय प्रचार-प्रसार	47329.00
10.	2020-21	नगर पालिक निगम भिलाई को हस्तांतरित	15000000.00
11.	2021-22	आई.आई.टी. खड़कपुर को रायपुर की पर्यावरणीय केयरिंग कैपेसिटी हेतु	1244670.00
12.	2021-22	नगर पालिक निगम रायपुर को हस्तांतरित	25000000.00
13.	2021-22	नगर पालिक निगम कोरबा को हस्तांतरित	10600000.00
14.	2021-22	नगर पालिक निगम भिलाई को हस्तांतरित	10000000.00
15.	2022-23	रायपुर में 02 नग CAAQMS की स्थापना	24000000.00
16.	2022-23	दुर्ग-भिलाई में 02 नग CAAQMS की स्थापना	24000000.00
17.	2022-23	नगर पालिक निगम भिलाई को हस्तांतरित	35000000.00
18.	2022-23	नगर पालिक निगम रायपुर को हस्तांतरित	35000000.00
19.	2022-23	आई.आई.टी. कानपूर के पर्यावरणीय अध्ययन हेतु	1614750.00
20.	2022-23	नगर पालिक निगम कोरबा को हस्तांतरित	19440000.00
21.	2023-24	नगर पालिक निगम कोरबा को हस्तांतरित	16920000.00
महायोग- रु.130600000+ रु.19440000+ रु.16920000 =			रु.166960000.00
			रु.16.696 करोड़

15 वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्यों की अद्यतन जानकारी (मिलियन प्लस सिटी)			
निकाय का नाम - नगर पालिक निगम, रायपुर		वर्ष 2020-21 (राशि लाख रू. में)	
स.क्र.	कार्य का नाम	माइक्रो एक्शन प्लान में स्वीकृत राशि	व्यय राशि
	एयर एम्बिडेंट कालिटी		
1	सी.एण्ड. डी. प्लांट निर्माण कार्य	276.00	238.96
2	मार्गों में डस्ट सफाई हेतु 04 नग मेकेनाईज्ड रोड स्वीपिंग मशीन सर्विस प्रदाय कार्य	1141.00	1091.21
3	शहर के विभिन्न स्थानों में रोड साईड एवं डिवाइडर प्लानटेशन का कार्य (03 वर्ष आपरेशन एवं मैनटेनेंस के साथ )	442.80	415.67
4	शहर के विभिन्न स्थानों में बल्क प्लानटेशन का कार्य (03 वर्ष आपरेशन एवं मैनटेनेंस के साथ)		
5	वायु गुणवत्ता प्रदर्शन हेतु एप डेवलपमेंट	16.00	17.36
6	जोन क्र. 01 से 10 अंतर्गत मोबाइल इंफ्रारेड रिसाइक्लिंग पाटहोल टेक्नोलॉजी की मदद से मौजूदा बी.टी. रोड का पैच रिपेयर कार्य।	1124.19	98.77
7	नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत बी.टी. रोड का जीर्णोद्धार कार्य। (सड़को के ब्लैक टारपिंग मरम्मत कार्य)		209.31
8	जोन क्र. 01 से 10 तक आने वाले सड़क के फुटपाथ एवं डिवाइडर का निर्माण/नवनीकरण कार्य।		99.71
9	जोन क्र. 01,02,05,07 एवं 08 अंतर्गत मौजूदा बी.टी. रोड का जीर्णोद्धार कार्य। (सड़को के ब्लैक टारपिंग मरम्मत कार्य)		53.01
10	जोन क्र. 03,04,06,09 एवं 10 अंतर्गत मौजूदा बी.टी. रोड का जीर्णोद्धार कार्य। (सड़को के ब्लैक टारपिंग मरम्मत कार्य)		57.24
11	बी.टी. रोड निर्माण कार्य।		599.00
12	नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत मार्गों के इंड टू इंड पेंविंग एवं पेंवर ब्लॉक का कार्य।	310.00	91.01
13	सिटी साईनेजेस रोड मार्किंग का कार्य।		173.70
14	खुले में कचरा जलाने के विरुद्ध प्रचार प्रसार कार्य	25.00	25.00
15	कचरा पृथकीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रचार प्रसार कार्य	50.00	50.00
16	टाटा 407 क्रय 14 नग	263.00	262.92
17	टाटा 407 क्रय 16 नग	300.01	300.48
18	बोलरो कैम्पर क्रय 06 नग	54.00	53.85
19	चार्जिंग स्टेशन स्थापना कार्य	100.00	83.82
20	15वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के शेष राशि से शहर के विभिन्न स्थानों में बी.टी. रोड निर्माण कार्य	200.00	210.11
21	सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं कौशल विकास ।	25.00	8.27
22	इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास।(लेबोरेटरी/ए.क्यू.एम.सेल )	25.00	7.76
23	15वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के शेष राशि से शहर के विभिन्न स्थानों में सी.सी रोड निर्माण कार्य	100.00	68.15
24	जोन क्र. 01 एवं 02 के विभिन्न मार्गों में बी.टी.टारपिंग एवं पैच रिपेयर कार्य।	200.00	66.07
25	जोन क्र.01, 02 एवं 03 के विभिन्न स्थानों में एण्ड टू एण्ड पेंविंग कार्य।	100.00	0
26	शहर के विभिन्न स्थानों में एण्ड टू एण्ड पेंविंग कार्य।	100.00	0
	कुल राशि	4852	4281
	निकाय का नाम - नगर पालिक निगम, बीरगांव		
27	सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं कौशल विकास ।	25.00	0.60
28	वार्ड क्रं. 01 में (1)गौरव पब्लिक स्कूल से दौलती देवी के घर तक। (2)संतोष कुमार के घर से श्याम बाई साहू के घर तक एवं अन्य गली। सी.सी रोड निर्माण कार्य	15.29	15.08
29	वार्ड क्रं. 07 में (1) साहू फर्नीचर से राजकुमार के घर तक। (2) मनोज मिश्रा के घर से उत्तम साहू के घर तक (3) भवानी किराना से शासकीय बोर तक। (4) गायत्री पासवान घर से राधेश्याम घर तक एवं अन्य गली। सी.सी रोड निर्माण कार्य	15.20	14.31
30	वार्ड क्रं. 09 में गिरधारी साहू घर से मंशाराम साहू घर तक। सी.सी रोड निर्माण कार्य	11.24	10.58
31	वार्ड क्रं. 09 में रियान क्लिनिक से बायपास रोड तक। सी.सी रोड निर्माण कार्य	16.84	16.84
32	वार्ड क्रं. 10 में (1) रेखराम साहू घर से रामबिलास निषाद घर तक। (2) पटेल घर से सोमकोल्ड तक। (3) अवध कुशवाहा घर से कृष्णा द्विवेदी घर तक। सी.सी रोड निर्माण कार्य	18.29	16.82
33	वार्ड क्रं. 11 में (1) महेन्द्र देवांगन के घर से मेटल पार्क तक (2) रमेश सेन घर से जैनाब खातुन घर तक। सी.सी रोड निर्माण कार्य	17.40	17.16
34	वार्ड क्रं. 11 में (1) मेटल पार्क से नाथूराम घर तक। (2) मोहन देवांगन घर से अंशुदेवी घर तक। सी.सी रोड निर्माण कार्य	13.92	14.27
35	वार्ड क्रं. 13 में दंतेश्वरी चैक से फुलवारी चैक तक। सी.सी रोड निर्माण कार्य	19.89	19.89
36	वार्ड क्रं. 13 में टिकाराम के घर के पास तक। सी.सी रोड निर्माण कार्य	7.55	7.98
37	वार्ड क्रं. 13 में कुम्भलाल साहू घर से सेवाराम साहू घर तक। सी.सी रोड निर्माण कार्य	6.00	4.76
38	वार्ड क्रं. 15 में (1) दुर्गा चैक से तुलसी मेडिकल स्टोर्स तक (2) तुलसी मेडिकल स्टोर्स से जयप्रकाश साहू घर तक (3) दुर्गा चैक से नंदू साहू के घर तक सी.सी रोड निर्माण कार्य	15.03	14.99

39	वार्ड क्र. 16 में (1) भुवनेश्वर प्रसाद मानिकपुरी के घर से चंद्रिका यादव घर होते हुये रामशरण के घर तक (2) संजय सिंह घर से कामता के घर होते हुये पत्रा विश्वकर्मा के घर तक (3) मंजु तिवारी के घर से न्यू लुक ब्यूटी पार्लर तक सी.सी रोड निर्माण कार्य	19.98	18.93
40	वार्ड क्र. 16 में ठाकुर इंजीनियरिंग के पास सी.सी रोड निर्माण कार्य	19.42	20.94
41	वार्ड क्र. 17 में (1) विष्णु वर्मा के घर से रामकुमार त्रिपाठी के घर तक (2) टण्डन के घर से तुलसी तालाब तक (3) झण्डा चैक से आशारानी विश्वकर्मा के घर तक (4) लतेलू साहू के घर से छननू वर्मा गली एवं रामकुमार निर्मलकर घर तक सी.सी रोड निर्माण कार्य	14.69	12.76
42	वार्ड क्र. 18 में (1) अटल चैक से दीनबंधु के घर तक (2) तोरण साहू के घर से पाल के घर तक सी.सी रोड निर्माण कार्य	19.18	19.56
43	वार्ड क्र. 06 सिद्यानियसा चैक से सामुदायिक शौचालय से प्राइमरी स्कूल उरला तक बी.टी. रोड निर्माण	39.43	41.09
44	हेल्थ सेन्टर से तिरंगा चैक तक पेविंग कार्य	37.04	37.65
45	निगम कार्यालय से मुस्लिम कब्रिस्तान तक बी.टी. रोड निर्माण	23.53	20.85
46	वार्ड क्र. 37 सरोरा मुक्तिधाम के पास पेविंग कार्य	49.37	42.38
47	वार्ड क्र. 27 गुप्ता हाटेल से सी.एस.ई.बी. आफिस तक पेविंग कार्य	33.53	26.50
48	वार्ड क्र. 12 एस.एल.आर.एम. सेन्टर रावांभाठा के पास पेविंग कार्य	19.69	19.26
49	वार्ड क्र. 28 आंगनबाड़ी के पास पेविंग कार्य	2.08	2.49
50	वार्ड क्र. 05 सिद्यानिया चैक से सुलभ शौचालय तक पेविंग कार्य।	12.26	10.02
51	मार्गों में डस्ट सफाई हेतु मेकेनाईज्ड रोड स्वीपिंग मशीन सर्विस प्रदाय कार्य	50.00	0.00
52	नगर पालिक निगम बीरगांव क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में गेप प्लानटेशन अंतर्गत वृक्षारोपण लैण्डस्केपिंग एवं हार्टिकल्चर कार्य बाबत।	10.00	0.00
53	02 नग हाड्रोलिंग टिपर क्षमता 3.4 घनमीटर	25.00	0.00
54	बोलेरो कैम्पर क्रय 02-नग	20.00	16.53
55	कचरा पृथकीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रचार प्रसार कार्य	25.00	25.00
56	स्त्रोत पर कचरों के सेग्रिगेशन सुनिश्चित करने का कार्य।(डस्टबीन क्रय कार्य)	50.00	50.29
	<b>कुल राशि</b>	<b>652</b>	<b>518</b>
	<b>महायोग</b>	<b>5504</b>	<b>4799</b>

15 वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्यों की अद्यतन जानकारी (मिलियन प्लस सिटी)			
निकाय का नाम - नगर पालिक निगम, रायपुर		वर्ष 2021-22 (राशि लाख ₹. में)	
स.क्र.	कार्य का नाम	माइक्रो एक्शन प्लान में स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	मार्गों में डस्ट सफाई हेतु 04 नग मेकेनाईज्ड रोड स्वीपिंग मशीन सर्विस प्रदाय कार्य	1052.00	1148.90
2.	गड्डों से मुक्त सड़क हेतु रायपुर शहर के जोन क्र. 1 एवं 2 के विभिन्न मार्गों में बी.टी. टॉपिंग एवं पैच रिपेयरिंग कार्य।	97.00	96.95
3.	गड्डों से मुक्त सड़क हेतु रायपुर शहर के जोन क्र. 3 एवं 4 के विभिन्न मार्गों में बी.टी. टॉपिंग एवं पैच रिपेयरिंग कार्य।	98.00	97.84
4.	गड्डों से मुक्त सड़क हेतु रायपुर शहर के जोन क्र. 5 एवं 6 के विभिन्न मार्गों में बी.टी. टॉपिंग एवं पैच रिपेयरिंग कार्य।	100.00	98.79
5.	गड्डों से मुक्त सड़क हेतु रायपुर शहर के जोन क्र. 7 एवं 8 के विभिन्न मार्गों में बी.टी. टॉपिंग एवं पैच रिपेयरिंग कार्य।	95.00	78.03
6.	गड्डों से मुक्त सड़क हेतु रायपुर शहर के जोन क्र. 9 एवं 10 के विभिन्न मार्गों में बी.टी. टॉपिंग एवं पैच रिपेयरिंग कार्य।	95.00	92.83
7.	गड्डों से मुक्त सड़क हेतु रायपुर शहर के विभिन्न मार्गों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	45.00	42.61
8.	शहर के विभिन्न मार्गों में एण्ड टू एण्ड पेवर लगाये जाने का कार्य।	123.00	117.77
9.	कवर किए गए वाहन में निर्माण सामग्री के परिवहन को सुनिश्चित करना।	156.50	115.70
10.	स्त्रोत पर कचरों के सेग्रिगेशन सुनिश्चित करने का कार्य।(डस्टबीन क्रय कार्य)	50.00	49.83
11.	वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पब्लिक एडवाइसरी जारी करना।(2डी, 3डी पेंटिंग कार्य)	20.00	20.07
12.	15वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2021-22 के शेष राशि से शहर के विभिन्न स्थानों में पेंटिंग कार्य	17.00	0.00
13.	15वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के शेष राशि से शहर के विभिन्न स्थानों में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य	84.50	51.37
14.	जोन क्र. 03, 04 एवं 05 के विभिन्न मार्गों में बी.टी.टॉपिंग एवं पैच रिपेयर कार्य।	300.00	96.34
15.	जोन क्र. 04, 05 एवं 06 के विभिन्न स्थानों में एण्ड टू एण्ड पेंटिंग कार्य।	100.00	0.00
16.	15वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के शेष राशि से शहर के विभिन्न स्थानों में ड्रेन कवर लगाने का कार्य	200.00	0.00
17.	वायु गुणवत्ता सुधार संबंधित शहर के विभिन्न स्थानों में 2डी पेंटिंग कार्य। (राशि ₹ 30.00 लाख निविदा हेतु शेष)	50.00	0.00
18.	नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र अंतर्गत अर्बन पाकेट फारेस्ट तकनीक से वृक्षारोपण कार्य बाबत।	100.00	0.00
19.	नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में गेप प्लानटेशन अंतर्गत वृक्षारोपण लैण्डस्केपिंग एवं हार्टिकल्चर कार्य बाबत।	100.00	0.00

20.	शहर के विभिन्न स्थानों में ड्रेन कव्हर लगाने का कार्य	200.00	0.00
21.	इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास।(02 नग इलेक्ट्रिक वाहन क्रय कार्य )	36.00	0.00
22.	इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास।(02 नग इलेक्ट्रिक वाहन क्रय कार्य )	30.00	0.00
23.	निगम कार्यालय पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापना कार्य	100.00	0.00
24.	वार्ड क्र. 01 में कबीर कुटी से नेशनल हाईवे तक रोड निर्माण कार्य	49.51	44.67
25.	वार्ड क्र. 35 भिलाई गोल्डन से नारायण प्लास्टिक तक, ट्रांसफार्मर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	27.01	26.20
26.	वार्ड क्र. 35 भिलाई गोल्डन से लक्ष्मी ऐजेंसी तक रोड निर्माण कार्य	23.49	23.23
27.	वार्ड क्र. 01 एवं 05 सुभाष चौक से सी.टी.पी.टी. तक पैव्निंग कार्य	28.49	0.00
28.	वार्ड क्र. 01, 02, 04, 05 एवं 06 सिद्यानिया चौक से सुभाष चौक तक पैव्निंग कार्य	47.01	0.00
29.	वार्ड क्र. 37 एवं 38 मुक्तिधाम से सरोरा बाजार चौक मेन गेट तक पैव्निंग कार्य	38.50	38.50
30.	शहर के 02 स्थानों पर ई.व्ही. चार्जिंग स्टेशन निर्माण कार्य	23.00	0.00
31.	02 नग बैक हो - लोडर क्रय	38.00	38.00
32.	वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पब्लिक एडवाइसरी जारी करना।(2डी, 3डी पैव्निंग कार्य)	10.00	10.00
	कुल राशि	415	181
	महायोग	3498	2288

15 वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्यों की अद्यतन जानकारी (मिलियन प्लस सिटी)			
निकाय का नाम - नगर पालिक निगम, रायपुर		वर्ष 2022-23(राशि लाख रू. में)	
स.क्र.	कार्य का नाम	माइक्रो एक्शन प्लान में स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	शहर के विभिन्न मार्गों में बी.टी. टॉपिंग एवं पेच रिपेयर कार्य।	200.00	205.52
2	शहर के विभिन्न स्थानों में एण्ड टू एण्ड पैव्निंग कार्य	100.00	84.50
3	सोर्स सेग्रिगेशन हेतु डस्टबीन (हरा एवं नीला) क्रय कार्य	50.00	49.86
4	वायु गुणवत्ता सुधार हेतु प्रचार प्रसार कार्य (2डी- 3डी पैव्निंग)।	20.00	15.56
5	जोन क्र. 06, 07, 08, 09 एवं 10 के विभिन्न मार्गों में बी.टी.टॉपिंग एवं पेच रिपेयर कार्य।	600.00	187.12
6	रायपुर शहर अंतर्गत वायु प्रदूषण से संबंधित रैंडियो में प्रचार प्रसार कार्य एवं अन्य IEC Activity का कार्य	15.00	0.00
7	पं.जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्र 02 अंतर्गत सोनडोंगरी में डॉग क्रीमेटेरियम हेतु शोड, फेंसिंग कार्य, परिसर विस्तार एवं अन्य सिविल कार्य।	71.83	40.91
8	100 किलो ग्राम के मृत जानवरों के शव दाह हेतु क्रीमेटेरियम का स्थापना कार्य (03 वर्ष के O&M सहित)	29.40	0.00
9	नरहरैया तालाब में बर्ड पार्क उद्यान विकास कार्य। (दक्षिण विधानसभा)	100.00	0.00
10	विशाल नगर, राजेन्द्र नगर एवं अमलीडीह में उद्यान निर्माण कार्य। (ग्रामीण विधानसभा)	100.00	0.00
11	नगर पालिक निगम रायपुर मुख्यालय परिसर में हेड्रोलिंग पजल कार पार्किंग सिस्टम के सिविल कार्य।	5.03	0.00
12	नगर पालिक निगम रायपुर मुख्यालय परिसर में हेड्रोलिंग पजल कार पार्किंग सिस्टम की स्थापना कार्य।	18.87	0.00
13	जोन क्र. 07, 08, 09 एवं 10 के विभिन्न स्थानों में एण्ड टू एण्ड पैव्निंग कार्य।	150.00	0.00
14	एवायरनेस एक्टिविटी अंतर्गत विभिन्न स्थानों में पैव्निंग कार्य।	50.00	0.00
15	भाठागांव चौक से दतरेगा मोड़ तक पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण कार्य।	394.00	0.00
16	स्वामी आत्मानंद सरोवर कर्बला तालाब के पास उद्यान विकास कार्य। (पश्चिम विधानसभा)	100.00	0.00
17	उत्तर विधानसभा अंतर्गत विभिन्न उद्यानों में हरित विकास एवं संधारण कार्य।	100.00	0.00
18	शहर के विभिन्न मार्गों में बी.टी. टॉपिंग एवं पेच रिपेयर कार्य।	150.00	0.00
19	निकाय अंतर्गत विभिन्न शवदाह गृह में एयर फिल्टर हेतु स्क्रबर व चिमनी स्थापना कार्य।	98.77	0.00
20	मल्टीलेयर पार्किंग विकास कार्य	76.10	0.00

21	एन एम टी (नॉन मोटराइज्ड ट्रैक) नेटवर्क विकसित करने का कार्य।	70.00	0.00
22	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य।	10.00	0.00
23	मिस्ट वाहन के द्वारा सड़क की धुल पी.एम.10/पी.एम.2.5 का शमन	50.00	0.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>2559</b>	<b>583</b>

स.क्र.	कार्य का नाम	माइक्रो एक्शन प्लान में स्वीकृत राशि	व्यय राशि
	निकाय का नाम - नगर पालिक निगम, बीरगांव		
24	सरकारी अधिकारीयों का प्रशिक्षण एवं कौशल विकास ।	20.00	20.00
25	वार्ड क्र. 09 जानकी जांगडे से वेदमती सिन्हा घर तक, अरूण साहू के घर से गोपाल वर्मा के घर तक, रिना वर्मा से संपत साहू के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	18.62	17.50
26	वार्ड क्र. 09 में प्रेमलाल साहू से जामीनी बंजारे के घर तक, प्रकाश बजाज के घर से गीता गुप्ता के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	18.16	18.19
27	वार्ड क्र. 16 में श्री सनराईज स्कूल से अरूण शुक्ला के घर से इटा भट्टा तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	16.64	17.62
28	वार्ड क्र. 19 में बिहारी किराना स्टोर्स से संजय तिवारी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	18.25	21.77
29	वार्ड क्र. 19 में मेन रोड शिव मंदिर से नेशनल बिल्डिंग मंटेरियल लेब तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	15.60	17.93
30	वार्ड क्र. 19 में श्री श्याम प्रोडक्ट से ट्रांसफार्मर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	15.60	17.98
31	वार्ड क्र. 26 में सुरेश जांगडे के घर से जोशी किराना तक, ईतवारी बाजार से ज्ञानदीप स्कूल तक, तिवारी किराना से शुक्रवारी बाजार तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	18.43	18.81
32	वार्ड क्र. 29 में सुभाष चौक मेन गेट से आजाद चौक तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	31.81	0.00
33	वार्ड क्र. 35&36 प्लाईउड फैक्टरी से श्याम चौक तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	19.94	19.70
34	वार्ड क्र. 35&36 श्याम चौक से जीम भवन तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	18.69	17.80
35	वार्ड क्र. 05 ए.एच.पी. उरला में पेविंग कार्य	41.17	0.00
36	व्यास तालाब से शगुन मैरेज पैलेस तक पेविंग कार्य	13.99	0.00
37	सरौरा उरला रोड में सरौरा मुक्तिधाम के सामने सुरेश बुट हाउस से वंदना स्पात तक पेविंग कार्य।	11.92	0.00
38	वार्ड क्र. 17 उरकुरा मुक्तिधाम के सामने नन्दी चौक से आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 03 तक पेविंग कार्य।	4.00	0.00
39	वार्ड क्र. 08 बस्ती से शितला तालाब पार तक पेविंग कार्य	1.73	0.00
40	वार्ड क्र. 06 शासकीय स्कूल के सामने सुलभ शौचालय से देवांगन के घर तक पेविंग कार्य।	1.08	0.00
41	वार्ड क्र. 33 साहू सोफा के सामने रामकुमार किराना स्टोर्स से एशियन हाडवेयर तक पेविंग कार्य	0.95	0.00
42	वार्ड क्र. 10 शासकीय शाला के पास उद्यान निर्माण हेतु ग्रील फैसिंग कार्य।	35.00	16.12
43	खुले में कचरा जलाने के विरुद्ध प्रचार प्रसार कार्य	21.00	10.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>343</b>	<b>213</b>
	<b>महायोग</b>	<b>2902</b>	<b>797</b>

## कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई, भिलाई

भिलाई नगर निगम को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि आवंटित किये गये है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :

## राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20

नगरीय निकाय का नाम	भौतिक स्थिति	आवंटित राशि (करोड़ में)	व्यय राशि (करोड़ में)	स्थिति
नगर पालिक निगम भिलाई	02 नग मैकेनिकल रोड स्वीपर	2.85	2.41	पूर्ण
	03 नग वाटर स्प्रिंकलर			पूर्ण
	वाटर स्प्रिंकलर एवं रोड स्वीपिंग मशीन का संचालन एवं संधारण कुल योग	2.85	2.41	पूर्ण
				उपयोग 92.60 प्रतिशत

दुर्ग -भिलाई शहरी समूह, जिसमें 7 निकाय शामिल है (नगर निगम भिलाई, दुर्ग, रिसाली, भिलाई-चरौदा, नगर परिषद जामुल, कुम्हारी और टाउन काउंसिल उतई) में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये वायु गुणवत्ता सुधार निधि पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में निधि आवंटित किये गये है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

शहरी समूह	भिलाई - दुर्ग शहरी समूह	
वर्ष	प्राप्त राशि (करोड़ में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ में)
2020-21	52	37.63
2021-22	34.72	21.34
2022-23	27	18.52
2023-24	-	-
2024-25	-	-
योग	112.35	77.49
		68.97%

दुर्ग -भिलाई शहरी समूह, जिसमें 7 निकाय शामिल है (नगर निगम भिलाई, दुर्ग, रिसाली, भिलाई-चरौदा, नगर परिषद जामुल, कुम्हारी और टाउन काउंसिल उतई) में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये वायु गुणवत्ता सुधार निधि पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में आवंटित निधि में से निम्नलिखित कार्य माइक्रो एक्शन प्लान फार इम्प्रूवमेंट आफ एयर क्वालिटी इन दुर्ग - भिलाई के अंतर्गत किये गये है:-

सरल क्रमांक	कार्य शीर्ष	वायु गुणवत्ता सुधार के लिये किये गये क्रियाकलाप
1.	सड़क की धुल	<ul style="list-style-type: none"> <li>243887 वर्गमीटर सड़क का सुधार संधारण एवं डामरीकरण</li> <li>128664 वर्गमीटर हरित क्षेत्र का विकास</li> <li>76 किलोमीटर सड़क शुरू से अंत तक प्चेवर ब्लाक से पेविंग</li> <li>40 किलोमीटर सड़क की रोड स्वीपिंग मशीन से सफाई</li> <li>एनकेप फंड से 02 रोड स्वीपिंग मशीन एवं 03 नग वाटर स्प्रिंकलर टैंकर की खरीदी</li> <li>पंद्रहवें वित्त आयोग फंड से 13 नग वाटर स्प्रिंकलर की खरीदी</li> <li>85.51 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण</li> <li>शहर में वर्टिकल गार्डन का विकास</li> </ul>
2.	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट	50 टन प्रतिदिन क्षमता का निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर 02 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण के लिये 02 टैक्टर ट्राली का क्रय
3.	बायोमास बर्निंग / एस.डब्ल्यू.एम	घर-घर कचरा संग्रहित करने एवं नालियों की सफाई से जनित अपशिष्ट के संग्रहण के लिये 27 नग वाहनों का क्रय
4.	वाहन उत्सर्जन	इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की आधारभूत सुविधा की स्थापना
5.	सीबी एंड पीओ	दुर्ग -भिलाई शहरी समूह में जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा  
भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

क्रमांक	कार्य	स्वीकृत फंड (लाख में)	अनुबंध राशि (लाख में)	उपयोगित फंड (लाख में)	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
वर्ष 2019-20 एवं 2020-21							
1.	रोड स्वीपिंग मशीन	106.00	106.00	105.67	100%	100%	कार्य पूर्ण
	योग	106.00	106.00	105.67			
वर्ष 2022-23							
1.	कोरबा नगर निगम क्षेत्र के चार चौराहों में फोल्डरों की स्थापना	84.26	84.26	78.00	100%	93%	कार्य पूर्ण
2.	02 नग वाटर केनन मिस्ड फार्गिंग मशीन की खरीदी	81.00	81.00	81.00	100%	100%	कार्य पूर्ण
	योग	165.26	165.26	159.00		96%	कार्य पूर्ण
वर्ष 2022-23 एवं 2023-24							
शहरी क्षेत्र में हरीतिमा एवं सड़क के किनारे हरियाली							
1	वार्ड क्रमांक 33 में बगीचे का विकास	20.00	17.23	11.62	100%	58%	कार्य पूर्ण
2	दशहरा मैदान के पास आर.पी. नगर वार्ड क्रमांक 23 में बगीचे का विकास	40.00	35.22	29.88	90%	75%	कार्य प्रगति पर, कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनांक 15/03/2025
3	वार्ड क्रमांक 22 में कटहल बगीचे का विकास	55.00	47.51	42.82	90%	78%	कार्य पूर्ण
4	बरबसपुर डंप यार्ड में बगीचे का विकास	25.00	21.50	12.71	90%	51%	कार्य प्रगति पर, कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनांक 15/03/2025
5	डब्ल्यूटीपी प्लांट कोहाडीया वार्ड क्रमांक 16 में बगीचे का विकास	54.00	45.90	19.10	90%	35%	कार्य प्रगति पर, कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनांक 15/03/2025
6	प्रदूषण स्रोतों एवं नियंत्रण के उपायों पर जन जागृति कार्यक्रम	4.20	4.20	0.00	100%	0%	कार्य पूर्ण
	योग	198.20	171.56	116.13		59%	
	योग	469.46	442.82	380.00		81%	

  
 12/3/25  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

## प्रपत्र - स

औद्योगिक क्षेत्रों में स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ग्रीन बेल्ट/हरित क्षेत्र में निगम द्वारा समय-समय पर वृक्षारोपण के कार्य किये जाते हैं। वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2023-2024 में वृक्षारोपण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	एजेंसी का नाम	वर्ष	रोपित पौधों एवं प्रस्तावित पौधों की संख्या	लागत	जीवित पौधों की संख्या	रिमार्क
1	इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) सेक्टर-22, नवा रायपुर अटल नगर	वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर	2022-2023	3500 नग	26.70 लाख	2800 नग	इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) सेक्टर-22, नवा रायपुर अटल नगर में 04 वर्षों तक रखरखाव के कार्य सहित वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाये जाना एवं वर्ष 2025-26 तक संपूर्ण रखरखाव का कार्य वनमण्डलाधिकारी रायपुर द्वारा किया जाना है।
2	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	2024-2025	1000 नग	7.37 लाख	-	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी एवं डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में 05 वर्षों तक रखरखाव सहित वृक्षारोपण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को सौंपा गया है। उपरोक्त 04 स्थानों (क्रमांक 2 से 5) पर प्रथम वर्ष हेतु व्यय + फेंसिंग कार्य के लिए राशि रुपये 45.40 लाख का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को किया गया है। कार्य प्रगति पर है।
3	औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी, तहसील चारामा, जिला कांकेर	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	2024-2025	2000 नग	13.96 लाख	-	
4	फूडपार्क बगौद-बंजारी, तहसील कुरूद, जिला धमतरी	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	2024-2025	2000 नग	11.90 लाख	-	
5	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नवा रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	2024-2025	2000 नग	12.17 लाख	-	
6	औद्योगिक क्षेत्र औरेंटी, जिला बलौदावाजार	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	2024-2025	500 नग	5.31 लाख	-	औद्योगिक क्षेत्र औरेंटी/ औद्योगिक क्षेत्र केसदा जिला बलौदावाजार एवं फूडपार्क खपरीखुर्द जिला रायपुर में 05 वर्षों तक रखरखाव सहित वृक्षारोपण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को सौंपा गया है। उपरोक्त 03 स्थानों (क्रमांक 6 से 8) पर प्रथम वर्ष हेतु व्यय + फेंसिंग कार्य के लिए राशि रुपये 17.20 लाख का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को किया गया है। कार्य प्रगति पर है।
7	औद्योगिक क्षेत्र केसदा, जिला बलौदावाजार	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	2024-2025	1000 नग	7.37 लाख	-	
8	फूडपार्क खपरीखुर्द, जिला रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	2024-2025	500 नग	4.51 लाख	-	

*(Handwritten Signature)*

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, रायपुर

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज स्थापना हेतु प्राप्त अनुदान से लाभान्वित कृषक/उद्यमी का विवरण

क्रं.	वर्ष	आवेदक का नाम एवं पता	अनुदान राशि रू. लाख में	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	वर्ष 2024 (1 जनवरी 2024 से 31.12.2024 की स्थिति में)	मेसर्स पारख कोल्ड स्टोरेज, पण्डरीपानी, विकासखण्ड-जगदलपुर, जिला -बस्तर	200.00	अनुदान राशि भुगतान किया गया है।
2		मेसर्स अशोका कोल्ड स्टोरेज, ग्राम- तेलीसेमरा, विकासखण्ड-जगदलपुर, जिला -बस्तर	200.00	
3		मेसर्स आर.के कोल्ड स्टोरेज, ग्राम- परपा, विकासखण्ड-जगदलपुर, जिला-बस्तर	200.00	
4		मेसर्स श्री बालाजी, कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-पाकरगांव, विकासखण्ड-पत्थलगांव, जिला-जशपुर	100.00	
5		मेसर्स श्री बालाजी, कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-मेंढमार, बायसी कॉलोनी, विकासखण्ड-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़	100.00	
6		मेसर्स बाबा, कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-मारकैल, विकासखण्ड-जगदलपुर, जिला-बस्तर	100.00	

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## पारिशेष्ट - पेंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1731) की जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, रायपुर

प्रपत्र-अ

वर्ष 2022

क्र.	वर्ष	जिला	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण	निरस्त	अद्यतन स्थिति/रिपोर्ट
1	2022	रायपुर	वि.स. क्षेत्र अमनपुर अंतर्गत ग्राम मिलाई से अकोलीकला पहुँच मार्ग नहर सर्विस रोड पर 4.00 कि.मी. सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण।	481.72	482.81	पूर्ण			
2	2022	रायपुर	ग्राम डोमा, हाट बाजार	29.13	0.00		अपूर्ण		प्रगतिरत्
3	2022	रायपुर	ग्राम कांदुल, हाट बाजार	29.13	29.50	पूर्ण			
4	2022	रायपुर	ग्राम दतरेगा हाट बाजार	29.13	27.77	पूर्ण			
5	2022	रायपुर	ग्राम घनेली हाट बाजार	29.13	23.79	पूर्ण			
6	2022	रायपुर	ग्राम परसदा हाट बाजार	29.13	28.45	पूर्ण			
7	2022	रायपुर	ग्राम जुलूम हाट बाजार	29.13	27.72	पूर्ण			
8	2022	रायपुर	भाठागांव, हाट बाजार	129.55	147.40	पूर्ण			
9	2022	रायपुर	ग्राम सांकरा, हाट बाजार	30.73	32.80	पूर्ण			
			कुल 09 कार्य योग :-	818.78	800.24				

वर्ष 2023

1	2023	रायपुर	प्राथमिक सहकारी समिति घरमपुरा 200 मेट्रन गोदाम	12.08	0.00		अपूर्ण		प्रगतिरत्
2	2023	रायपुर	प्राथमिक सहकारी समिति घरमपुरा में कवर्ड शेड 04 नम	25.92	0.00		अपूर्ण		प्रगतिरत्
3	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा के माना बस्ती के 05 स्थानों पर 1700 मीटर सी.सी.रोड निर्माण।	79.13	69.59	पूर्ण			
4	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा के ग्राम इधबंद में नया तालाब से पुराना तालाब तक सी.सी. रोड निर्माण।	20.77	17.18	पूर्ण			
5	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा के ग्राम बनरसी में लोकेश कुजूर के घर से तालाब रोड तक सी.सी. रोड निर्माण।	22.23	22.17	पूर्ण			
6	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा अंतर्गत ग्राम घरमपुरा के 09 स्थानों पर 990 मीटर सी.सी. रोड निर्माण।	47.37	48.29	पूर्ण			
7	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा अंतर्गत ग्राम मुजगहन के लीलाघर साहू घर से महेन्द्र साहू किराना स्टोर्स तक सी.सी. रोड निर्माण ग्राम कांदुल क्षेत्र में सी.सी.रोड निर्माण एवं ग्राम डूण्डा क्षेत्र में सी.सी.रोड निर्माण।	34.91	35.65	पूर्ण			
8	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा अंतर्गत ग्राम दतरेगा के कन्हैया साहू घर से गोपाल साहू घर तक सी.सी. रोड निर्माण।	20.21	18.40	पूर्ण			
9	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा अंतर्गत ग्राम घनेली के पहुँच में सी.सी. रोड निर्माण एवं ग्राम बोरियाकला के परमानंद साहू घर से ब्यारा तक सी.सी.रोड निर्माण।	25.84	0.00		अपूर्ण		प्रगतिरत्
10	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा के ग्राम टेमरी के 04 स्थानों पर 750 मीटर सी.सी. रोड निर्माण।	25.38	30.79	पूर्ण			
11	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा के ग्राम सेजबहार के 03 स्थानों पर 1070 मीटर सी.सी. रोड निर्माण।	46.03	44.95	पूर्ण			
12	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा के ग्राम डोमा के 03 स्थानों पर 595 मीटर सी.सी. रोड निर्माण।	22.42	23.09	पूर्ण			
13	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा के ग्राम कांठाडीह के 04 स्थानों पर 950 मीटर सी.सी.रोड निर्माण।	35.47	35.85	पूर्ण			
14	2023	रायपुर	वि.सं. घरसीवा के ग्राम मटगांव क्षेत्र में सी.सी. रोड निर्माण।	25.58	25.88	पूर्ण			
15	2023	रायपुर	बोरियाकला के शदाणी दरबार के मेन गेट क्र. 01 लव पहवानी के घर से अविनाश कुकरेजा के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.41	19.92	पूर्ण			
16	2023	रायपुर	बलदेव चांवला के घर से वरिष्ठ गेहानी के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.41	18.38	पूर्ण			

क.	वर्ष	ज़िला	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण	निरस्त	अद्यतन स्थिति / रिमार्क
17	2023	रायपुर	बोरियाकला के दर्शन निहाल के घर से विक्रम बत्रा के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.22	19.28	पूर्ण			
18	2023	रायपुर	बोरियाकला के अदिनाश कुकरेजा के घर से वीरता अपार्टमेंट तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.22	19.26	पूर्ण			
19	2023	रायपुर	बोरियाकला के बर्फ फौद्री से संत राजाराम चौक तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.41	18.49	पूर्ण			
20	2023	रायपुर	संत राजाराम चौक से विकास अमुलानी के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.42	14.43	पूर्ण			
21	2023	रायपुर	बोरियाकला के विकास अमुलानी के घर से नानीक के घर तक नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण	19.32	17.85	पूर्ण			
22	2023	रायपुर	बोरियाकला बस्ती में सड़क एवं नाली निर्माण	19.32	19.85	पूर्ण			
23	2023	रायपुर	माना बस्ती सड़क एवं नाली निर्माण	18.44	16.27	पूर्ण			
24	2023	रायपुर	घरमपुरा सड़क एवं नाली निर्माण	18.71	10.76	पूर्ण			
25	2023	रायपुर	दतरेगा सड़क एवं नाली निर्माण	18.73	18.97	पूर्ण			
26	2023	रायपुर	घनेली सड़क एवं नाली निर्माण	18.69	18.87	पूर्ण			
27	2023	रायपुर	भटगांव सड़क एवं नाली निर्माण	18.87	19.16	पूर्ण			
28	2023	रायपुर	मुजगहन सड़क एवं नाली निर्माण	18.84	15.69	पूर्ण			
29	2023	रायपुर	टेमरी सड़क एवं नाली निर्माण	18.83	13.26	पूर्ण			
30	2023	रायपुर	बनरसी सड़क एवं नाली निर्माण	18.93	19.46	पूर्ण			
31	2023	रायपुर	सेजबहार सड़क एवं नाली निर्माण	18.64	0.00	-	अपूर्ण		प्रगतिरत्
32	2023	रायपुर	कांदुल सड़क एवं नाली निर्माण	18.69	0.00	पूर्ण			
33	2023	रायपुर	इथंबंद सड़क एवं नाली निर्माण	18.53	19.40	पूर्ण			
34	2023	रायपुर	काटाडीह सड़क एवं नाली निर्माण	18.73	17.14	पूर्ण			
35	2023	रायपुर	डोमा सड़क एवं नाली निर्माण	18.59	0.00	-	अपूर्ण		प्रगतिरत्
36	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा ग्राम कुम्हारी में 05 स्थानों पर 451 मीटर सी.सी.रोड निर्माण।	19.81	14.03	पूर्ण			
37	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा ग्राम बेन्दी में 04 स्थानों पर 1005 मीटर सी.सी.रोड निर्माण।	33.57	34.51	पूर्ण			
38	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा ग्राम चिखली में 700 मीटर सी.सी. रोड निर्माण।	70.30	61.66	पूर्ण			
39	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा ग्राम साकटा में 1500 मीटर सी.सी. रोड निर्माण।	76.37	0.00	पूर्ण			
40	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा ग्राम पंचायत कुकेरा के धान खरीदी केन्द्र में अहाता निर्माण।	20.19	20.44	पूर्ण			
41	2023	रायपुर	विधानसभा क्षेत्र धरसीवा, अंतर्गत ग्राम सकरी से धनसुली के मध्य बी.टी. रोड एवं ह्यूम पाईप कल्वर्ट निर्माण	426.66	218.42		अपूर्ण		प्रगतिरत्
42	2023	रायपुर	ग्राम छछानपैरी में सी.सी. रोड निर्माण।	35.38	32.73	पूर्ण			
43	2023	रायपुर	ग्राम बिरबिरा में सी.सी. रोड निर्माण।	9.73	9.89	पूर्ण			
44	2023	रायपुर	ग्राम नरियारा में सी.सी. रोड निर्माण।	9.37	9.48	पूर्ण			
45	2023	रायपुर	ग्राम कोसमखुंटा में सी.सी. रोड निर्माण।	41.74	35.66	पूर्ण			
46	2023	रायपुर	ग्राम कोसमखुंटा में सी.सी. रोड निर्माण।	25.70	23.19	पूर्ण			

क्र.	वर्ष	जिला	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण	निरस्त	अद्यतन स्थिति/ रिमार्क
47	2023	रायपुर	ग्राम कोटनी में सी.सी. रोड निर्माण। ग्राम अमेरी - 1 में सी.सी. रोड निर्माण।	33.70	35.19	पूर्ण			
48	2023	रायपुर	ग्राम पचेडा में सी.सी. रोड निर्माण।	28.10	24.93	पूर्ण			
49	2023	रायपुर	ग्राम अमेरी-2 में सी.सी. रोड निर्माण।	41.41	36.20	पूर्ण			
50	2023	रायपुर	ग्राम खौली में सी.सी. रोड निर्माण।	30.05	27.01	पूर्ण			
51	2023	रायपुर	ग्राम खन्हरिया में सी.सी. रोड निर्माण।	9.94	10.21	पूर्ण			
52	2023	रायपुर	ग्राम दिघारी में सी.सी. रोड निर्माण।	23.01	19.71	पूर्ण			
53	2023	रायपुर	ग्राम मनसोज में सी.सी. रोड निर्माण।	14.99	14.94	पूर्ण			
54	2023	रायपुर	ग्राम फरफौद में सी.सी. रोड निर्माण।	64.72	54.13	पूर्ण			
55	2023	रायपुर	ग्राम अकोलीकला में सी.सी. रोड निर्माण।	28.52	25.56	पूर्ण			
56	2023	रायपुर	ग्राम गुल्फू में सी.सी. रोड निर्माण।	55.13	29.35	पूर्ण			
57	2023	रायपुर	ग्राम दरबा में सी.सी. रोड निर्माण।	36.38	0.00	-	अपूर्ण		प्रगतिरत्
58	2023	रायपुर	ग्राम सिवनी में सी.सी. रोड निर्माण।	33.68	25.95	पूर्ण			
59	2023	रायपुर	ग्राम पिपरहट्टा में सी.सी. रोड निर्माण।	13.51	13.56	पूर्ण			
60	2023	रायपुर	ग्राम कुकरा में सी.सी. रोड निर्माण।	16.21	16.08	पूर्ण			
61	2023	रायपुर	ग्राम पारागांव में हगरिया तालाब से धान खरीदी केन्द्र तक 1200 मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	65.28	56.14	पूर्ण			
62	2023	रायपुर	ग्राम खमतलाई में सी.सी. रोड निर्माण।	49.74	43.54	पूर्ण			
63	2023	रायपुर	ग्राम बेनीडीह में सी.सी. रोड निर्माण।	20.10	18.52	पूर्ण			
64	2023	रायपुर	ग्राम सेमरिया में सी.सी. रोड निर्माण।	19.13	18.01	पूर्ण			
65	2023	रायपुर	ग्राम परसदा-1 में सी.सी. रोड निर्माण। ग्राम परसदा-2 में सी.सी. रोड निर्माण।	16.98	17.45	पूर्ण			
66	2023	रायपुर	ग्राम अमोदी एवं तुलसी में सी.सी. रोड निर्माण।	32.20	25.40	पूर्ण			
67	2023	रायपुर	ग्राम चोरभट्टी में सी.सी. रोड निर्माण।	23.74	21.43	पूर्ण			
68	2023	रायपुर	ग्राम मैसा-1 में सी.सी. रोड निर्माण।	21.15	0.00	-	अपूर्ण		प्रगतिरत्
69	2023	रायपुर	ग्राम मैसा-2 में सी.सी. रोड निर्माण।	54.82	47.41	पूर्ण			
70	2023	रायपुर	ग्राम भंडारपुरी में सी.सी. रोड निर्माण। ग्राम सेजा में सी.सी. रोड निर्माण।	28.08	8.36		अपूर्ण		प्रगतिरत्
71	2023	रायपुर	ग्राम परसकोल में सी.सी. रोड निर्माण।	50.72	33.87		अपूर्ण		प्रगतिरत्
72	2023	रायपुर	ग्राम परसकोल में सी.सी. रोड निर्माण।	48.31	39.07		अपूर्ण		प्रगतिरत्
73	2023	रायपुर	वि.खं. घरसीवा ग्राम पठारीडीह में 09 स्थानों पर 826 मीटर सी.सी. रोड निर्माण।	29.81	0.00			निरस्त	
74	2023	रायपुर	वि.खं. घरसीवा ग्राम कन्हेरा में 06 स्थानों पर 1673 मीटर सी.सी. रोड निर्माण।	55.49	0.00			निरस्त	
75	2023	रायपुर	वि.खं. घरसीवा अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकारी में मेन रोड से समरसता भवन के बीच में पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत मैसामुड़ा में तालाब के पास पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत रैता में विनोद गिरी के घर से तिलक मेल पारा तक सी.सी. रोड निर्माण।	28.31	0.00			निरस्त	

क्र.	वर्ष	जिला	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹. लाख में)	व्यय (₹. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण	निरस्त	अद्यतन स्थिति / रिमार्क
76	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा के ग्राम पंचायत कुथरल के गुड़ी चौरा चौक से डबरी तालाब तक सी.सी. रोड एवं पुलिया।	20.10	0.00			निरस्त	
77	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा के ग्राम पंचायत कन्हैरा के बाजार मैदान में कांक्रिटीकरण निर्माण।	22.79	0.00			निरस्त	
78	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा के ग्राम पंचायत मलौद के गांव से लेकर खेतखार तक सी.सी. रोड एवं पुलिया निर्माण।	32.84	0.00			निरस्त	
79	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा के ग्राम पंचायत नकटी सम्मानपुर के दुर्गा चौक से महावीर चौक तक सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम पंचायत निमोरा में सी.सी.रोड निर्माण एवं श्री हरिशंकर घर से जानकी यादव घर तक सी.सी. रोड निर्माण एवं पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत कुम्हारी में सी.सी.रोड निर्माण, ग्राम पंचायत दोदेखुर्द में नरदहा पहुँच मार्ग में पुलिया एवं सी.सी. रोड निर्माण, ग्राम पंचायत छपोरा में गौठान पहुँच मार्ग में पुलिया निर्माण एवं ग्राम पंचायत लालपुर के भाटापारा में सी.सी.रोड निर्माण।	29.59	0.00			निरस्त	
80	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा के ग्राम पंचायत तुलसी के घनरयाम देवान के घर से नहरपार तक सी.सी. रोड निर्माण।	38.99	0.00			निरस्त	
81	2023	रायपुर	वि.खं. धरसीवा के ग्राम पंचायत बैसगुड़ा के प्राथमिक शाला भेरवा से बंदा प्रसाद वर्मा के घर तक सी.सी. रोड निर्माण, विजय के घर के पीछे नया तालाब रोड से पैदू रोड तक सी.सी. रोड निर्माण एवं खेल मैदान के पास रपटा मणी कंचन तक सी.सी. रोड निर्माण।	35.94	0.00			निरस्त	
82	2023	रायपुर	वि.खं. तिल्दा के ग्राम पंचायत बेल्लारसिवनी के 02 स्थानों में सी.सी.रोड निर्माण।	26.86	0.00			निरस्त	
83	2023	रायपुर	वि.खं. तिल्दा अंतर्गत ग्राम पंचायत छपरा घरसा में पुल निर्माण एवं बाजार चौक में सी.सी. रोड, ग्राम पंचायत आलेसुर में सी.सी. रोड निर्माण एवं ग्राम पिकरीडीह के विष्णु धीवर के घर से जेदू कुरे के घर तक सी.सी. रोड निर्माण।	26.49	0.00			निरस्त	
84	2023	रायपुर	वि.खं. तिल्दा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोदवा के ठाकुर देव चौक में सी.सी. रोड निर्माण एवं ग्राम पंचायत नयागांव में सी.सी. रोड निर्माण।	29.53	0.00			निरस्त	
85	2023	रायपुर	वि.खं. तिल्दा के ग्राम पंचायत माठ में सी.सी. रोड एवं पुलिया निर्माण।	37.80	0.00			निरस्त	
86	2023	रायपुर	वि.खं. तिल्दा के ग्राम पंचायत बुडनहन के सुंदरा नाला में मुक्तिचाम तक सी.सी. रोड निर्माण।	38.46	0.00			निरस्त	
87	2023	रायपुर	ग्राम पंडरमट्टा, हाट बाजार	21.83	0.00			निरस्त	
88	2023	रायपुर	ग्राम छपोरा, हाट बाजार	31.65	0.00			निरस्त	
89	2023	रायपुर	ग्राम मनोहरा, हाट बाजार	29.30	0.00			निरस्त	
			<b>कुल 89 कार्य योग :-</b>	<b>3025.81</b>	<b>1811.07</b>				


वर्ष 2024


1	2024	रायपुर	जिला रायपुर ग्राम मानिकचौरी के धान उपाजन केन्द्र मानिकचौरी में कवर्डशेड निर्माण (30x12मी.) 01 नग	19.25	0.00		अपूर्ण		प्रगतिरत्
2	2024	रायपुर	जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पिरदा (धरसीवा) में बिजली ऑफिस सबस्टेशन से से लेकर भुरवाराम धृतलहरे के घर तक आंतरिक सीमेंट रोड सह नाली निर्माण।	95.88	0.00		अपूर्ण		प्रगतिरत्
3	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र रायपुर ग्रामीण वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम माना बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण।	25.3	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर

क्र.	वर्ष	जिला	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	धन्य (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण	निरस्त	अद्यतन स्थिति / रिमार्क
4	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र रायपुर ग्रामीण वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम कांदूल में सी.सी.रोड निर्माण।	78.63	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
5	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र रायपुर ग्रामीण वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम कांदूल में डिही तालाब से मुक्तिधाम तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	35.56	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
6	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र रायपुर ग्रामीण वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम दतरंगा में दिनदयाल के घर से शमशान घाट तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	64.87	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
7	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र रायपुर ग्रामीण वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम सेजबहार में हाटबाजार फेस 1 कालोनी में कन्हेरा प्लेटफार्म (15x4m) 06 नग, सी.सी.रोड 837.00 वर्ग मी. एवं यूरिनल, निर्माण।	33.83	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
8	2024	रायपुर	ग्राम माना बस्ती में साई मंदिर से शितला मंदिर तक सी.सी.रोड निर्माण।	15.82	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
9	2024	रायपुर	ग्राम दतरंगा में माध्यमिक स्कूल से उच्च स्कूल तक सी.सी.रोड निर्माण।	20.11	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
10	2024	रायपुर	ग्राम काटाडीह में मैन रोड से शिवाश स्कूल तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	16.16	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
11	2024	रायपुर	ग्राम सेजबहार में ताताब के पास सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	10.48	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
12	2024	रायपुर	बाबू जगजीवन राम वार्ड नं. 53 में लालपुर अरोरा धर्मकांटा गली में धमतरी रोड को जोड़ने हेतु सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	19.91	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
13	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र धरसीवा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कन्हेरा में पंचायत भवन से पैतु तक 600 मी.सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	34.23	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
14	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र धरसीवा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कन्हेरा में दाऊलाल गोपाल कुंरे के घर से अश्वनी कुंरे के घर तक 400 मी. सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	23.53	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
15	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र धरसीवा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कन्हेरा में मिडिल स्कूल से चंद्रा जी रती के घर तक 600 मी.सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	35.35	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
16	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र धरसीवा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पटारडीह के शीतला मंदिर चौक में (80x30 मी.) मी.सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	25.66	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
17	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र धरसीवा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बंगोली में चिताराम वर्मा के घर से डॉ. टिकरिया के घर तक (80x35मी.) मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	27.87	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
18	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र धरसीवा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बैसमुडा में यशवंत वर्मा के घर से सार्वजनिक शौचालय होते हुए पैतु तालाब तक 550 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	35.46	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
19	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र धरसीवा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडरमट्टा के वार्ड क्र 06 में 300 मी.(बस्ती में) एवं 200 मी. नहर रोड पर सी.सी. निर्माण।	30.17	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
20	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र धरसीवा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत तरेसर में महायाया पारा से रामसागर तालाब में 400 मी. एवं गोवर्धन पर्वत से सतनाम भवन तक 100 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	27.02	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर

क्र.	वर्ष	जिला	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (₹. लाख में)	व्यय (₹. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण	निरस्त	अद्यतन स्थिति / रिमार्क
21	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र घरसीवा वि.ख. घरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मैसमुडा में पंचायत भवन से बेधन निबाद के घर तक 900 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	56.68	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
22	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र घरसीवा वि.ख. घरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडरभट्टा के वार्ड नं. 01 दर्ईहानपारा में 800 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण।	31.87	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
23	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र घरसीवा वि.ख. घरसीवा जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत निमोरा में मेन रोड से इमशान घाट तक 350 मी. सी.सी.रोड निर्माण।	32.25	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
24	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत कोदवा में दुर्गा चौक से ईश्वरी के घर से संतु देवांगन के घर तक 150 मी. सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.06	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
25	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत बंगोली में सुदामा कडरा के घर से गनियारी सड़क 150 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.84	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
26	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत देवगांव में शाता परिसर में 200 मी. सी.सी.रोड निर्माण।	13.55	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
27	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत बुडेनी में बोधी साहू के घर से बड़े तालाब तक 150 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.36	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
28	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत कपसदा में 300 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण।	19.6	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
29	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत खपरीडीह खुर्द सीताराम सेन के घर से आत्माराम वर्मा के ब्यारा तक 250 मी. सी. सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.61	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
30	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत खपरीडीह खुर्द में मेन रोड से द्वारिका के घर तक 250 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.13	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
31	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत खपरीडीह खुर्द में रेशम बारले के घर से संदीप बारले के घर तक 300 मी. सी. सी.रोड एवं नाली निर्माण।	19.6	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
32	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत खपरीडीह खुर्द में सुधु वर्मा के घर से मुख्य सड़क तक 200 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	15.61	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
33	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत अकोली (देवरी) में गणेश कोसे के घर से गौठान तक एवं गौठान से महेश वर्मा के घर तक 300 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	19.09	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
34	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत सोनतरा में मेन रोड से इमशान घाट तक बस्तीपारा में 150 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.87	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
35	2024	रायपुर	ग्राम पंचायत सोनतरा में मेन रोड से इमशान घाट तक भाठापारा में 180 मी. सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.39	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
36	2024	रायपुर	ओवर हेड साईन बोर्ड मानिकचौरी में 12 मी. र्पॉन। (द्वितीय आमंत्रण)	11.19	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
37	2024	रायपुर	कृषि उपज मंडी समिति नवापारा के अभनपुर से नवापारा मेन रोड के बीच ओवर हेड साईन बोर्ड गोबरा में 25 मी. र्पॉन। (द्वितीय आमंत्रण)	11.19	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
38	2024	रायपुर	जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम मानिकचौरी के घान उपार्जन केन्द्र मानिकचौरी में बाउण्ड्रीवाल 438 मी. निर्माण। द्वितीय आमंत्रण	27.77	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
39	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र अभनपुर जिला रायपुर वि.ख. अभनपुर अंतर्गत ग्राम रामपुर (डंगनिया) के पानी टंकी से अश्वनी के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण।	26.32	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
40	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र अभनपुर जिला रायपुर वि.ख. अभनपुर अंतर्गत ग्राम रामपुर (डंगनिया) में टेकराम साहू के घर से केनाल तक सी.सी. रोड निर्माण।	45.55	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर

क्र.	वर्ष	जिला	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	धन्य (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण	निरस्त	अद्यतन स्थिति/रिगार्क
41	2024	रायपुर	वि.स. क्षेत्र अभनपुर जिला रायपुर वि.ख. अभनपुर अंतर्गत ग्राम रामपुर (डंगनिया) में रामेश्वर साहू के घर से गणेश साहू के घर तक सी.सी. रोड़ निर्माण।	21.33	0.00		अपूर्ण		निविदा स्तर
42	2024	रायपुर	कार्यालय बीज निगम तेलीबाघा रायपुर के भू-तल में निर्मित कक्ष एवं हॉल तथा कोरिडोर में नदीनीकरण तथा मरम्मत का कार्य।	19.09	0.00		अपूर्ण		प्रगतिरत्
43	2024	रायपुर	कार्यालय बीज निगम तेलीबाघा रायपुर के भू-तल में आंतरिक साज सज्जा एवं नदीनीकरण का कार्य।	19.94	0.00		अपूर्ण		प्रगतिरत्
44	2024	रायपुर	कार्यालय बीज निगम तेलीबाघा रायपुर के भू-तल में निर्मित कक्ष एवं हॉल में फर्नीचर का कार्य।	18.77	0.00		अपूर्ण		प्रगतिरत्
			कुल 44 कार्य योग :-	1165.65	0.00				
			महायोग 142 कार्य :-	5008.24	2611.31				


  
 (विकास मिश्रा)  
 उप सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


  
 अधीक्षण अभियंता  
 छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, रायपुर  
खंड ग की जानकारी

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	भरे		रिक्त
			नियमित	प्लेसमेंट	
1	अधीक्षण अभियंता	1	1	0	0
2	कार्यपालन अभियंता	9	8	0	1
3	सहायक अभियंता (सिविल)	21	13	0	8
4	सहायक अभियंता (विद्युत)	2	1	0	1
5	उप अभियंता (सिविल)	29	2	23	4
6	उप अभियंता (विद्युत)	5	0	1	4
		67	25	24	18

टीप:- प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 24 निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी व्यक्तियों को उप अभियंता (सिविल) एवं उप अभियंता (विद्युत) के पद पर रखा गया है।

  
(विक्रम मिश्रा)  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

  
अधीक्षण अभियंता

## परीशेष - छियालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1844) की जानकारी

क्र.	वर्ष	संस्था का नाम	जन्म पोर्टल से खरीदी गई सामग्री / उपकरण						कृषि विभाग में सामग्रियों / उपकरणों के क्रय हेतु पात्रता की शर्तों का विवरण	कौलम 9 के अंतर्गत एजेंसी जिनके सामग्री / उपकरण का क्रय किया गया है; वह नियमानुसार विक्रय हेतु पात्रता रखते हैं (हां/नहीं)
			सामग्री / उपकरण का नाम	दर प्रति इकाई (राशि रु. में)	संख्या	क्रय राशि	क्रय दिनांक	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2022-23									
2	2023-24									
— निरक —										
3		बायोआर्गेनिक कार्पोरेशन दिल्ली	ग्लू पेड टाईप ऑफ ट्रेप (स्टिक्की ट्रेप)	23.60	3066	72357.60	16.09.2024			
4			ग्लू पेड टाईप ऑफ ट्रेप (स्टिक्की ट्रेप)	23.60	6258	147688.80	16.09.2024			
5			ग्लू पेड टाईप ऑफ ट्रेप (स्टिक्की ट्रेप)	23.60	1176	27753.60	18.09.2024			
6		भकेप इण्डिया प्रा. लिमि. दिल्ली	ग्लू पेड टाईप ऑफ ट्रेप (स्टिक्की ट्रेप)	23.60	60	1416.00	26.09.2024			
7			हेलीको बर्ग ल्यू	22.42	80	1793.60	26.09.2024			
8			फ्लाईंग इन्सेक्ट कंट्रोल ट्रेप	29.50	80	2360.00	28.09.2024			
9		संयुक्त कृषि केंद्र फाटिलाईजर्स राजस्थान	जिक सलफेट हेक्टाहाईड्रेट 21% 01 KG	60.90	13600	828240.00	11.11.2024			
10		सेंट्रल इन्सॉलिडसाईड एंड फाटिलाईजर्स राजस्थान	प्रोफेनोफॉस 50% ई.सी. 500 मि.ली.	228.99	200	45798.00	27.11.2024	तुलनात्मक न्यूनतम दर		
11	2024-25		माइक्रो-न्यूट्रीयेंट मिक्चर 5 कि.ग्रा. पैकेट	327.99	160	52478.40	27.11.2024			
12			जिक सलफेट हेक्टाहाईड्रेट 21% 01 KG	60.90	2000	121800.00	09.12.2024			
13			वेम माइक्रोहाईजा 1 कि.ग्रा.	100.00	240	24000.00	09.12.2024			
14			ड्राई सीडिंग ऑबला बोरेंट टैक्टाहाइड्रेट 1 कि.ग्रा.	224.99	160	35998.40	09.12.2024			
15		गौतम प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रीज बिलासपुर (छ. ग.)	63 एम.एम. एच.डी.ई.पी. पाइप वाटर सल्टाई मीटर	99.75	10000	997500.00	26.12.2024			
16			ट्रेप फार फ्लाईंग इन्सेक्ट	50.00	4005	200250.00	30.12.2024			
17		बायोआर्गेनिक कार्पोरेशन दिल्ली	सेंट्रलक पावर स्प्रेयर 15 ली.	6395.00	3472	22203440.00	10.01.2025			
18		मातादी इलेक्ट्रिकल्स गोरखापुर	प्रो. नोफॉस 50% ई.सी. 500 मि.ली.	228.99	600	137394.00	10.01.2025			
19		सेन्ट्रल इन्सॉलिडसाईड एंड फाटिलाईजर्स	सायपरमेथिन 25% ई.सी. 01 ली	325.00	300	97500.00	10.01.2025	तुलनात्मक न्यूनतम दर		
20			सायपरमेथिन 25% ई.सी. 01 ली	325.00	1600	520000.00	10.01.2025			
21		बालाजी ट्रेडर्स महारासष्ट्र	एजाडिरेविटिन 30000पी.पी.एम. 01 ली.	598.00	1125	672750.00	16.01.2025	ऑनलाइन में बिड न्यूनतम के आधार पर		
22			जिक सलफेट हेक्टाहाईजा 500 मि.ली.	212.00	1080	228960.00	16.01.2025			

क्र.	वर्ष	संस्था का नाम	उत्तम पोर्टल से खरीदी गई सामग्री / उपकरण						कृषि विभाग में सामग्रियों / उपकरणों के क्रय हेतु पात्रता की शर्तों का विवरण	कॉलम 9 के अंतर्गत एजेंसी जिनके सामग्री / उपकरण का क्रय किया गया है, वह नियमानुसार विक्रय हेतु पात्रता रखते हैं (हां/नहीं)
			सामग्री / उपकरण का नाम	दर प्रति इकाई (राशि रु. में)	संख्या	क्रय राशि	क्रय दिनांक	ऑनलाइन में बिड न्यूनतम के आधार पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	2024-25	वालाजी ट्रेडर्स महासमुद्र	बैलमाइकोराईजा 01 कि.ग्रा.	140.00	1125	157500.00	16.01.2025	ऑनलाइन में बिड न्यूनतम के आधार पर		
24			पॉडोमिडिलीन 30%ई.सी. 01 ली.	660.00	1125	742500.00	16.01.2025			
25			जिक सल्फर हेक्टाहाइड्रेट 21%01 KG	62.00	1125	69750.00	16.01.2025			
26			पॉटेश मोबोलाइडिंग बायोकार्टिलाईजर 500 मि.ली.	212.00	1125	238500.00	16.01.2025			
27			प्रोकेनोकोस 40% ई.सी. + सायपरमिडिन 01 ली.	662.00	675	446850.00	16.01.2025			
28			डैस्कर्टींग कम्यूटर सेट आई-7	49700.00	1	49700.00	23.01.2025		हां	
29			प्रोकेनोकोस 50% ई.सी. 500 मि.ली.	228.99	1600	366384.00	23.01.2025	तुलनात्मक न्यूनतम दर		
30		सेंट्रल इन्सोविएटसाईड एंड कार्टिलाईजर्स राजस्थान	बलियोपायथीकोस 20% ई.सी. 500 मि.ली.	144.00	1100	158400.00	24.01.2025	ऑनलाइन में बिड न्यूनतम के आधार पर		
31		वालाजी ट्रेडर्स महासमुद्र	कॉस्केट शीश आर्गेनिक मैन्यूर 05 कि.ग्रा.	489.90	980	480102.00	30.01.2025			
32			पावर ट्रेक्टर आपरेंटड स्पेयर	39900.00	1	39900.00	30.01.2025			
33			आई सोडियम ओक्टा बोरेट टेक्नोहाइड्रेट 01 कि.ग्रा.	100.00	160	16000.00	31.01.2025			
34		वाला मनहेरु इंटरप्राइजेस रायपुर	माइक्रोन्यूट्रिएंट मिन्यर 5 कि.ग्रा. पैकेट	430.00	160	68800.00	31.01.2025	तुलनात्मक न्यूनतम दर		

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा वैद्य शैलीकी विभाग

(विकास विभाग)  
उप सचिव

परीशेष्ट - सेतालीस  
अताराकेत प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1853) की जानकारी


प्रपत्र

## वर्ष 2023-24

वर्ग	दी जाने वाली स्कॉलरशिप		दी गई स्कॉलरशिप	
	छात्र/छात्राओं की संख्या	राशि	छात्र/छात्राओं की संख्या	राशि
अनुसूचित जाति	1337	7563971	1282	7559571
अनुसूचित जनजाति	848	6556123	832	6553223
अन्य पिछड़ा वर्ग	3399	21193119	3389	21188524
कुल	5584	35313213	5503	35301318

## वर्ष 2024-25

वर्ग	दी जाने वाली स्कॉलरशिप		दी गई स्कॉलरशिप	
	छात्र/छात्राओं की संख्या	राशि	छात्र/छात्राओं की संख्या	राशि
अनुसूचित जाति	1589	7312793	1455	7291293
अनुसूचित जनजाति	969	201900	187	130400
अन्य पिछड़ा वर्ग	3616	665800	1999	16122901
कुल	6174	8180493	3641	23544594

  
अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र- "अ"

पीएम जनमन अंतर्गत चिन्हांकित ग्रामों की जानकारी

क.	जिला	पीएम जनमन अंतर्गत स्वीकृत गतिविधि/कार्य/सुविधाओं का नाम	चिन्हांकित ग्राम संख्या	चिन्हांकित घर संख्या	क्या चिन्हांकित ग्रामों में विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है? हाँ/नहीं।	रिमार्क
1		2	3	4	5	6
1	बलौदा बाजार- भाटापारा	पूर्व से निर्धारित कार्य सबको पक्का घर, मोबाईल मेडिकल यूनिट, हर घर नल से जल, हर घर बिजली, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, आधार कार्ड, जनधन बैंक खाता, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सिकलसेल बीमारी की जांच, राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मातृत्व वंदन योजना, फ्री एल.पी.जी. कनेक्शन इत्यादि का शतप्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।	2	50	हाँ	-
2	महासमुंद	पीएमजनमन योजना अंतर्गत सभी को पक्का घर, हर घर नल से जल, हर घर बिजली, मोबाईल मेडिकल यूनिट, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, आधार कार्ड, बैंक खाता, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सिकल सेल बीमारी की जांच, राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मातृत्व वंदन योजना, उज्जवला एलपीजी कनेक्शन इत्यादि।	77	940	हाँ	18 ग्रामों में पहले से विद्युतीकरण कार्य पूर्ण है शेष 59 ग्रामों को चिन्हांकित कर योजना अंतर्गत विद्युतीकरण किया गया है।
		योग	79	990		

*Seema*  
अनुभाग अधिकारी  
आ.प्र.सं. अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

## पीएम जनमन अंतर्गत विद्युत कनेक्शन सुविधा प्राप्त चिह्नांकित ग्रामों की जानकारी

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	बलौदाबाजार- भाटापारा	कसडोल	बल्दाकछार
2			अवराई
		योग	02 ग्राम
1	महासमुन्द	बागबाहरा	डूमरपाली
2			हाड़ाबंद
3			मामाभांचा
4			मोहदी
5			तुसदा
6			खम्हारमुढामाल
7			पेन्द्रा
8			परसदा
9			कमरौद
10			अमेठी
11			ढोड़
12			चरौदा
13			खम्हरिया
14			चुरीडबरी (जोगीडीपा)
15			उमरदा
16			सोरम
17			जुनवानी कला
18			बी.के. बाहरा
19			डोगरीपाली
20			चुरीडबरी (जीवनकढ़)
21			रोड़ा
22	महासमुन्द	महासमुन्द	लभराकला
23			बकमा
24			केशवा
25			खट्टी
26			कोना
27			लभराखुर्द
28			साल्हेभाठा
29			जोरातराई
30			रैताल
31			कुरुभाठा
32			धौराभाठा
33			खुट्टेरी
34			जीवतरा
35			धनसुली
36			तमोरा
37			झालखम्हरिया
38			अचानकपुर
39			डुमरपाली
40			कोलपदर
41			पिढी
42			बनपचरी

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3	4
43			सिरपुर
44			चुहरी
45			अमलोर
46			खमतलाई
47			मरौद
48			सुकुलबाय
49			मोहकम
50			बनसिवनी
51			जलकी
52			लहंगर
53			बिथिडीह
54			सिनोघा
55			बोडरा
56			लमकेनी
57			कलमीदादर
58		कोमाखान	बोथा
59		पिथौरा	सोनासिल्ली
		योग	59 ग्राम
		कुल योग	61 ग्राम

*Scanned*  
 अनुभाग अधिकारी  
 अ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मंत्रालय, नया रायपुर

## पौरेशिष्ट - उन्चास

अताराकेत प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1960) की जानकारी

सदन में उत्तर देने का दिनांक 17.03.2025

प्रपत्र

डैम्स प्रणाली अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक की अवधि में निर्माता/प्रदायकों द्वारा मिनी राईस मिल एवं अन्य कृषि यंत्र के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों में निराकृत एवं लंबित आवेदनों की वर्षवार जानकारी

स. क्र.	यंत्र/सामग्री का नाम	वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक)					वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)					महायोग		
		प्राप्त आवेदन संख्या	निराकृत आवेदन संख्या	लंबित आवेदन संख्या	योग	प्राप्त आवेदन संख्या	निराकृत आवेदन संख्या	लंबित आवेदन संख्या	योग	प्राप्त आवेदन संख्या	निराकृत आवेदन संख्या	लंबित आवेदन संख्या	योग	प्राप्त आवेदन संख्या	निराकृत आवेदन संख्या	लंबित आवेदन संख्या	योग		
1	मिनी राईस मिल	0	0	0	0	1	1	0	1	4	4	0	4	5	5	0	5		
2	अन्य कृषि यंत्र	11	11	0	11	13	13	0	13	31	31	0	31	55	55	0	55		
	योग	11	11	0	11	14	14	0	14	35	35	0	35	60	60	0	60		

(विकास मिश्र)

उप सचिव

कृषीसंगठ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## पॉरीशेष्ट - पचास

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 17 (क. 1977) कौ जानकारौ

प्रपत्र

क्रं.	पदनाम	जिला	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	कृषि अभियंता (कृषि यंत्री)	रायपुर	3	3	0
2		बिलासपुर	1	1	0
3		जगदलपुर	1	0	1
योग:-			5	4	1



(ओम प्रकाश पात्रे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## परिशेष - इनक्यावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2002) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र.	जिला	विकासखण्ड	प्राकृतिक आपदा, रोगग्रस्त एवं अन्य कारणों से मृत कमार जनजाति के लोगों की जानकारी	
			मृत्यु का कारण	मृतकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	धमतरी	नगरी	प्राकृतिक आपदा	4
			रोगग्रस्त	62
			अन्य कारण से	65
2		मगरलौड	प्राकृतिक आपदा	4
			रोगग्रस्त	16
			अन्य कारण से	48
			योग	199

Seems  
अभुभाग अधिकारी  
ऑ.जा. चम्प-अनु.जा. वि. विभाग  
मन्त्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र "ब"

(राशि रू. में)

क्र.	कमार जनजाति के मृतक का नाम जिनके संबंधियों को मुआवजा/सहायता राशि प्रदान की गई।	प्रदत्त मुआवजा/सहायता राशि	रिमाक
1	2	3	4
1	मृतक नागेश कुमार संबंधी पिता बाबूलाल कुमार ग्राम मडेली तहसील मगरलोड	400000.00	प्राकृतिक आपदा से मृत्यु
2	मृतक- सुरेश संबंधी पिता बिनऊराम कुमार ग्राम बोदलबाहरा तहसील मगरलोड	400000.00	
3	मृतक- वल्लूराम कुमार संबंधी पिता दशरथ ग्राम बिरझुली तहसील मगरलोड	400000.00	
4	मृतक- कार्तिक राम संबंधी पिता खेदूराम ग्राम पाहंदा तहसील मगरलोड	400000.00	
5	मृतक फूलसिंग संबंधी पिता भैयाराम ग्राम कांटाकुरीडीह तहसील नगरी	400000.00	
6	मृतक सुखराम सोरी संबंधी पिता धवन सोरी ग्राम घोरगांव तहसील नगरी	400000.00	
7	मृतक- जानी बाई संबंधी पति बुधलाल ग्राम गितकारमुडा, भोथली तहसील नगरी	400000.00	
8	मृतक- कुमारी दुर्गा सोरी संबंधी पिता विसाहू ग्राम डमकाडीह चुरियारा तहसील नगरी	400000.00	
	कुल योग	<b>3200000.00</b>	

Secretary  
अनुभाग अधिकारी  
असम-समा अनु. जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

## परीशेष्ट - बावन

## प्रपत्र-अ

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2117) की जानकारी

धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत संचालन सम्मति प्राप्त राईस मिलों की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	उद्योग का नाम व पता
1.	धमतरी	मेसर्स श्री विष्णु एग्रोटेक, ग्राम-पोटियाडीह, जिला-धमतरी
2.	धमतरी	मेसर्स सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी, सुंदरगंज वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी
3.	धमतरी	मेसर्स मीरा राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मुडपार, जिला-धमतरी
4.	धमतरी	मेसर्स सुमित चावल उद्योग, शांति कॉलोनी, हरफतराई, धमतरी, तहसील व जिला - धमतरी
5.	धमतरी	मेसर्स ए.के. राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भोयना, जिला-धमतरी
6.	धमतरी	मेसर्स श्री बालाजी राईस मिल, ग्राम-हटकेश्वर, इण्डस्ट्रियल वॉर्ड धमतरी, जिला-धमतरी
7.	धमतरी	मेसर्स मॉ वैष्णव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-तेंदुकोना, जिला-धमतरी
8.	धमतरी	मेसर्स रशिम राईस मिल, ग्राम-नहरगांव, जिला-धमतरी
9.	धमतरी	मेसर्स अग्रवाल उसना उद्योग, धमतरी, जिला-धमतरी
10.	धमतरी	मेसर्स शारदा राईस इण्डस्ट्रीज, एफ.सी.आई. रोड नवागाव, धमतरी, जिला-धमतरी
11.	धमतरी	मेसर्स अन्नपूर्णा फूड्स, ग्राम-डोमा, जिला-धमतरी
12.	धमतरी	मेसर्स ओम उसना उद्योग, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी
14.	धमतरी	मेसर्स वरदान राईस इंडस्ट्रीज, ग्राम-अर्जुनी, जिला-धमतरी
15.	धमतरी	मेसर्स धनलक्ष्मी चावल उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र अर्जुनी, जिला-धमतरी
16.	धमतरी	मेसर्स सूर्या राईस मिल, ग्राम-अर्जुनी, जिला-धमतरी
17.	धमतरी	मेसर्स सावित्री धान कुटाई उद्योग, अर्जुनी, जिला-धमतरी
18.	धमतरी	मेसर्स ओम इण्डस्ट्रीज, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी
19.	धमतरी	मेसर्स देवश्री एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2), ग्राम-अर्जुनी, धमतरी, जिला-धमतरी
20.	धमतरी	मेसर्स विनय राईस इण्डस्ट्रीज, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी
21.	धमतरी	मेसर्स कुशल पेड्डी इण्डस्ट्रीज, हरकतराई रोड धमतरी, जिला-धमतरी
22.	धमतरी	मेसर्स महावीर ट्रेडर्स, सिहावा रोड, धमतरी, जिला-धमतरी
23.	धमतरी	मेसर्स विजय राईस मिल, ग्राम-श्यामतराई, धमतरी, जिला-धमतरी
24.	धमतरी	मेसर्स अंबिका राईस मिल, शंकरदाह रोड धमतरी, जिला-धमतरी
25.	धमतरी	मेसर्स गोपाल इण्डस्ट्रीज, राजधानी रोड धमतरी, जिला - धमतरी
26.	धमतरी	मेसर्स श्री शाकम्भरी राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल एरिया धमतरी, जिला-धमतरी
27.	धमतरी	मेसर्स शेखर पेड्डी इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र धमतरी, जिला-धमतरी
28.	धमतरी	मेसर्स श्री राधे एग्रोटेक, ग्राम-शंकवरा, जिला-धमतरी
29.	धमतरी	मेसर्स फुल मिनी राईस मिल, ग्राम-सोरस, जिला-धमतरी
30.	धमतरी	मेसर्स मॉ अन्नपूर्णा आहार, ग्राम-पुरैना, जिला-धमतरी
31.	धमतरी	मेसर्स श्री महामाया राईस इण्डस्ट्रीज, चरमुडिया धमतरी, जिला-धमतरी
32.	धमतरी	मेसर्स सिद्धी गणेश राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चरमुडिया रोड धमतरी, जिला-धमतरी
33.	धमतरी	मेसर्स अरिहंत उसना उद्योग, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी
34.	धमतरी	मेसर्स सिद्धार्थ एग्रो, सिहावा रोड, धमतरी, जिला-धमतरी
35.	धमतरी	मेसर्स मॉ भुवाल राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-देमार, तहसील व जिला-धमतरी
36.	धमतरी	मेसर्स श्री हरी ओम धान कुटाई केन्द्र, सरदार पटेल वार्ड, धमतरी, जिला-धमतरी
37.	धमतरी	मेसर्स अजय राईस प्रोडक्ट्स, ग्राम-सरसोपुरी, धमतरी, जिला-धमतरी
38.	धमतरी	मेसर्स श्री अदिश्वर राईस मिल, ग्राम-सम्बलपुर, जिला-धमतरी
39.	धमतरी	मेसर्स श्री शिव राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी
40.	धमतरी	मेसर्स आशीष इण्डस्ट्रीज, रायपुर रोड धमतरी, जिला-धमतरी
41.	धमतरी	मेसर्स श्री हरी ओम धान कुटाई केन्द्र, सरदार पटेल वार्ड, धमतरी, जिला-धमतरी
42.	धमतरी	मेसर्स छत्तीसगढ़ राईस मिल, संबलपुर, जिला-धमतरी

43.	धमतरी	मेसर्स श्री बजरंग पेड्डी इण्डस्ट्रीज, संबलपुर, जिला-धमतरी
44.	धमतरी	मेसर्स श्री साई एग्रोटेक, बस्तर रोड, धमतरी, जिला-धमतरी
45.	धमतरी	मेसर्स आर.एल.एग्रोटेक इंडस्ट्रीज, धमतरी, जिला-धमतरी
46.	धमतरी	मेसर्स पूजा राईस मिल, सिहावा रोड धमतरी, जिला-धमतरी
47.	धमतरी	मेसर्स तुलसी राईस मिल, ग्राम-सम्बलपुर, जिला-धमतरी
48.	धमतरी	मेसर्स अशोक राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड, धमतरी, जिला-धमतरी
49.	धमतरी	मेसर्स खंडेलवाल एग्रो, इण्डस्ट्रीयल वार्ड, धमतरी, जिला-धमतरी
50.	धमतरी	मेसर्स दिनेश इण्डस्ट्रीज, ग्राम-हरफतराई, जिला-धमतरी
51.	धमतरी	मेसर्स शक्ति राईस मिल, नवागांव वार्ड, जिला-धमतरी
52.	धमतरी	मेसर्स अतुल राईस मिल, ग्राम-हरफतराई, जिला-धमतरी
53.	धमतरी	मेसर्स इंडियन राईस मिल, धमतरी, जिला-धमतरी
54.	धमतरी	मेसर्स कुशल एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मुडपार, जिला-धमतरी
55.	धमतरी	मेसर्स श्री लक्ष्मी राईस मिल, धमतरी, जिला-धमतरी
56.	धमतरी	मेसर्स किशन कन्हेया राईस इण्डस्ट्रीज, सेहराडबरी, जिला-धमतरी
57.	धमतरी	मेसर्स महालक्ष्मी चावल उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र अर्जुनी, जिला-धमतरी
58.	धमतरी	मेसर्स अनंद राईस मिल, हटकेशर, रायपुर रोड धमतरी, तहसील व जिला - धमतरी
59.	धमतरी	मेसर्स सागर राईस मिल, ग्राम-देमार, जिला-धमतरी
60.	धमतरी	मेसर्स कृष्णा राईस मिल, इण्डस्ट्रियल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी
61.	धमतरी	मेसर्स आशीवाद इण्डस्ट्रीज, ग्राम-संबलपुर, जिला-धमतरी
62.	धमतरी	मेसर्स मां चण्डी राईस इण्डस्ट्रीज, भोथली रोड धमतरी, जिला-धमतरी
63.	धमतरी	मेसर्स देवश्री इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी
64.	धमतरी	मेसर्स श्री साई राईस मिल, ग्राम-भोथली रोड धमतरी, जिला-धमतरी
65.	धमतरी	मेसर्स मायारानी लाजिस्टींग हब, ग्राम-बोरियाखुर्द, जिला-धमतरी
66.	धमतरी	मेसर्स विकास राईस मिल, ग्राम- शांति कलोनी रोड, जिला-धमतरी
67.	धमतरी	मेसर्स दिनेश राईस मिल, ग्राम- हरफुतराई, धमतरी
68.	धमतरी	मेसर्स अरिहंत राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पोटियाडीह, जिला-धमतरी
69.	कुरुद	मेसर्स श्री बालाजी राईस मिल, भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी
70.	कुरुद	मेसर्स श्री सुन्दरम परबायलिंग, ग्राम-चरमुडिया, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी
71.	कुरुद	मेसर्स ज्योति इन्टरप्राइजेस, कुरुद, जिला-धमतरी
72.	कुरुद	मेसर्स अनमोल एग्रोटेक, मेघा रोड कुरुद, जिला-धमतरी
73.	कुरुद	मेसर्स राधेश्याम राईस मिल, करेली (छोटी), जिला-धमतरी
74.	कुरुद	मेसर्स ओम इण्डस्ट्रीज, चरमुडिया, कुरुद, जिला-धमतरी
75.	कुरुद	मेसर्स प्रतीक राईस इण्डस्ट्रीज, कुरुद, जिला-धमतरी
76.	कुरुद	मेसर्स गणपति राईस मिल, कुरुद, जिला-धमतरी
77.	कुरुद	मेसर्स आशीष परबायलिंग, भठेली, जिला-धमतरी
78.	कुरुद	मेसर्स मर्ति एग्रो इण्डस्ट्रीज राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी
79.	कुरुद	मेसर्स ज्योति पेड्डी, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी
80.	कुरुद	मेसर्स श्याम राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी
81.	कुरुद	मेसर्स उत्तम फूड्स, चरमुडिया रोड, कुरुद, जिला-धमतरी
82.	कुरुद	मेसर्स परमेश्वरी राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी
83.	कुरुद	मेसर्स श्री भगवती इन्टरप्राइजेस, चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी
84.	कुरुद	मेसर्स सिद्धार्थ एग्रो प्रोडक्ट्स, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी
85.	कुरुद	मेसर्स भगवती राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी
86.	कुरुद	मेसर्स सिद्धि गणेश राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कुरुद, चरमुडिया रोड, जिला-धमतरी
87.	कुरुद	मेसर्स श्री राईस मिल, कुरुद, जिला-धमतरी
88.	कुरुद	मेसर्स मंगल मूर्ति एग्रो, ग्राम-भोथली, तहसील-कुरुद, जिला - धमतरी
89.	कुरुद	मे0 मॉ अन्नपूर्णा आहार यूनिट-2, ग्राम-पुरेना, ब्लॉक, कुरुद, जिला-धमतरी
90.	कुरुद	मेसर्स एस.एस.डी. फूड इण्डस्ट्रीज, मेघा फूड पार्क, बगौद, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी
91.	कुरुद	मेसर्स अमृत एग्रोटेक, प.ह.नं. - 34, खसरा नं. - 953, 954, 956, 261(1,2), ग्राम-चरमुडिया एण्ड कुरुद, जिला-धमतरी
92.	कुरुद	मेसर्स देवकॉन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र फूड पार्क बगौद, जिला-धमतरी
93.	कुरुद	मेसर्स बंसीवाले राईस इण्डस्ट्रीज, भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी
94.	कुरुद	मेसर्स अग्रबंधु इण्डस्ट्रीज, ग्राम - सेमरा, तहसील - कुरुद, जिला - धमतरी

95.	कुरुद	मेसर्स स्वास्तिक एग्रो, ग्राम-भोथली, कुरुद, जिला-धमतरी
96.	कुरुद	मेसर्स केला राईस इण्डस्ट्रीज, चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी
97.	कुरुद	मेसर्स पूनम राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी
98.	कुरुद	मेसर्स विजय फुड्स, भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी
99.	कुरुद	मेसर्स एच.पी. एग्रो इण्डस्ट्रीज, भोथली, कुरुद, जिला-धमतरी
100.	कुरुद	मेसर्स शिवनाथ इण्डस्ट्रीज, भोथली रोड, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी
101.	कुरुद	मेसर्स कबीर राईस मिल, भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी
102.	कुरुद	मेसर्स महामाया फुड्स, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी
103.	कुरुद	मेसर्स लक्ष्मी राईस मिल, कुरुद, जिला-धमतरी
104.	कुरुद	मेसर्स प्रिंस राईस मिल, कुरुद, जिला-धमतरी
105.	कुरुद	मेसर्स जय मां चण्डी राईस मिल, ग्राम-भरदा, कुरुद, जिला-धमतरी
106.	कुरुद	मेसर्स अमृत एग्रोटेक, प.ह.नं. - 25, खसरा नं. - 958, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 970 एवं 1109, ग्राम-चरमुडिया एवं कुरुद, जिला-धमतरी
107.	कुरुद	मेसर्स कृष्णा राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी
108.	कुरुद	मेसर्स गीता लक्ष्मी मार्डन राईस मिल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सोनपुर, कुरुद, जिला-धमतरी
109.	कुरुद	मेसर्स महाराजा अग्रसेन इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सेमरा, कुरुद, जिला-धमतरी
110.	कुरुद	मेसर्स अतुल राईस मिल, ग्राम-भुसरेंगा, कुरुद, जिला-धमतरी
111.	कुरुद	मेसर्स श्री महावीर राईस मिल, ग्राम-बंजारी, कुरुद, जिला-धमतरी
112.	कुरुद	मेसर्स कृष्णा फुड्स, ग्राम-मदरौद, कुरुद, जिला-धमतरी
113.	कुरुद	मेसर्स जय अम्बे राईस मिल, कुरुद, जिला-धमतरी
114.	कुरुद	मेसर्स जगदम्बा राईस मिल, कुरुद, जिला-धमतरी
115.	कुरुद	मेसर्स आनन्द राईस मिल, ग्राम-मदरौद, जिला-धमतरी
116.	कुरुद	मेसर्स महेश्वरी राईस इण्डस्ट्रीज, चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी
117.	कुरुद	मेसर्स श्री अमृत राईस मिल, भरदा रोड, कुरुद, जिला-धमतरी
118.	कुरुद	मेसर्स श्री शिवम इण्डस्ट्रीज, ग्राम-चरमुडिया कुरुद, जिला-धमतरी
119.	कुरुद	मेसर्स पिताम्बरा पेड्डी परबायलिंग, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी
120.	कुरुद	मेसर्स रुचि पेड्डी परबायलिंग, ग्राम-कुरुद, जिला - धमतरी
121.	कुरुद	मेसर्स मूर्ति राईस मिल, चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी
122.	कुरुद	मेसर्स आनंद राईस मिल, ग्राम-मनरौद, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी
123.	कुरुद	मेसर्स नाहर पेड्डी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कोसरेंगी, भखारा, जिला-धमतरी
124.	कुरुद	मेसर्स आध्या फूड्स, ग्राम- कुरुद, तहसील- कुरुद, जिला- धमतरी
125.	कुरुद	मेसर्स जगत एग्रो, मेगा फूड पार्क, ग्राम-बगौद, तह.-कुरुद, जिला- धमतरी
126.	कुरुद	मेसर्स एस.एस. इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया फुड पार्क बगौद, सेक्टर 1, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी
127.	कुरुद	मेसर्स शांति एफआरके राईस फूड, ग्राम-सेमरा, भखारा, जिला-धमतरी
128.	कुरुद	मेसर्स श्री केसर राईस मिल, ग्राम-कोसमरा, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी
129.	कुरुद	मेसर्स आशीष चांवल उद्योग, ग्राम- भदेली, भखारा, तहसील-कुरुद, जिला- धमतरी
130.	कुरुद	मेसर्स अन्नपूर्णा एग्रो, ग्राम-भोथली, कुरुद, जिला-धमतरी
131.	कुरुद	मेसर्स श्री रोशन राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भखारा, कुरुद, जिला-धमतरी
132.	कुरुद	मेसर्स पारेख राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सिलहद, भखारा, जिला-धमतरी
133.	कुरुद	मेसर्स सर्वमंगला राईस मिल, ग्राम-पुरेना, जिला-धमतरी
134.	कुरुद	मेसर्स कनक राईस मिल, ग्राम-पुरेना, जिला-धमतरी
135.	कुरुद	मेसर्स श्री तिरुपति बालाजी राईस मिल, कुरुद, भोथलीरोड, जिला-धमतरी
136.	कुरुद	मेसर्स बजाज एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-भोथली, जिला-धमतरी
137.	कुरुद	मेसर्स जैन राईस (राईस प्रोसेसिंग यूनिट), ग्राम-कुर्रा, जिला-धमतरी
138.	नगरी	मेसर्स श्री साई कृपा चांवल उद्योग, बांसपारा, कुकरेल, जिला-धमतरी
139.	नगरी	मेसर्स अरुणोदय फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, दरगहन, जिला-धमतरी
140.	नगरी	मेसर्स अंबिका राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम- कुकरेल, नगरी, जिला-धमतरी
141.	नगरी	मेसर्स विकास राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-नगरी, जिला-धमतरी
142.	नगरी	मेसर्स जयश्री राईस मिल, ग्राम-दरगहन, जिला-धमतरी
143.	नगरी	मेसर्स राठी राईस इण्डस्ट्रीज, मेन रोड आमदी, जिला-धमतरी
144.	नगरी	मेसर्स राठी राईस मिल, मेन रोड आमदी, जिला-धमतरी
145.	नगरी	मेसर्स रजा राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-गेदरा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी

146.	नगरी	मेसर्स रजत इन्टरप्राइजेस, ग्राम-सियादेही, नगरी, जिला-धमतरी
147.	नगरी	मेसर्स सीता राईस मिल, पारसपानी, तहसील-नरारी, जिला- धमतरी
148.	नगरी	मेसर्स गजराज एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम- गढडोंगरी माल, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी
149.	नगरी	मेसर्स सूर्या राईस मिल, ग्राम-देवपुर, नगरी, जिला-धमतरी
150.	नगरी	मेसर्स मीरा राईस मिल, ग्राम-नगरी, धमतरी, जिला-धमतरी
151.	नगरी	मेसर्स अन्नापूर्णा एग्रोटेक, ग्राम-सियादेही, जिला-धमतरी
152.	नगरी	मेसर्स श्री गणेश एग्रोटेक, ग्राम-खडपथरा नगरी, धमतरी, जिला-धमतरी
153.	नगरी	मेसर्स सिहावा राईस मिल, सिहावा नगरी धमतरी, जिला-धमतरी
154.	नगरी	मेसर्स महाकाल राईस मिल, ग्राम-मोहलाई, जिला-धमतरी
155.	नगरी	मेसर्स तिरूपति राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सिरोदखुर्द, जिला-धमतरी
156.	नगरी	मेसर्स परमेश्वरी राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-आमदी, जिला-धमतरी
157.	नगरी	मेसर्स विष्णु राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम- अमदी, तहसील एवं जिला- धमतरी
158.	नगरी	मेसर्स विधांचल एग्रोटेक, ग्राम-आमदी, जिला-धमतरी
159.	नगरी	मेसर्स सर्वमंगला न्यूट्रीफूड्स, ग्राम-आमदी, जिला-धमतरी
160.	नगरी	मेसर्स साक्षी गोपाल राईस मिल, ग्राम-सांकरा, भीथली, जिला-धमतरी
161.	नगरी	मेसर्स अरूणोदय फूडस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-दरगहन, जिला-धमतरी
162.	नगरी	मेसर्स ए.जे. इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सांकरा, तहसील व जिला- धमतरी
163.	नगरी	मेसर्स सीता एग्रोटेक, ग्राम-परसापानी, तहसील -नगरी, जिला-धमतरी
164.	नगरी	मेसर्स सीता राईस मिल, ग्राम-परसापानी, नगरी, जिला-धमतरी
165.	नगरी	मेसर्स राम मोहन इण्डस्ट्रीज, ग्राम-डोंगरडूला, तह.-नगरी, जिला-धमतरी
166.	नगरी	मेसर्स न्यू पूजा राईस मिल, प.ह.नं. - 23, खसरा नं. - 1101/2, ग्राम- सिहाबा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी
167.	मगरलोड	मेसर्स गिरधर साहू, ग्राम-चारभाठा, जिला-धमतरी
168.	मगरलोड	मेसर्स डी.एम.एच. एग्रोटेक, ग्राम-अमलीडीह, मगरलोड, जिला-धमतरी

52.  
12-3-25  
छत्तासगढ़ शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

## प्रपत्र-ब

वर्ष 2023-24 से दिनांक 15/02/2025 तक की अवधि में धमतरी जिले में राईस मिलों के किये गए निरीक्षण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायत का विवरण	राईस मिल का नाम	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	राईस मिल के खिलाफ कार्यवाही एवं फसल नुकसान मुआवजा राशि हेतु।	मेसर्स श्री शिवम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- चरमुडिया, तहसील- कुरुद, जिला-धमतरी	10/02/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		श्री सुन्दरम परबायलिंग, ग्राम-चरमुडिया, तहसील- कुरुद, जिला-धमतरी	10/02/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	राईस मिलों व कारखानों को शहर से दूर करने के संबंध में।	मेसर्स अशोक राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13/09/2024	डस्ट कलेक्टर एवं सॉयक्लोन स्थापित नहीं पाया गया, चिमनी से अत्यधिक उत्सर्जन अवलोकित किया गया एवं ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 29/09/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया।
			25/10/2024	जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		मेसर्स हरिओम धान कुटाई केन्द्र, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13/09/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		मेसर्स खण्डेलवाल राईस मिल इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13/09/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		मेसर्स सरस्वती ट्रेडिंग, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13/09/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		मेसर्स शाकंबरी राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13/09/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		मेसर्स शेखर पैड्डी, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13/09/2024	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		मेसर्स श्री बालाजी राईस मिल, ग्राम-हटकेश्वर, इण्डस्ट्रीयल, वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13/09/2024	डस्ट कलेक्टर एवं सॉयक्लोन स्थापित नहीं पाया गया एवं ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 20/09/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
			28/10/2024	जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

53-  
12/2-25  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

## पॉरीशेष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क. 2157) की जानकारी

'प्रपत्र-अ'

## प्रश्नांश 'क' की जानकारी


क्र.	संचालित योजना का नाम
1	छात्रावास आश्रम योजना
2	ऑनलाईन शिष्यवृत्ति योजना
3	छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना
4	स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना
5	छात्र भोजन सहाय योजना (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
6	खाद्यान सुरक्षा योजना
7	गुरुकुल आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास
8	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
9	विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु आवासीय विद्यालय
10	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना
11	क्रीडा परिसर योजना
12	ऑन लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
13	बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना
14	हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना
15	आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना
16	देवगुडी निर्माण/मरम्मत योजना
17	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत योजना
18	सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोक कला महोत्सव
19	राजीव युवा उत्थान योजना एवं ट्रायबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली
20	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री. मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना
21	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
22	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
23	पीएम जनमन योजना
24	नियद नेल्लानार योजना
25	वन अधिकार पट्टा
26	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण
27	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति
28	रविदास चर्मशिल्प योजना
29	अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
30	मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण
31	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना
32	प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम
33	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान



अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

'प्रपत्र-ब'  
प्रश्नांश 'ख' की जानकारी

क.	जिला का नाम	जिलो को आबंटित राशि (लाखों में)	
		वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1	2	3	4
1	रायपुर	1820.54	3150.04
2	गरियबांद	1232.16	2090.21
3	बलौदाबाजार	1945.3	1230.25
4	महासमुंद	1397.38	1547.19
5	धमतरी	1082.79	1285.28
6	दुर्ग	1338.99	1141.1
7	बालोद	874.29	1464.33
8	बेमेतरा	467.68	455.29
9	राजनांदगांव	1703.64	2014.32
10	मोहला मा.अ.चौकी	268.62	1008.56
11	खैरागढ़ खु.गं.	254	230.05
12	कबीरधाम	1725.65	2037.67
13	बिलासपुर	1575.73	1921.46
14	गौरेला पे.मर.	1221.1	1974.72
15	मुंगेली	1130.62	866.08
16	जांजगीर चांपा	1435.99	824.78
17	सक्ती	129.51	889.01
18	कोरबा	2159.43	3343.67
19	रायगढ़	2967.03	4182
20	सारंगढ़	821.75	1722.96
21	जशपुर	5891.16	5134.99
22	सरगुजा	4398.16	4390.01
23	सूरजपुर	7262.66	3704.72
24	बलरामपुर	3506.13	5288.88
25	कोरिया	2757.34	1535.13
26	मनेन्द्रगढ़ वि.भ.	0	926.11
27	जगदलपुर	4392.38	6213.69
28	सुकमा	3561.27	3055.8
29	कोण्डागांव	2303.4	3721.15
30	नारायणपुर	2839.39	2584.31
31	बीजापुर	6276.6	7949.32
32	दंतेवाड़ा	3147.47	3873.61
33	कांकेर	2835.98	4630.99

  
 अमुभाग अधिकारी  
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मंत्रालय, नया रायपुर

## परोक्षेष्ट - चोवन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2164) की जानकारी

प्रदेश में मिट्टी नमूनों की जांच हेतु स्थापित प्रयोगशालाओं की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला का नाम	स्थापित तैब का पता	तैब हेतु पद का विवरण						वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	योग
			स्वीकृत	मंरे / कार्यरत	रिक्त	वर्ष	वर्ष	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	रायपुर	कार्यालय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला लामाण्डी, रायपुर	9	6	3	0	2900	2900			
2		कार्यालय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, द्वितीय तल (उदरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लामाण्डी) रायपुर	6	4	2	155	3099	3254			
3	बलौदाबाजार	कार्यालय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, (विभागीय) कृषि उपज मंडी प्रांगण बलौदाबाजार	8	4	4	251	6900	7151			
4		मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, (मंडी) कृषि उपज मंडी प्रांगण बलौदाबाजार	6	3	3	0	1000	1000			
5	गरियाबंद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला गरियाबंद छ.ग.	8	1	7	0	4000	4000			
6	महारासमुन्द	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, लमराखुर्द जिला-महारासमुन्द	8	2	6	1236	5945	7181			
7		कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, मंडी तैब, जिला-महारासमुन्द	6	2	4	0	0	0			
8	धमलरी	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, उष पत्नीयक कार्यालय के सामने, जिला-धमलरी छ.ग.	10	7	3	382	7058	7440			
9		कार्यालय सहायक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, तातपुरी हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पीछे रूजाबाघ दुर्ग, जिला-दुर्ग	9	8	1	325	4129	4454			
10	दुर्ग	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला मण्डी परिसर, जिला-दुर्ग	6	3	3	0	0	0			
11	बालोद	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मंडी परिसर, बालोद, जिला-बालोद	6	3	3	0	5300	5300			
12	बैतला	सहायक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मण्डी परिसर) बैतला छ.ग.	6	4	2	0	4000	4000			
13	राजनांदगाव	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, कौरिनवाला, राजनांदगाव	9	6	3	1892	6000	7892			
14		कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, मंडी, राजनांदगाव	6	2	4	2418	3000	5418			
15	कबीरखाम	कार्यालय सहायक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, सोटिया, जिला-कबीरखाम	8	3	5	0	4000	4000			
16		चरित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जिला-कबीरखाम	6	2	4	0	0	0			
17	बिलासपुर	सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी तिलक नगर बिलासपुर	9	5	4	162	4346	4508			
18		सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी तोरवा बिलासपुर	6	6	0	0	2901	2901			
19	मुंगेली	कार्यालय, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, धरमपुरा, मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)	8	5	3	37	3800	3837			

क्र.	जिला का नाम	स्थापित लेब का पता	लेब हेतु पद का विवरण				विगत 2 वर्षों में विश्वरक्षित मृदा नमूना संख्या		
			स्वीकृत	भरे / कार्यरत	रिक्त	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	जानगीर-बांया	कार्यालय, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, पटेल गॉडन के भवन, ब्लॉक कालोनी जानगीर, जिला-जानगीर बांया	10	8	2	0	6000	6000	
21	सक्की	कार्यालय, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, मंडी प्रांगण नंदलीमाटा, सक्की, जिला-सक्की	6	4	2	0	4000	4000	
22	कोरवा	चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोरवा	5	3	2	0	6000	6000	
23	रायगढ़	स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला पटेलवाली रायगढ़	6	5	1	0	9200	9200	
24	सरगुजा	कार्यालय, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, नंगपुर खुर्द, अधिकारपुर	9	6	3	0	7000	7000	
25	सूरजपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, उतपारा रोड सूरजपुर जिला-सूरजपुर छ.ग.	8	4	4	0	6010	6010	
26	बलरामपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मंडी परिसर, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज	6	2	4	0	6000	6000	
27	जशपुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जशपुर	0	0	0	0	6500	6500	
28	कौरिया	स्थाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, उष संवालय कृषि परिसर, आचार्य बौध के पास बैकुण्ठपुर, जिला-कौरिया	0	0	0	0	4814	4814	
29	बस्तर	स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कुकरसरगढ़, जगदलपुर	9	6	3	0	8300	8300	
30	कोण्डगांव	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोण्डेडा, कोण्डगांव, (छ.ग.)	8	5	3	0	5008	5008	
31	नारायणपुर	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (शा.कृषि क्षेत्र परिसर) केरलापाल, जिला नारायणपुर (छ.ग.)	0	0	0	0	2000	2000	
32	दंतोवाड़ा	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, श्रीआर.ओ. कैम्पस, हारस, गीतम जिला-दंतोवाड़ा	8	4	4	0	8802	8802	
33	सुकमा	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सुकमा (जस्थाई)	0	0	0	0	3000	3000	
34	बीजापुर	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जगद पंचायत परिसर, बीजापुर	0	0	0	0	0	0	
35	कांकेर	कार्यालय, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, कांकेर	7	4	3	0	9008	9008	
<b>योग</b>			<b>222</b>	<b>127</b>	<b>95</b>	<b>6858</b>	<b>160020</b>	<b>166878</b>	

टीप-1. जिला-कौरियाम में (सरल क्र. 16) चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत दो प्रयोगशाला सहायक, स्थाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जिला-कौरियाम में सलान है।

- कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, मंडी लेब, जिला-महासमुंद्र (सरल क्र. 07) का भवन कृषि उपज मंडी द्वारा अपने आधिपत्य में लेने के कारण खाती करवा गया वर्तमान में उपकरण विभागीय लेब में है।
- जिला-कांकेर में चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का स्वीकृत सेटअप के द्वारा स्थाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को संवाचित किया जा रहा है।

हस्ता/-

(विश्वरक्षित प्रिंटर)  
उष संवित  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
नया जेठ प्रौद्योगिकी विभाग  
कांकेर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन

नोडल अधिकारी (वि.स.)  
संवालय कृषि  
छ.ग. रायपुर

## पौरेशिष्ट - पंचपन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2165) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश 'क' की जानकारी

क्र.	छात्रावास/वाश्रम का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	संचालन की स्थिति					रिमांक
				स्वयं का मवन/मवन विहीन	संचालन की स्थिति	जर्जर मवन	नवीन अहाता	जनवरी 2025 की स्थिति में अनुसूक्षण/रिपेयरिंग की आवश्यकता	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बिल्हा	50	50	स्वयं का मवन	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास बिल्हा के मवन में संचालित। प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बिल्हा प्री.मै. आदिवासी जाति कन्या छात्रावास के मवन में संयुक्त रूप से संचालित है।	अत्यधिक जर्जर	-	-	अत्यधिक जर्जर होने के कारण नवीन मवन बनाए जाने हेतु कार्य प्रस्तावित किया गया है
2	प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बिल्हा	50	40	स्वयं का मवन	-	-	-	अनुसूक्षण/रिपेयरिंग की आवश्यकता जनवरी 2025 की स्थिति में	-
3	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बोडसर	50	47	मवन विहीन	सतनाम मवन में संचालित	-	अहाता की आवश्यकता	-	40.00 लाख की डोरमैट्रिक मवन स्वीकृत डी.एम.एफ. मद में किया गया है जिसकी निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग बिलासपुर को बनाया गया है
4	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बिल्हा	50	58	स्वयं का मवन	-	-	-	-	-
5	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिल्हा	50	60	स्वयं का मवन	-	-	-	-	-
6	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिल्हा	50	50	स्वयं का मवन	-	-	-	-	-
7	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बिल्हा	50	50	स्वयं का मवन	-	-	-	-	-
	योग	350	355						



अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
पंचालय, गवा रायपुर, अटल नगर

## परोशेष्ट - छप्पन

अताराकेत प्रश्न संख्या 28 (क. 2202) की जानकारी

## प्रपत्र- 'अ'

प्रश्नांश "क" की जानकारी

क.	संचालित योजना का नाम
1	छात्रावास आश्रम योजना
2	ऑनलाईन शिष्यवृत्ति योजना
3	छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना
4	स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना
5	छात्र भोजन सहाय योजना (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
6	खाद्यान सुरक्षा योजना
7	गुरुकुल आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास
8	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
9	विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु आवासीय विद्यालय
10	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना
11	क्रीडा परिसर योजना
12	ऑन लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
13	बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना
14	हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना
15	आदिवासी सांस्कृतिक दलो को सहायता योजना
16	देवगुडी निर्माण/मरम्मत योजना
17	अनुसूचित जाति और अनु.जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत योजना
18	सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोक कला महोत्सव
19	राजीव युवा उत्थान योजना एवं ट्रायबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली
20	आदिम जाति तथा अनु. जाति प्री. मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना
21	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
22	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
23	पीएम जनमन योजना
24	नियद नेल्लानार योजना
25	वन अधिकार पट्टा
26	सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
27	बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
28	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
29	छ.ग.राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
30	आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना

  
**अनुभाग अधिकारी**  
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र "ब"

नांश "ख" की जानकारी

गैर अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत् आदिवासियों के लिये शासन के संचालित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत राशि की जानकारी  
(01 जनवरी से फरवरी 2025 की तक)

क्र	जिला का नाम	योजना का नाम	आबंटित राशि (राशि रु लाख में)
1	बिलासपुर	मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय योजना	45.71
		छात्र भोजन सहाय योजना	39.72
		विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	0.57
		युवा कैरियर निर्माण योजना	43.84
		आदि संस्कृति का परि.एवं विकास-(देवगुड़ी)	1.50
		आदि संस्कृति का परि.एवं विकास-	0.96
		व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं (10-009)(नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अनुदान)	54.13
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	5.60
		<b>योग</b>	<b>192.03</b>
2	रायगढ़	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ऑनलाईन)	239.96
		शिष्यवृत्ति (ऑनलाईन)	34.75
		छात्र भोजन सहाय योजना	38.81
		विशेष कोचिंग	0.54
		स्वस्थ तन-स्वस्थ मन	0.09
		पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	0.80
		नर्सिंग प्रशिक्षण योजना	2.89
		शहीद वीर नारायण जयंती	0.48
		अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत (राहत) योजना	9.62
		वन अधिकार अधिनियम 2006	18.71
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	0.60
		<b>योग</b>	<b>347.25</b>
3	रायपुर	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ऑनलाईन)	944.59
		प्री. मैट्रिक छात्रावास/आश्रम	38.99
		पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	83.10
		पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	128.61
		अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत (राहत) योजना	297.00
		युवा कैरियर निर्माण योजना	12.00
		नि:शुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण	29.76
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	3.00
<b>योग</b>	<b>1537.05</b>		
4	धमतरी	वन अधिकार अधिनियम 2006 (सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना)	5.36
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	2.70
<b>योग</b>	<b>8.06</b>		

क्र	जिला का नाम	योजना का नाम	आबंटित राशि (राशि रु लाख में)
5	दुर्ग	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (ऑनलाईन)	ऑनलाईन भुगतान
		पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	54.21
		विशेष कोचिंग योजना	2.45
		युवा कैरियर निर्माण योजना (पी.एस.सी. कोचिंग)	31.23
		निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण	50.23
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	1.30
		<b>योग</b>	<b>139.42</b>

6	बेमेतरा	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	97.74
		विशेष कोचिंग योजना	0.32
		अनुसूचित जनजाति लोककला महोत्सव	0.12
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	1.00
		<b>योग</b>	<b>99.18</b>

7	मुंगेली	वन अधिकार अधिनियम 2006 (सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना)	3.81
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	2.40
		<b>योग</b>	<b>6.21</b>

8	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	वन अधिकार अधिनियम 2006 (सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना)	1.88
---	----------------------	--	------

9	बालोद	देवगुडी निर्माण/मरम्मत	18.00
		मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	30.00
		वन अधिकार अधिनियम 2006 (सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना)	4.78
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	6.60
		<b>योग</b>	<b>59.38</b>

10	सक्ती	देवगुडी निर्माण/मरम्मत	1.50
		मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	20.00
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	2.80
		<b>योग</b>	<b>24.30</b>

11	राजनांदगांव	वन अधिकार अधिनियम 2006 (सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना)	3.01
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	4.40
		<b>योग</b>	<b>7.41</b>

12	महासमुन्द	देवगुडी निर्माण/मरम्मत	2.00
		मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	30.00
		पीएम जनमन योजना	3976.43
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	3.30
		<b>योग</b>	<b>4011.73</b>

क्र	जिला का नाम	योजना का नाम	आबंटित राशि (राशि रु लाख में)
13	बलौदाबाजार-भाटापारा	वन अधिकार अधिनियम 2006 (सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना)	4.53
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	3.90
		<b>योग</b>	<b>8.43</b>
14	जांजगीर-चांपा	वन अधिकार अधिनियम 2006 (सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना)	1.25
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	2.00
		<b>योग</b>	<b>3.25</b>

15	कबीरधाम	मेघावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय योजना	45.89
		छात्र भोजन सहाय योजना	25.58
		विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	1.90
		युवा कैरियर निर्माण योजना	53.85
		आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (देवगुड़ी)	15.00
		आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास सहायता	1.00
		व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना, निशुल्क नर्सिंग योजना	0.67
		स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना	4.84
		छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	6.30
		<b>योग</b>	<b>155.03</b>
16	सारंगढ़-बिलाईगढ़	छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	0.90
		छात्र भोजन सहाय योजना	69.43
		विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	11.05
		आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास सहायता	2.64
		स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना	17.84
		<b>योग</b>	<b>101.86</b>
17	गरियाबंद	छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत आदिवासी स्वरोजगार योजना	6.60
		विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	0.13
		आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (देवगुड़ी)	4.50
		<b>योग</b>	<b>11.23</b>

  
**अनुभाग अधिकारी**  
**आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग**  
**मंत्रालय, नया रावपुर**

## पॉरीशेष्ट - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2212) की जानकारी

## प्रपत्र-अ

पूर्ण रूप से विकसित आवासीय योजनाओं के आवास विक्रय की जानकारी

क्र .	योजना का नाम	भवन का प्रकार	कुल निर्मित भवन/ फ्लैट की संख्या	विक्रित भवन/ फ्लैट की संख्या	रिक्त भवन/फ्लैट की संख्या
1	सामान्य आवास योजना, मण्डीनाका, हटकेशर, धमतरी	HIG	59	59	0
		Sr. MIG	90	90	0
		Jr. MIG	19	19	0
		LIG	54	54	0
		EWS	144	144	0
	<b>Total</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	
2	सामान्य आवास योजना, परिजात् हाईट्स, नीलगिरी हाईट्स एवं गुलमोहर हाईट्स हटकेशर, धमतरी	MIG Flat	18	6	12
		LIG Flat	12	8	4
		Shop	41	41	0
		Office Hall	15	06	9
		<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>61</b>	<b>25</b>
3	पं. दीनदयालपुरम, हटकेशर धमतरी	Sr. MIG	10	10	0
		Sr. MIG	8	8	0
		LIG	24	24	0
		EWS	10	10	0
		<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
4	दीनदयाल आवास योजना, श्यामतराई, जिला-धमतरी	LIG	131	131	0
		<b>Total</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>0</b>
5	अटल विहार योजना, पोटियाडीह, जिला-धमतरी फेस- 01, 02, 03	Jr. HIG	5	5	0
		Sr. MIG	4	4	0
		Jr. MIG	14	14	0
		LIG	90	90	0
		EWS	52	52	0
		<b>Total</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>
6	अटल आवास योजना, ग्राम- कन्हारपुरी तह.- कुरूद, जिला-धमतरी	Atal Awas	118	102	16
		<b>Total</b>	<b>118</b>	<b>102</b>	<b>16</b>
	कुल संख्या		918	877	41

  
 सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय

पर्यावास भवन सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)


## आवासीय भवन/व्यावसायिक दुकान क्रय करने हेतु नियम/ शर्तें

1. EWS भवनो के पंजीयन हेतु आवेदन शुल्क रू. 200/-, LIG भवन हेतु रू. 300, MIG हेतु रू. 1000/- एवं दुकान हेतु रू. 1200/- निर्धारित है, जिसे ऑनलाईन आवेदन के समय धरोहर राशि के साथ ऑनलाईन भुगतान करेंगे।
2. नियमानुसार EWS भवन हेतु रू. 25000/-, LIG भवन हेतु रू. 50000/- व अन्य (MIG भवन व दुकान) हेतु घोषित मूल्य की 10% राशि ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ (NEFT/RTGS /NET BANKING/DEBIT CARD/CREDIT CARD/UPI) के माध्यम से जमा किया जावेगा। धरोहर राशि प्राप्त होने पर ही आवेदन/ ऑफर स्वीकार किया जावेगा, नियत समयावधि में सम्पूर्ण धरोहर राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पंजीयन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. LIG के लिए आवेदक की वार्षिक आय सीमा रू. 6,00,000/- तक (रुपये छः लाख तक) (अधिकतम) एवं EWS के लिए वार्षिक आय सीमा रू. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख तक) (अधिकतम) पात्रता माप दण्ड है। LIG एवं EWS के हितग्राहियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
4. (अ) नवीन परियोजनाओं में आरक्षण हेतु प्रावधान- भवन का आबंटन मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। जिसमें (1) अनु.जनजाति 4 % (2) अनुसूचित जाति 6% (3) पिछड़ा वर्ग 6 % (4) मंडल कर्मचारी 1% (5) स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों के लिए 1% (6) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (7) दिव्यांग (PWD) के लिए 3% (8) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (9) तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित 2% (10) पत्रकार 2% (11) शासकीय कर्मचारी (रायपुर हेतु) 5% (12) शासकीय कर्मचारी (अन्य नगर हेतु) 3% आरक्षित वर्ग में आबंटन किया जावेगा।  
(ब) आवेदक द्वारा ऑनलाईन पंजीयन करते समय यदि आरक्षित वर्ग का चयन करता है तो वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
5. ऑफर के माध्यम से विक्रय हेतु उपलब्ध संपत्तियों हेतु प्राप्त उच्चतम ऑफर का निर्णय प्रत्येक 15 दिवस पश्चात् प्रदान किया जावेगा व उक्त समय तक धरोहर राशि बिना ब्याज के मण्डल के पास जमा रहेगी।
- 6.
7. ऑफर में प्राप्त उच्चतम ऑफर वाले व्यक्ति की ही धरोहर राशि मण्डल अपने पास रखेगी व अन्य ऑफरकर्ताओं की राशि ऑफर खोलने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।
8. ऑफर स्वीकृति/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा व इसका कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
9. धरोहर राशि भवन/दुकान के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन/ऑफर स्वीकृत होने के पश्चात यदि हितग्राही द्वारा जमा राशि वापस मांग की जाती है तो जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी, एवम शेष जमा राशि (यदि जमा किया गया हो तो) बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

10. ऑफर आधार पर आबंटित संपत्ति हेतु ऑफर स्वीकृति के उपरांत ऑफर की शेष राशि मण्डल द्वारा निर्धारित भुगतान तालिका/किशतों के अनुसार जमा करना होगा, विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार ब्याज आबंटी को देय होगा या आबंटन आदेश निरस्त किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. हितग्राही को भवन/दुकान का आधिपत्य भवन निर्माण पूर्ण होने पर दिया जावेगा अथवा अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में दिया जावेगा। आबंटित संपत्ति हेतु मण्डल द्वारा योजना कार्यदिश जारी होने के 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जावेगी। योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किशतों का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे।
12. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन/निर्मित भूखण्डों एवं भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा एवं फ्री-होल्ड की कार्यवाही आबंटी स्वयं के व्यय से करेंगे।
13. उक्त योजना छ0 ग0 रेरा एवं मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तों को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा। योजना अवधि में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई नया कर/ शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो आवेदक को भारित किया जावेगा, जो आवेदक द्वारा देय होगा।
14. आबंटित भवन यदि कार्नर या ब्रेटर लोकेशन पर हो तो मंडल नियमानुसार कार्नर लोकेशन/ब्रेटर लोकेशन शुल्क पृथक से देय होगा।
15. भवन के डिजाईन तथा स्पेसिफिकेशन मण्डल द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गए स्पेसिफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए मण्डल स्वतंत्र है, इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
16. निर्माण पूर्णता पश्चात् अंतिम आबंटन आदेश के अनुसार भवन/दुकान का संपूर्ण राशि 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा एवं संपूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् ही सेलडीड/लीजडीड (रजिस्ट्री) की कार्यवाही की जावेगी तथा सेलडीड/ लीजडीड निष्पादित होने के उपरांत एवं पंजीकृत सेलडीड/लीजडीड की सत्याप्रति प्रस्तुत करने पर ही भौतिक आधिपत्य सौंपा जायेगा।
17. निर्माण पूर्णता पश्चात् आधिपत्य आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिन के अंदर भवन का भौतिक आधिपत्य आबंटी को लेना अनिवार्य है। 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् स्वमेव भौतिक आधिपत्य लिया हुआ माना जावेगा कि आबंटी द्वारा भवन का भौतिक आधिपत्य ले लिया गया है तथा देखरेख एवं रखरखाव की पूर्ण जवाबदारी आबंटी की होगी। मण्डल द्वारा 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् भवनों का रखरखाव/ मरम्मत कार्य नहीं किया जावेगा। आबंटी यथा स्थिति में भवन रखने हेतु बाध्य होगा। इस अवधि के पश्चात् पृथक से भौतिक आधिपत्य की आवश्यकता नहीं होगी।
18. (अ) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य में अग्रिम लीजरेन्ट, भू-संधारण शुल्क, अन्य प्रभार जो आबंटन की तिथि में प्रभावशाली है, समाहित है।  
(ब) हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
19. पंजीयन एवं किशतों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी।
20. आबंटित संपत्ति हेतु योजना अंतर्गत आबंटित भूखण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रु. 50/- के नान-ज्यूडिषियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारूप में आबंटी को देना होगा।
21. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
22. ऐसी योजना/ योजनाएं जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/ योजनाएं ली जानी मण्डल हित में नहीं होगी, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि छ.ग रेरा एवं मंडल नियमानुसार उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।

23. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/ हानि/ मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर हैं, जानते हुए भवनों का आबंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
24. भवनो/दुकानों हेतु नगर निगम/स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर भी नियमानुसार देय होंगे।
25. इस आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।
26. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर एवं छ0 ग0 रेरा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
27. मण्डल द्वारा कॉलोनी का रखरखाव तथा जलप्रदाय, सीवर लाईन, रोड नाली की साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाईट आदि संपदा अधिकारी द्वारा प्रथम आधिपत्य आदेश जारी होने के तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक किया जावेगा।
28. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कॉलोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त हितग्राहियों, चाहें वे स्वतंत्र भवन या प्रकोष्ठ भवन के हितग्राही हो मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों की सामूहिक व्यवस्थाओं के रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 5% अतिरिक्त राशि ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा। मण्डल द्वारा 05 साल के पश्चात् किसी भी स्थिति में कॉलोनी रख-रखाव का कार्य नहीं किया जायेगा।
29. (अ) आबंटि आधिपत्य पश्चात् आवासीय परिसर की समिति का सदस्य बनने के लिए सहमत होगा।  
(ब) समिति गठन हेतु मण्डल के आधिकारी से समन्वय कर निर्मित भवनों में 51% व्यक्तियों द्वारा अधिपत्य प्राप्त होने के तिथि 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन अनिवार्य होगा तथा 51% अधिपत्य पश्चात् 05 वर्ष की अधिकतम समयबधि के लिए संधारण हेतु मण्डल उत्तरदायी होगा।
30. 03 वर्ष के भीतर समिति का गठन नहीं होने पर आबंटियों के मध्य से प्रथम 10 आबंटित सदस्यों को कॉलोनी वासियों की समिति का कार्यवाही सदस्य मानते हुए मण्डल के अधिकारी द्वारा पहल करते हुए, उक्त समिति का गठन कर निर्धारित प्रावधानों के पूर्ण कराया जावेगा।
31. समिति गठन होने के पूर्व जब तक कॉलोनी में मण्डल द्वारा जल प्रदाय एवं भू-संधारण/रख-रखाव किया जावेगा तब तक समस्त आबंटि मण्डल द्वारा निर्धारित जलकर एवं भू-संधारण शुल्क छ.ग. गृह निर्माण मण्डल को देने हेतु बाध्य रहेंगे। यदि आबंटि द्वारा लगातार तीन माह तक जलकर एवं भू-संधारण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो नल कनेक्शन काटने हेतु मण्डल स्वंत्रत रहेगा। जलकर एवं भू-संधारण शुल्क में ब्योतरी/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा। संशोधित शुल्क समस्त आबंटियों को मान्य रहेगा।
32. आवेदक द्वारा भवन का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य एवं दुकानो का उपयोग केवल व्यवसायिक उद्देश्य हेतु किया जावेगा।
33. आबंटि आबंटित भू-खण्ड से अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा नहीं करेगा अन्यथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
34. यदि आबंटित भूखंड से लगी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है तो आबंटि की मांग पर उस अतिरिक्त भूखंड की राशि भुगतान करने पर आबंटन की कार्यवाही की जावेगी। अतिरिक्त भूखंड आबंटन करने का सम्पूर्ण अधिकार मंडल के पास सुरक्षित होगा। यदि मंडल चाहे तो उक्त अतिरिक्त भूखंड किसी अन्य हितग्राही को भी आबंटित कर सकता है, मंडल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
35. आबंटि, मण्डल व स्थानीय निकाय से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किये बगैर भवन में किसी भी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन/परिवर्धन नहीं कर सकेगा। निर्माण के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर मण्डल द्वारा अनुमति/अनापत्ति दी जावेगी। तत्पश्चात् ही निर्माण वैध माना जावेगा।

36. आबंटित भवन लीज पर आबंटित है, मण्डल नियमानुसार लीज रेंट हितग्राही को देय होगा तथा मण्डल से अनुमति/अनापत्ति के बगैर आबंटित संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकेगा।
37. आबंटि द्वारा भवन/भू-खण्ड में अथवा कालोनी की भूमि पर मण्डल की अनापत्ति के बगैर बोर खनन नहीं किया जावेगा एवं ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा जिससे की सार्वजनिक हित के कार्य/सेवा में कमी होती हो/बाधित होती हो अथवा कमी होने की/बाधित होने की संभावना होती है। यदि ऐसा कोई भी कार्य आबंटि द्वारा किया जाता तो मण्डल उक्त कार्य को रोकने/बंद करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।
38. स्थानीय निकाय, राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क आदि प्रभारित किया जाता हैं तो वह भी पृथक से देय होंगे।
39. हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
40. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता, फोन नं./ मोबाईल नं., ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें, अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर मण्डल की जवाबदारी नहीं होगी।
41. हितग्राही अपने आवास में कम से कम दो पौधे अवश्य लगायें साथ ही सड़क या आवास के आस-पास लगाए गए पौधों की सुरक्षा का ध्यान आवश्यक रूप से देंगे।
42. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के टोल फ्री नंबर=1800-121-6313/ सूचना केन्द्र/संपदा अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं एवं मण्डल के वेबसाईट [www.cgmb.gov.in](http://www.cgmb.gov.in) में देखी जा सकती हैं।

  
**कार्यपालन अभियंता**  
 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
 संभाग धमतरी (छ.ग.)

## भाग क की जानकारी

क्रं.	जिला	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई		
		संचालनालय कृषि	संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	योग
1	रायपुर	1	0	1
2	बलौदाबाजार	8	1	9
3	महासमुंद	1	0	1
4	कबीरधाम	19	0	19
5	बिलासपुर	4	1	5
6	गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही	2	0	2
7	मुंगेली	11	2	13
8	जांजगीर	5	0	5
9	सक्ती	2	2	4
10	कोरबा	1	0	1
11	रायगढ़.	1	0	1
12	सारंगढ़	1	0	1
13	सूरजपुर	1	0	1
14	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	1	0	1
15	जशपुर	1	0	1
16	कोण्डागांव	2	0	2
17	दंतेवाड़ा	1	0	1
18	कांकेर	1	0	1
19	गरियाबंद	0	2	2
20	जगदलपुर	0	1	1
योग:-		63	9	72

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

भाग ग की जानकारी”

क्र.	जिला	नाम	पदनाम	नियुक्ति वर्ष	दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	महासमुंद	ऋचा दुबे	सहायक संचालक कृषि	2022	शिकायत के आधार पर संभागीय मेडिकल बोर्ड, एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. भीमराव स्मृति चिकित्सालय रायपुर से पुनः परीक्षण कराये जाने पर मेडिकल बोर्ड द्वारा "दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आती है एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र हेतु पात्र नहीं है" अभिमत दिया गया जिसके आधार पर छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा सुश्री दुबे को शासकीय सेवा से सेवामुक्त किया गया।
2	कबीरधाम	विवेन्द्र कुमार वर्मा	ग्रा.कृ.वि.अ.	2018	संभागीय मेडिकल बोर्ड, एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. भीमराव स्मृति चिकित्सालय रायपुर से पुनः परीक्षण कराये जाने पर दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम पाये जाने पर संचालनालय कृषि के आदेश क्रमांक /अ-7-ब/वि.जा. /03-19/825 दिनांक 17.01.2020 द्वारा श्री वर्मा को सेवा से पदच्युत(डिसमिस) किया गया।
3	कबीरधाम	कमलेश कुमार सेन	ग्रा.कृ.वि.अ.	2016	संभागीय मेडिकल बोर्ड, एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. भीमराव स्मृति चिकित्सालय रायपुर से पुनः परीक्षण कराये जाने पर दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम पाये जाने पर संचालनालय कृषि के आदेश क्रमांक/अ-7-ब/वि.जा. /03-19/823 दिनांक 17.01.2020 द्वारा श्री सेन को सेवा से पदच्युत(डिसमिस) किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध संबंधित द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 में संबंधित को सेवा में बहाल करने के निर्देश दिये गये जिसके परिपालन में संचालनालय कृषि के आदेश क्रमांक/अ-7-ब/वि.जा./03-19/903 दिनांक 08.11.2024 द्वारा श्री सेन को सेवा में बहाल किया गया।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## पॉरीशेष्ट - उन्सठ

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 33 (क. 2269) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' की जानकारी

वर्ष 2023-24

क्र०	मांग संख्या / मुख्यशीर्ष	योजना क्रमांक / नाम	वर्ष 2023-24 में प्राप्त आवंटन	व्यय	बस्तर जिले के हितग्राही / लाभान्वित की संख्या	विधानसभा क्षेत्र बस्तर के लाभान्वित हितग्राही की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	41-2202	2194-विशेष कोचिंग	1390000	108375	350	166
2	41-2202	6140-छात्र भोजन सहाय 11-007	20780000	20780000	1799	321
3	41-2202	307-अशासकीय संस्थाओं को अनुदान 14-001 V	3570000	3242696	634	-
4	41-2202	307-अशासकीय संस्थाओं को अनुदान 14-006 V				
5	41-2202	7592-खादयान्न सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छात्रावसियों को खादयान्न 25-005 भोजन व्यय	21015000	21015000	17734	3140
6	41-2202	5092-मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा	0	0	9	-
7	41-2225	7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना	5004598	4615990	63	-
8	41-2225	9853-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास (देवगुड़ी) विभागीय 14-002	4500000	4500000	30	6
9	41-2225	9853-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास (संस्कृतिक दलों को सहायता) 14-011	350000	350000	35	10
10	41-2225	9853-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास (वीर नारायण जंयती हेतु) 14-012	384000	384000	32 संस्था	13
11	41-2225	5601-बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्य	27031000	27031000	150	129 हितग्राही
12	41-4225	5601-बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत देवगुड़ी	38550000	38550000	118	90 देवगुड़ी
13		प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर	41965000	39500628	453	-
14		एकलव्य आवासीय विद्यालय जगदलपुर	103997312	103997312	1890	420
15		प्री.मैट्रिक छात्रावास अ.ज.जा. शिष्यवृत्ति	81707994	81707994	5383	1445
16		आश्रम शाला अ.ज.जा. शिष्यवृत्ति	111116348	111116348	7376	1168
17		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अ.ज.जा.	21403429	21403429	3176	539

वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 15.02.2025 तक

क्र०	मांग संख्या / मुख्यशीर्ष	योजना क्रमांक / नाम	वर्ष 2024-25 में प्राप्त आवंटन	व्यय	बस्तर जिले के हितग्राही / लाभान्वित की संख्या	विधानसभा क्षेत्र बस्तर के लाभान्वित हितग्राही की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	41-2202	2194-विशेष कोचिंग	1445000	1445000	3250	1550
2	41-2202	6140-छात्र भोजन सहाय 11-007	580000	580000	1813	340

3	41-2202	307-अशासकीय संस्थाओं को अनुदान 14-001 V	3975615	3868283	636	-
4	41-2202	307-अशासकीय संस्थाओं को अनुदान 14-006 V				
5	41-2202	7592-खादयान्न सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छात्रावसियों को खादयान्न 25-005 भोजन व्यय	21010000	21010000	15388	3304
6	41-2202	1395-छात्रावास-10-009 (स्वस्थ तन-स्वस्थ मन)	440000	440000	4367	4298
7	41-2202	495-आश्रम-10-009 (स्वस्थ तन-स्वस्थ मन)	845000	845000	5845	2590
8	41-2225	7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना	4498940	3663004	47	0
9	41-2225	6687-मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि- 14 -सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान	2165000	2165000	433	181
10	41-2225	9853-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास (देवगुड़ी) विभागीय 14-002	2250000	1350000	15	6
11	41-2225	9853-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास (संस्कृतिक दलों को सहायता) 14-011	350000	0	35	10
12	41-2225	9853-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास (वीर नारायण जंयती हेतु) 14-012	384000	384000	32 संस्था	13
13	41-2202	5092-मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा (जवाहर उत्कष योजना)	0	0	9	-
14	41-2225	5601-बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्य	2745000	2745000	650	-
15	41-4225	5601-बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत देवगुड़ी	11930000	11930000	21 देवगुड़ी	-
16		प्री.मैट्रिक छात्रावास अ.ज.जा. शिष्यवृत्ति	53379000	53379000	5943	1426
17		आश्रम शाला अ.ज.जा. शिष्यवृत्ति	68688000	68688000	7632	1168
18		प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर	48739000	22253991	454	-
19		एकलव्य आवासीय विद्यालय जगदलपुर (7)	112235000	112235000	2630	420
20		वन अधिकार पट्टा	0	0	41	41
21		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अ.ज.जा.	वर्तमान में अ.ज.जा. के प्रक्रिया के लिए पोर्टल राज्य स्तर से प्रारंभ नहीं किया गया है।		3618	552
22		जनजाति आदिवासी गौरव दिवस दिनांक 15.11.2024 श्यामाप्रसाद मुखर्जी टाऊन हॉल में आयोजित किया गया जिसमें 700 लोग सम्मिलित हुये	उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय के भुगतान के लिए 10.50 लाख आबंटन की मांग की गई है।		700	-

अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

## परिशेष - साठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2270) की जानकारी

जिला - बस्तर

जिला बस्तर अंतर्गत उद्यानिकी विभागान्तर्गत संवाहित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाएँ से लाभान्वित हितग्राही।

वर्ष 2024-25 (15.02.2025 की स्थिति में)

(वित्तीय राशि लाख में)

प्रपत्र-अ

क. योजना का नाम	घटक का नाम	इकाई	लक्ष्य		पूर्ति		कराये गये कार्य का नाम	प्रदान किया गया अनुदान राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय				
1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
			हाईब्रिड							
			बीज उत्पादन	10	5.250	9.4	4.935	-	4.935	9
			फल क्षेत्र विस्तार							
			इंजन फुट	20	2.122	7.2	0.764	फल क्षेत्र विस्तार कार्य	0.764	6
			अमरुद (द्वितीय वर्ष)	40	1.532	0	0.000	फल क्षेत्र विस्तार कार्य	0.000	0
			इंजन फुट (द्वितीय वर्ष)	25	0.878	0	0.000	फल क्षेत्र विस्तार कार्य	0.000	0
			अमरुद (तृतीय वर्ष)	38	1.455	0	0.000	फल क्षेत्र विस्तार कार्य	0.000	0
			इंजन फुट (तृतीय वर्ष)	36	1.264	0	0.000	फल क्षेत्र विस्तार कार्य	0.000	0
			सब्जी क्षेत्र विस्तार							
			गिण्टी	40	8.000	16.3	3.260	सब्जी उत्पादन कार्य	3.260	24
			कद्दुमयी	30	6.000	10.6	2.120		2.120	11
			बैंगन	70	14.000	13.9	2.780		2.780	16
			हरी मिर्च	40	8.000	38.1	7.620	सब्जी उत्पादन कार्य	7.620	33
पुष्प क्षेत्र विस्तार										
गेंदा	100	16.000	35.9	5.744	पुष्प उत्पादन कार्य	5.744	34			
मसाला क्षेत्र विस्तार										
धनिया	40	4.800	14.75	1.022	मसाला उत्पादन कार्य	1.022	26			
कालीमिर्च	5	1.000	5	0.400	मसाला उत्पादन कार्य	0.400	7			
प्लांटेशन क्षेत्र विस्तार										
काजू	100	12.000	36	2.725	प्लांटेशन कार्य	2.725	39			
काजू (द्वितीय वर्ष)		5.997	50.19	0.755		0.755	27			
काजू (तृतीय वर्ष)		86.61	3.464	0	0.000	0.000	0			

क. योजना का नाम	घटक का नाम	इकाई	लक्ष्य		पूर्ति		कार्ये गये कार्य का नाम	प्रदान किया गया अनुदान राशि (लाख में)	हिराग्राही संख्या	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	संरक्षित खेती								
		नेचुरल वैंडिलेटेड ट्यूबलर संरचना - सामान्य क्षेत्र पॉली हाउस (500 वर्गमीटर क्षेत्र तक)	वर्ग मी	4000	21,200	0	0,000	फसल संरक्षण कार्य	0,000	0
		शेडनेट हाउस निर्माण	वर्ग मी	30000	106,500	4000	14,200	फसल संरक्षण कार्य	14,200	2
		प्लास्टिक मलिनग	हे.	100	16,000	0	0,000	फसल संरक्षण कार्य	0,000	0
		यंत्रिकरण								
		पॉवर वीडर	सं.	40	27,580	8	5,040		5,040	8
		मानव संसाधन विकास मद								
		किसानों का प्रशिक्षण	सं.							
		राज्य के अंदर	सं.	100	3,000	0	0,000		0,000	0
		किसानों का भ्रमण	सं.							
		राज्य के बाहर	सं.	50	3,500	0	0,000		0,000	0
		प्रशिक्षण/स्टडी (तकनीकी स्टॉफ फील्ड)	सं.	4	0,012	0	0,000		0,000	0
		राज्य के अंदर	सं.	4	0,032	0	0,000		0,000	0
		एकीकृत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट	सं.	15	30,000	2	4,000	पैक हाउस निर्माण	4,000	2
	<b>योग</b>		<b>299,586</b>		<b>55,365</b>		<b>55,365</b>	<b>244</b>		
	सब मिशन और एग्री फारेस्ट्री	सं.	25900		5,000	25900	पौध उत्पादन	4,320	0	
	पौध रोपण	हे.				25,809	पौध रोपण	25,809		
	नेशनल मिशन और एडीबल	हे.	300		143	25,809	पौध रोपण	25,809	103	
	ऑयल (ऑयलपॉम)	हे.				3,465	स्वखखाव	3,465		
	नलकूप पर अनुदान	सं.	60		5	2,500	नलकूप पर अनुदान	2,500	5	
	<b>योग</b>			<b>120,000</b>		<b>31,774</b>		<b>31,774</b>	<b>108</b>	
	पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन	हे.	40		30	0,700	परिधीय बांस (स्वखखाव)	0,700	28	
	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	हे.	226		185,280	139,47	ड्रिप	111,740	129	
		हे.	947		126,020	337,46	स्प्रिंकलर	74,470	242	
	<b>योग</b>			<b>311,300</b>		<b>186,210</b>		<b>186,210</b>	<b>371</b>	

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	इकाई	लक्ष्य		पूर्ति		कराये गये कार्य का नाम	प्रदान किया गया अनुदान राशि (लाख में)	हिताग्राही संख्या
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		फल क्षेत्र विस्तार	हे.	223	8.848	223	8.474	फल क्षेत्र विस्तार कार्य	8.474	286
		नदी कछार तटों पर लघु/सीमान्त कृषकों को सब्जी उत्पादन हेतु प्रोत्साहन	हे.	45	5.288	0	0.000	सब्जी उत्पादन प्रोत्साहन कार्य	0.000	0
		शौज उत्पादन	हे.	0.500	0.541	0.500	0.194	शौज उत्पादन	0.194	0
6	राज्यपोषित योजना	पोषण बाड़ी	सं.	1850	18.500	1850	11.470	पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम	11.470	1850
		उद्यानिकी प्रशिक्षण	सं.	265	2.545	100	1.000	प्रशिक्षण कार्य	1.000	100
		सामुदायिक फसिंग	हे.	40	21.794	9	5.067	सामुदायिक फसिंग कार्य	5.067	10
		योग			<b>57.515</b>	-	<b>26.205</b>		<b>26.205</b>	<b>2246</b>
		राज्यपोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	हे.	14	11.000	13.03	10.570	ड्रिप	10.570	12
7		कुल योग			<b>818.901</b>		<b>315.144</b>		<b>315.144</b>	<b>3009</b>

(विकास मिशन)

उप सचिव

उत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

जिला बस्तर अंतर्गत उद्यानिकी विभागान्तर्गत संघालित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाएँ से लाभान्वित हितग्राही।

वर्ष 2024-25 (15.02.2025 की स्थिति में)

(वित्तीय राशि लाख में)

क. विकासखंड	योजना का नाम	घटक का नाम	अनुदान	इकाई	लक्ष्य		पूर्ति		कराये गये कार्य का नाम	प्रदान किया गया अनुदान राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	
					भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		फल क्षेत्र विस्तार										
		ड्रेगन फूट		हे.	10	1.060	0	0.233	फल क्षेत्र विस्तार कार्य	0.233	2	
		सब्जी क्षेत्र विस्तार										
		शिपडी		हे.	7	1.400	0	0.380	सब्जी उत्पादन कार्य	0.380	4	
		हरी मिर्च		हे.	7	1.400	0	1.080		1.080	3	
		प्लान्टेशन क्षेत्र विस्तार										
		काजू (सामान्य दूरी)		हे.	5	0.600	0	0.380	प्लान्टेशन कार्य	0.380	10	
		संरक्षित खेती										
1	बस्तर	फल क्षेत्र विस्तार		हे.	22.5	0.893	22.50	0.855	फल क्षेत्र विस्तार कार्य	0.855	33	
		नदी कछार तटों पर लघु/सीमान्त कृषकों को सब्जी उत्पादन हेतु प्रोत्साहन		हे.	10	1.175	0	0.000	सब्जी उत्पादन प्रोत्साहन कार्य	0	0	
		पोषण बाड़ी		सं.	78	0.780	78	0.484	पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.484	78	
		उद्यानिकी प्रशिक्षण		सं.	32	0.306	0	0.000	प्रशिक्षण कार्य	0	0	
		कम्यूनिटी फेसिंग		हे.	6	3.269	0	0.000	सामुदायिक फेसिंग कार्य	0	0	

क. विकासखंड	योजना का नाम	घटक का नाम	अनुदान	इकाई	लक्ष्य		पूर्ति		कार्ये गये कार्य का नाम	प्रदान किया गया अनुदान साशि (लाख में)	हितमाही संख्या								
					भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय											
1	बस्तर	राज्यपोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	ड्रिप	हे.	14	3.950	4.98	3.95	ड्रिप स्थापना कार्य	3.95	4								
												ड्रिप	194	159.48	71.43	56.67	ड्रिप स्थापना कार्य	56.67	72
		प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	सिंचकलर	हे.	40.00	16.000	19.76	1.312	पौध रोपण	1.312	3								
		नेशनल मिशन ऑन एजीबल ऑयल (ऑयलपरॉम)	रखरखाव	हे.			0.269	0.269	रखरखाव	0.269									
		योग-बस्तर					206.013		65.763		65.763	210							
		हाईब्रिड																	
		बीज उत्पादन	0.525	हे.	3	1.575	0	1.260	सब्जी बीज उत्पादन कार्य	1.260	3								
		फल क्षेत्र विस्तार																	
		ड्रेगन फूट	0.106	हे.	5	0.531	0	0.000	फल क्षेत्र विस्तार कार्य	0	0								
		राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सब्जी क्षेत्र विस्तार																
		मिण्ड्री	0.200	हे.	7	1.400	0	0.200	सब्जी उत्पादन कार्य	0.200	1								
		हरी मिर्च	0.200	हे.	7	1.400	0	1.040		1.040	9								
पुष्प क्षेत्र विस्तार																			
गेंदा	0.160	हे.	20	3.200	0	1.120	पुष्प उत्पादन कार्य	1.120	6										
मसाला क्षेत्र विस्तार																			
धानिया	0.120	हे.	7	0.840	0	0.329	मसाला उत्पादन कार्य	0.329	9										
प्लांटेशन क्षेत्र विस्तार																			
काजू (सामान्य दूरी)	0.120	हे.	10	1.200	0	0.152	प्लांटेशन कार्य	0.152	2										
संरक्षित खेती																			
शेडनेट हउस निर्माण	0.004	वर्ग मी	8000	28.400	0	14.200	फसल संरक्षण कार्य	14.200	2										
प्लारिस्टिक मलिनंग	0.160	हे.	20	3.200	0	0.000	फसल संरक्षण कार्य	0	0										

क्र.	विकासखंड	योजना का नाम	घटक का नाम	अनुदान इकाई	लक्ष्य		पूति		कार्ये गये कार्य का नाम	प्रदान किया गया अनुदान राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	
					भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		राज्य पोषित योजना	नदी कछार तटों पर लघु/सीमान्त कृषकों को सब्जी उत्पादन हेतु प्रोत्साहन	हे.	8	0.940	0	0.000	सब्जी उत्पादन प्रोत्साहन कार्य	0	0	0
		राज्य पोषित योजना	पोषण बाड़ी	सं.	320	3.200	320	1.984	पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम	1.984	320	
		राज्य पोषित योजना	उद्यानिकी प्रशिक्षण	सं.	42	0.406	0	0.000	प्रशिक्षण कार्य	0	0	
		राज्य पोषित योजना	कम्यूनिटी फेसिंग	हे.	7	3.814	3	1.760	सामुदायिक फेसिंग कार्य	1.760	3	
2	बकावपड	राज्यपोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	झिप	हे.	14	3.140	3.84	3.140	झिप स्थापना कार्य	3.14	4	
		प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	झिप	हे.	194	159.480	24.04	19.260	झिप स्थापना कार्य	19.26	25	
		नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल (ऑयलपॉर्म)	स्प्रिंकलर	हे.	118	15.700	0	0.000	-	0	0	
		नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल (ऑयलपॉर्म)	पैथ रोपण	हे.	50.00	20.000	24.010	3.157	पैथ रोपण	3.157	12	
		नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल (ऑयलपॉर्म)	स्खरखाव	हे.				0.430	स्खरखाव	0.430		
		बस्तर विधानसभा कूलयोग	योग-बकावपड			249.814		49.361		49.361	436	
					-	455.827	-	115.123		115.123	646	

(विकास मिश्र)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## पारोशेष्ट - इकसठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 36 (क्र. 2274) की जानकारी

प्रपत्र-"अ"

प्रश्नांश "क" की जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा जनवरी 2023 से फरवरी 2025 तक अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं एवं राशि आबंटन की जिलेवार जानकारी

जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक

(राशि रु. लाख में)

क्र	जिला	योजनाओं का नाम											
		राष्ट्रीय निगम अनुसूचित जाति		राष्ट्रीय निगम अनुसूचित जन जाति		अनु. जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना		आदिवासी स्वरोजगार योजना					
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कबीरधाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अंबिकापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	धमतरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बलौदाबाजार	0	0	0	0	58	0	5.80	2	0.20	0	0	0
6	कांकेर	0	0	6	17.00	7	0	0.70	82	8.20	0	0	0
7	कोण्डगांव	0	0	0	0	71	0	7.10	55	5.50	0	0	0
8	कोरिया	0	0	1	3.00	18	0	1.80	43	4.30	0	0	0
9	मनेन्द्रगढ़	0	0	1	2.00	1	0	0.10	20	2.00	0	0	0
10	बैतारा	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0

*Handwritten Signature*  
अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

11	सुकमा	0	0	0	1	3.00	0	0.00	4	0.40
12	मुंगेली	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	जगदलपुर	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	बालोद	0	0	5	5	15.20	29	2.90	0	0.00
15	महासमुन्द	0	0	0	0	0.00	2	0.20	0	0.00
16	बलरामपुर	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	दत्तेवाड़ा	0	0	4	4	16.74	31	3.10	51	5.10
18	बीजापुर	0	0	0	0	0.00	31	3.10	0	0.00
19	राजनांदगांव	0	0	5	5	12.00	155	15.50	19	1.90
20	सारंगढ़	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	रायगढ़	0	0	5	5	19.18	143	14.30	98	9.80
22	सक्ती	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	जांजगीर-चांपा	0	0	0	0	0.00	529	52.90	1	0.10
24	खैरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मौहल्ला मानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	सूरजपुर	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	कोरबा	0	0	1	1	3.00	18	1.80	43	4.30
28	जशपुर	0	0	5	5	21.12	20	2.00	54	5.40
29	दुर्ग	0	0	0	0	0.00	655	65.50	150	15.00
30	रायपुर	0	0	3	3	7.00	383	38.30	8	0.80
31	गरियाबंद	0	0	4	4	17.21	59	5.90	25	2.50
32	बिलासपुर	0	0	0	0	0.00	134	13.40	10	1.00

33	गौ-चै-म	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	योग:-	0	0	41	136.45	2344	234.4	665	66.5

अप्रैल 2023 से मार्च 2024


क्र	जिला	राष्ट्रीय निगम अनुसूचित जाति		राष्ट्रीय निगम अनुसूचित जन जाति		अनु. जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना		आदिवासी स्वरोजगार योजना	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	नारायणपुर	0	0	0	0	15	1.50	0	0.00
2	कबीरधाम	0	0	0	0	882	88.20	0	0.00
3	अंबिकापुर	0	0	0	0	122	12.2	0	0.00
4	धमतरी	0	0	0	0	179	17.9	27	2.70
5	बलौदाबाजार	0	0	0	0	1209	120.90	31	3.10
6	कांकेर	0	0	1	1.00	31	3.10	61	6.10
7	कोण्डागांव	0	0	10	47.05	71	7.10	54	5.40
8	कोरिया	0	0	0	0	65	6.50	61	6.10
9	मनेन्द्रगढ़	0	0	0	0	94	9.40	43	4.30
10	बैतारा	0	0	0	0	104	10.40	5	0.50
11	सुकमा	0	0	5	22.43	0	0.00	26	2.60
12	मुंगेली	0	0	0	0	682	6.82	24	2.40
13	जगदलपुर	0	0	0	0	42	4.20	0	0.00
14	बालोद	0	0	2	7.82	219	20.90	33	3.30
15	महासमुद्र	0	0	0	0	416	41.60	0	0.00

16	बलरामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	100	10.00	59	5.90
17	दंतेवाड़ा	0	0	0	1	1.90	31	3.10	26	2.60			
18	बीजापुर	0	0	0	0	0.00	31	3.10	0	0.00			
19	राजनांदगांव	0	0	0	4	9.00	293	29.30	22	2.20			
20	सारंगढ़	0	0	0	0	0.00	45	4.50	10	1.00			
21	रायगढ़	0	0	0	0	0.00	63	6.30	53	5.30			
22	सक्ती	0	0	0	0	0.00	487	48.70	14	1.40			
23	जांजगीर-चांपा	0	0	0	0	0.00	728	72.80	10	1.00			
24	खैरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	मौहल्ला मानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	सूरजपुर	0	0	0	0	0.00	46	4.46	0	0.00			
27	कोरबा	0	0	0	0	0.00	65	6.50	61	6.10			
28	जशपुर	0	0	0	7	24.27	149	14.90	68	6.80			
29	दुर्ग	0	0	0	0	0.00	408	40.80	56	5.60			
30	रायपुर	0	0	0	0	0.00	695	69.50	11	1.10			
31	गरियाबंद	0	0	0	0	0.00	131	13.10	40	4.00			
32	बिलासपुर	0	0	0	3	18.63	1254	125.40	72	7.20			
33	गौ-पै-म	0	0	0	5	17.32	64	6.40	12	1.20			
	योग:-	0	0	0	38	149.42	8721	809.58	879	87.9			

## अप्रैल 2024 से फरवरी 2025

क्र	जिला	राष्ट्रीय निगम अनुसूचित		राष्ट्रीय निगम अनुसूचित जन		अनु. जाति अंत्योदय		आदिवासी स्वरोजगार योजना	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	16	1.40
2	कबीरधाम	0	0	2	8.00	0	0	63	6.30
3	आंबिकापुर	0	0	0	0	0	0	122	6.10
4	धमतरी	0	0	0	0	0	0	27	2.70
5	बलौदाबाजार	0	0	0	0	702	70.20	39	3.90
6	कांकेर	0	0	0	0	11	1.09	98	9.79
7	कोण्डगांव	0	0	0	0	28	2.80	43	4.30
8	कोरिया	0	0	0	0	69	6.90	26	2.60
9	मनेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
10	बेमेतरा	0	0	0	0	19	1.90	10	1.00
11	सुकमा	0	0	0	0	0	0.00	32	3.20
12	मुंगेली	0	0	0	0	595	5.95	24	2.40
13	जगदलपुर	0	0	0	0	0	0.00	85	8.50
14	बालोद	0	0	0	0	0	0.00	66	6.60
15	महासमुन्द्र	0	0	0	0	594	59.40	33	3.30
16	बलरामपुर	0	0	0	0	0	0.00	59	5.90

17	दंतेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3.10	52	2.60
18	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	45	4.50
19	राजनांदगांव	0	0	0	0	0.00	0	0	170	17.00	17.00	44	4.40
20	सारंगढ़	0	0	0	0	0	0	0	9	0.90	0.90	9	0.90
21	रायगढ़	0	0	0	0	0	0	0	15	1.50	1.50	6	0.60
22	सक्ती	0	0	0	0	0	0	0	242	24.20	24.20	28	2.80
23	जांजगीर-चांपा	0	0	0	0	0	0	0	728	72.80	72.80	20	2.00
24	खैरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मौहल्ला मानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	सूरजपुर	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	13	1.30
27	कोरबा	0	0	0	0	0.00	0	0	69	6.90	6.90	26	2.60
28	जशपुर	0	0	0	0	0.00	0	0	74	7.40	7.40	95	9.50
29	दुर्ग	0	0	0	0	0.00	0	0	239	23.90	23.90	13	1.30
30	रायपुर	0	0	0	0	0.00	0	0	708	70.80	70.80	30	3.00
31	गरियाबंद	0	0	0	0	0.00	0	0	128	12.80	12.80	66	6.60
32	बिलासपुर	0	0	0	0	0.00	0	0	1152	115.20	115.20	56	5.60
33	गौ-पै-म	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	24	2.40
	योग :-	0	0	0	2	8	0	0	5583	504.74	504.74	1270	118.09

  
 अनुष्ठी आधिकारी  
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

प्रश्नांक (क) अनुसार योजनाओं में सेवा, उद्योग, परिवहन, कृषि तथा महिला सशक्तिकरण योजना में स्वरोजगार हेतु जिलेवार प्रदान की गई राशि की जानकारी

जनवरी 2023 से फरवरी 2025

(राशि लाख में)

क्र	जिला	राष्ट्रीय निगम अनुसूचित जाति				राष्ट्रीय निगम अनुसूचित जन जाति				अनु. जाति अंतर्गत स्वरोजगार योजना				आदिवासी स्वरोजगार योजना						
		सेवा	उद्योग	परिवहन	कृषि	महिला सशक्तिकरण	राशि	सेवा	उद्योग	परिवहन	कृषि	महिला सशक्तिकरण	राशि	सेवा	उद्योग	परिवहन	कृषि	महिला सशक्तिकरण	राशि	
1	भारतपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कबीरधाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अंबिकापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	धनसरी	6	1	0	3	0	1.00	4	1	0	0	0.60	5	0	0	0	0	0	0	0
5	बलौदाबाजार	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	झांसेर	0	0	0	0	0	0.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	कांझाबाव	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	कोरिया	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	मनेन्द्रगढ़	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	बेतवा	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	सुकना	0	0	0	0	0	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मुंगेली	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	जादपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	बालोद	0	0	0	0	0	0.00	2	1	1	2	0	21.12	27	11	0	0	0	0	0
15	भदसपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	बलरामपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	देवाड़ा	0	0	0	0	0	0.00	2	0	1	0	0	19.63	8	0	0	0	0	0	0
18	वीजपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
19	राजादाबाव	0	0	0	0	0	0.00	5	0	0	2	2	21.00	179	73	0	366	0	0	0
20	सारागढ़	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	32	0	0	0	0	0	0
21	रामगढ़	0	0	0	0	0	0.00	2	0	1	2	0	19.18	161	0	0	0	0	0	0
22	सस्ती	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	113	460	0	156	0	0	0
23	जयगिर-बांसा	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	881	616	0	489	0	0	0
24	खिरगढ़	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
25	मौला गजपुर	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0

अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर



## परीशेष्ट - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2280) की जानकारी

प्रपत्र -अ

## जांजगीर चांपा में जिले में संचालित योजनाये

1	राज्य पोषित योजना	
i	फल क्षेत्र विस्तार	
ii	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	
iii	कम्यूनिटी फेसिंग योजना	
iv	पोषण बाडी विकास योजना	
v	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना	
2	केन्द्र पोषित योजना	
i	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	फल क्षेत्र विस्तार
		सब्जी क्षेत्र विस्तार
		मसाला क्षेत्र विस्तार
		पुष्प क्षेत्र विस्तार
		ग्राफटेड बैंगन फसल प्रदर्शन
		संरक्षित खेती
		पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट
		उद्यानिकी यंत्रिकरण
ii	सबमिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री	वानिकी पौध का उत्पादन कर वितरण
iii	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अंतर्गत-
		1. ड्रिप
		2. स्प्रिंकलर

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं हेतु प्राप्त आबंटन की वर्षवार जानकारी


क्र.	वर्ष	संचालित योजना का नाम	घटक का नाम	आबंटित राशि (लाख में)				
				13 (सामान्य)	41 (अ.ज.जा.)	64 (अ.जा.)	योग	
1	2	3	4	5	7	6	8	
			फल क्षेत्र विस्तार	4.96	0.737	12.432	18.13	
			नदी कछार	2.35	1.18	2.35	5.88	
			नर्सरियों में बीज उत्पादन	4.95	0.00	0.00	4.95	
			सामुदायिक फेन्सिंग	5.72	1.09	20.70	27.52	
			पोषण बाड़ी	20.00	2.00	25.00	47.00	
1	2022-23		बीपीएल/लघु/सीमांत कृषको की बाड़ी में टपक सिंचाई	0.00	0.00	0.27	0.27	
			योग	37.98	5.00	60.76	103.74	
			फल क्षेत्र विस्तार	1.34	0.39	6.24	7.97	
			नदी कछार	2.35	1.17	2.35	5.87	
			नर्सरियों में बीज उत्पादन	0.42	0.00	0.00	0.42	
			सामुदायिक फेन्सिंग	5.45	0.00	16.34	21.79	
			पोषण बाड़ी	13.50	1.00	15.50	30.00	
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	
			योग	23.06	2.56	40.43	66.05	
			फल क्षेत्र विस्तार	4.26	0.39	2.06	6.71	
			नदी कछार	3.53	1.18	2.12	6.82	
			नर्सरियों में बीज उत्पादन	0.62	0.00	0.00	0.62	
			सामुदायिक फेन्सिंग	16.35	0.00	13.62	29.97	
			पोषण बाड़ी	10.00	1.00	8.50	19.50	
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना	14.60	0.00	0.00	14.60	
			योग	49.35	2.57	26.30	78.22	
3	2024-25 (फरवरी 2025 तक)		योग (राज्य पोषित योजना- वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक)	110.39	10.13	127.49	248.00	

क्र.	वर्ष	संचालित योजना का नाम	घटक का नाम	आबंटित राशि (लाख में)			
				13 (सामान्य)	41 (अ.ज.जा)	64 (अ.जा.)	योग
1	2	3	4	5	7	6	8
			फल क्षेत्र विस्तार				
			अमरुद	3.82	0.67	1.54	6.03
			एप्पल बेर	0.63	0.07	0.30	1.00
			केला	2.81	0.42	1.09	4.32
			पपीता	1.52	0.32	0.69	2.53
			नीबू	0.81	0.08	0.33	1.22
			आम	0.83	0.09	0.34	1.26
			<b>योग</b>	<b>10.42</b>	<b>1.65</b>	<b>4.29</b>	<b>16.36</b>
			सब्जी क्षेत्र विस्तार				
			आलू	6.39	1.16	2.45	10.00
			प्याज	6.92	1.39	2.47	10.78
			पत्तागोभी	2.56	0.46	0.98	4.00
			फूलगोभी	2.25	0.32	0.98	3.55
			टमाटर	6.39	1.15	2.46	10.00
			भिण्डी	5.47	0.92	1.98	8.37
			बैंगन	3.63	0.61	1.48	5.72
			लौकी	5.75	0.92	2.22	8.89
			करेला	4.41	0.82	1.87	7.10
			<b>योग</b>	<b>43.77</b>	<b>7.75</b>	<b>16.89</b>	<b>68.41</b>
			ग्राण्टेड बैंगन फसल प्रदर्शन	18.30	3.30	6.90	28.50
			मसाला क्षेत्र विस्तार				
			मिर्च	2.30	0.42	0.88	3.60
			धनिया	2.83	0.48	0.99	4.30
			अदरक	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2022-23	केन्द्र पोषित (रा.कृ.वि.यो)					

क्र.	वर्ष	संचालित योजना का नाम	घटक का नाम	आबंटित राशि (लाख में)			
				13 (सामान्य)	41 (अ.ज.जा)	64 (अ.जा.)	योग
1	2	3	4	5	7	6	8
			हल्दी	0.00	0.00	0.00	0.00
			योग	<b>5.13</b>	<b>0.90</b>	<b>1.87</b>	<b>7.90</b>
			पुष्प क्षेत्र विस्तार-गोंदा	0.57	0.06	0.21	0.84
			मल्विंग	0.80	0.00	0.00	0.80
4	2022-23	केन्द्र पोषित योजना (रा.कृ.वि.यो)	पॉवर वीडर	6.00	1.00	2.00	9.00
			पैक हाउस	4.00	2.00	8.00	14.00
			पल्वराईजर	6.00	1.20	3.00	10.20
			शेडनेट हाउस निर्माण	85.20	14.20	28.40	127.80
			शेडनेट हाउस निर्माण	15.63	13.20	4.27	33.10
			<b>योग (वर्ष 2022-23)</b>	<b>195.82</b>	<b>45.26</b>	<b>75.83</b>	<b>316.91</b>
			फलपौध रोपण-पपीता	0.99	0.47	0.36	1.82
			सब्जी क्षेत्र विस्तार-लौकी	5.00	3.40	1.60	10.00
			ग्राफ्टेड बैगन फसल प्रदर्शन	1.50	0.00	3.00	4.50
			मल्विंग	1.60	0.00	3.20	4.80
			पैक हाउस निर्माण	2.00	0.00	8.00	10.00
			शेडनेट हाउस निर्माण	0.00	1.77	12.43	14.20
			<b>योग (वर्ष 2023-24)</b>	<b>11.09</b>	<b>5.64</b>	<b>28.59</b>	<b>45.32</b>
			फल क्षेत्र विस्तार				
			नीबू	0.26	0.13	0.00	0.39
			अमरूद	0.35	0.35	0.00	0.70
			योग	<b>0.61</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1.09</b>
			सब्जी क्षेत्र विस्तार				
			बैगन	1.60	0.60	0.60	2.80
5	2023-24	केन्द्र पोषित (रा.कृ.वि.यो)					
6	2024-25 (फरवरी 2025 तक)	केन्द्र पोषित (रा.कृ.वि.यो)					

क्र.	वर्ष	संचालित योजना का नाम	घटक का नाम	आबंटित राशि (लाख में)				
				13 (सामान्य)	41 (अ.ज.जा)	64 (अ.जा.)	योग	
1	2	3	4	5	7	6	8	
			टमाटर	0.60	0.00	0.20	0.80	
			भिण्डी	1.80	1.20	0.20	3.20	
			मिर्च	0.40	0.40	0.00	0.80	
			करेला	0.00	0.00	0.20	0.20	
			कद्दुवर्गीय	0.00	0.00	0.20	0.20	
7	2024-25 (फरवरी 2025 तक)	केन्द्र पोषित (रा.कृ.वि.यो)	योग	4.40	2.20	1.40	8.00	
			ग्राफ्टेड बैंगन	12.30	2.40	3.90	18.60	
			पैक हाउस निर्माण	4.00	0.00	0.00	4.00	
			मलियंग	0.96	0.32	0.00	1.28	
			शेडनेट हाउस निर्माण	14.20	0.00	0.00	14.20	
			ड्रिप	1.64	8.22	12.33	22.19	
8		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	स्प्रिंकलर	0.67	0.67	0.27	1.61	
		योग (केन्द्र पोषित योजना - वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक )		245.69	65.19	122.32	433.20	
		महायोग (राज्य एवं केन्द्र पोषित योजना )		356.08	75.32	249.81	681.20	

किया गया था। परन्तु विभाग द्वारा वित्तीय आबंटन जिलेवार न किया जा कर राज्य स्तर पर जारी किया गया था।

  
(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

## जांजगीर विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वित उद्यानिकी कृषकों की योजनावार/मदवार/वर्षवार जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या			
						13 (सामान्य)	41 (अ.ज.जा)	64 (अ.जा.)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जांजगीर-चांपा	नवागढ़	2022-23		फल क्षेत्र विस्तार	9	2	22	33
					नदी कछार	0	3	5	8
					सामुदायिक फेन्सिंग	2	0	2	4
					पोषण बाड़ी	183	0	235	418
					<b>योग</b>	<b>194</b>	<b>5</b>	<b>264</b>	<b>463</b>
2	जांजगीर-चांपा	नवागढ़	2023-24	राज्य पोषित योजना	फल क्षेत्र विस्तार	6	0	32	38
					नदी कछार	13	13	13	39
					सामुदायिक फेन्सिंग	2	0	4	6
					पोषण बाड़ी	170	0	226	396
					राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना	1	0	0	1
					<b>योग</b>	<b>192</b>	<b>13</b>	<b>275</b>	<b>480</b>
3	जांजगीर-चांपा	नवागढ़	2024-25 (फरवरी 2025 तक)		फल क्षेत्र विस्तार	6	0	11	17
					नदी कछार	15	13	20	48
					सामुदायिक फेन्सिंग	0	0	2	2
					पोषण बाड़ी	58	0	2	60
					फल क्षेत्र विस्तार	1	0	0	1
					राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना	1	0	0	1
					<b>योग</b>	<b>81</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>129</b>
					<b>योग- राज्य पोषित योजना</b>	<b>467</b>	<b>31</b>	<b>574</b>	<b>1072</b>

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या			
						13 (सामान्य)	41 (अ.ज.जा)	64 (अ.जा.)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					फल क्षेत्र विस्तार-अमरूद	4	2	1	7
					एप्पल बेर	3	2	0	5
					केला	2	1	0	3
					पपीता	0	1	0	1
					नीबू	2	1	0	3
					आम	0	1	0	1
					सब्जी क्षेत्र विस्तार-आलू	3	3	2	8
					पत्तागोभी	2	2	0	4
					फूलगोभी	3	2	0	5
					टमाटर	6	2	2	10
4	जांजगीर-चांपा	नवागढ़	2022-23	के.पो.यो.-रा.कृ. वि.	भिण्डी	6	2	2	10
					बैंगन	2	2	0	4
					लौकी	7	3	1	11
					करेला	5	3	1	9
					मसाला क्षेत्र विस्तार-मिर्च	2	2	1	5
					पॉवर वीडर	3	1	0	4
					पैक हाउस	1	1	0	2
					ड्रिप	6	0	1	7
					स्प्रिंकलर	3	0	0	3
									प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या			
						13 (सामान्य)	41 (अ.ज.जा)	64 (अ.जा.)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	जांजगीर-चांपा	बलोदा		के.पो.यो.-रा.कृ. वि.	सब्जी क्षेत्र विस्तार -प्याज	3	0	0	3
					फूलगोभी	1	0	0	1
					टमाटर	3	0	0	3
					भिण्डी	6	0	0	6
					बैंगन	3	0	0	3
6				प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	करेला	1	0	0	1
					मसाला क्षेत्र विस्तार-मिर्च	3	0	0	3
					मसाला क्षेत्र विस्तार-धनिया	4	0	0	4
					ड्रिप	1	0	3	4
87					स्प्रिंकलर	2	0	2	4
					योग(वर्ष 2022-23)	87	31	16	134
7			2023-24	के.पो.यो.-रा.कृ. वि.	सब्जी क्षेत्र विस्तार-लौकी	5	2	9	16
					सब्जी क्षेत्र विस्तार-बैंगन	4	0	3	7
8	जांजगीर-चांपा	नवागढ़	2024-25	के.पो.यो.-रा.कृ. वि.	टमाटर	2	0	0	2
					भिण्डी	6	0	3	9
9				प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ग्राण्टेड बैंगन	9	4	0	13
					ड्रिप	0	1	0	1
3					स्प्रिंकलर	3	0	0	3

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या			
						13 (सामान्य)	41 (अ.ज.जा)	64 (अ.जा.)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10				के.पो.यो.-रा.कृ. वि.	सब्जी क्षेत्र विस्तार-बैंगन	2	0	0	2
					भिण्डी	2	0	0	2
11	जांजगीर-चांपा	बलौदा	2024-25	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ड्रिप	0	0	1	1
					स्प्रिंकलर	1	0	0	1
					योग	34	7	16	57
				योग- केन्द्र पोषित योजना		121	38	32	191
				योग- (राज्य + केन्द्र पोषित योजना)		588	69	606	1263

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## पॉरीशेष्ट - तीरसठ

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 38 (क. 2287) की जानकारों

## प्रपत्र

(1) पंजीयक के रिक्त पद :-

1. जिला पंजीयक बालोद
2. जिला पंजीयक मुंगेली
3. जिला पंजीयक कवर्धा
4. जिला पंजीयक धमतरी
5. जिला पंजीयक सूरजपुर
6. जिला पंजीयक बलरामपुर

(2) वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक के रिक्त पद :-

पंजीयन जिला	कार्यालय का नाम
गरियाबंद	1. उ.पं.कार्या. छुरा
बलौदाबाजार	2. उ.पं.कार्या. कसडोल
	3. उ.पं.कार्या. बिलाईगढ़
	4. उ.पं.कार्या. पलारी
	5. उ.पं.कार्या. भटगांव
	6. उ.पं.कार्या. बसना
महासमुन्द	7. उ.पं.कार्या. पिथौरा
	8. उ.पं.कार्या. भिलाई-३
दुर्ग	9. उ.पं.कार्या. बोरी
	10. उ.पं.कार्या. गुण्डरदेही
बालोद	11. उ.पं.कार्या. गुरुर
	12. उ.पं.कार्या. मरवाही
बिलासपुर	13. उ.पं.कार्या. मुंगेली
	14. उ.पं.कार्या. लोरमी
राजनांदगांव	15. उ.पं.कार्या. छुईखदान
	16. उ.पं.कार्या. डोंगरगढ़
	17. उ.पं.कार्या. छुरिया
	18. उ.पं.कार्या. गंडई
	19. उ.पं.कार्या. डोंगरगांव
कवर्धा	20. उ.पं.कार्या. कवर्धा
	21. उ.पं.कार्या. पंडरिया
	22. उ.पं.कार्या. बोडला
जांजगीर-चांपा	23. उ.पं.कार्या. चांपा
	24. उ.पं.कार्या. डभरा
	25. उ.पं. कार्या. नवागढ़
	26. उ.पं.कार्या. जैजैपुर
	27. उ.पं.कार्या. अकलतरा
रायगढ़	28. उ.पं.कार्या. घरघोडा
	29. उ.पं.कार्या. खरसिया
कोरिया	30. उ.पं.कार्या. बैकुण्ठपुर
	31. उ.पं.कार्या. मनेन्द्रगढ़
दन्तेवाड़ा	32. उ.पं.कार्या. दतेवाड़ा

पंजीयन जिला	कार्यालय का नाम
कोरबा	33. उ.पं.कार्या. कटघोरा
	34. उ.पं.कार्या. हरदीबाजार
	35. उ.पं.कार्या. पाली
सूरजपुर	36. उ.पं.कार्या. प्रतापपुर
बलरामपुर	37. उ.पं.कार्या. बलरामपुर
	38. उ.पं.कार्या. राजपुर

## परीशेष - चौंसठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2288) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

जिला-रायगढ़ अंतर्गत मिलेट्स, दलहन एवं तिलहन खेती हेतु विकासखंडवार निर्धारित लक्ष्य-पूर्ति का रकबा वर्ष 2024-25 रकबा (हे.)

क्र.	विकासखंड	मिलेट्स		दलहन		तिलहन		योग	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	रायगढ़	115.00	186.00	4034.00	2541.00	6420.00	6181.00	10569.00	8908.00
2	खरसिया	77.00	15.09	3616.00	3538.61	4415.00	4027.98	8108.00	7581.69
3	तमनार	64.00	125.00	3743.00	3385.00	3040.00	2786.00	6847.00	6296.00
4	पुसौर	139.00	185.00	5678.00	3790.00	6556.00	7659.00	12373.00	11634.00
5	धरमजयगढ़	189.00	62.07	12811.00	13097.95	8274.00	7226.47	21274.00	20386.49
6	घरघोडा	189.00	29.02	5880.00	5129.90	6260.00	5927.35	12329.00	11086.27
7	लैलूगा	227.00	71.72	8083.00	6811.46	6035.00	5824.99	14345.00	12708.17
	योग	1000.00	673.90	43845.00	38293.93	41000.00	39632.79	85845.00	78600.62

टीप :- वर्ष 2024-25 का क्षेत्राच्छादन, आयुक्त-भू-अभिलेख छ.ग. से अंतिम आंकड़े प्राप्त नहीं हुआ है। यह आंकड़े विभागीय नजरी आंकलन के आधार पर तैयार किया गया है।

(विकास विभाग)  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, जडपुर

(विकास विभाग)  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, जडपुर

जिला-रायगढ़ अंतर्गत मिलेट्स फसलों की लक्ष्य, पूर्ति एवं कमी / वृद्धि की जानकारी वर्ष 2024-25

प्रपत्र 'ब'

रकबा (हे.) वर्ष 2024-25

क्र.	मिलेट्स फसल का नाम	खरीफ			रबी			योग		
		लक्ष्य	पूर्ति	कमी / वृद्धि	लक्ष्य	पूर्ति	कमी / वृद्धि	लक्ष्य	पूर्ति	कमी / वृद्धि
1	कादो	40.00	30.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	-10.00
2	कुटकी	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	-15.00
3	रागी	445.00	611.90	166.90	500.00	32.00	-468.00	945.00	643.90	-301.10
	योग	500.00	641.90	141.90	500.00	32.00	-468.00	1000.00	673.90	-326.10

टीप :- वर्ष 2024-25 का क्षेत्राच्छादन, आयुक्त-भू-अभिलेख छ.ग. से अंतिम आंकड़े प्राप्त नहीं हुआ है। यह आंकड़े विभागीय नजरी आंकलन के आधार पर तैयार किया गया है।

  
(विकास-विभागा)  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
संभल, नवा रायपुर, अटल # 1

  
नोडल अधिकारी (वि.स.)

संचालनालय कृषि,  
छ.ग., रायपुर

## परीशेष्ट - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 2289) की जानकारों

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 21 के उपनियम (2) एवं (3) के खंड (क) एवं (च) के अधीन विहित आवेदन शुल्क, विकास अनुज्ञा शुल्क एवं इलेक्ट्रॉनिक पद्धति हेतु शुल्क

विवरण		वर्तमान में प्रभावशील विकास अनुज्ञा शुल्क					पूर्व में प्रभावशील विकास अनुज्ञा शुल्क		
विकास अनुज्ञा शुल्क	आवेदन शुल्क	राशि 5000/- रूपये प्रति हेक्टेयर					-		
	इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के लिए ऑनलाईन शुल्क	राशि 5000/- रूपये प्रत्येक प्रकरण के लिए					राशि 5000/- रूपये प्रत्येक प्रकरण के लिए		
	विकास अनुज्ञा शुल्क	मद	निम्नलिखित भू-उपयोग क्षेत्र में विकास हेतु	जहां कि योजना क्षेत्र की जनसंख्या			स.क्र.	क्षेत्रफल	शुल्क
	1	2	3	4	5	(एक)	1 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के विकास के लिए	रूपये 3750/-	
	देय अनुज्ञा शुल्क (रु./हेक्टर)	आवासीय	60,000	40,000	25,000	(दो)	1 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2.5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के विकास के लिये	रूपये 7500/-	
		वाणिज्यिक	1,00,000	75,000	50,000	(तीन)	2.5 हेक्टेयर से अधिक किंतु 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के विकास के लिये	रूपये 15,000/-	
						(चार)	5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के विकास के लिए प्रत्येक हेक्टेयर या उसके भाग के लिए अतिरिक्त फीस	रूपये 3750/-	

शुल्क में वृद्धि के संबंध में टीप:-

विकास अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि:-

- आवेदन शुल्क - विकास अनुज्ञा के लिए 5000 रूपये प्रति हेक्टेयर आवेदन शुल्क का नवीन प्रावधान किया गया है।
- विकास अनुज्ञा शुल्क -पूर्व में भूमि के क्षेत्रफल की श्रेणी के आधार पर विकास अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किया गया था। परन्तु वर्तमान में भू-उपयोग क्षेत्र एवं योजना क्षेत्र की जनसंख्या की श्रेणी के आधार पर विकास अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किया गया है। अतः विकास अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि की गणना किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 21 के उपनियम (2) एवं (3) के खंड (ख) एवं (च) के अधीन विहित आवेदन शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क एवं इलेक्ट्रॉनिक पद्धति हेतु शुल्क

विवरण		वर्तमान में प्रभावशील विकास अनुज्ञा शुल्क	पूर्व में प्रभावशील विकास अनुज्ञा शुल्क			
भवन अनुज्ञा शुल्क	आवेदन शुल्क	प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का 01 रूपये प्रति वर्गमीटर				
	इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के लिए ऑनलाईन शुल्क	राशि 5000/- रूपये प्रत्येक प्रकरण के लिए	राशि 5000/- रूपये प्रत्येक प्रकरण के लिए			
भवन अनुज्ञा शुल्क		द क्र.	निर्माण का प्रकार	निर्मित क्षेत्र वर्गमीटर	वर्गमीटर	प्रभार्य शुल्क (रूपये में)
एक	भवन जो पूर्ण रूपेण निवास के लिए उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो	0	75		750.00	
		76	125		1315.00	
		126	200		2250.00	
		201	300		3375.00	
		301	400		4500.00	
		401	600		7500.00	
		601	750		9375.00	
		751	1000		13125.00	
		1001	1250		18750.00	
		1251	1500		26250.00	
		1501	2000		37500.00	
		2001	2500		56250.00	
				2500 से अधिक		56250 एवं प्रति वर्गमीटर के लिये रूपये 20 अतिरिक्त शुल्क
		दो	भवन जो दुकान भंडार, गृह, कारखाना या व्यापार या कारोबार चलाने अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो।	मद क्र. एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ फीस की ऐसी रकम का 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार, सिवाय इसके कि 2500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के लिये प्रभार्य फीस रूपये 20 प्रतिवर्गमीटर अतिरिक्त फीस होगी।		
चार	भवन जो दुकान सह निवास प्रयोजन से उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो	मद क्रमांक एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ ऐसी फीस की रकम का 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार।				

शुल्क में वृद्धि के संबंध में टीप:-

भवन अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि:-

- आवेदन शुल्क - भवन अनुज्ञा में प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का 01 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से आवेदन शुल्क के नवीन प्रावधान किया गया है
- भवन अनुज्ञा शुल्क - भवन अनुज्ञा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है

06/03/25  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

## परोशेष्ट - छेसठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 43 (क्र. 2296) की जानकारी

ii =

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विभाग

मंत्रालय -

डी.के.एस.भवन, रायपुर- 492001

क्रमांक/ 1651 / डी.17/12/2003/14-3

रायपुर, दिनांक : 09 / 04 / 2012

प्रति,

✓ संचालक कृषि,  
छ.ग. रायपुर।

2. कलेक्टर,  
जिला-..... (सर्व)।
3. संचालक,  
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,  
संचालनालय, रायपुर।
4. संयुक्त संचालक कृषि,  
रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा।
5. उप संचालक कृषि,  
जिला-..... (सर्व)।

विषय :- नलकूप स्थापना हेतु कृषकों को अनुदान की "किसान समृद्धि योजना" के मार्गदर्शी निर्देश।

प्रदेश में नलकूप खनन पर अनुदान की संचालित दो योजनाओं "किसान समृद्धि योजना" (वृष्टिछाया क्षेत्र के लिये इंदिरा खेत गंगा) एवं "लघु सिंचाई योजना" (सामान्य नलकूप) के लिये कृषकों को अनुदान की दर एक समान किये जाने के कारण लघु सिंचाई योजना (सामान्य नलकूप) को किसान समृद्धि योजना में समाहित करते हुये संपूर्ण प्रदेश में दिनांक 01.04.2012 से "किसान समृद्धि योजना" लागू की जाती है।

- (1) योजना : कृषकों को नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन पर अनुदान।
- (2) उद्देश्य : प्रदेश में उपलब्ध भू-जल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग एवं फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं फसल सघनता में वृद्धि करना।
- (3) कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण प्रदेश।



Handwritten signature in blue ink.

## (4) चयन की प्रक्रिया :-

- (i) इस योजनांतर्गत जिले के ~~सिम्स~~ ~~वर्ग~~ के कृषकों को लाभांवित किया जायेगा। लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- (ii) कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की भांति कृषकों का चयन त्रिस्तरीय पंचायत के अनुमोदन से किया जावेगा।

## (5) अनुदान की पात्रता :-

- (i) खनन अनुदान : राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग में नलकूप खनन हेतु पंजीकृत टेकेंदारों द्वारा खनन किये गये सफल एवं असफल नलकूपों के खनन लागत पर विभिन्न वर्ग के कृषकों को उनके सम्मुख दर्शाये अनुसार अनुदान देय है।

क्र.	कृषक वर्ग	अनुदान पात्रता
1.	सामान्य वर्ग	खनन की वास्तविक (केसिंग पाईप सहित) लागत अथवा रु. 10000/- जो भी कम हो
2.	अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग	खनन की वास्तविक (केसिंग पाईप सहित) लागत अथवा रु. 18000/- जो भी कम हो

- (ii) पंप प्रतिष्ठापन पर अनुदान : नलकूप खनन के पश्चात् सफल नलकूप पर पंप प्रतिष्ठापन में आने वाले व्यय पर विभिन्न वर्ग के कृषकों को उनके सम्मुख दर्शाये अनुसार अनुदान देय है।

क्र.	कृषक वर्ग	अनुदान पात्रता
1.	सामान्य वर्ग	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा रु. 15000/- जो भी कम हो
2.	अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा रु. 25000/- जो भी कम हो

## (6) लक्ष्यों का निर्धारण :-

योजनांतर्गत प्रावधानित राशि के अनुरूप जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण संचालक कृषि द्वारा किया जावेगा।

## (7) योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश :-

- (i) उक्त प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना अथवा इस योजनांतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किये कृषक पात्र नहीं होंगे।

- (ii) विद्युत की उपलब्धता एवं निकटता को ध्यान में रखते हुये प्रकरण समूह (क्लस्टर) में तैयार किये जावेगे, जिससे कि छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं कृषकों को विद्युत कनेक्शन हेतु आर्थिक बोझ कम पड़े। "समूह में प्रथम आवे प्रथम पावे" के आधार पर पंजीयन उप संचालक कृषि के कार्यालय में किया जायेगा। उप संचालक कृषि द्वारा पंजीयन पत्र जारी किया जाएगा।
- (iii) अनुदान की पात्रता उन सभी कृषकों व उनके समूह को होगी जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंक से ऋण लिया हो अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हो।
- (iv) नलकूप की गोलाई एवं गहराई का पंचनामा एक समिति, जिसके सदस्य अनुविभागीय कृषि अधिकारी अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषक स्वयं एवं क्षेत्र का सरपंच/पंच होंगे, के द्वारा स्थल पर संयुक्त रूप से जांच कर बनाया जाएगा। समिति के सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पंचनामा जारी किया जाएगा।
- (v) नलकूप सफल (1500 गैलन प्रति घंटा डिस्चार्ज)/असफल होने की स्थिति में कृषक द्वारा दिया गया सफल/असफल होने का प्रमाण-पत्र मान्य होगा। किन्तु गोलाई एवं गहराई के संबंध में उपरोक्त दर्शित पंचनामा समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- (vi) कृषक अथवा कृषक समूह के जोत का आकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर हो।
- (vii) विद्युत कनेक्शन एवं नलकूप चालू करने की जिम्मेदारी कृषक की होगी।
- (viii) कृषको को अपनी पसंद का आई.एस.आई मार्का पंप विभाग में पंजीकृत निजी डीलर अथवा सहकारी संस्थाओं अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं से क्रय करने की स्वतंत्रता होगी।
- (ix) एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है। 300 मीटर की परिधि में पूर्व निर्मित नलकूप एवं हैण्ड पंप नहीं होना चाहिये।

- (x) नलकूप खनन हेतु पंजीयन दिनांक से एक माह की अवधि में (15 जून से 31 दिसंबर की अवधि को छोड़कर) कृषक द्वारा नलकूप खनन कराने पर भौतिक सत्यापन के समय इस अवधि में 300 मीटर की परिधि में यदि दूसरा नलकूप (पंजीयन के पश्चात् खनित) पाये जाने पर कृषक को अनुदान की पात्रता होगी।
- (xi) कृषक अपनी इच्छा अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से नलकूप खनन करा सकेंगे तथा पंजीकृत ठेकेदारों की सूची जिले के उप संचालक कृषि द्वारा विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी।
- (xii) योजनांतर्गत खनित सभी नलकूपों में नलकूप पुनर्भरण संरचना का निर्माण किया जाना अनिवार्य है।
- (xiii) योजनांतर्गत सहकारी संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
- (xiv) सफल नलकूपों पर प्रतिष्ठापित पंप को कृषक पांच वर्ष की अवधि तक किसी को बेच नहीं सकेगा। इसके लिये उससे शपथ पत्र लिया जावेगा।

(7) निरीक्षण एवं अनुश्रवण :-

- (i) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में कृषकों का चयन कर प्रकरण तैयार कर पंचायत के अनुशांसा के साथ निर्धारित समयावधि में अग्रिम कार्यवाही हेतु विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिले के उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे।
- (ii) उप संचालक कृषि कार्यालय द्वारा प्रथम आवे प्रथम पावे के आधार पर पंजीयन कर कृषकों को कार्य आदेश जारी करेंगे। पंजीयन एक वर्ष के लिये वैध होगा। इस अवधि में नलकूप खनन नहीं होने पर पुनः पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
- (iii) खनन कार्य पूर्ण होने पर हितग्राही कृषक अनुदान प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सहपत्रों के साथ मांग पत्र संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

- (iv) अनुदान मांग प्राप्त होने पर वरिष्ठ कृषि अधिकारी निर्धारित समयावधि में भौतिक सत्यापन कर अनुदान भुगतान हेतु प्रकरण अनुविभागीय कृषि अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे। जिन जिलों में अनुविभागीय कृषि अधिकारी का कार्यालय नहीं है वहां सीधे उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे।
- (v) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं खनन एवं पंप के दायकों के आधार पर अनुदान राशि की गणना कर पात्रतानुसार देय अनुदान संबंधित कृषक के बैंक खाता/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उप संचालक कृषि द्वारा भुगतान किया जावेगा।
- (vi) भौतिक सत्यापन : उप संचालक कृषि-05 प्रतिशत, अनुविभागीय कृषि अधिकारी अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा 100 प्रतिशत किया जावेगा।

(9) योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा :-

जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उप संचालक कृषि तथा कार्यपालन यंत्री, छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा की जावेगी।

(10) व्यय शीर्ष :-

उपरोक्त योजना में होने वाला व्यय निम्न शीर्षों में विकलनीय होगा :-

- (i) मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य  
मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई  
लघु शीर्ष-02 भूगत जल 103-नलकूप 0101 राज्य आयोजना (सामान्य)  
उप एवं विस्तृत शीर्ष-5709 किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान  
इकाई -14 सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान।
- (ii) मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति उप योजना  
मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई  
लघु शीर्ष-02 भूगत जल 103-नलकूप 0103 अनुसूचित जाति उप योजना  
उप एवं विस्तृत शीर्ष-5709 किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान  
इकाई -14 सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान।
- (iii) मांग संख्या-41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  
मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई  
लघु शीर्ष-02 भूगत जल 103-नलकूप 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना  
उप एवं विस्तृत शीर्ष-5709 किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान  
इकाई -14 सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान।

किसान समृद्धि (वृष्टिछाया क्षेत्र) एवं लघु सिंचाई (सामान्य नलकूप) योजना के अंतर्गत 31.03.2012 तक खनित नलकूपों के अनुदान हेतु लंबित प्रकरणों का अनुदान भुगतान पूर्व प्रचलित अनुदान पैटर्न अनुसार इस योजना के अंतर्गत किया जा सकेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण जिनका नलकूप खनन कृषकों द्वारा नहीं कराया गया है, उन कृषकों को पुनः पंजीयन कराना होगा।

उपरोक्त योजना की सैद्धान्तिक सहमति छ.ग. शासन वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 430-ए/सी.एन./00000062/बजट-5/दित्त/चार/2011 दिनांक 01.10.2011 के आधार पर जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(प्रदीप कुमार दवे)  
उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृ.क्रमांक/ 1652 /डी.17/12/2003/14-3 रायपुर दिनांक : 09/04/2012

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ;
2. सचिव, छ.ग. शासन, जलसंसाधन विभाग।
3. सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग।
4. सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग।
5. आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा।
6. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
7. ~~उप सचिव~~ छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर।
8. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
10. प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर।
11. स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी (SLBC), द्वितीय तल, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, बैरन बाजार, रायपुर।

(प्रदीप कुमार दवे)  
उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

(विकास मिश्रा)  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - सड़सठ  
अतारॉकेत प्रश्न संख्या 45 (क. 2300) की जानकारों

प्रपत्र-अ


क्र0	जिले कानाम	कुलप्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	स्वीकृतप्रकरण	अस्वीकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	17704	14882	14517	365	2822
2	गरियाबंद	216	216	180	36	0
3	बिलासपुर	9856	4850	4807	43	5006
4	मुंगेली	168	118	118	0	50
5	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	216	52	52	0	164
6	दुर्ग	11713	5623	5536	87	6090
7	बेमेतरा	15	12	12	0	3
8	कोरबा	2435	2020	1772	248	415
9	रायगढ़	805	759	440	319	46
10	बस्तर	250	78	78	0	172
11	कोडागांव	10	2	2	0	8
12	नारायणपुर	39	0	0	0	39
13	बीजापुर	11	0	0	0	11
14	सुकमा	100	15	15	0	85
15	राजनांदगांव	791	604	470	134	187
16	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	38	13	13	0	25
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	46	0	0	0	46
18	धमतरी	725	124	116	8	601
19	सरगुजा	812	102	98	4	708
20	बलरामपुर	138	49	49	0	89
21	सूरजपुर	45	0	0	0	45
22	कवर्धा	505	351	301	20	154
23	जांजगीर-चांपा	186	91	84	7	95
24	सक्ती	36	0	0	0	36
25	जशपुर	100	86	81	5	14
26	कांकेर	57	57	51	6	0
27	बालोद	96	53	31	22	43
28	कोरिया	269	238	238	0	31
29	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	82	43	43	0	39
30	बलौदाबाजार	106	92	85	7	14
31	सारंगढ़-बिलाईगढ़	19	6	4	2	13
32	महासमुंद	104	21	21	0	83
33	दंतेवाड़ा	137	137	135	2	0
	योग	47830	30694	29349	1315	17134

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक	जिले कानाम	शास्तिअधिरोपित प्रकरणों संख्या	अधिरोपित शास्ति राशि	प्राप्तशास्ति राशि	अप्राप्तशास्ति राशि
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	7628	2060521436	1409421400	651100036
2	गरियाबंद	118	48805158	2440844	4534314
3	बिलासपुर	2268	305728851	221307125	96861278
4	मुंगेली	71	14486569	2947237	11539332
5	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	10	4930782	428637	4502145
6	दुर्ग	3655	376310532	321130379	55180153
7	बेमेतरा	9	3528765	2612273	916492
8	कोरबा	1290	136461583	55818564	78827551
9	रायगढ़	256	11892380	8348368	3544012
10	बस्तर	78	4349915	3083520	1266395
11	कोंडागांव	2	115069	115069	0
12	नारायणपुर	0	0	0	0
13	बीजापुर	0	0	0	0
14	सुकमा	15	322124	52137	269987
15	राजनांदगांव	451	21066147	7653195	13412952
16	मोहला-मानपुर- अंबागढ़चौकी	13	1609525	102989	310371
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	0	0	0	0
18	धमतरी	124	19537974	11810582	7727392
19	सरगुजा	98	23930446	9883883	14046563
20	बलरामपुर	49	3400244	1899098	1501146
21	सूरजपुर	45	0	0	0
22	कवर्धा	268	31244363	11902884	19341479
23	जांजगीर-चांपा	84	19378002	14450097	4927905
24	सक्ती	0	0	0	0
25	जशपुर	81	14987241	6621710	8365531
26	कांकेर	50	8234087	7462057	888025
27	बालोद	41	3802518	3247347	555171
28	कोरिया	238	18483145	2012289	16470856
29	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	43	2856218	759645	2096573
30	बलौदाबाजार	60	18788623	12834233	5954390
31	सारंगढ़-बिलाईगढ़	4	187154	187154	0
32	महासमुंद	10	1014143	127613	886530
33	दंतेवाड़ा	53	12791872	4192029	8599841
कुल योग		17114	3168764866	2124667826	1013626420

क्रमांक	जिला का नाम	प्रश्नांश "ख" अस्वीकृत प्रकरणों में पश्चातवर्ती क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?
1	रायपुर	जिला नियमितिकरण प्राधिकारी के प्रकरण अस्वीकृति पश्चात् आवेदकगण को स्वयं उक्त अनधिकृत विकास को अविलंब हटाने हेतु सूचित किया गया है। कार्यालय द्वारा संबंधित नगरीय निकाय को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।
2	गरियाबंद	
3	बिलासपुर	जिला नियमितिकरण प्राधिकारी समिति द्वारा प्रकरण निरस्त किये जाने के पश्चात् आवेदकों को सूचना पत्र प्रेषित की गई है तथा साथ ही संबंधित नगरीय निकायों को प्रतिलिपि पत्र प्रेषित की गई है।
4	मुंगेली	
5	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	
6	दुर्ग	जिला नियमितिकरण प्राधिकारी समिति द्वारा प्रकरण निरस्त किये जाने के पश्चात् आवेदकों को सूचना पत्र प्रेषित की गई है तथा साथ ही संबंधित नगरीय निकायों को प्रतिलिपि पत्र प्रेषित की गई है।
7	बैमेतरा	
8	कोरबा	जिला नियमितिकरण प्राधिकारी के प्रकरण अस्वीकृति पश्चात् आवेदकगण को स्वयं उक्त अनधिकृत विकास को अविलंब हटाने हेतु सूचित किया गया है। कार्यालय द्वारा संबंधित नगरीय निकाय को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।
9	रायगढ़	जिला नियमितिकरण प्राधिकारी के प्रकरण अस्वीकृति पश्चात् आवेदकगण को स्वयं उक्त अनधिकृत विकास को अविलंब हटाने हेतु सूचित किया गया है। कार्यालय द्वारा संबंधित नगरीय निकाय को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।
10	बस्तर	निरंक
11	कोंडागांव	
12	नारायणपुर	
13	बीजापुर	
14	सुकमा	
15	राजनांदगांव	अस्वीकृत प्रकरणों में आवेदक को पत्र के माध्यम से सूचना पत्र दी गई है।
16	मोहला-मानपुर- अंबागढ़चौकी	
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	अनाधिकृत विकास/निर्माण को हटाने हेतु आवेदक को सूचित किया गया है, एवं नगर पालिक निगम धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित किया गया है।
18	धमतरी	
19	सरगुजा	जिला नियमितिकरण प्राधिकारी द्वारा प्रकरण निरस्त किये जाने के पश्चात कार्यवाही हेतु पत्र नगरीय निकाय को प्रेषित की गई है।
20	बलरामपुर	
21	सूरजपुर	
22	कवर्धा	निरंक
23	जांजगीर-चांपा	कोई कार्यवाही नहीं किया गया है।
24	सक्ती	
25	जशपुर	नियमितिकरण के प्रकरणों को समिति के द्वारा निरस्त किया गया है।
26	कांकेर	अस्वीकृत प्रकरणों में आवेदकों को सूचना दिये जाने के पश्चात कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
27	बालोद	अस्वीकृत प्रकरणों में अवैध विकास को हटाने हेतु नोटिस प्रेषित की गई है।
28	कोरिया	अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या निरंक है।
29	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	अस्वीकृत प्रकरणों में आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है।
30	बलौदाबाजार	जिला नियमितिकरण प्राधिकारी के प्रकरण अस्वीकृति पश्चात् आवेदकगण को स्वयं उक्त अनधिकृत विकास को अविलंब हटाने हेतु सूचित किया गया है। कार्यालय द्वारा संबंधित नगरीय निकाय को नियमानुसार कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।
31	सारंगढ़-बिलाईगढ़	
32	महासमुंद	इस कार्यालय अंतर्गत किसी भी प्रकरण को समिति द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है, अतः जानकारी निरंक है।
33	दंतेवाड़ा	नियमितिकरण के प्रकरणों को समिति के द्वारा निरस्त किया गया है।

क्रमांक	जिला का नाम	(ग) - जिन प्रकरणों में शास्ति की राशि अप्राप्त है, उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है ?
1	रायपुर	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
2	गरियाबंद	
3	बिलासपुर	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
4	मुंगेली	
5	गौरिला-पेण्ड्रा-मरवाही	
6	दुर्ग	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
7	बेमेतरा	
8	कोरबा	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
9	रायगढ़	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
10	बस्तर	मांग नोटिस जारी किया गया है। प्रक्रियाधीन
11	कोंडागांव	
12	नारायणपुर	
13	बीजापुर	
14	सुकमा	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
15	राजनांदगांव	
16	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	
18	धमतरी	निरंक
19	सरगुजा	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
20	बलरामपुर	
21	सूरजपुर	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
22	कवर्धा	
23	जांजगीर-चांपा	कोई कार्यवाही नहीं किया गया है।
24	सक्ती	
25	जशपुर	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
26	कांकेर	जिन प्रकरणों में शास्ति की राशि अप्राप्त है। उनको एक बार स्मरण पत्र भेजा गया है।
27	बालोद	जिन प्रकरणों में शास्ति की राशि अप्राप्त है। उनको एक बार स्मरण पत्र भेजा गया है।
28	कोरिया	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
29	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	
30	बलौदाबाजार	शास्ति राशि जमा करने हेतु आवेदकों को पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया है।
31	सारंगढ़-बिलाईगढ़	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
32	महासमुंद	शास्ति राशि जमा करने हेतु आवेदकों को पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया है।
33	दंतेवाड़ा	संपर्क कर राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 भद्रालय, रायपुर

## पॉरीशेष्ट - अडसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 2301) की जानकारी


प्रपत्र-अ

## प्रदेश में गठित और प्रक्रियाधीन निवेश क्षेत्रों की जानकारी

क्र.	गठित निवेश क्षेत्र	क्र.	गठित निवेश क्षेत्र	क्र.	गठित निवेश क्षेत्र
1	रायपुर	36	सराईपाली	71	छुईखदान
2	तिल्दानेवरा	37	बसना	72	अम्बागढ़ चौकी
3	गोबरानवापारा	38	तुमगांव	73	डोंगरगांव
4	आरंग	39	भंवरपुर	74	छुरिया
5	अभनपुर	40	सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	75	मुरमुंदा
6	खरोरा	41	धमतरी	76	कवर्धा
7	चंपारण	42	कुरूद	77	पंडरिया
8	कूरा	43	मगरलोड	78	बोड़ला
9	नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी	44	नगरी	79	पाण्डातराई
10	पुरा विशेष क्षेत्र	45	भखारा	80	सहसपुर- लोहारा
11	गरियाबन्द	46	दरबा	81	पिपरिया
12	राजिम	47	आमदी	82	कुण्डा
13	फिंगेश्वर	48	दुर्ग-भिलाई	83	बिरकोना
14	छुरा	49	अहिवारा	84	जगदलपुर
15	बलौदाबाजार	50	धमधा	85	बस्तर
16	भाटापारा	51	पाटन	86	बैलाडिला
17	बिलाईगढ़	52	बेमेतरा	87	कोण्डागांव
18	कसडोल	53	नवागढ़	88	केशकाल
19	पलारी	54	बेरला	89	विश्रामपुरी
20	सिमगा	55	साजा	90	फरसगांव
21	टुण्डरा	56	थानखम्हरिया	91	नगरनार
22	लवन	57	देवकर	92	नारायणपुर
23	रवान	58	मारो	93	सुकमा
24	खपराडीह	59	परपोड़ी	94	दोरनापाल
25	गिरौदपुरी	60	बालोद	95	कोण्टा
26	रिसदा	61	दल्लीराजहरा,	96	बीजापुर
27	हथबंद	62	डौण्डी	97	भैरमगढ़
28	सोनाडीह	63	डौण्डीलोहारा	98	भोपालपटनम
29	रावन	64	गुरूर	99	बड़े कनेरा (कलस्टर)
30	हिरमी	65	गुण्डरदेही	100	बड़ी बचेली-किरंदुल
31	दामाखेड़ा	66	अर्जुन्दा	101	दन्तेवाड़ा
32	भटगांव	67	राजनांदगांव	102	गीदम
33	महासमुंद	68	डोंगरगढ़	103	बारसूर
34	बागबहरा	69	खैरागढ़	104	कांकेर
35	पिथौरा	70	गण्डई	105	भानुप्रतापपुर

क्र.	गठित निवेश क्षेत्र	क्र.	गठित निवेश क्षेत्र	क्र.	गठित निवेश क्षेत्र
106	चारामा	135	हरदीबाजार	164	पुसौर
107	पखांजूर	136	जांजगीर	165	तमनार विशेष क्षेत्र
108	अंतागढ़	137	चांपा	166	जशपुरनगर
109	नरहरपुर	138	सक्ती	167	पथलगांव
110	बड़े कापसी	139	अकलतरा	168	कोतबा
111	बिलासपुर	140	नया बाराद्वार	169	बगीचा
112	तखतपुर	141	बलौदा	170	कुनकुरी
113	कोटा	142	मालखरौदा	171	अम्बिकापुर
114	बिल्हा	143	शिवरीनारायण	172	सीतापुर
115	रतनपुर	144	अड़भार	173	लखनपुर
116	गौरेला-पेण्ड्रा	145	जैजैपुर	174	सूरजपुर
117	मल्हार	146	डभरा	175	प्रतापपुर
118	गनियारी	147	चन्द्रपुर	176	विश्रामपुर
119	अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	148	सारागांव	177	भटगांव
120	सीपत विशेष क्षेत्र	149	नवागढ़	178	जरही
121	अमरकंटक विशेष क्षेत्र	150	पामगढ़	179	प्रेमनगर
122	मुंगेली	151	राहौद	180	बलरामपुर
123	लोरमी	152	मुलमुला	181	रामानुजगंज
124	पथरिया	153	खरौद	182	वाड़फनगर
125	सरगांव	154	जेठा	183	राजपुर
126	जयरामनगर-मस्तुरी	155	रायगढ़	184	कुसमी
127	मरवाही	156	खरसिया	185	रघुनाथपुर
128	कोरबा	157	धर्मजयगढ़	186	चिरमिरी
129	दीपीका	158	सारंगढ़	187	मनेन्द्रगढ़
130	कटघोरा	159	जनजातिय कलस्टर धरमजयगढ़	188	बैकुंठपुर
131	पाली	160	घरघोड़ा	189	शिवपुरचरचा
132	छुरी	161	लैलुंगा	190	खोगापानी- झगराखण्ड- नईलेदरी
133	पोड़ी-उपरोड़ा	162	सरिया	191	सोनहत
134	करतला	163	बरमकेला		

गठन हेतु प्रक्रियाधीन निवेश क्षेत्रों की जानकारी		
क्र.	निवेश क्षेत्र	कब से प्रक्रियाधीन है (दिनांक)
1	मोहला	09-09-2022
2	मानपुर	09-09-2022
3	भरतपुर	09-09-2022

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आवास एवं पर्यावरण विभाग  
 मंत्रालय, रायपुर

छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (4) अंतर्गत  
अनुमोदित एवं प्रकाशित विकास योजनाएं

1	रायपुर	23	कवर्धा
2	आरंग	24	जगदलपुर
3	अभनपुर	25	कोण्डागांव
4	नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी	26	नारायणपुर
5	बलौदाबाजार	27	सुकमा
6	भाटापारा	28	बीजापुर
7	कसडोल	29	कांकेर
8	महासमुंद	30	भानुप्रतापपुर
9	बागबहरा	31	बिलासपुर
10	पिथौरा	32	रतनपुर
11	सराईपाली	33	अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
12	धमतरी	34	सीपत विशेष क्षेत्र
13	कुरूद	35	मुंगेली
14	दुर्ग-भिलाई	36	कोरबा
15	अहिवारा	37	जांजगीर
16	पाटन	38	चांपा
17	बेमेतरा	39	रायगढ़
18	थान खम्हरिया	40	खरसिया
19	बालोद	41	सारंगढ़
20	राजनांदगांव	42	जशपुरनगर
21	डोंगरगढ़	43	अम्बिकापुर
22	खैरागढ़	44	बलरामपुर

54-1  
12/3/25  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, रायपुर

कृषकों को वितरित किये गये प्रमाणित बीजों का विक्रय दर - वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक

(इकाई- दर प्रति क्विंटल रूपये में)

क्र.सं.	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
	विक्रय दर	फसल	विक्रय दर	फसल	विक्रय दर	फसल
1	2,600	गेहूँ ऊँची	3,425	धान मोटा	3,900	गेहूँ ऊँची
2	2,800	गेहूँ बीनी	3,400	धान (फल)	3,900	गेहूँ बीनी 10 वर्ष के अन्दर
3	3,100	चना	7,500	धान सुगन्धित	4,500	गेहूँ बीनी 10 वर्ष के ऊपर
4	4,150	मटर	8,300	कोदो	7,200	चना 10 वर्ष के अन्दर
5	4,150	मसूर	8,000	रागी	4,700	चना 10 वर्ष के ऊपर
6	8,100	उड़द	9,350	अरहर	3,400	मटर
7	9,350	मूंग	9,500	उड़द	7,600	मसूर
8	9,500	तिवरा	5,000	मूंग	11,994	उड़द
9	8,000	सरसों	7,000	सोयाबीन	13,596	मूंग
10	14,000	अलसी	6,000	लिल	12,500	तिवरा
11	7,400	मूंगफली	8,200	11 मूंगफली	11,200	सरसों
12	8,850	कुसुम	6,500	12 रामतिल	8,200	अलसी
13	6,200	-	-	13 सनई	19,300	मूंगफली
	-	-	-	14 देवा	11,900	कुसुम
	-	-	-	-	13,000	-
	-	-	-	-	11,600	-
	-	-	-	-	9,900	-

• आधार बीजों के विक्रय दरों का निर्धारण प्रमाणित बीजों की विक्रय दरों में 100/- रु. प्रति क्विंटल जोड़कर किया गया।

(विकास विभाग)  
उप सचिव  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, नई दिल्ली, अटल नगर

नोडल अधिकारी (किस)।  
संचालनालय कृषि  
छ.ग. रायपुर

वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक महासमुंद जिले में केन्द्र प्रवर्तित-सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल-बीज ग्राम योजना अंतर्गत अनाज, दलहन व तिलहन बीज की वितरित मात्रा एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. को भुगतान की गई राशि का विवरण

प्रपत्र-"ब"

क्र.	वर्ष	सीजन	विकासखंड का नाम	फसल	वितरित बीज मात्रा (किं. मी)	बीज निगम को भुगतान राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2022 23	खरीफ 2022	महासमुन्द	सुगन्धित धान	52.50	144500.00
				उड़द	6.96	57397.00
				अरहर	0.69	4182.00
				सुगन्धित धान	52.50	189000.00
				उड़द	6.96	78996.00
				अरहर	1.20	12120.00
			बागबाहरा	सुगन्धित धान	2.00	23000.00
				अरहर	52.50	215250.00
				उड़द	6.80	68680.00
				सुगन्धित धान	4.00	45400.00
				उड़द	2.03	23224.00
				सुगन्धित धान	52.50	189000.00
सरायपाली	मिथौरा	अरहर	6.80	68680.00		
		उड़द	6.96	78996.00		
		सुगन्धित धान	4.96	57040.00		
		अरहर	52.50	189720.00		
		उड़द	6.80	68680.00		
		सुगन्धित धान	6.96	78996.00		
वसना	उड़द	6.96	78996.00			
	सुगन्धित धान	5.00	56930.00			

*[Handwritten signature]*



क्र.	वर्ष	सीजन	विकासखंड का नाम	फसल	वितरित बीज मात्रा (किं. मी)	बीज निगम को भुगतान राशि (रुपये में )
1	2	3	4	5	6	7
3	2023-24	खरीफ 2023	महाराष्ट्र	सुगन्धित धान	46.50	90675.00
				उड़द	4.20	30870.00
				अरहर	8.40	52416.00
				मूंग	7.00	50820.00
				रागी	3.12	7956.00
			सुगन्धित धान	46.50	181350.00	
			उड़द	4.20	51450.00	
			अरहर	8.40	62741.00	
			मूंग	7.00	84700.00	
			रागी	3.12	15912.00	
			सुगन्धित धान	15.00	58500.00	
			मूंग	7.04	84942.00	
			रागी	3.12	0.00	
			उड़द	4.20	51450.00	
			अरहर	8.40	87360.00	
सुगन्धित धान	38.70	145245.00				
उड़द	4.20	48216.00				
अरहर	8.36	68723.00				
मूंग	7.10	52659.00				
सुगन्धित धान	46.50	181350.00				
मूंग	7.02	84942.00				
उड़द	4.20	51450.00				
अरहर	8.40	87360.00				
रागी	3.12	15912.00				
			पिथौरा			
						15912.00

क्र.	वर्ष	सीजन	विकासखंड का नाम	फसल	वितरित बीज मात्रा (किं. मी)	बीज निगम को भुगतान राशि (रुपये में )
1	2	3	4	5	6	7
4	2023-24	रबी 2023-24	महासमुन्द	गेहूँ	148.60	492560.00
				चना	23.25	145500.00
				मटर	8.80	57552.00
				सरसों	6.60	37620.00
			बागबाहरी	गेहूँ	130.00	537680.00
				चना	25.60	256000.00
				सरसों	6.56	15162.00
				गेहूँ	409.60	1802240.00
			सरायपाली	चना	25.80	258000.00
				सरसों	6.60	62700.00
				मटर	15.16	165600.00
				गेहूँ	167.60	737440.00
			बसना	चना	25.80	103092.00
				सरसों	6.60	19760.00
गेहूँ	198.20	421175.00				
चना	25.80	256000.00				
पिथौरा	सरसों	6.60	49400.00			
	मटर	11.60	126440.00			
	कुल योग (खरीफ+रबी 2023-24)	1552.57	7190920.00			



क्र.	वर्ष	सीजन	विकासखंड का नाम	फसल	वितरित बीज मात्रा (किं. मी)	बीज निगम को भुगतान राशि (रुपये में )
1	2	3	4	5	6	7
5	2024-25	खरीफ 2024	महाराष्ट्र	सुगन्धित धान	39.90	99750.00
				अरहर	9.00	75038.00
				उड़द	5.00	43078.00
			बागबाहरी	मूंग	7.00	55440.00
				सुगन्धित धान	62.70	251790.00
				अरहर	8.98	75939.00
			बसना	उड़द	5.00	43500.00
				मूंग	9.96	51123.00
				सुगन्धित धान	37.80	192780.00
			सरायपाली	अरहर	9.00	126847.00
				उड़द	5.00	72500.00
				मूंग	7.00	92400.00
			पिथौरा	सुगन्धित धान	39.60	201960.00
				मूंग	7.00	92400.00
				उड़द	5.00	72500.00
			अरहर	9.00	126846.00	
			सुगन्धित धान	39.60	99000.00	
			मूंग	7.68	55440.00	
			उड़द	5.00	48372.00	
			अरहर	9.00	76107.60	



क्र.	वर्ष	सीजन	विकासखंड का नाम	फसल	वितरित बीज मात्रा (किं. मी)	बीज निगम को भुगतान राशि (रुपये मी )
1	2	3	4	5	6	7
6	2024-25	रबी 2024-25	महारासमुन्द	गेंहू	275.00	95200.00
				चना	32.85	0.00
				गेंहू	275.40	387200.00
				चना	45.00	60480.00
				सरसो	4.02	3360.00
				गेंहू	425.00	924006.40
				चना	25.44	97398.00
				सरसो	6.98	24918.60
				गेंहू	430.60	658622.00
				मटर	12.00	0.00
				चना	15.00	0.00
				सरसो	6.70	0.00
				गेंहू	497.60	190400.00
				मटर	10.00	33600.00
चना	15.00	7200.00				
सरसो	7.00	8400.00				
कुल योग (खरीफ+रबी 2024-25)					2411.81	4447595.60
महाराजग					5434.20	18599167.60

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
नया क्षेत्र प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर, अदरल नगर

(विकास विभाग)  
उप सचिव

नोडल अधिकारी (वि.स.)  
संचालनालय कृषि  
छ.प. रायपुर


## परिशेष - सत्तर

अताराजकेत प्रश्न संख्या 48 (क्र. 2305) की जानकारी

प्रपत्र

## प्रश्नांश 'क' की जानकारी

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	सीट संख्या	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
(1) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिला रायपुर	100	2023-24	100	41,30,000	100	33,75,000
		2024-25	100	26,23,000	100	20,32,000
(2) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिला बिलासपुर	100	2023-24	200	43,80,000	200	38,43,650
		2024-25	100	26,90,000	100	12,41,061
(3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिला जगदलपुर	100	2023-24	100	55,90,000	100	50,10,450
		2024-25	100	49,16,000	100	16,16,815
(4) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिला कबीरधाम	100	2023-24	100	53,85,000	100	34,77,000
		2024-25	100	32,20,000	100	20,50,550
(5) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिला नारायणपुर	100	2023-24	100	57,45,000	100	55,29,000
		2024-25	100	43,63,000	100	3,92,000



अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
जिला नवा रायपुर, अटल नगर

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी संस्कृति, लोक कलायें व धार्मिक-सांस्कृतिक, रीति-रिवाजों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विधावार चिन्हारी पोर्टल के माध्यम से दल प्रमुखों का ऑनलाईन पंजीयन किया जा रहा है एवं छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम के तहत लोक कलाकारों का श्रेणी निर्धारण तथा रामायण मानस मंडली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षण, संवर्धन का कार्य किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अधीनस्थ कला अकादमी, साहित्य अकादमी एवं आदिवासी लोक कला अकादमी एवं कला अकादमी के द्वारा पंडवानी उत्सव, नाचा-गम्मत कार्यशाला, पंथी नृत्य समारोह, भरथरी/नाट्योत्सव, नृत्यांजलि, हरेली तिहार, देवारी जोहार/ गोवर्धन पूजा, तीजा-पोरा तिहार, पावस प्रसंग, “फोकलोर फेस्टिवल, भरथरी, पंडवानी, नाचा, “रंग-तरंग वाद्ययंत्र संगम, “रंग-परब नाट्य श्रृंखला, पारंपरिक लोकगीत-संगीत के आयोजन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।
  - माननीया राष्ट्रपति महोदया के रायपुर छत्तीसगढ़ प्रवास के अवसर पर दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को पुरखौती मुक्तांगन, नवा रायपुर में सरगुजा प्रखंड का लोकार्पण, आदिवासी लोक नृत्य (करमा लोक नृत्य, गौर नृत्य, दशहरा करमा एवं सोहराई करमा नृत्य) की प्रस्तुति एवं आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद हेतु सांस्कृतिक आयोजन किया गया।
  - जगदलपुर में आयोजित “बस्तर दशहरा 2024” के अवसर पर विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, आयोजन में होने वाले कार्य व्यवस्था हेतु संबंधित जिला प्रशासन को राशि रु. 40.00 लाख बजट आबंटन प्रदान किया गया एवं दिनांक 17, 18 एवं 19 अक्टूबर, 2024 को तीन दिवसीय आयोजन में आमंत्रित राष्ट्रीय कलाकार दलों की प्रस्तुति तथा स्थानीय लोक कलाकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुति हेतु मंच प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ लोक कला संगीत अकादमी एवं लोकगीतों व लोक नृत्यों का संरक्षण योजना के अंतर्गत 10 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर व प्रदर्शनी हेतु अशासकीय संस्था को आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया।
  - राज्य स्तर पर दिनांक 14 एवं 15 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज ग्राउण्ड रायपुर में “जनजातीय गौरव दिवस 2024” के आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए 19 राज्य/3 केन्द्र शासित प्रदेश “आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दादर नागर हवेली दमन-दीव, अंडमान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम के लोक कलाकार दलों एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लोक कलाकार दलों” के लगभग 450 लोक कलाकारों को जोन SZCC and SCZCC, WZCC and NZCC, NEZCC, EZCC and NCZCC के माध्यम से को आमंत्रित कर सांस्कृतिक प्रस्तुति हेतु मंच प्रदान किया गया।

अनुभाग अधिकारी  
आदिम जाति विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

## पॉरीशेष्ट - बहतर

प्रपत्र-अ

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 52 (क. 2313) की जानकारी

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं अन्य योजनाओं के तहत किसानों के लिए आयोजित प्रशिक्षण की जानकारी

वित्तीय राशि रू. लाख में

क्र.	योजना का नाम	विकासखंड	कृषक प्रशिक्षण संख्या	स्वीकृत/व्यय राशि
1	2	3	4	5
<b>वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.12.2023 से 31.03.2024 तक)</b>				
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	-	-	-
2	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा	पंडरिया	2	0.095
3	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा	कवर्धा	2	0.102
4	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा	स.लोहारा	3	0.136
5	राष्ट्रीय बागवानी मिशन		100	1.000
<b>योग-वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.12.2023 से 31.03.2024 तक)</b>			<b>107</b>	<b>1.333</b>
<b>वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक)</b>				
6	खा.पो.सु. (रा.खा.सु.मि.) पोषक अनाज	पंडरिया	2	0.280
7	खा.पो.सु. (रा.खा.सु.मि.) दलहन		3	0.420
8	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा		3	0.600
9	खा.पो.सु. (रा.खा.सु.मि.) चावल		2	0.280
10	राष्ट्रीय बागवानी मिशन		10	0.100
11	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा	कवर्धा	3	0.600
12	रा.खा.सु.मि. तिलहन	स.लोहारा	1	0.267
13	रा.खा.सु.मि. तिलहन		1	0.240
14	खा.पो.सु. (रा.खा.सु.मि.) चावल		2	0.280
15	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा		4	0.600
16	राष्ट्रीय बागवानी मिशन		42	0.540
<b>योग-वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक)</b>			<b>73</b>	<b>4.207</b>
<b>महायोग</b>			<b>180</b>	<b>5.540</b>

(विकास मिश्रा)

उप.सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

## प्रश्नांश "ख" पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों में प्रदाय कृषि यंत्रों की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	सामग्री का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	प्रदायक का नाम	लामावित कृषक/ प्रदाय संख्या	स्वीकृत/ अनुदान राशि (क. लाख में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.12.2023 से 31.03.2024 तक)</b>								
1	किसान समृद्धि योजना	कवर्धा, पंडरिया, स. लोहारा	निरंक	निरंक				
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन							
3	कृषक समग्र गान्ना विकास योजना		स्प्रेंयर पम्प कल्टीवेटर लेजर लैंड लेवलर मिनी दाल मिल ऑयल मिल सीड ड्रिल स्व-चलित रीपर ट्रैक्टर	डी.बी.टी.	कृषक द्वारा स्वयं क्रय बालाजी कृषि केन्द्र, बेमेतरा सतनाम एग्रीटेक, बेमेतरा रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर बालाजी कृषि केन्द्र, बेमेतरा किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर पटेल एग्री क्लिनिक एण्ड बिजनेस, रायपुर मानव मोटर्स, रायपुर अजय कृषि केन्द्र, रायपुर बालाजी पॉली प्लास्ट, रायपुर बाम्बे मशीनरी स्टोर्स, रायपुर देव मोटर्स, गरियाबद दिव्यम सेल्स, रायपुर खन्ना स्टील ट्रेडर्स, रायपुर किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर कोठारी ट्रेड लिंक, दुर्ग सार्वा एग्री एण्ड फार्म, कवर्धा	12 1 4 1 1 1 3 2 2 6 10 2 7 5 1 5 3 1 -	0.24 0.18 7.50 1.17 1.14 0.20 2.19 1.50 8.50 0.53 0.88 0.18 0.65 0.46 0.16 0.78 0.26 0.16	
4	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो -3)							
5	शाकम्परी योजना	कवर्धा	सिंचाई पंप					
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन		निरंक					
	योग-वि.खं. कवर्धा					67	26.68	

AN

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	सामग्री का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	प्रदायक का नाम	लाभार्थित कृषक/ प्रदाय संख्या	स्वीकृत/ अनुदान राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	कृषक समग्र गन्ना विकास योजना		स्प्रेयर पम्प चॉफ कटर कल्टीवेटर लेजर लैंड लेवलर मिनी दाल मिल मिनी राईस मिल ऑयल मिल रोटावेटर	डी.बी.टी.	कृषक द्वारा स्वयं क्रय इण्डियन मशीनरी स्टोर्स, बिलासपुर बालाजी कृषि केन्द्र, बेमेतरा सतनाम एग्रीटेक, बेमेतरा रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर पटेल एग्री विलिनिक एण्ड बिजनेस, रायपुर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, दुर्ग अजय कृषि केन्द्र, रायपुर बालाजी पॉली प्लास्ट, रायपुर देव मोटर्स, गरियाबंद, बसनहंढ दिव्यम सेल्स, रायपुर खन्ना स्टील ट्रेडर्स, रायपुर किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर कोठारी ट्रेड लिंक, दुर्ग सार्वा एग्री एण्ड फार्म, कवर्धा	6 50 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 7 11 5 11 2 2 15 9 12 1	7 1.00 1.48 0.35 3.80 1.17 0.71 1.14 0.87 0.73 0.75 5.25 10.73 0.44 1.03 0.19 0.19 1.93 1.40 1.05 0.09	
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो-3)	पंडरिया	स्व-चलित रीपर ट्रैक्टर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (बैम्स प्रकोष्ठ)				
3	शाकम्परी योजना		सिचाई पंप					
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन		पॉवर वीडर			4	2.52	अनुदान राशि का भुगतान लंबित
	योग- वि.खं. पंडरिया					142	36.82	

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	सामग्री का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	प्रदायक का नाम	लामावित कृषक/ प्रदाय संख्या	स्वीकृत/ अनुदान राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	कृषक समग्र गन्ना विकास योजना				निरंक			
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो-3)	स.लोहारा	कल्टीवेटर लेजर लैंड लेवलर सीड ड्रिल स्व-चलित रीपर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (चैम्पस प्रकोष्ठ)	बालाजी कृषि केंद्र, बेमेतरा सतनाम एग्रीटेक, बेमेतरा बालाजी कृषि केंद्र, बेमेतरा पटेल एग्री क्लिनिक एण्ड बिजनेस, रायपुर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर बालाजी पॉली प्लास्ट, रायपुर देव मोटर्स, गरियाबंद दिव्यम सेल्स, रायपुर खन्ना स्टील ट्रेडर्स, रायपुर किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि. बँगलोर कोठारी ट्रेड लिंक, दुर्ग -	1 1 1 1 1 2 12 5 2 4 2 7 39	0.18 1.80 0.20 0.75 0.75 0.18 1.11 0.46 0.31 0.62 0.18 4.41	
3	शाकम्परी योजना	स.लोहारा	सिंचाई पंप	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (चैम्पस प्रकोष्ठ)		2	0.18	
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन		पॉवर वीडर			7	4.41	
	योग-वि.खं. स.लोहारा					248	74.45	
	योग-वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.12.2023 से 31.03.2024 तक)							
	योग-वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक)							

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	सामग्री का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	प्रदायक का नाम	लाभान्वित कृषक / प्रदाय संख्या	स्वीकृत / अनुदान राशि (रु. लाख में)	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	किसान समृद्धि योजना	कवर्धा, पंडरिया, रा. लोहारा			निरंक			
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन				निरंक			
3	कृषक समग्र गन्ना विकास योजना		स्प्रेयर पम्प	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	13	0.26	
4	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो-3)	कवर्धा	कम्बाईन हार्वेस्टर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	इकोसोल एनेर्जी, राजनादगांव	1	8.00	
			कल्टीवेटर		मानव मोटर्स, रायपुर	2	16.00	
			लेजर लैंड लेवलर		वर्मा ट्रेक्टर्स, बेमेतरा	1	8.00	
			पॉवर वीडर		बालाजी कृषि केंद्र, बेमेतरा	10	1.87	
			सीड ड्रिल		सतनाम एग्रीटेक, बेमेतरा	2	3.80	
			शेसर		किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर	2	0.74	
					बालाजी कृषि केंद्र, बेमेतरा	4	0.80	
					सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, दुर्ग	3	2.93	
					वर्धमान एजेंसीज, रायपुर	1	1.00	
					अरुण उद्योग, रायपुर	1	4.25	
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	कवर्धा	ट्रेक्टर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (चैम्स प्रकोष्ठ)	मानव मोटर्स, रायपुर	8	33.50	
					पटेल मोटर्स, महारासमुंद	2	8.50	
					पंजाब एग्रीकल्चर वर्क्स, बेमेतरा	1	2.50	
					सुयोक्ता मोटर्स, रायपुर	1	4.25	
					अनंत ईशिशेगन, खण्डवा	1	0.36	
					महिन्द्रा ईपीसी ईशिशेगन, महाराष्ट्र	5	4.16	
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - रिप्रिकलर	कवर्धा	ड्रिप	नेटाफिम ईशिशेगन, रायपुर	नेटाफिम ईशिशेगन, रायपुर	1	0.66	
					अनंत ईशिशेगन, खण्डवा	23	3.83	
			रिप्रिकलर		बालाजी पॉली प्लास्ट, रायपुर	59	8.96	
					डोल्फ्रीन पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., राजकोट	61	8.91	

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	सामग्री का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	प्रदायक का नाम	लाभान्वित कृषक/ प्रदाय संख्या	स्वीकृत/ अनुदान राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - सिंचकलर		सिंचकलर		कोठारी एग्रीटेक प्रा.लि., रायपुर महिन्द्रा ईपीसी ईरीगेशन, महाराष्ट्र भैकनाथ इंडस्ट्रीज, रायपुर पारस ईरीगेशन, राजनांदगांव प्रगति पाईप, रायपुर रूंगटा ईरीगेशन लि., हैदराबाद वेदांत पॉलीएग्रो, राजनांदगांव आशा एग्रीटेक एसोसिएट्स, रायपुर एग्रीकेनिक मशीनरी प्रा.लि., रायपुर अजय कृषि केंद्र, रायपुर बालाजी पॉली प्लास्ट, रायपुर देव मोटर्स, गरियाबंद खन्ना स्टील ट्रेडर्स, रायपुर मित्तल एजेंसीज, रायगढ़ भूमि पॉलीमर्स, राजकोट डोलफीन पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., राजकोट फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीज प्रा.लि. पुणे कोठारी एग्रीटेक प्रा.लि., रायपुर			
6	शाकम्परी योजना	कवर्धा	सिंचाई पंप	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (बैम्स प्रकोष्ठ)				
7	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - झिप		झिप					
योग-वि.खं. कवर्धा								
1	कृषक समग्र गन्ना विकास योजना		स्प्रेयर पम्प कल्टीवेटर लेजर लैंड लेवलर रोटावेटर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	429	163.97	
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो-3)	पंडरिया	शेसर ट्रैक्टर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (बैम्स प्रकोष्ठ)	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम बालाजी कृषि केंद्र, बेमेतरा सतनाम एग्रीटेक, बेमेतरा सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, दुर्ग इंडो एग्रीकल्चर, विलासपुर सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, दुर्ग मानव मोटर्स, रायपुर	300 2 4 1 1 2 3	6.00 0.35 7.40 0.42 1.00 1.95 12.75	

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	सामग्री का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	प्रदायक का नाम	स्वीकृत/ अनुदान राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप		ड्रिप	अनंत ईरीगेशन, खण्डवा	1	1.50	
				अनंत ईरीगेशन, खण्डवा	6	0.94	
				बालाजी पॉली प्लास्ट, रायपुर	53	8.96	
				डोल्फीन पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., राजकोट	39	5.91	
				महिन्द्रा इपीसी ईरीगेशन, महाराष्ट्र	11	1.95	
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर		स्प्रिंकलर	मैकनाथ इंडस्ट्रीज, रायपुर	6	1.05	
				मोहक एग्रो इंडस्ट्रीज, अहमदनगर	3	0.49	
				पारस ईरीगेशन, राजनांदगांव	19	3.25	
				प्रगति पाईप, रायपुर	4	0.74	
				रूगटा ईरीगेशन लि., हैदराबाद	6	1.08	
				युनाइटेड पाईप, रायपुर	1	0.15	
		पंडरिया		वेदांत पॉलीएग्रो, राजनांदगांव	36	6.48	
				आशा एग्रोटेक एसोसिएट्स, रायपुर	6	0.53	
				एग्रीकेनिक मशीनरी प्रा.लि., रायपुर	3	0.26	
				अजय कृषि केन्द्र, रायपुर	4	0.35	
				बालाजी पॉली प्लास्ट, रायपुर	13	1.14	
				देव मोटर्स, गरियाबंद	1	0.09	
4	शाकमरी योजना		सिंचाई पंप	जी.सी. एग्रीकल्चर स्टोर्स, जांजगीर-चांपा	2	0.24	
				खन्ना स्टील ट्रेडर्स, रायपुर	16	2.01	
				किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर	25	3.88	
				कोठारी ट्रेड लिंक, दुर्ग	33	2.90	
				मित्तल एजेंसीज, रायगढ़	4	0.62	
5	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप		ड्रिप	मृत्युंजय पाईप, बेमेतरा	1	1.25	
					606	75.64	

योग-वि.ख. पंडरिया

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	सामग्री का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	प्रदायक का नाम	लामावित कृषक/ प्रदाय संख्या	स्वीकृत/ अनुदान राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	कृषक समग्र गान्ना विकास योजना		स्प्रेयर पम्प कम्बाईन हार्वेस्टर कल्टीवेटर लेजर लैंड लेवलर पॉवर वीडर रोटावेटर सीड ड्रिल स्व-चलित रीपर ट्रैक्टर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम;	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	18	0.36	
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो -3)				इकोसोल एनेजी, राजनांदगांव बालाजी कृषि केंद्र, बेमेतरा सतनाम एग्रीटेक, बेमेतरा जी.सी. एग्रीकल्चर स्टोर्स, जांजगीर-चांपा एग्रीकॉनिक मशीनरी प्रा.लि., रायपुर बालाजी कृषि केंद्र, बेमेतरा बालाजी कृषि केंद्र, बेमेतरा पटेल एग्री क्लिनिक एण्ड बिजनेस, रायपुर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर अरुण उद्योग, रायपुर अनंत ईरीगेशन, खण्डवा	2 3 4 1 2 1 9 1 1 1 14	16.00 0.57 7.40 0.52 0.84 0.47 1.76 0.75 0.60 4.25 9.48	
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	स.लोहाशा	ड्रिप स्प्रिंकलर	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (चैम्पस प्रकोष्ठ)	फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीज प्रा.लि. पुणे महिन्द्रा ईपीसी ईरीगेशन, महाराष्ट्र ए.बी. एग्रो, रायपुर अनंत ईरीगेशन, खण्डवा बालाजी पॉली प्लास्ट, रायपुर डोलफ्रीन पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., राजकोट हनुकृपा एगो इंडस्ट्रीज, रायपुर कोठारी एग्रीटेक प्रा.लि., रायपुर महिन्द्रा ईपीसी ईरीगेशन, महाराष्ट्र मैकनाउ इंडस्ट्रीज, रायपुर पारस ईरीगेशन, राजनांदगांव रूंगटा ईरीगेशन लि., हैदराबाद युनाइटेड पाईप, रायपुर वेदांत पॉलीएग्रो, राजनांदगांव	1 8 15 5 19 21 1 2 16 7 1 1 1 129	0.70 8.11 2.18 0.93 3.01 2.90 0.20 0.34 2.67 1.32 0.13 0.15 0.15 23.07	

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	सामग्री का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	प्रदायक का नाम	लाभार्थित कृषक/ प्रदाय संख्या	स्वीकृत/ अनुदान राशि (रु. लाख में)	रिमार्क	
1	2	3	4	5	6	7	8		
4	शाकम्परी योजना	स.लोहारा	सिंचाई पंप	छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (चैम्स प्रकोष्ठ)	आशा एगोटेक एसोसिएट्स, रायपुर एग्रीकॉनिक मशीनरी प्रा.लि., रायपुर अजय कृषि केन्द्र, रायपुर बालाजी पौली प्लास्ट, रायपुर देव मोटर्स, गरियाबंद कोठारी ट्रेड लिंक, दुर्ग भूमि पौलीमर्स, राजकोट कोठारी एग्रीटेक प्रा.लि., रायपुर महिन्द्रा ईपीसी ईरीगेशन, महाराष्ट्र	4 1 1 4 11 11 2 1 1	0.46 0.09 0.09 0.35 1.02 0.97 0.87 0.36 0.39		
5	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना — ड्रिप		ड्रिप			320	93.46		
योग-वि.खं. स.लोहारा									
योग-वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक)									
महायोग									
							1355	333.07	
							1603	407.52	

(विकास सिक्रा)  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-अ

## प्रश्नांश 'क' की जानकारी

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	स्वीकृत सीट	भरी सीट	रिक्त सीट	स्मार्ट क्लास की संख्या	हार्ड स्पिड इंटरनेट	कम्प्यूटर	सर्व सुविधा-युक्त प्रयोगशाला	पुस्तकालय में नवीनतम पाठ्यक्रम की किताबों की संख्या	पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों की संख्या	खेल सुविधा	शौचालय संख्या	स्नानागार संख्या
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)	800	682	118	निरंक	उपलब्ध	85	सर्व सुविधायुक्त भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध	4044	4800	क्रिकेट, क्वॉलीबॉल, बार्स्केटबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम	198	132
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुडियारी, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)	620	515	105	5	300 एमबीपीएस	40	भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान हेतु पृथक-पृथक प्रयोगशाला उपलब्ध	1000	2000	खो-खो, कबड्डी, शतरंज बोर्ड, लूडो, बैडमिंटन, सांपसीडी, कैरम बोर्ड, रस्सी आदि	72	81
3	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)	500	466	34	4	उपलब्ध	25	सर्व सुविधायुक्त भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध	525	135	बैटमिंटन, क्रिकेट, कैरम व शतरंज	102	80
4	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	500	451	49	नहीं	उपलब्ध	30	उपलब्ध	251	508	बैटमिंटन, कैरम, लूडो, क्वॉलीबॉल, क्रिकेट एवं फुटबॉल	120	88
5	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर जिला-सरयुजा (छ.ग.)	500	468	32	1	जीओ एयरफाईबर एवं बीएसएनएल इंटरनेट	15	भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध	5136	347	खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन	132	64
6	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)	500	454	46	2	225 एमबीपीएस	20	3	900	630	खेल मैदान नहीं	132	66

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	स्वीकृत सीट	नारी सीट	रिक्त सीट	स्मार्ट क्लास की संख्या	हार्ड स्पीड इंटरनेट	कम्प्यूटर	सर्व सुविधा-युक्त प्रयोगशाला	पुस्तकालय में नवीनतम पाठ्यक्रम की किताबों की संख्या	पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों की संख्या	खेल सुविधा	शौचालय संख्या	स्नानगार संख्या
7	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय कांकेर जिला-कांकेर (छ.ग.)	400	375	25	1	200 एमबीपीएस	21	1	2100	630	खेल मैदान नहीं	144	96
8	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)	400	360	40	8 नग डिजिटल बोर्ड	बीएसएनएल हार्डस्पीड फाईबर	12	भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध	400	300	क्रिकेट कीट, वॉलीबॉल, फुटबॉल एवं बैडमिन्टन	104	80
9	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)	400	383	17		02 हार्डस्पीड इंटरनेट सुविधा	16	1	400	179	फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिन्टन, कैरम एवं वॉलीबॉल	55	51
10	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	125	87	38	सितम्बर 2024 में प्रारंभ होने के कारण बाकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।				821	0	क्रिकेट, बैडमिन्टन एवं चेस	18	18
11	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय पिनकापर जिला-बालोद (छ.ग.)	250	235	15							प्रयास दुर्ग में संचालित होने से सभी सुविधाएं यथावत दिया जा रहा है।		
12	नवीन प्रयास बालक (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.)	250	155	95							प्रयास दुर्ग में संचालित होने से सभी सुविधाएं यथावत दिया जा रहा है।		
13	नवीन प्रयास कन्या (अनु. जाति वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर (छ.ग.)	250	154	96							प्रयास कन्या रायपुर में संचालित होने से सभी सुविधाएं यथावत दिया जा रहा है।		
14	नवीन प्रयास कन्या (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	250	215	35							प्रयास कन्या बिलासपुर में संचालित होने से सभी सुविधाएं यथावत दिया जा रहा है।		
15	नवीन प्रयास बालक (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर (छ.ग.)	250	200	50							प्रयास बालक रायपुर में संचालित होने से सभी सुविधाएं यथावत दिया जा रहा है।		
	कुल योग	5995	5200	795	13	0	264	5	15577	9529	0	1077	756

**अनुभाग अधिकारी**  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

## प्रपत्र-ब'

क्र.	सृजित पद	स्वीकृत पद	भरे पद	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	मूल पद
1	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	श्री सी.एल. भाया-प्राचार्य	0	श्री अरविंद जायसवाल	व्याख्याता
2	छात्रावास अधीक्षक	3	0	-	3	श्री आशीष पाण्डेय	अधीक्षक श्रेणी -द
3	रिसेप्शनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	1	-	-	-	-
4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	1	श्री नीलकण्ठ वर्मा	0	-	-
5	स्टाफ नर्स	1	-	-	1	-	-
6	चतुर्थ श्रेणी (मृत्य)	6	1	श्री अनुप बाग	5	-	-
7	रसोईया सह0 जलवाहक	9	0	-	9	-	-
8	वाहन चालक	1	0	-	1	-	-
9	अंशकालीक स्वीपर	4	0	-	4	-	-
1	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	डॉ. श्रीमती मंजुला तिवारी	-	-	प्राचार्य
2	छात्रावास अधीक्षक	2	2	श्रीमती लता गोयल, अधीक्षिका (संलग्न) श्रीमती रश्मि यादव, श्रेणी 'स' श्रीमती साधना नेताम श्रेणी 'द'	-	-	व्याख्याता
3	रिसेप्शनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	1	श्रीमती रेणुका सिन्हा	-	-	-
4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	-	-	1	-	-
5	स्टाफ नर्स	1	-	-	1	-	-
6	चतुर्थ श्रेणी (मृत्य)	4	-	-	4	दैनिक मजदूर	-
7	रसोईया सह0 जलवाहक (कले. दर)	6	-	-	6	दैनिक मजदूर	-
8	वाहन चालक (कले. दर)	1	-	-	1	-	-
9	अंशकालीक स्वीपर (कले. दर)	4	-	-	4	दैनिक मजदूर	-
1	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	-	-	-	-
2	अधीक्षक	1	1	-	-	-	-
3	छात्रावास अधीक्षक	1	1	-	-	-	-
4	रिसेप्शनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	1	-	-	-	-
5	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	-	-	1	श्रीमती कविता गौतम सह0 ग्रेड-3 दिनांक 22.02.2025 से संलग्न कार्यरत	-
6	चतुर्थ श्रेणी (मृत्य)	5	4	-	1	-	-
7	रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	7	2	-	5	-	-
8	स्वीपर (कले. दर)	4	2	-	-	-	-

प्रयास बालक एवं कन्या  
आवासीय विद्यालय दुर्ग  
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रयास कन्या आवासीय  
विद्यालय गुडियारी, रायपुर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रयास बालक आवासीय  
विद्यालय सड्डू, रायपुर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र.	प्रशास विद्यालय का नाम	सृजित पद	स्वीकृत पद	मरे पद	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	रिक्त गा	रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	मूल पद
7		रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	7	2	-	5	-	-
8		स्वीपर (कले. दर)	4	2	-	-	-	-
1		प्रशासकीय अधिकारी	1	1	-	-	मूल रूप से पदस्थ प्राचार्य श्रीमति जयसिंह कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार कार्या. सहायक आयुक्त, आदि. विकास बिलासपुर में संलग्न है एवं उनके सीन पर डॉ. जी.ए. अश्विनी कुमार प्राचार्य, गुरुकुल विद्यालय गोरिला जिला-बिलासपुर को 30.09.2019 से प्रयास में संलग्न किया गया है।	प्राचार्य
2		छात्रावास अधीक्षक	1	1	-	-	कार्या. कलेक्टर आदि. वि. बिलासपुर के आदेश क्र. 897 दिनांक 21.06.2023 द्वारा श्री एल0 महेश्वरराव अधीक्षक 'स' श्रेणी प्री0 मै0 आदि. बालक छात्रावास बेलगहना को प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर में कार्य सम्पादन हेतु आदेशित किया गया है।	-
3	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	छात्रावास अधीक्षिका	1	1	-	-	श्रीमती भारती साहू छ.ग. शासन आ0जा0 तथा अनु0 जा0 विकास रायपुर के आदेश क्र. एफ 1-46/2022/25-1 नवा रायपुर, दिनांक 09.11.2022 द्वारा स्थानांतरण द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालय बालिका खण्ड में कार्यरत	-
4		रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरटर	1	-	-	-	कलेक्टर दर में दैनिक मजदूरी पर रखकर कम्प्यूटर ऑपरटर का कार्य लिया जा रहा है।	-
5		स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	1	-	-	श्री जी.आर. गजमिचे दिनांक 23.07.2014 से कार्या. प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर में कार्यरत है। (स्थानांतरण द्वारा पदस्थापना)	-
6		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित)	5	5	-	-	उक्त स्वीकृत स्वीकृत 15 पद विरुद्ध 03 आकासिकता	-
7		रसोईया सह0 जलवाहक एवं फर्शशा (आका. स्था.)	10	10	-	-	स्थापना के कर्मचारी एवं शेष 12 कलेक्टर दर पर दैनिक मजदूरी पर (मौखिक) अकुशल श्रमिक रखकर छात्रावास में नास्ता, भोजन एवं साफ-सफाई का कार्य लिया जा रहा है।	-
8		स्वीपर (दैनिक वेतन)	3	3	-	-	-	-
9		अंशकालीन स्वीपर	4	4	-	-	-	-
1	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर जिला-संरगुजा (छ.ग.)	प्रशासकीय अधिकारी	1	0	-	1	श्री ओ.पी. साहू	व्याख्याता
2		छात्रावास अधीक्षक	2	0	-	2	श्री अमित कुमार सिंह छात्रावास अधीक्षक श्रेणी-द श्रीमती भारती सिंह छात्रावास अधीक्षक श्रेणी-द	-
3		रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरटर	1	0	-	1	-	-
4		स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	0	-	1	श्री अमृत लाल एवका	व्याख्याता
5		स्टाफ नर्स	0	0	-	0	-	-

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	सृजित पद	स्वीकृत पद	भरे पद	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	मूल पद
6	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला-बस्तर (छ. ग.)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य)	5	3	--	2	श्रीमती उर्मिला बरवा श्रीमती सीमा यादव श्रीमती सुशिला मिज	--
7		रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	7	0	--	7	दैनिक वेतनमोगी कार्यरत	--
8		अंशकालीक स्वीपर (कले. दर)	4	0	--	4	दैनिक वेतनमोगी कार्यरत	--
9		पूर्णकालिक स्वीपर	0	0	--	0	दैनिक वेतनमोगी कार्यरत	--
1		प्रशासकीय अधिकारी	1	1	--	0	श्री सुधीर दुबे	व्याख्याता
2		छात्रावास अधीक्षक	2	2	--	0	श्रीमती खुशबू सिन्हा अधीक्षक श्रेणी-द श्री आशीष साहू शिक्षक (प्रभार)	--
3		रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	0	--	1	श्री जितेन्द्र कुमार देवांगन सहा.ग्रेड-02	--
4		स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	0	--	1	--	--
5		चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	5	5	--	0	नियमित पद 5 कार्यरत है।	--
6		रसोईया सह0 जलवाहक	7	7	--	0	--	--
7		स्वीपर	4	4	--	0	बालक एवं कन्या छात्रावास में 04 स्वीपर कार्यरत।	--
1		प्रशासकीय अधिकारी	1	0	--	1	श्री आर. पी. एस ठाकुर	प्राचार्य
2		छात्रावास अधीक्षक	1	0	--	1	श्री गुपेन्द्र कुमार नागे अधीक्षक श्रेणी-स श्री आशालता शर्मा अधीक्षक श्रेणी-द	--
3		रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	0	--	1	श्री जितेन्द्र कुमार देवांगन सहा.ग्रेड-02	--
4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	0	--	1	--	--	
5	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	5	2	--	3	--	--	
6	रसोईया सह0 जलवाहक	7	14	--	0	नियमित पद के विरुद्ध 14 दैनिक वेतनमोगी कार्यरत हैं।	--	
7	स्वीपर (अंशकालीन)	4	4	--	0	बालक एवं कन्या छात्रावास में 04 स्वीपर कार्यरत।	--	
1	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	--	0	श्री गौरव शर्मा	--	
2	छात्रावास अधीक्षक	2	2	--	0	श्री ललित सिंह श्रीमती आरती मणी सिंह	--	
3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	1	--	0	श्री नवीन कुमार खाण्डेकर	--	
4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	--	--	1	--	--	

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	सृजित पद	स्वीकृत पद	मरे पद	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	मूल पद
5		चतुर्थ श्रेणी नियमित	5	5	श्री प्रभात भारद्वाज श्रीमती परमिला बाई श्रीमती निशा भारद्वाज श्रीमती रजनी श्रीमती मिल्की सिंह	0		-
6		रसोईया (आका. स्था.)	2	2	श्री भरोश राम श्री हरियर बाई	0		-
7		पूर्णकालिक स्वीपर (आका. स्था.)	2	2	श्री मनोज दुबे श्रीमती शिवकुमारी	0		-
8		अंशकालीक स्वीपर	2	2	श्री रोहित राने श्रीमती नीरा राने	0		-
9		गार्ड	2	0	--	2		-
10		स्वीपर	3	3	श्री कल्याण सिंह कंवर श्री बुझामणी पटेल श्री अजय कुमार	0		-
11		फर्पश	3	3	श्री सुंदर सिंह श्री सत कुमार श्री दीपक राजवाड़े	0		-
1		प्रशासकीय अधिकारी	1	--	--	1	श्रीमती श्वेता दुबे	ब्याख्याता
2		छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका	2	--	--	2	श्री गोविंद राम मतपहरे श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते	ब्याख्याता सहा. शिक्षिका-एल. बी.
3		रिसेप्शनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	--	--	1	श्रीमती आशा भगत -दैनिक मजदूरी पर कार्यरत	-
4		स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	--	--	1	श्रीमती चुमकी महापात्रे -दैनिक मजदूरी पर कार्यरत	-
5		चतुर्थ श्रेणी (मृत्य)	5	--	--	5	श्रीमती मन्ती सिंह-11.02.2021 श्री अरविंद खलखो-13.09.2021 श्रीमती अहिल्या यादव-13.12.2019 श्री संतु राम-01.11.2019 श्री अमर राम-02.12.2022	दैनिक मजदूरी पर कार्यरत
6		रसोईया	2	--	--	2	श्रीमती सुचिता एवका दिनांक 13.08.2019 श्री शिव प्रसाद दिनांक 11.10.2019	
7		पूर्णकालिक स्वीपर	2	--	--	2	श्रीमती सुनिता बाई दिनांक 11.10.2018 श्री विकास चौहान दिनांक 02.07.2022	
1		प्रशासकीय अधिकारी	1	0	--	1	श्री वेदप्रकाश तिवारी	ब्याख्याता
2		छात्रावास अधीक्षक-स श्रेणी	2	0	--	2	श्री अरुण थवाईत-छात्रावास अधीक्षक श्रेणी-स श्रीमती पद्मा थवाईत छात्रावासी अधीक्षिका श्रेणी-स-	

9 प्रयास बालक एवं कन्या  
आवासीय विद्यालय जशपुर  
जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	सृजित पद	स्वीकृत पद	भारे पद	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	मूल पद
3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	0	-	-	1	दैनिक वेतनमोगी कार्यरत	-
4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	0	-	-	1	-	-
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	0	-	-	3	06 आकास्मिक निधि मूल्य, अन्य संस्थाओं से संलग्न है।	-
6	रसोईया सह जलवाहक (आका. स्था.)	4	0	-	-	4	06 दैनिक मजदूरी पर कार्यरत है।	-
7	स्वीपर (अंशकालीन)	4	0	-	-	4	बालक एवं कन्या छात्रावास तथा विद्यालय हेतु 03 स्वीपर कार्यरत है।	-
1	प्रशासकीय अधिकारी	1	0	-	-	1	-	-
2	छात्रावास अधीक्षक स श्रेणी	2	0	-	-	2	-	-
3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर	1	0	-	-	1	-	-
4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	0	-	-	1	-	-
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	0	-	-	3	-	-
6	रसोईया सह0 जलवाहक	4	0	-	-	4	-	-
7	अंशकालिक स्वीपर	4	0	-	-	4	-	-
1	प्रशासकीय अधिकारी	1	0	-	-	1	-	-
2	छात्रावास अधीक्षक स श्रेणी	2	0	-	-	2	-	-
3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	0	-	-	1	-	-
4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	0	-	-	1	-	-
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	0	-	-	3	-	-
6	रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	4	0	-	-	4	-	-
7	अंशकालिक स्वीपर	4	0	-	-	4	-	-
1	प्रशासकीय अधिकारी	1	-	-	-	1	डॉ. श्रीमती मंजुला तिवारी (अतिरिक्त प्रचार)	प्राचार्य
2	छात्रावास अधीक्षक स श्रेणी	2	-	-	-	2	-	-
3	रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	-	-	-	1	-	-
4	स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	-	-	-	1	-	-
5	चतुर्थ श्रेणी	3	-	-	-	3	-	-
6	रसोईया सह0 जलवाहक (कले. दर)	4	-	-	-	4	-	-
7	अंशकालिक स्वीपर (कले. दर)	4	-	-	-	4	-	-
	योग	16	0	0	0	16	0	0

नोट :- पूर्व संघर्षित प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुदियारी रायपुर के प्रशासकीय अधिकारी को अतिरिक्त प्रचार सौंपा गया है। स्वीकृत पद क्र. 6 के विरुद्ध दैनिक मजदूर से काम लिया जा रहा है।

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	सृजित पद	स्वीकृत पद	भरे पद	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	मूल पद
1		प्रशासकीय अधिकारी	1	--	--	1	डॉ. जी.ए. अरविनी कुमार प्रचार्य, प्रयास आवासीय विद्यालय रमतला बिलासपुर के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर के प्रशासकीय अधिकारी पद के अतिरिक्त प्रभार में कार्य कर रहे हैं।	--
2		छात्रावास अधीक्षक स श्रेणी	2	--	--	2	श्रीमती भारती साहू अधीक्षक 'द' श्रेणी प्रयास आवासीय विद्यालय रमतला बिलासपुर के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर के अधीक्षक पद के अतिरिक्त प्रभार में कार्य कर रही हैं।	--
3		रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	--	--	1	--	--
4		स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	--	--	1	श्री जी.आर. गजमिये (साहा. ग्रेड-2) प्रयास आवासीय विद्यालय रमतला बिलासपुर के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर के स्थावरकीपर सह लेखापाल पद के अतिरिक्त प्रभार में कार्य कर रहे हैं।	--
5		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित)	3	1	--	2	रिक्त स्वीकृत स्वीकृत 07 पद विरुद्ध 01 आकास्मिकता स्थापना के कर्मचारी एवं शेष 04 कलेक्टर दर पर दैनिक मजदूरी पर (मौखिक) अकुशल श्रमिक रखकर छात्रावास में नारता, भोजन एवं साफ-सफाई का कार्य लिया जा रहा है।	--
6		रसोईया सह0 जलवाहक (आका. स्था.)	4	4	--	1		--
7		अंशकालीन स्वीपर	4	4	--	--		--
1		प्रशासकीय अधिकारी	1	--	--	1	श्री अरविंद जायसवाल (अतिरिक्त प्रभार)	व्याख्याता
2		छात्रावास अधीक्षक	2	--	--	2	श्री पीयूष देवांगन	अधीक्षक श्रेणी --द
3		रिसेप्सनिस्ट सह0 कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	--	--	1		--
4		स्टोर कीपर सह0 लेखापाल	1	--	--	1		--
5		चतुर्थ श्रेणी (मुत्य)	1	--	--	1		--
6		रसोईया सह0 जलवाहक	4	--	--	4		--
7		अंशकालीक स्वीपर	4	--	--	4		--

अनुभाग अधिकारी  
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

## पॉरीशेष्ट - चोहत्तर

अतारोकेत प्रश्न संख्या 55 (क्र. 2319) को जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश "क" की जानकारी

क.	जिला	एफ. आर. ए. प्रकोष्ठ पद संख्या
1	2	3
1	कोरिया	2
2	सरगुजा	3
3	जशपुर	2
4	रायगढ़	2
5	कोरबा	2
6	जांजगीर	2
7	बिलासपुर	2
8	कबीरधाम	2
9	राजनांदगांव	2
10	महासमुंद	2
11	धमतरी	2
12	कांकेर	2
13	बस्तर	3
14	नारायणपुर	2
15	दंतेवाड़ा	3
16	बीजापुर	2
17	सुकमा	2
18	कोण्डागांव	2
19	गरियाबंद	2
20	बलौदाबाजार	2
21	बलरामपुर	3
22	सूरजपुर	2
23	बालोद	2
24	मुंगेली	2
25	गौरेला	2
	योग	54

*Handwritten Signature*  
 अनुभाग अधिकारी  
 भादिम जाति तथा अनुसूचित जाति  
 विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

## पॉरीशेष्ट - ढचहत्तर

अतारॉकेत ढुरश संखुवा 56 (क. 2322) कौ जानकारौ

ढुरढतुर


क्र.	जिले का नाम	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	रिमारुक उढयोजना क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6
1	बिलासढुर	विधानसभा क्षेत्र कोटा	कोटा	टांटीघार	एकीकृत आदिवासी विकास ढरियोजना गौरैला
2				दोलढौहा	
3				ढौहली	
4				आढागोहन	
5				खौंगसरा	
6				तुलूफ	
7				नवागांव	
8				डांडबछाली	
9				रिंगरिगा	
10				बिटकुली	
11				नगौई	
12				नगचुवा	
13				कसईबहरा	
14				टेंगनढाडा	
15				लढरीडबरी	
16				सौनढुरी	
17				केन्दा	
18				नेवरी बहरा	
19				ढझगांवा	
20				लुसदा	
21				केन्दाडांड	
22				करका	
23				नवाढारा	
24				सेढरा	
25				अट्टाडा	
26				कुरवार	
27				सिलढहरी	
28				ढहन्दा	
29				उढका	
30				सौढाकला	
31				कुसुढखेडा	
32				ढिटूनवागांव	
33				कोन्चरा	
34				जरगा	

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	रिमार्क उपयोजना क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6
35	बिलासपुर	विधानसभा क्षेत्र कोटा	कोटा	पहाडबछाली	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गौरैला
36				करवा	
37				सरगोड	
38				बिल्लीबंद	
39				परसापानी	
40				चिखलाडबरी	
41				लुफा	
42				बेलगहना	
43				भेलवाटिकरा	
44				सतीबहरा	
45				बहेरामुडा	
46				कुरदर	
47				छुईया	
48				औरापानी	
49				मझगांव	
50				केकराडीह	
51				करहीकछार	
52				पण्डरापथरा	
53				रतखंडी	
54				बरर	
55				आमामुडा	
56				बानाबेल	
57				उमरिया	
58				जोगीपुर	
59				खेरझिटी	
60				पीपरपारा	
61				दारसागर	
62				रिंगवार	
63				बांसाझाल	
64				मझवानी	
65				चपोरा	
66	नेवरी बहरा				
67	बिरगहनी				
68	बारीडीह				
69	रानीबछाली				
70	कुआंजती				
71	सेमरिया				
72	झिंगटपुर				
73	सल्का				
74	कंचनपुर				
75	पोडी				
76	नवागांव				
77	शिवतराई				
78	दवनपुर				
79	परसदा				
80	सरैहापाली				

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	रिमार्क उपयोजना क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6
81				नेवसा	
82				पटैता	
83				लालपुर	
84				कुंवारीमुड़ा	
85				गोवरीपाट	
86				चंगोरी	
87				धूमा	
88				नागचुवा	
89				बांसाझाल	
90				तेदुवा	
91				मोहतरा	
92				करपिहा	
93				केवरापारा	
94				लमकेनी	
95				करगीकला	
96				जोगीपुर	
97				बेडापाट	
98				मोहदी	
99				नवागांव	
100				खैरझिटी	
101				अमने	
102				कलारतराई	
103	बिलासपुर	विधानसभा क्षेत्र कोटा	कोटा	खुरदर	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
104				अमाली	गौरेला
105				भैंसाझार	
106				मोहदा	
107				मलमीटार	
108				भरदैयाडीह	
109				पोडी	
110				सिलदहा	
111				बछलीखुर्द	
112				तिलकडीह	
113				जमुनाही	
114				घासीपुर	
115				लालपुर	
116				तेन्दुभाठा	
117				पुडू	
118				खरगहनी	
119				धनरास	
120				खैरा	
121				मानपुर	
122				कुम्हाडाखोल	
123				सेकर	
124				डिण्डौल	
125				बरपाली	
126				विचारपुर	

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	रिमार्क उपयोजना क्षेत्र का नाम	
1	2	3	4	5	6	
127	बिलासपुर	विधानसभा क्षेत्र कोटा	कोटा	मानिकपुर	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गौरैला	
128				चुरेली		
129				लमनाझार		
130				नवागांव		
131				पचरा		
132				छेरकाबांधा		
133				जंजीराडीह		
134				डोंगी		
135				नवागांव		
136				उमरियादादर		
137				रानीसागर		
138				कलारतराई		
139				छत्तौना		
140				बारीघाट		
141		विधानसभा क्षेत्र तखतपुर	तखतपुर	जोगीपुर		
142				बांधा		
143				टिंगीपुर		
144				पाली		
145				नवागांव		
146				गमजू		
147				राम्हेपुर		
148				सावंतपुर		
149				खटोला		
150				दर्सी		
151				बेलसरा		
152				खरगहना		
153		कठमुन्डा				
154		कठमुन्डा रैयत				
155		बरगन				
156		विधानसभा क्षेत्र बेलतरा	बिल्हा	बांका		एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा
157				कोरबी		
158				पथरापाली		
159				लिम्हा		
160	बरपाली					
161	घौरामुंडा					
162	बिटकुली					
163	मंजूरपहरी					
164	बम्हनीकला					
165	बसहा					
166	कडरी					

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	रिमार्क उपयोजना क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6
167	बिलासपुर	विधानसभा क्षेत्र मस्तुरी	मस्तुरी	बम्हनीकला	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा
168				कारीछापर	
169				कैमाडीह	
170				जुहली	
171				सौंठी	
172				खोंघरा	
173				जेवरा	
174				उड़ागी	
175				पिपरानार	
176				लुतरा	
177				उस्तापुर	
178				हरदाडीह	
179				हिंडाडीह	
180				कनई	
181	अदराली				

  
 अनुभाग अधिकारी  
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## पॉरीशेष्ट - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 2327) की जानकारी

प्रपत्र-अ

## जैविक खेती हेतु चयनित ग्रामों की वर्षवार-विकासखंडवार जानकारी

वर्ष	विकासखण्ड का नाम	क्र.	चयनित ग्राम का नाम
1	2	3	4
2014-15 से 2016-17	गुण्डरदेही	1	हिरुखपरी
		2	तवेरा
		3	कसौदा
		4	कमरौद
		5	परना
		6	खलारी
2017-18 से 2019-20	डौण्डी	1	आडेझर
		2	खेरवाही
		3	ककरेल
		4	भरीटोला-43
		5	पुत्तरवाही
		6	धोबनी (अ)
		7	बोरीद
		8	साल्हे
		9	धोमितटोला
		10	टेकाढोड़ा
		11	काकड़कसा
		12	चिहरो
		13	जबकसा
		14	मगरदाह
		15	तुमड़ीसुर
		16	उरझ
		17	गंगोलीडीही
		18	ढोरीटेमा
		19	खोरदो
2020-21		निरंक	
2021-22 से 2023-24	डौण्डी	1	बम्हनी
		2	छिंदगांव
		3	कुसुमटोला
		4	मरकाटोला
		5	पेंवारी
		6	सिंघोला
		7	आमाबाहरा
2024-25 (दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक)	डौण्डी	1	पचेड़ा
		2	टेमाबुजुर्ग
		3	बोरगांव
		4	अंवारी
		5	साल्हे
		6	पटेली
		7	किसनपुर

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर, अदल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स.)

संचालनालय कृषि

छ.ग. रायपुर

प्रश्राधीन अवधि में चयनित कृषकों को दिए अनुदान, सामग्री, उपकरण आदि में व्यय गई राशि का वर्षवार-  
मदवार विवरण

क्र.	वर्ष	(इकाई - राशि रु. लाख)			
		मद - 13	मद - 41	मद - 64	योग
1	2014-15	19.27	8.31	0.04	27.62
2	2015-16	11.92	7.76	0.87	20.55
3	2016-17	9.54	2.02	0.38	11.94
4	2017-18	95.65	36.26	3.77	135.68
5	2018-19	57.48	32.54	3.17	93.19
6	2019-20	35.56	39.26	2.26	77.08
7	2020-21	निरंक			
8	2021-22	31.19	7.03	1.85	40.07
9	2022-23	23.57	16.70	1.93	42.20
10	2023-24	32.76	12.22	2.72	47.70
11	2024-25 (दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक)	32.10	23.84	4.06	60.00

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

नोडल अधिकारी (वि.स.)

संचालनालय कृषि

छ.ग. रायपुर

## पॉरीशेह - सतततर

अताराकीत प्रश्न संख्या 59 (क्र. 2328) की जानकारी

झिला बालोद अंतर्गत पैक हाउस के लिए गए अनुदान से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

प्रपत्र - 'अ'

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	घटक / कार्य का नाम	कृषक / स्व.सहायता समूह का विवरण			निर्मित पैक हाउस की संख्या	इकाई लागत (राशि रु. लाख में)	प्रदाय अनुदान राशि (राशि रु. लाख में)	भौतिक सत्यापन कर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	भौतिक सत्यापन में क्या पाया गया दिवरण देवे
				नाम	ग्राम	वि.ख.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2022-23	राष्ट्रीय बागवानी मिश्र.	पोस्ट हावर्ड मैनेजमेंट, - पैक हाउस	श्री विशाल सिंग धुवे	काड़े	बालोद	1	4.00	2.00	श्री शिवेन्द्र ठाकुर तकनीकी सहायक एवं श्री श्रीकृष्ण शर्मा वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मादरूड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
2				श्रीमति विनीता दिल्लीवार	नर्ता	बालोद	1	4.00	2.00	श्री छत्रिकांत साहसे तकनीकी सहायक एवं श्री विजय निकोसे वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मादरूड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
3				श्री कैलाश चंद निषाद	खलासी	झोंडी	1	4.00	2.00	श्री गणेश्वर कवर तकनीकी सहायक एवं श्री विजय निकोसे वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मादरूड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
4				श्री तेज राम	आइंशर	झोंडी	1	4.00	2.00	श्री छत्रिकांत साहसे तकनीकी सहायक एवं श्री विजय निकोसे वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मादरूड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
5				श्रीमति मधु उपाध्याय	जमही	झोंडी	1	4.00	2.00	श्री धानेश्वर सोनवानी उपा अभियंता एवं श्री मन्नु लाल मोहला वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मादरूड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
6				श्री ज्ञानन लाल	मेडी(सु)	झोंडीलोहार	1	4.00	2.00	श्री राजेंद्र कश्यप उपा अभियंता सेवा एवं सुश्री स्नेहलता सिन्हा वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मादरूड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
7				श्री हल्द्वार पटेल	बीजामाटा	झोंडीलोहार	1	4.00	2.00	श्री राजेंद्र कश्यप उपा अभियंता सेवा एवं सुश्री स्नेहलता सिन्हा वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मादरूड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
8				श्री रामचन्द्र राठी	अर्वांद	गुण्डरदेही	1	4.00	2.00	श्री हरीशंकर साहू उपा अभियंता एवं श्री अखिलेंद्र जगदेवजा वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मादरूड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
9				श्री महेंद्र कुमार कामड़े	खैरशिनी	गुरार	1	4.00	2.00	श्री हरीशंकर साहू उपा अभियंता एवं श्री अखिलेंद्र जगदेवजा वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मादरूड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
	योग-					9	36.00	18.00			

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	घटक/कार्य का नाम	वृषक/स्व.सहायता समूह का विवरण			निर्मित पैक हाउस की संख्या	इकाई लागत (वाश क. लाख में)	प्रत्य अनुदान राशि (वाश क. लाख में)	भौतिक सहायता कर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	भौतिक सहायता में क्या पाया गया विवरण देवे		
				नाम	ग्राम	वि.ख.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	2023-24	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पोस्ट हाबिटेड मैनेजमेंट, - पैक हाउस	श्री हरी लाल	देवारमाट	बालोद	1	4.00	2.00	श्री शिवरेन्द्र ठाकुर तकनीकी सहायक एवं श्री श्रीगुण शर्मा वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।		
11				श्री चन्द्र शेखर पटेल	श्रालमला	बालोद	1	4.00	2.00				
12				श्रीमति विजया बाई	गुल्लगुडा	बालोद	1	4.00	2.00				
13				श्री गजान्धर निषाद	विचवोड	बालोद	1	4.00	2.00				
14				श्री बिसे लाल	भरौटोला 43	झौण्डी	1	4.00	2.00			श्री छविर्काल सलारे तकनीकी सहायक एवं श्री विजय निकोसे वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
15				श्रीमति दीपा रावटे	विखली	झौण्डी	1	4.00	2.00			श्री नेतराम सहारे सहायक अभियंता एवं श्री विजय निकोसे वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
16				श्रीमति कली बाई बुरेन्द्र	कृन्जकन्धार	झौण्डी	1	4.00	2.00			श्री धारेश्वर सोनवनी उप अभियंता एवं श्री मन्जु लाल माहला वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
17				श्री हेमन्त कुमार साहू	बहैरामठा	झौण्डीलोहरा	1	4.00	2.00			श्री सतीश ठाकुर उप अभियंता एवं श्री मन्जु लाल माहला वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
18				श्री गणेश राम	विजौरा	झौण्डीलोहरा	1	4.00	2.00			श्री सुरेशज हटिले उप अभियंता एवं सुश्री स्नेहलता सिन्हा वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
19				श्री लाला राम साहू	किसना	झौण्डीलोहरा	1	4.00	2.00				
20				श्रीमति संगीता चन्द्राकर	बधमरा	गुण्डरदेशी	1	4.00	2.00				
21				श्री चित्रसेन	चारमाटा	गुण्डरदेशी	1	4.00	2.00			श्री टीएस अडिल सिविल इंजीनियर एवं सुश्री स्नेहलता सिन्हा वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	पट्टक/कार्य का नाम	कृषक/सहभायता समूह का विवरण			निर्मित पैक हाउस की संख्या	इकाई लागत (राशि रु. लाख में)	प्रदाय अनुदान राशि (राशि रु. लाख में)	भौतिक संस्थापन कार्याधिकारी का नाम एवं पदनाम	भौतिक संस्थापन में क्या पाया गया विवरण देवे
				नाम	ग्राम	दि.ख.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22				श्रीमति अनुसुधा ठाकुर	बोरगहन	गुण्डरदेही	1	4.00	2.00	श्री यशपाल हरिले उष अभियंता एवं सुश्री स्नेहलता सिन्हा दि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
23	2023-24	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पोस्ट हार्बरट मैनेजमेंट - पैक हाउस	श्री दीनदयाल पटेल	कनेरी	गुजर	1	4.00	2.00	श्री हरीशंकर साहू उष अभियंता एवं श्री ए. अलेक्जेंडर उद्यान विकास अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 9X6 मीटर का पाया गया।
24				श्री सुरेश जावू	पलारी	गुजर	1	4.00	2.00	श्री यासनापयण साहू, सखे इजीनियर एवं श्री ए. अलेक्जेंडर उद्यान विकास अधिकारी	
		योग-					15	60.00	30.00		
25	2024-25	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पोस्ट हार्बरट मैनेजमेंट - पैक हाउस	निरंक	निरंक	निरंक	0	0.00	0.00	निरंक	निरंक
		योग-					0	0.00	0.00		
		महायोग-					24	96.00	48.00		

(विकास निष्ठा)  
उप सचिव  
उद्योग विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जीव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, नया दिल्ली, अटल बिहारी वाजपेयी

## जिला बालोद अंतर्गत शेडनेट हाउस के लिए दिये गए अनुदान से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

प्रपत्र - 'ब'

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	घटक / कार्य का नाम	कृषक / स्व.सहायता समूह का विवरण			शेडनेट हाउस का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	इकाई लागत (राशि रु. लाख में)	प्रदाय अनुदान राशि (राशि रु. लाख में)	भौतिक संस्थापन कर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	भौतिक संस्थापन में क्या पाया गया व विवरण देवे
				नाम	ग्राम	वि.ख.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2022-23	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	संरक्षित खेती, शेडनेट हाउस	श्रीमति सुमन देवी महेश्वरी	दैसे	गुण्डरदेही	4000	28.40	14.20	श्री जी.डी.साहू, पी.एफ.डी. सी. एवं सुश्री स्नेहलता सिन्हा वरिष्ठ वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 4000 वर्ग मीटर का पाया गया।
श्री खेमू राम साहू				शिरवासी	गुरुर	2000	14.20	7.10	श्री जी.डी.साहू, पी.एफ.डी. सी. एवं श्री अखिलेन्द्र जगदेहराजा ग्रा.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।	
श्रीमति दिलेश्वरी तारेन्द्र				धीना	झौन्डीलाहासा	3000	21.30	10.65	श्री जी.डी.साहू, पी.एफ.डी. सी. एवं श्री हेमन्त सिन्हा ग्रा.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 3000 वर्ग मीटर का पाया गया।	
4	योग-			श्री कृष्ण कुमार उरके	राणाबुज्जी	झौन्डीलाहासा	1000	7.10	3.55		निर्धारित मापदण्ड अनुसार 1000 वर्ग मीटर का पाया गया।
5				श्री चन्द्र शेखर पटेल	शालमला	बालोद	2000	14.20	7.10	श्री जी.डी.साहू, पी.एफ.डी. सी. एवं श्री श्रीकृष्ण शर्मा वरिष्ठ वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।
6	2023-24	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	संरक्षित खेती, शेडनेट हाउस	श्रीमति भागवती परवाणी	बम्हनी	झौन्डी	2000	14.20	7.10	श्री जी.डी.साहू, पी.एफ.डी. सी. एवं श्री विजय निकारे वरिष्ठ वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।



क्र.	वर्ष	योजना का नाम	घटक/कार्य का नाम	कृषक/स्व.सहायता समूह का विवरण			शेडनेट हाउस का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	इकाई लागत (राशि रु. लाख में)	प्रदाय अनुदान राशि (राशि रु. लाख में)	भौतिक सत्यापन कर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	भौतिक सत्यापन में क्या पाया गया विवरण देवे
				नाम	ग्राम	वि.ख.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				श्री गन्जु लाल सोनकर	औंसे	झौंझीलोहरा	2000	14.20	7.10	श्री जी.डी.साहू, पी.एफ.डी. सी. एवं श्री मन्जु लाल माहला वरि.उ.वि.अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।
8				श्री विहार राम	करियागोंदी	झौंझीलोहरा	2000	14.20	7.10		निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।
9				श्रीमति पदमावती वर्मा	अनुटोला	झौंझीलोहरा	2000	14.20	7.10		निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।
10	2023-24	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सरक्षित खेती, शेडनेट हाउस	श्री भेटन लाल साहू	उड़वासी	गुरुर	2000	14.20	7.10	श्री जी.डी.साहू, पी.एफ.डी. सी. एवं श्री ए. अलेखखलेन्द्र उद्यान विकास अधिकारी	निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।
11				श्री कुमार साहू	पलासी	गुरुर	2000	14.20	7.10		निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।
12				श्री गजेन्द्र कुमार मण्डली	विन्धीवाहरा	गुरुर	2000	14.20	7.10		निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।
13				श्री माला राम पटेल	खर्वा	गुरुर	2000	14.20	7.10		निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2000 वर्ग मीटर का पाया गया।
		योग-					18000	127.80	63.90		
14	2024-25	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सरक्षित खेती, शेडनेट हाउस	निरंक	निरंक	निरंक	0	0	0	निरंक	निरंक
		योग-					0	0.00	0.00		
		महायोग-					28000	198.80	99.40		

उत्कीर्ण शरत्  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जल संचयन विभाग  
भद्राचल, नया रायपुर, अटल नगर

(विकास विभाग)  
उप सचिव